खण्ड-375, अंक-10
मंगलवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(4 मार्च, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 375 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	3--86
संसद सदस्यों की तरह विधायकों को भी जीप सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग	86--90
साधन सहकारी समिति, लम्हुआ, सुल्तानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
नेशनल जूनियर हाई स्कूल, ग्राम पीपलसाना, मुरादाबाद को सरकार द्वारा अधिग्रहण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
थाना कुमारगंज, फैजाबाद की पुलिसद्वारा कुमारगंज-खंडासा मार्ग के निर्माण में अवरोध उत्पन्न करने तथा क्षेत्रीय जनता पर अत्याचार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91--92
पशु चिकित्सालय, ग्राम बमरौली कटरा, आगरा के भवन की मरम्मत शीघ्र कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
डुमरियागंज, बस्ती में हुए गोलीकाण्ड में मृतक श्री रामवृक्ष पाण्डेय के शव की दुर्दशा होने तथा उनकी विधवा को सरकारी सुविधा दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92--93
अवध शुगर मिल्स लि0, हरगांव, सीतापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार से कर्मचारियों में असंतोष होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
थाना पुरन्दरपुर, गोरखपुर के निकट भारत नेपाल सीमा पर हुई गोलाबारी की घटना से आतंक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93--94
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	94
आबकारी विभाग से संबंधित अनुदानों पर चर्चा के दौरान प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा धार्मिक पूजा स्थलों के सम्बन्ध में टिप्पणी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	94--96
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1985-86) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	96
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1985-86) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	96

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1985-86) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	96
जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक के ग्राम सभा मिझौंडा में राजकीय एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	96—97
जनपद बलिया के ग्राम सभा रतसड़ा को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	97
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फतेहपुर भेडाव में ग्राम लखनौर व बैरियाडीह के बीच 'ठाहा' नाले पर पुल बनवाये जाने की मांग के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	97
जनपद जौनपुर, तहसील शाहगंज, परगना अंगुली, ग्राम खेता सराय को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	97
स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर सुनवाई न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	97—99
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	100—114
1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 15—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या 16—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) तथा अनुदान संख्या 17—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत)	114—141
अनुदान संख्या 69—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) तथा अनुदान संख्या 70—श्रम विभाग (सेवा योजन स्वीकृत)	141—171
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1986 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	171—178
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	178
गंगा एसबेस्टस सीमेन्ट लि0, रायबरेली के मजदूरों को नवम्बर, 1985 से वेतन न मिलने से भुखमरी के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	178—181
जनपद अलीगढ़ में स्थापित सघन जिला कृषि कार्यक्रम योजना को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	181—183
नत्थियां	185—197

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार दिनांक 4 मार्च, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर हुसैन बावर, श्री — फैजाबाद
अचल सिंह, श्री — फतेहपुर
अच्युतानन्द तिवारी, डा0 — गोरखपुर
अमिताभ अनिल दुबे, श्री — गाजीपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अरविन्द तिवारी, श्री — जालौन
अरुण प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा

अवधेश प्रताप मल्ल, श्री — देवरिया
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री — बहराइच
एहतिशामवली खां, श्री — बहराइच
कनक सिंह, श्री — गाजियाबाद
काजी मोहिउद्दीन, श्री — सहारनपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कोकब हमीद, श्री — मेरठ
चन्द्र भान मौर्य, श्री — आगरा
जय नारायण शर्मा, श्री — मेरठ
जागन सिंह, श्री — रामपुर
त्रिलोक चन्द्र, श्री — बुलन्दशहर
नरेन्द्र देव, श्री — मिर्जापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
नरेश चन्द्र, श्री — लखनऊ
नारायण हरि शर्मा, श्री — अलीगढ़
निरोत्तम सिंह, श्री — बदायूं
निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री — कानपुर
प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां) — गोण्डा
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले" श्री — बुलन्दशहर
भोला सिंह, श्री — इलाहाबाद
महमूदुल हसन अंसारी, श्री — बिजनौर
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती

मुस्तमन्द अली खां, श्री — मथुरा
मोहम्मद असलम खां, श्री — सहारनपुर
मोहम्मद वसीम अंसारी, श्री — रायबरेली
रजनी कान्त दत्त, श्री — वाराणसी
रमाकान्त मिश्र, श्री — इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री — रायबरेली
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री — सीतापुर
राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
राजेन्द्र सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री — बाराबंकी
रामपाल सिंह एडवोकेट, श्री — गोण्डा
राम रतन सिंह, श्री — सीतापुर
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री — कानपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री — गोरखपुर
शतरुद्र प्रकाश, श्री — वाराणसी
शिव बालक पासी, श्री — रायबरेली
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — गोरखपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री — वाराणसी
सखावत हुसैन, श्री — गाजियाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री — शाहजहांपुर
सत्य प्रकाश विकल, श्री — आगरा
सन्तन बड़थ्वाल, श्री — चमोली
सुखदा मिश्रा, श्रीमती — इटावा
सुग्रीव सिंह, श्री — देवरिया
सुनील शास्त्री, श्री — गोरखपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री — सहारनपुर
सुरेन्द्र शहादुर सिंह, श्री — रायबरेली
सूर नारायण सिंह, श्री — रायबरेली
हरशरन सिंह, श्री — मेरठ
हितेश कुमारी, श्रीमती — बुलन्दशहर
श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री

नोट—श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार 4 मार्च, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आगरा के उद्योग नगर, फिरोजाबाद में निर्मित चूड़ियों पर दोहरा बिक्रीकर लगाये जाने पर आपत्ति

**1—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी हैं कि जनपद आगरा के उद्योग नगर, फिरोजाबाद में क्या चूड़ी पर बिक्रीकर एक स्थान पर ही लगता हैं यानी (कारखाने जो चूड़ी पैदा करते हैं) पर ? यदि हां, तो फिर ट्रान्सपोर्टर दूकानदार और इम्पोर्टर पर बिक्रीकर के लिए क्यों छापे मारे जाते हैं ?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

चूड़ियों की बिक्री पर बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्माता अथवा आयातकर्ता द्वारा बिक्री किये जाने पर बिक्रीकर देय हैं। यदि किसी दुकानदार द्वारा सादी चूड़ी कारखानेदार से खरीद कर तथा उस पर कलात्मक कार्य करके बिक्री की जाती हैं तब उसके द्वारा की गई बिक्री पर भी कर देय हैं। यदि किसी दुकानदार द्वारा स्थानीय रूप से खरीदी चूड़ी अथवा स्थानीय रूप से खरीदी चूड़ी को स्वयं अलंकृत करके अन्तर्राज्यीय बिक्री की जाती हैं तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी बिक्री पर बिक्रीकर देय हैं। यदि किसी दुकानदार द्वारा चूड़ी का आयात करके बिक्री की जाती हैं तब ऐसी बिक्री पर बिक्रीकर देय हैं।

फिरोजाबाद में चूड़ी दुकानदार द्वारा प्रान्त के अन्दर तथा अन्तर्प्रान्तीय दोनों प्रकार की बिक्री की जाती हैं। अतः कर अपवंचन रोकने हेतु कारखानों के अतिरिक्त आयातकर्ता तथा चूड़ी दुकानदारों पर भी छापा मारना आवश्यक होता हैं।

चूड़ियों का परिवहन ट्रान्सपोर्टर द्वारा भी किया जाता हैं। जिस माल के बारे में यह संदेह हो कि विक्रेता व्यापारी ने बिक्रीकर अपवंचन की दृष्टि से अपने लेखा पुस्तकों में उचित प्रकार से नहीं दिखाया हैं, उसे किसी भी स्थान से या किसी व्यक्ति अथवा ट्रान्सपोर्टर की अभिरक्षा से अभिग्रहीत किया जा सकता हैं। इस हेतु किसी ट्रान्सपोर्टर के वाहन द्वारा करापवंचन की दृष्टि से अनियमित रूप से बिना लेखा पुस्तकों में दर्शाये कोई माल लाया या ले जाया तो नहीं जा रहा हैं या किसी ट्रान्सपोर्टर के गोदाम में या किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में या किसी स्थान में ऐसा माल रखा तो नहीं हैं इस हेतु उन सबकी जांच की जा सकती हैं। अतः राजस्व हित में ट्रान्सपोर्टरों पर छापा मारना विधि अनुकूल एवं उचित हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं जो जानना चाहता था, ऐसा लगता हैं कि उसका उत्तर माननीय

मंत्री जी ने तथ्यों को बिना देखे और पत्रावली का बिना अवलोकन किये आपकी सेवा में प्रेषित कर दिया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जनता शासन ने दिनांक 7-12-1979 के साधारण गजट संख्या एस० टी०-10853/दस—6123/79 उत्तर प्रदेशीय अधिनियम 15-48-79, लखनऊ 7 दिसम्बर, 1979 के द्वारा विज्ञप्ति सं० एस० टी०—25-332/दस 1012-71, दिनांक 15 नवम्बर, 1971 में संशोधन कर उत्तर प्रदेशीय अलंकृत कांच चूड़ी निर्माता पर एक ही जगह 7 प्रतिशत बिक्रीकर के स्थान पर 10 प्रतिशत बिक्रीकर लगा दिया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जनता शासन में जारी किये गये आदेश को दृष्टि में रखते हुए कि चूड़ी एक ही कारखाने में बनती है, इसलिए एक ही बिन्दु पर बिक्रीकर लगता था और अब सरकार ने जो चूड़ियों को अलंकृत करते हैं, उनके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगा दिया है, तो क्या इस प्रक्रिया को समाप्त किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, जैसा कि वर्मा जी ने कहा, इसमें 10 प्रतिशत टैक्स की बात कही गयी है, तो इसमें जो बात थी वह यह थी कि सादी चूड़ी जो बनायेगा वही अलंकृत भी करेगा, तब तो एक ही प्वाइन्ट पर टैक्स लगेगा और यदि वह सादी चूड़ी बेचकर दूसरे व्यक्ति को देगा और वह दूसरा व्यक्ति उसको अलंकृत करेगा तो वह टैक्सेबिल है। जो मैन्यूफैक्चरिंग की परिभाषा है, धारा 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैन्यूफैक्चरिंग मीन्स, प्रोड्यूसिंग, मैकिंग, माइनिंग, कलैक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग, आल्टरीटिंग, आर्नामैन्टिंग। जो सादी चूड़ी बनायेगा और वही उसको अलंकृत करेगा, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनता शासनकाल में यह फैसला लिया गया और यह मान्यवर, सबको मालूम है कि चूड़ी कारखाने में एक जगह पैदा होती है पहले चूड़ी पर 14 परसेन्ट टैक्स था 7 परसेन्ट कलात्मक पर और 7 परसेन्ट कारखाने पर। इस प्रकार 14 परसेन्ट था तो मान्यवर, चूड़ी पर सबसे ज्यादा चोरी होती थी बिक्रीकर की, इसलिए इस महत्ता को देखते हुए जनता सरकार ने फैसला लिया कि कलात्मक चूड़ी कोई नया निर्माण नहीं है, वही चूड़ी है जिस पर हाल चढ़ाकर उस पर रंग कर बेचा जाता है इसलिए मान्यवर, जो मैन्यूफैक्चरिंग की परिभाषा आपने दी है, उस मैन्यूफैक्चरिंग की परिभाषा में कलात्मक चूड़ी नहीं आती है इसलिए जो जनता शासनकाल का आदेश था उस आदेश को विधान सभा ही पलट सकती है उसको आपने कैसे पलट दिया। यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, यह जो बिक्रीकर अधिनियम 1948 है इसकी धारा 3 क में 7-9-81 को जो दर थी वह 10 परसेन्ट थी उस पर निर्माता और आयातकर्ता दोनों टैक्सेबिल थे। मैन्यूफैक्चरिंग की जो परिभाषा अधिनियम की है उसको पढ़कर सुनाया, उसमें लिखा हुआ है और उसमें यह प्राविधान है जिसमें यह कनफ्यूज हो रहे

हैं। मान्यवर, यदि चूड़ी बनाने वाला बनाकर कलर करेगा तो एक बार टैक्स देना होगा लेकिन यदि बनाने वाले से कोई दूसरा व्यक्ति खरीदकर कलर करेगा तो उसको उसी प्रकार से टैक्स देना होगा जिस प्रकार से सादी चूड़ी बनाने वाले को देना होगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं मैन्यूफैक्चरिंग की टैक्निकलटी और परिभाषा नहीं जानना चाहता हूं। जनता शासन ने जो टैक्स माफ किया था क्या उस आदेश को वर्तमान सरकार ने संशोधित कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, यह सदन ने किया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी जानकारी के लिए विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0 डी0-10853/दा-6/12311-79 यू0 पी0 ऐक्ट-पन्द्रह-48 आर्डर—79 दिनांक 7-12-79 को पढ़ता हूं जिसके अनुसार प्लेन ग्लास बैंगिल व आरनामेन्टेड ग्लास बैंगिल्स पर कर देयता एक कर दी गयी है इस विज्ञप्ति के जारी होने के उपरान्त यदि अलंकृत करने वाले व्यापारी द्वारा समस्त चूड़ी टैक्स पेड खरीदी जाती है तो उस पर पुनः प्रान्त के अंदर बिक्रीकर पर कर आयोजित नहीं किया जाता है। इस आदेश के बाद मैं जानना चाहता हूं कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि टैक्स की दर पर यदि व्यापारी उसको अलंकृत कर अपने प्रदेश में बेचता है तो बिक्रीकर नहीं लगेगा यह आपका आदेश है जो मैंने पढ़कर सुनाया, क्या कोई दूसरा आदेश आपने कर दिया है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, मैंने बड़ा स्पष्ट पढ़कर माननीय सदस्य को बताया, माननीय सदस्य कनफ्यूज हो रहे हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

यह आप क्या कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर तो देने दीजिए।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मैं फिर से सवाल कर लेता हूं। विज्ञप्ति संख्या 10853 दिनांक 7-12-79, प्लेन ग्लास बैंगिल्स एवं आर्नामेन्टल ग्लास बैंगल्स पर करदेयता एक कर दी गयी है। इस विज्ञप्ति के जारी होने के उपरान्त यदि अलंकृत करने वाले व्यापारी द्वारा समस्त चूड़ी टैक्स पेड खरीदी जाती है तो उस पर पुनः प्रान्त के अन्दर बिक्रीकर नहीं आयोजित किया जाता है। यह आपका आदेश है। इसीलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो आपका लेटेस्ट आदेश है उसके बाद भी क्या आपने कोई आदेश भेजा है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, उच्च न्यायालय ने सन् 1985 में . . . . (व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष—

उत्तर दे लेने दीजिए।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, हाई कोर्ट से सन् 85 में एक जजमेन्ट हुआ उसके बाद जो पार्टी थी, वह बरेली का मामला था, वह इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में गया था और

उसमें गवर्नमेन्ट की जो फाइन्डिंग्स हुई, जिसे मैंने अभी पढ़ा, उसको माना गया था और उसी के हिसाब से टैक्स वसूल किया जाता है ।

श्री मनोहर लाल—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी और माननीय वर्मा जी ने जिन राजाज्ञाओं का जिक्र किया उन राजाज्ञाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित न करते हुए मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या बिक्री कर अधिकारियों ने अपने भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा पैदा करने के लिए एक तरह से यह परेशानियां पैदा कर रखी हैं और उन शासनादेशों को ताक पर रख दिया है जो इससे पहली सरकारों ने जारी किये थे ? क्या यह सही है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, यह तो बड़ी अजीब सी बात है । मैं इसके लिए क्या कहूं ।

संसद सदस्यों की तरह विधायकों को भी अपने जनपद में 10 दिन प्रतिमाह जीप सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

2—श्री अशोक वाजपेयी, श्री सत्यपाल सिंह, श्री देव कुमार यादव, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री अमीर आलम खां—क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि संसद सदस्यों को अपने जनपद में 10 दिन प्रतिमाह जीप सुविधा शासन द्वारा उपलब्ध की जाने के समान प्रदेश में विधायकों को भी इस प्रकार की जीप सुविधा शासन उपलब्ध करायेगा ? यदि हां, तो कब तक और कितने दिनों के लिए ? यदि नहीं, तो इस सौतेली नीति का आधार क्या है ?

आबकारी राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

श्री चेतराम गंगवार—

सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए विधायकों को प्रश्नगत सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री अशोक वाजपेयी—

मान्यवर, यह बड़ी विडम्बना है कि सांसदों को जीप की सुविधा उपलब्ध कराने में वित्तीय संसाधनों का अभाव नहीं था और विधायकों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय संसाधनों का अभाव है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि महीने में 10 दिन जीप की सुविधा शासन द्वारा माननीय सांसदों को उपलब्ध करा दी गयी है तो माननीय मंत्री जी को विधायकों को 10 दिन यह सुविधा उपलब्ध कराने में क्या कठिनाई है ? उनके साथ सौतेला व्यवहार करने का क्या कारण है ?

आबकारी राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की विधायकों के साथ कोई ऐसा सौतेला व्यवहार करने की नीति का इरादा नहीं है और न इसमें सौतेलापन जाहिर होता है । मैंने निवेदन किया है कि हमारे पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं । 426 सदस्य विधान सभा में हैं और 108 हमारे बड़े भाई अपर हाउस में हैं । साथ ही इतनी बड़ी तादाद जिलों में है किसी में 9 हैं किसी में 15 हैं और किसी में 10 हैं । किसी जिले में 3 जीपें हैं किसी में 5 जीपें हैं और कहीं एक जीप है । इतना पैसा जुटाने में करोड़ों रुपये का असर पड़ेगा । लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और

न ही नीति है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो । हमारे पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं । टैक्स के बारे में आप कहते हैं कि टैक्स नहीं लगाया जायेगा । परचेजिंग पावर भी व्यक्ति की नहीं रह गयी है । (व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह कह रहे हैं कि संसाधन नहीं हैं इसीलिए सबको नहीं दिया जा सकेगा । तो उत्तर प्रदेश सरकार जिसमें माननीय विधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा यह चुनी गयी है तो अगर आप इन सदस्यों को जीप की सुविधा नहीं दे सकते हैं तो उन संसद सदस्यों को जो सुविधा दी है उसको भी समाप्त करेंगे जिससे यह भेदभाव न रहे ?

श्री चेतराम गंगवार—

प्रदेश में मान्यवर, तीव्र गति से निर्बल वर्ग के लोगों के उत्थान (व्यवधान) मान्यवर, मुझे कहने तो दें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर शांत नहीं रहेंगे तो आपको जवाब कैसे मिलेगा । (व्यवधान) आप बैठिये, जवाब सुन लीजिये । (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

यह जवाब नहीं सुनेंगे । यह भेदभाव है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर आप सब खड़े होंगे तो कैसे सदन चलेगा ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री चेतराम गंगवार—

माननीय ओझा जी आप संतुष्ट होंगे । (व्यवधान) प्रदेश में 20 सूत्री प्रोग्राम को तेजी से चलाने के लिए (व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

हम क्या करें उससे ? (व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार—

यह जनहित में नहीं होगा कि जो एम0 पी0 साहबान को सुविधा दी है वह न रहे । आपके बड़े भाई हैं । 20 सूत्री कार्यक्रम की मानेटरिंग करने के लिए (व्यवधान) इसे समाप्त करना संभव नहीं है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो उनका जवाब सुना नहीं । मैं भी सुन लूं राना साहब, मुझे भी सुनने का मौका देंगे कि नहीं । (व्यवधान) माननीय मंत्री जी उन्होंने कहा एम0 एल0 एज0 और एम0 पीज0 में फर्क न किया जाय । जहां तक मैं समझा हूं । इस पर आपका क्या उत्तर है ।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, हम कोई फर्क नहीं कर रहे हैं । जहां तक एम0 पी0 साहबान की बात है आप देखते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम की मानेटरिंग के लिए (व्यवधान) उसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके

अलावा और कितने ऐसे प्रान्त हैं भारत में जिन्होंने अपने एम0 पी0 को जीप की इस प्रकार की सुविधा दे रखी है।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, हम कोई मुकाबला दूसरी स्टेट्स से नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

एम0 एल0 एज0 के साथ यह सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी (व्यवधान) जब मैं खड़ा हूं तो आप लोग क्यों खड़े हैं, यह क्या तरीका है। माननीय मंत्री जी, जो माननीय रेवती रमण सिंह जी ने प्रश्न उठाया है मैं समझता हूं कि उसको देखते हुए (व्यवधान) क्या मुझे कहने नहीं देंगे? इस पर विचार कर लें ताकि इस किस्म की कोई शिकायत न आये।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, ठीक है हम विचार कर लेंगे आपका आदेश शिरोधार्य है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब मेरा निर्णय हो गया आप बैठें। (कई सदस्यों के खड़े होने पर) माननीय कौशिक जी मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है कि इस पर पुनर्विचार कर लें। (व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, यह प्रश्न सही है और ऐसा प्रश्न नहीं है कि विचार करने की कोई बात हो। नीतिगत प्रश्न है कि किन नियमों के तहत ऐसा किया जबकि न दूसरे सूबों में ही ऐसी व्यवस्था है। इससे लगता है कि दिल्ली की लाबी को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के संसाधनों का दुरुपयोग करने का निर्णय लिया है। ऐसी स्थिति में मंत्री जी जबकि जवाब दे रहे हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम की मानेटरिंग के लिए ऐसा किया गया है, यह बिल्कुल गलत बात है, चूंकि हम सभी लोगों की इसमें जिम्मेदारी है, हमारे संसाधन हैं। अतः मंत्री जी को यह आपत्ति है कि हमारे लिए तो उनके पास संसाधन नहीं हैं किन्तु हमारे ही संसाधनों का दुरुपयोग दिल्ली लाबी मजबूत करने के लिए यह किया गया है। इसलिए आप नीतिगत मामले को लेते हुए सरकार को निर्देशित करें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पहले ही सरकार को निर्देश दिये हैं कि इस पर पुनर्विचार कर लें। अकेले मंत्री जी तो फैसला कर नहीं सकते हैं।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हम और यह सदन आपका आभारी है कि आपने विधायकों के हित में एक निर्देश दिया। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सरकार अपना निर्णय इस पर कोई नहीं लेती है तब तक आप इसको स्थगित करा दें तभी हम लोगों को संतुष्टि होगी।

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि जिलाधिकारियों को निर्देश है कि

माननीय विधायकगण महीने में एक दिन एस0 डी0 एम0 से यह अनुरोध करेंगे कि उन्हें जीप उपलब्ध कराई जाये ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहें । आप लोग बैठ जायं और शोर न करें । एक-एक माननीय सदस्य बोलें ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि एस0 डी0 एम0 को माननीय सदस्य बतायेंगे कि किस दिन वह क्षेत्र में दौरा करेंगे इसलिए उस दिन एस0 डी0 एम0 माननीय सदस्य को जीप उपलब्ध करायेगा जिससे वह क्षेत्र का दौरा कर सकेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहें । मैं निर्देश दे चुका हूं और उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है । इस पर सरकार शीघ्र ही पुनर्विचार करे ।

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

आप इसको स्थगित कराइये ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

कुंवर रेवती रमण सिंह जी (व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आपने देखा है सदन में दोनों तरफ के माननीय सदस्यों की भावना है और आपने कहा कि वह विचार कर लें । मुख्य मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पूर्व कहा था कि हम जीप देने के सम्बन्ध में विचार करेंगे, तो जब तक सरकार इस पर विचार न कर ले, संसद सदस्यों को जीप देने वाली बात को सरकार स्थगित कर दे और पूरे मामले पर एक साथ निर्णय लेकर इसको लागू किया जाये (व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि बहुत न होने से कुछ होना अच्छा है । पहले सटरडे के लिए सरकार के आदेश हैं विधायकों को देने के लिए । उसमें अनुरोध का कोई प्रश्न नहीं है । आप आदेश देंगे । समथिंग इज बेटर दैन नथिंग । एम0 पीज0 हमारे बड़े भाई हैं । (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष—

राजस्व मंत्री जी, एक सुझाव आया है ।

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

आपने विचार करने का निर्देश दिया है, शासन उस पर विचार करेगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजस्व मंत्री जी एक सुझाव आया है । कुंवर रेवती रमण सिंह जी का, आप उस पर विचार कर लें ।

(व्यवधान)

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, ऐसा है कि संसद सदस्यों के लिए वह सुविधा प्रदान की गयी है, तो उसमें आपने निर्देश दिया है कि विधायकों के लिए भी उस पर विचार किया जाये,

तो वह बात तो ठीक है, लेकिन जिनको सुविधा मिली है, उसे रोक दिया जाये, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

(इस समय विरोध पक्ष के बहुत से सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सभी सदस्यगण अपने-अपने आसन पर चले गये)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, इस सदन की भावनाओं को देखते हुए मैं आपसे फिर आग्रह करूंगा कि आप इस मामले पर सरकार को साफ-साफ निर्देश दें कि जब तक इस पर पूरा विचार होकर फैसला नहीं हो जाता कि जीप दी जायेगी तब तक के लिए संसद सदस्यों को सुविधा जो दी गयी है उसको रोक दिया जाय। जब तक विधान सभा के सदस्यों के लिए व्यवस्था नहीं की जाती तब तक के लिए उनको सुविधा जो दी गयी उसको न दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अभी शासन ने एक जानकारी दी कि विधायकों को सप्ताह में एक दिन जीप की व्यवस्था की गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जानबूझकर सदन को भ्रमित करने की चेष्टा कर रही है। वह एक दिन की सुविधा किस काम के लिए दी गयी है, जो निर्बल वर्ग के लोगों को पट्टे पर जमीन दी गयी है उस पर उनका कब्जा हुआ है या नहीं, उसको देखने के लिए दी गयी है। यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम का एक अंग है। संसद सदस्यों की अपेक्षा विधायकों की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि हमारे राज्य के संसाधन 20 सूत्रीय कार्यक्रम में लग रहे हैं। तो मेरा सुझाव है कि आपने जो विचार करने का निर्देश सरकार को दिया है तो उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन यह सरकार अनन्त काल तक विचार करती है और तब तक एम0 पी0 लोग सुविधा भोगते रहेंगे। तो जैसा कि रेवती रमण सिंह जी ने कहा और जैसा मैंने कहा था, जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता है तब तक संसद सदस्यों को जो सुविधा दी गयी है उसको स्थगित कर दिया जाय और दोनों पर एक साथ विचार करके एक साथ आदेश निर्गत हो।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मेरे यहां आने से पहले कुछ चर्चा हो गयी। मैंने उसको पूरा तो नहीं सुना। लेकिन मेरी शुरू से राय थी कि संसद सदस्यों को उत्तर प्रदेश की सरकार को जीप देने की कोई भी व्यवस्था नहीं करनी चाहिये थी। इसके पीछे मंशा यह है कि आज प्रदेश की आम जनता की आमदनी प्रतिदिन गिरती जा रही है और हम अपनी सुविधा को बढ़ायें, मैं इसके खिलाफ हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि संसद सदस्यों को उत्तर प्रदेश सरकार जीप देने की सुविधा न दें, अगर दे तो दिल्ली की सरकार दे, केन्द्र सरकार दे। अगर विधायकों का मामला है तो प्रदेश सरकार विचार कर सकती है लेकिन संसद सदस्यों को दिल्ली की सरकार सुविधा दे। उत्तर प्रदेश सरकार को इस तरह की सुविधा के आदेश को वापस लेना चाहिए। विधायकों के बारे में विचार करना है तो

विचार कर लीजिये वह अलग है। जब तक प्रदेश की आम जनता की आमदनी नहीं बढ़ती तब तक हम लोग इसमें ज्यादा इच्छुक नहीं हैं। आप गलत शुरुआत कर रहे हैं, सरकार गलत परम्परा डाल रही है इसलिए यह निर्णय वापस लीजिए यह मेरी मांग है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, माननीय सांसदों को यह सुविधा बढ़ाने का प्रश्न नहीं। प्रश्न यह है कि जो हमारे 20 सूत्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं हमारी जो विभिन्न योजनाएं ग्रामीण अंचलों में चल रही हैं। उनकी समीक्षा को, मैं केवल अधिकारियों पर छोड़ देना नहीं चाहता, इसकी वजह से यह किया जा रहा है कि अधिकारी हमारे जिस कार्य को करें, उसे हमारे जन-प्रतिनिधि भी मौके पर जाकर देखें इसी-लिए यह सुविधा प्रदान की गयी है और जहां तक माननीय सदस्यों को सुविधा दिये जाने की बात है, माह में एक दिन जीप उनके लिए उपलब्ध कराई जायेगी (घोर व्यवधान) और इस तरह से यह अपने यहां के कार्य को देख सकते हैं और अगर इस पर आप विचार करना चाहते हैं तो इस पर विचार कर लिया जायेगा कि माननीय सदस्यों को क्या सुविधा प्रदान की जाये लेकिन माननीय सांसदों को जो सुविधा दी गयी है, उसे बंद कर लिया जाये, यह कैसे उचित है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, सरकार जब तक इस निर्णय को नहीं बदलेगी तब तक आप निर्देशित करें यह प्रश्न स्थगित रहे और जब तक माननीय सांसदों को जीप न दी जाये तब तक माननीय सदस्यों को भी जीप दिये जाने सम्बन्धी व्यवस्था न कर दी जाये, यह सदन की भावना है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने सदन की भावना को देखते हुए ही यह निर्देश दिए थे कि इस पर पुनर्विचार कर लिया जाये। (घोर व्यवधान)

एक सदस्य—

नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा,

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अगर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं तो आज विधान सभा नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष—

जब एक निर्देश मैं सदन में दे चुका हूं, तो सदन की गरिमा तो कुछ रखिये। अगर इस पर विचार न हो तो आगे फिर आप इसे उठा सकते हैं। (घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, हमारा कहना है कि जब माननीय सांसद पूरे माह में यहां की योजनाओं और परियोजनाओं को देख सकेंगे और हम क्या यहां की सारी योजनाएं केवल एक दिन में देख सकेंगे, यह कहां तक उचित है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं लोकदल की तरफ से बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों को जीप नहीं चाहिए, लेकिन मांग केवल यही है कि जो जीपें माननीय सांसदों को यहां से दी जा रही हैं, इस निर्णय को वापस ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष—

इसीलिए तो मैंने यह निर्देश दिये थे कि इस पर पुनर्विचार कर लिया जाय। अगर आप लोग शांति बनायें। (घोर व्यवधान)

एक सदस्य—

यह तो विचार 5 सालों तक करते रहेंगे।

रहेंगे। इसको हम नहीं मानते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैं फिर अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि हम लोगों का इस मामले में निर्णय साफ है और मैं अपने समस्त विधायकों की ओर से स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों का एक ही निश्चित मत है कि हम लोगों को जीपें नहीं चाहिए जनता के गाढ़े पैसे की कमाई पर हम कोई सुविधा नहीं चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में वैसे ही संसाधनों की कमी है और इसी संसाधनों की कमी की वजह से हमारे बजट में कटौती की गयी। इन तमाम बातों को देखते हुए हम दूसरी फिजूलखर्ची नहीं करना चाहते हैं इसलिए माननीय सांसदों को जीप दिये जाने पर भी विचार कर लिया जाये। जो संसद सदस्यों को जीप की सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से देने का निर्णय लिया गया है, उस निर्णय को वापस लीजिये और संसद सदस्यों को इस प्रकार की कोई सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार न दे। अगर संसद सदस्यों को सुविधा देनी है, तो वह दिल्ली की सरकार उनको कोई भी सुविधा दे, उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, जो आपके विचार आये हैं, उस पर शासन को विचार करने के लिए कुछ मौका तो दीजियेगा ?

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

नहीं मान्यवर, इस समय संसद सदस्यों को जो जीप देने की सुविधा का निर्णय लिया गया है, उसे स्थगित कर दें।

(व्यवधान)

आपसे मेरी प्रार्थना है कि यह गलत परम्परा पड़ती चली जा रही है। आज अगर संसद सदस्यों को यह सुविधा न दी गयी होती, तो उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य इस मांग को न करते। इसलिए उस निर्णय को वापस लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, नियमों के अंतर्गत आप कोई प्रस्ताव लाइये, तो उस पर विचार हो जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कोई नियम हो, कोई तरीका हो या जो आप कहें वही कर लिया जाय ?

(कई सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर पर आ जाने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

(विपक्षी सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारा लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

मैंने प्रश्न को स्थगित कर दिया है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

आदेश वापस लिया जाय।

(विपक्ष के कई सदस्य नारे लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष—

जब मैंने प्रश्न स्थगित कर दिया तो वह 15 दिन के बाद आयेगा तब उस पर विचार कर लिया जायेगा।

(श्री विजय सिंह राणा वगैरह अन्य कई विपक्ष के सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री राम नरेश यादव—

मैंने आग्रह किया कि जो काम किया जा रहा है वह बहुत ही अन्यायपूर्ण है इसलिए आप सरकार को आदेशित करें।

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल मैंने जब प्रश्न को स्थगित कर दिया तो आप ...

(कई सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठकर बोलने तथा कीर्तन करने लगे)

"रघुपति राघव राजा राम, मुख्यमंत्री को सम्मति दे भगवान।"

श्री मुलायम सिंह यादव—

हमारे यह विधायक अपनी सुविधा नहीं चाहते हैं। यह जो गलत सुविधा दी गयी है उसे रोकने की मांग है इसलिए मान्यवर, आप सरकार को इस संबंध में इस गलत चीज को रोकने के लिए कहें। हम तो केवल संसद सदस्यों को जो गलत सुविधा दी गयी है उसे वापस लेने के लिए कह रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

यह फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है। हमारे अधिकारों पर दूर से हमला हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने प्रश्न को स्थगित कर दिया है।

(कई सदस्यों द्वारा "सांसदों को दी गयी सुविधा वापस लो" बार-बार कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

केन्द्र सरकार के परामर्श के बिना कोई निर्णय हो सकता है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

केन्द्र सरकार से इसका कोई मतलब नहीं है। संसद सदस्यों को जीप की सुविधा 15 दिन या एक महीने स्थगित रखने में क्या दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने अपने फैसले में प्रश्न को स्थगित कर दिया। 15 दिन बाद यह फिर आयेगा।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा जोर से चिल्लाने पर)

माननीय ओझा जी, यह आपको शोभा नहीं देता है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं आपका आदर करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

आप सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिलवा दीजिये कि तीन दिन के अन्दर इस निर्णय को वापस ले लेंगे ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब सदन व्यवस्थित नहीं है तो नेता विरोधी दल का भाषण कैसे करा रहे हैं ?

(श्री किरन पाल सिंह वगैरह कई सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठे नारे लगाते और कीर्तन करते रहे "रघुपति राघव राजाराम, इनको सम्मति दे भगवान ।")

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हम नेताओं से इस तरह से बात करना संसदीय परम्पराओं के खिलाफ है । इस सदन के अव्यवस्थित रहते नेताओं से इस तरह से बात करना उचित नहीं है । आप नेताओं से अलग से बात कर लें । इस तरह से बात करना हमारा और संसदीय परम्पराओं का अपमान है, मेरा अनुरोध है कि आप सदन को स्थगित करके नेताओं से अलग से बात कर लें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 57 मिनट पर सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी गयी । 12 बजकर 17 मिनट पर माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही 12 बजकर 45 मिनट तक और स्थगित किये जाने की सूचना मार्शल ने सदन में दी । 12 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है । 1 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है । 1 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है । 1 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 29(4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री शारदा प्रताप—

[दिनांक 11-2-86 को अता0 प्र0 सं0 113 द्वारा उत्तरित]

*2—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[6 वें शुक्रवार में नियम 29(4) की नत्थी के तारां0 प्र0 सं0 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अयोध्या, फैजाबाद स्थित राम जन्म भूमि स्थल का ताला खुलने से हो रहे आन्दोलन पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री [xxx]

क्या मुख्य मंत्री (गृह विभाग) कृपया बतायेंगे कि अयोध्या जिला फैजाबाद स्थित

नियम 41 के अंतर्गत ता0 प्र0 और

नोट—[xxx] यह नाम सदन में उठाये जाने औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

उनके उत्तर छापे गये ।

राम जन्म भूमि स्थल पर राम भक्तों को जाने से रोकने हेतु तालाबंदी किस तिथि को तथा किसके आदेश से की गयी ? क्या सरकार आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा बतायेगी कि ताला खुलवाकर, स्थल राम भक्तों को वापस सौंपने हेतु हो रहे आन्दोलन के बारे में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

मुख्यमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

प्रश्नगत विषय से सम्बन्धित मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

[मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 1986 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

ग्राम नियारडीह, थाना चोलापुर, वाराणसी निवासी श्री शोभा खटिक के पुत्र की संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा हत्या

*1—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी के चोलापुर थाने में बम्बई से कमाकर आये किसी हरिजन युवक की पिछले माह जून, 85 में कुछ लोगों ने घर से ले जाकर हत्या कर दी और उसकी लाश सीमा विवाद के कारण नदी के किनारे तीन दिन तक पड़ी सड़ती रही ? क्या यह भी सही है कि आज तक उक्त तीनों हत्यारों के खिलाफ कोई कार्यवाही इस लिए नहीं हुई कि वाराणसी गाजीपुर और जौनपुर जनपदों के चोलापुर, खानपुर, चन्दवक थानों के बीच यह तय नहीं हो पा रहा है कि जिम्मेदारी किसकी है और अपराधी सबूत नष्ट कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

मुख्यमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

प्राप्त सूचनानुसार श्री शोभा खटिक, निवासी नियारडीह, थाना चोलापुर (वाराणसी) द्वारा 3-7-85 को ए0 डी0 एम0 (ई0), वाराणसी को तीन संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध उसके पुत्र का अपहरण कर लें जाने, उसे मार कर कहीं फेंक देने व बाद में उसकी लाश ग्राम धरहरा के पास गोमती नदी में मिलने से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर थाना चोलापुर पर धारा 302/201 भा0 दं0 वि0 के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया । इसी सम्बन्ध में वादी के भतीजे की लिखित सूचना पर थाना खानपुर (गाजीपुर) पर 3-7-85 को ही धारा 364/394/302 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया । घटनास्थल थाना चोलापुर होने के कारण मुकदमें से सम्बधित कागजात थाना चोलापुर भेजे गये । विवेचना के दौरान घटनास्थल जनपद जौनपुर में ज्ञात होने पर अभियोग की अग्रिम विवेचना थाना चन्दवक जौनपुर द्वारा की जा रही है । इस मामले में लापरवाही बरतने के दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के थाना निघासन में पुलिस की पिटाई से मातादीन उर्फ माता प्रसाद की मृत्यु

*2—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के थाना निघासन में पुलिस की भयंकर पिटाई से मातादीन उर्फ माता प्रसाद नामक व्यक्ति की मृत्यु 13 अक्तूबर, 85 को हो गई ? यदि

हां, तो दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12-10-85 को 3-35 बजे अपराह्न श्री राम लखन निवासी, ग्राम बेलवापुरवा, थाना निधासन, जनपद खीरी तथा अन्य दो व्यक्ति अभियुक्त मृतक मातादीन निवासी ग्राम जमहाँरा, जनपद खीरी को पकड़कर थाना निघासन लाये और मौखिक सूचना दी कि दिनांक 11/12-10-85 की रात्रि में वादी श्री राम लखन के घर उक्त मातादीन तथा अन्य तीन नामजद व्यक्ति चोरी कर रहे थे । वादी की पत्नी के अचानक जग जाने एवं चीख पुकार पर वादी एवं गवाहान द्वारा मार-पीट कर अभियुक्त मातादीन को घर में ही पकड़ लिया गया । शेष अभियुक्त भाग गये । उक्त सूचना के आधार पर थाने पर मु0 अ0 सं0 98/85 धारा 380 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया, जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

चूंकि अभियुक्त मातादीन के शरीर पर वादी एवं गवाहों द्वारा घटनास्थल पर चोटें पहुंचायी गयी थीं अतः तुरन्त प्राथमिक उपचार हेतु दो कांस्टेबिलों के साथ उसे सरकारी अस्पताल निघासन भेजा गया । अस्पताल में प्राथमिक उपचार के पश्चात अभियुक्त को वापस थाने लाया गया क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में उसकी सब चोटों को साधारण पाया गया । दिनांक 13-10-85 को 8 बजे प्रातः मातादीन को दो कांस्टेबिलों के साथ कारागार खीरी दाखिला हेतु एवं न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया । तिराहा निघासन पर जब उक्त कांस्टेबिल अभियुक्त के साथ बस का इन्तजार कर रहे थे कि इसी बीच तिराहा निघासन पर ही अभियुक्त मातादीन की मृत्यु हो गयी, जिसकी सूचना थाना निघासन पर दी गयी एवं मृतक के पंचायतनामा के उपरान्त लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया ।

उक्त प्रकरण की मजिस्टीरियल जांच के आदेश दिये जा चुके हैं, जो अभी प्रचलित हैं । जांच के परिणाम प्राप्त होने पर कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

*3—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

[दिनांक 25-2-86 को अता0 प्र0 सं0 116 द्वारा उत्तरित]

जनपद फर्रुखाबाद के तीर्थ स्थान कीम्पल में जल निगम द्वारा निर्मित अवर जलाशय के गिर जाने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु

*4—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में प्रमुख तीर्थ-स्थान कीम्पल में जल निगम द्वारा 5 लाख रुपये से निर्मित अवर जलाशय अचानक निर्माण के एक माह बाद ही गिर गया था जिसके मलबे में दबकर कई लोग मर गये थे ? यदि हां, तो मृतकों के आश्रितों को कितना मुआवजा दिया गया ? दोषपूर्ण निर्माण के लिए जिम्मेदार अवर अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता आदि पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या इसकी कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या इस सम्बन्ध में नगर विकास अनुभाग-3 के अर्धशासकीय पत्र संख्या 4317/

9-3-349-सी/81, दिनांक 10 सितम्बर, 1981 के अनुसार कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद फर्रुखाबाद में कम्पिल में जल निगम द्वारा निर्मित प्रश्नगत टंकी, जिसकी अनुबन्धित लागत रु0 3.20 लाख थी, निर्माण के एक माह बाद गिर गई थी, किन्तु उसके मलबे में दबकर किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। अतः मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता है।

सम्बन्धित मामले में अन्तर्ग्रस्त प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अभियन्ताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

जी हां।

जांच रिपोर्ट में आये तथ्यों के आधार पर टंकी के दोषपूर्ण निर्माण कार्य हेतु प्रथम दृष्टया अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता दोषी पाये गये हैं।

जी नहीं।

कथित पत्र इस मामले से सम्बन्धित नहीं है।

प्रदेश में धार्मिक स्थानों के निर्माण का विनियमितीकरण

*5—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश में बहुत से स्थानों पर धार्मिक स्थानों के निर्माण हेतु भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में कई बार तनाव एवं दंगे हो जाते हैं ? यदि हां, तो इन्हें रोकने हेतु सरकार नए धार्मिक स्थलों के निर्माण को विनियमित करने तथा प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

परीक्षणाधीन है।

बिक्री-कर जांच चौकी मोहन नगर, गाजियाबाद के निर्माण हेतु ग्राम करहेड़ा तहसील गाजियाबाद के निवासियों की भूमि का अधिग्रहण

*6—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12-1-1979 को बिक्री कर जांच चौकी मोहन नगर, जिला गाजियाबाद के निर्माण हेतु ग्राम करहेड़ा तहसील गाजियाबाद के निवासियों की भूमि का अधिग्रहण हुआ है ? यदि हां, तो क्या शासन के समझौते के अनुसार प्रत्येक परिवार से एक-एक सदस्य को बिक्रीकर विभाग में नियुक्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी हां, भूस्वामियों को यह आश्वासन दिया गया था कि प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को, जिसकी भूमि अधिग्रहित की गयी है, बिक्रीकर विभाग में उनकी अर्हताओं के अनुसार नौकरी दी जावेगी।

इस सम्बन्ध में भूस्वामियों के परिवार के सदस्यों के 10 प्रार्थना-पत्र नियुक्ति हेतु प्राप्त हुए थे। उनमें से 7 को चतुर्थ श्रेणी के पद पर और 3 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त कर दिया गया है।

जनपद फर्रूखाबाद के ग्राम कोरी खेड़ा, थाना जहानगंज में डकैती तथा पुलिस की निष्क्रियता

*7—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुन्दर लाल वर्मा, निवासी ग्वाल टोली, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद का प्रार्थना-पत्र दि0 24-6-85 पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ है जिसमें कोरी खेड़ा थाना जहानगंज में डकैती पड़ने के बाद डकैतों के गिरोह के सक्रिय होने तथा पुलिस के निष्क्रिय होने की शिकायत की गयी है और पुलिस गश्त तेज करने का अनुरोध किया गया है ? क्या इसी सन्दर्भ में श्री जमीर हुसैन, संयोजक कांग्रेस कमेटी, विचार विभाग का भी पत्र दि0 5-5-85 माननीय मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां,

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 23/24-3-85 की रात्रि में ग्राम कोरी खेड़ा थाना जहानगंज, जनपद फर्रुखाबाद के श्री राजेश्वर दयाल पुत्र स्व0 श्री मुन्ना लाल के घर डकैती पड़ी थी, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 24-3-85 को एक अभियोग अन्तर्गत धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके जांच कराई गई। जांच से 6 अभियुक्त प्रकाश में आए जिनमें से 4 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। एक अभियुक्त न्यायालय में आत्मसमर्पण के बाद धारा 169 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत रिहा कर दिया गया। एक के विरुद्ध 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही की जा चुकी है। प्रश्न में उल्लिखित श्री जमीर हुसैन का प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-5-85 प्राप्त नहीं हुआ था। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

श्री रामजी पुत्र श्री राम लोचन, निवासी कसेरा टोली, देवरिया की पडरौना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी तथा मृत्यु

*8—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 5-4-85 को देवरिया जिले की पडरौना पुलिस ने रामजी पुत्र श्री राम लोचन निवासी कसेरा टोली, थाना पडरौना जिला देवरिया को गिरफ्तार किया और उसे इस तरह मारा पीटा कि 6-4-85 को ही पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो उस मामले में किन-किन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त मामले में कोई मजिस्ट्रेट जांच चल रही है ? यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 5-4-85 को श्री रामजी कसेरा की गिरफ्तारी पडरौना पुलिस द्वारा अपराध संख्या 66/85 अन्तर्गत धारा 394/302 भा0 दं0 वि0 की गयी थी। सदमा एवं चोटों के कारण उसकी मृत्यु जेल से सदर अस्पताल जाते समय 6 अप्रैल 1985 को हुई। प्रश्नगत मामले की मैजिस्टीरियल जांच करायी गयी। मैजि-

स्टीरियल जांच में अभियुक्त रामजी कसेरा की मृत्यु के लिये कोई पुलिस अधिकारी अथवा कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया। सम्प्रति इस प्रकरण की विवेचना सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही है। सी0 आई0 डी0 जांच में यदि कोई पुलिस कर्मी दोषी पाया गया, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

श्री वीर सिंह यादव निवासी ग्राम पसौंरा, थाना टोड़ी फतेहपुर, झांसी का कत्ल

*9—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 17-5-85 को श्री वीर सिंह यादव ग्राम पसौंरा, थाना टोड़ी फतेहपुर, जिला झांसी का कत्ल हुआ है? यदि हां, तो क्या थानाध्यक्ष ने मृतक के परिवार वालों की प्रतीक्षा किये बिना चौंकीदार पंडवाहा से उसी रात्रि में अज्ञात लोगों द्वारा हत्या किये जाने की रपट थाने में लिखवाई? क्या यह भी सही है कि अगले दिन मृतक के भतीजे श्री अजय पाल ने प्रथम सूचना लिखाई तथा मृतक के परिवार वाले तथा अन्य गवाहों ने अपने बयान हल्फी कि थानाध्यक्ष ने मुल्जिमों से रुपये लेकर यह हत्या कराई है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिए? यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री वीर सिंह यादव, निवासी ग्राम पसौंरा, जनपद झांसी की हत्या थाना टोडी फतेहपुर क्षेत्र में दिनांक 17-5-85 को हुई थी। इस सम्बन्ध में ग्राम पंडवाहा के चौंकीदार श्री कृपा शंकर राम द्वारा दिनांक 17-5-85 को रात्रि 9-15 बजे थाना टोडी फतेहपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी जिसके आधार पर थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 40/85 धारा 302 भा0 द0 वि0 पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गयी।

मृतक के भतीजे श्री अजय पाल सिंह ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांकित 18-5-85 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी को प्रेषित किया जिसमें थानाध्यक्ष टोडी फतेहपुर श्री राम औंतार शर्मा के विरुद्ध अभियुक्तों से रुपया लेकर वीर सिंह की हत्या कराने एवं प्रार्थी की प्रतीक्षा किये बिना चौंकीदार से रिपोर्ट लिखाने आदि के आरोप लगाये थे। उक्त आरोपों के विषय में दो व्यक्तियों के बयान हल्की भी प्राप्त हुये किन्तु वे व्यक्ति न तो मुकदमे के गवाह थे और न ही मृतक के सम्बन्धी, इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी द्वारा करायी गयी जांच से उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध लगाए गए उक्त आरोप विश्वसनीय नहीं पाये गये। मृतक के भतीजे ने दिनांक 6-8-85 को तत्कालीन थानाध्यक्ष टोडी फतेहपुर श्री राम औंतार शर्मा के विरुद्ध न्यायालय में इस्तगासा दायर किया है, अतः प्रश्नगत आरोपों का मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

*10—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[दिनांक 25-2-86 को ता0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

*11—श्री राम आसरे वर्मा—

[दि0 23-7-85 को अता0 प्र0 सं0 148 द्वारा उत्तरित]

कस्बा औरंगाबाद, बुलन्दशहर की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा

*12—श्री किरन पाल सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र

दिनांक 14-5-85 कस्बा औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर की सरकारी भूमि, विशेष व्यक्तियों द्वारा हड़पे जाने सम्बन्धी मिला था ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में कोई उच्च स्तरीय जांच कराई गई ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जिला स्तर पर जांच करायी गयी ।

दोषी स्टाफ के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाउन एरिया कांइरीपुर, सुल्तानपुर के पीली नाले पर पुल का बन्द निर्माण कार्य

*13—श्री विष्णु दत्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 25 हजार जनसंख्या वाली टाउन एरिया कांइरीपुर, जनपद सुल्तानपुर के बीच सार्वजनिक मार्ग पर पीली नाले पर पुल का निर्माण कार्य शुरू होकर बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कार्य पुनः शुरू कराकर इसे कब तक सम्पन्न करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पुल का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कभी प्रारम्भ ही नहीं किया गया । अतः निर्माण कार्य बन्द कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामवासियों द्वारा 7-8 वर्ष पूर्व निर्मित खम्भों पर इस पुल की डीकिंग का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है । यह कार्य जून, 1986 तक पूर्ण होना सम्भावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद में शुगर मिल अमरोहा का विस्तार

*14—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में शुगर मिल अमरोहा के विस्तार की सरकार द्वारा अनुमति दी गयी थी ? यदि हां, तो विस्तार सम्बन्धी कार्य कब से प्रारम्भ हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*15—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[8वें बुधवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जल निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड पाइपों का लगाये जाने में मानक का निर्धारण

*16—श्री मित्रसेन—

क्या सरकार को जानकारी है कि जल निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट

निवारण हेतु लगाए जा रहे हैण्ड पाइपों का कोई मानक निर्धारित किया गया हैं ? यदि हां, तो लगाए जाने का आधार और मानक क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां,

ग्रामों में सामान्यतया अधिकतम दो हैण्ड पम्प 250—300 व्यक्ति प्रति हैण्ड पम्प के आधार पर लगाये जा रहे हैं, जिनमें से एक हैण्ड पम्प हरिजन बस्ती में लगाया जा रहा हैं। जिन ग्रामों में एक ही हैण्ड पम्प लगाया जाना हैं, वह हरिजन बस्ती में ही लगाया जा रहा हैं।

प्रदेश के सभी नगरों व कस्बों में वन विभाग द्वारा लकड़ी के डिपो खोलने का प्रस्ताव

*17—श्री सैय्यद जावेद अली सब्जपोश—

क्या वन मन्त्री को जानकारी हैं कि सबसे महंगा ईंधन गरीब वर्ग के लोग जलाते हैं ? यदि हां, तो इनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी नगरों व कस्बों में वन विभाग द्वारा लकड़ी के डिपो खोलने का प्रस्ताव हैं ?

यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। गरीब वर्ग के कुछ लोगों को जलाऊनी लकड़ी जैसा मंहगा ईंधन खरीदकर जलाना पड़ता हैं। वन विभाग का प्रदेश के सभी नगरों कस्बों में लकड़ी के डिपो खोलने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

जलाऊनी लकड़ी के डिपो वन निगम द्वारा लकड़ी व अन्य संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खोले जाते हैं। अब तक वन निगम द्वारा 18 जनपदों में जलाऊनी लकड़ी के 85 केन्द्र खोले जा चुके हैं।

*18—डाक्टर दिनेश चौहरी—

[दि0 25-2-86 को अता0 प्र0 सं0 109 द्वारा उत्तरित]

*19—श्री भीखाराम—

[11वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

जौनपुर के थाना मड़ियाहूं, ग्राम दिलावरपुर (नयेपुरा) के श्री सामरथी हरिजन आपरेटर के पुत्र श्री दिनेश चन्द्र की हत्या

*20—श्री राज किशोर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के थाना मड़ियाहूं क्षेत्र के ग्राम दिलावरपुर (नयेपुरा) के श्री रामरथी, हरिजन आपरेटर के पुत्र दिनेश चन्द्र के सारे शरीर पर सांते समय उसी गांव के अपराधी नन्हें पुत्र बिरजू, बिरजू पुत्र बहादुर द्वारा तेजाब छोड़ने के कारण दिनेश चन्द्र की दि0 19-6-84 को हुई मृत्यु के साक्ष्य होते भी जांच व कार्यवाही स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा न किये जाने पर रामरथी ने कोलअसला वाराणसी के तत्कालीन विधायक माननीय ऊदल के साथ प्रार्थना-पत्र दि0 18-10-84 मुख्य मन्त्री

को दिया था जिस पर उन्होंने 11-10-84 को सी0 आई0 डी0 जांच का आदेश दिया जो कि दि0 12-10-84 को सम्बन्धित सी0 आई0 डी0 अधिकारी को कार्यवाही हेतु प्राप्त हो गया ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं और अपराधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-10-84 नहीं वरन् 8-9-84 भूतपूर्व विधायक श्री ऊदल के मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 10-9-84 के साथ प्राप्त हुआ था। घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा थाना मड़ियाहूं (जौनपुर) में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत कराये गए अभियोग में विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गयी। प्रार्थी के आवेदन पर न्यायालय की अनुमति से उक्त अभियोग की विवेचना पुनः की जा रही है जो अभी प्रचलित है। इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा नहीं की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

श्री सुन्दर सिंह, निवासी ग्राम नारायनपुर, पोस्ट हरौनी, थाना बन्धरा को असामाजिक तत्वों द्वारा मारे पीटे जाने की रिपोर्ट

1—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री नागेन्द्र नाथ सिंह, एम0 एल0 सी0 के पत्र दिनांक 8-5-85 संलग्नक सहित तथा श्री नित्यानंद स्वामी, एम0 एल0 सी0 के पत्र दिनांक 9-5-85 संलग्नक सहित गृह सचिव, उ0 प्र0 शासन को ग्राम—नारायनपुर, पोस्ट हरौनी, जिला-लखनऊ के एक परिवार के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घर में घुस कर मारपीट एवं बंगले में आग आदि लगाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संलग्न पत्र में मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और दिनांक 24-10-85 तक मुख्य मन्त्री तथा गृह सचिव उ0 प्र0 शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी तथा दोषी व्यक्तियों के क्या नाम हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

माननीय विधायकों के पत्र के साथ संलग्न श्री सुन्दर सिंह, नि0 ग्राम नारायनपुर, पोस्ट हरौनी, थाना बंथरा, जनपद लखनऊ के प्रार्थना-पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 28-4-85 को रात्रि में श्री श्याम बिहारी सिंह अपने तीन पुत्रों एवं श्री दिग्गज सिंह के साथ लाठी डंडों से लैस, नशे की हालत में गालियां देते हुए, प्रार्थी के घर आये एवं प्रार्थी तथा उसके भाई को डंडों से मारा और प्रार्थी के बंगले में आग लगा दी। आग लगने पर प्रार्थी की पुत्री कुमारी कुसुमलता एवं भतीजे दिनेश सिंह रोते चिल्लाते आये तो अभियुक्तों द्वारा इन बच्चों को भी नहीं बक्शा गया एवं कुमारी कुसुमलता के सर पर डंडे मारे गये जिससे उसका सर फट गया एवं उसे मरणासन्न अवस्था में मेडिकल कालेज लखनऊ में भर्ती किया गया। प्रार्थी जब रिपोर्ट लिखाने थाना बंथरा पहुंचा तो पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया एवं समय से सही रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी को जान माल

के खतरे से बचाकर, सही रिपोर्ट दर्ज कराकर आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी है।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में वादी श्री सुन्दर सिंह द्वारा दी गई मौखिक सूचना के आधार पर थाना बंथरा पर अभियोग अन्तर्गत धारा 323/504/506 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया। अहस्तक्षेपीय अपराध होने के कारण मामले की विवेचना नहीं की गई लेकिन स्थिति को देखते हुए पुलिस द्वारा 107/116 जा0 फौ0 की कार्यवाही 29 व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी। जांच से यह पाया गया कि जब मारपीट हुई तो आग स्वयं सुन्दर सिंह ने अपने छप्पर में लगाई थी। जांच के उपरान्त क्षेत्राधिकारी ने कुमारी कुसुमलता के सिर की चोट की गम्भीरता को देखते हुए मुकदमा धारा 308 भा0 द0 वि0 में परिवर्तित करके पुलिस को विवेचना करने के निदेश दिये जिसके उपरान्त 3 अभियुक्तों सर्वश्री (1) अमरेन्द्र सिंह (2) नरेन्द्र सिंह (3) अम्बर सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है। क्षेत्राधिकारी की जांच से कुमारी कुसुमलता की चोटों का सही मूल्यांकन न करने के दोषी पाये गये थानाध्यक्ष एवं एक उप निरीक्षक की व्यक्तिगत पत्रावली पर चेतावनी व एक कांस्टेबिल के डिफाल्टर रजिस्टर पर चेतावनी दे दी गई है।

चीनी आयुक्त अधिष्ठान में सृजित पदों के सम्बन्ध में जानकारी

2—श्री अहिबरन लाल वर्मा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी आयुक्त के अधिष्ठान में इस समय कौन-कौन से और कितने-कितने पद विभिन्न श्रेणियों में स्थायी तथा अस्थायी हैं ये अस्थायी पद कब सृजित हुए थे और इनके अब तक स्थायी न किए जाने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चीनी आयुक्त अधिष्ठान में इस समय कुल 627 पद सृजित हैं जिनमें से 610 पद स्थाई तथा 17 पद अस्थायी हैं। पदवार विवरण संलग्न है। अस्थाई पदों में से 13 पद 1979 में तथा 4 पद 1981 में सृजित किये गये थे। इन्हें भी स्थायी करने की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री प्रेम सहाय सक्सेना, क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी, आगरा के विरुद्ध कतिपय शिकायतें

3—श्री महरम सिंह—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रेम सहाय सक्सेना, क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी, आगरा के विरुद्ध कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर अभी तक मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ0 प्र0 द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।

4—श्री महरम सिंह—

क्या यह सही है कि श्री सक्सेना के विरुद्ध तमाम शिकायतों के होने पर भी

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 185 पर)

उनको आगरा में ही रोका गया है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री सक्सेना का स्थानान्तरण जून, 1985 में वार्षिक स्थानान्तरण के समय किया गया था ।

श्री सक्सेना के यकायक गम्भीर रूप से बीमार पड़ जाने के कारण मानवीय आधार पर विभागाध्यक्ष ने अपने आदेश दिनांक 5/6-7-85 द्वारा इसे स्थगित कर दिया था ।

उ0 प्र0 पिछड़ा अनुसूचित अल्पसंख्यक समाज सुधार समिति के प्रान्तीय अध्यक्ष श्री संकठा प्रसाद यादव की गिरफ्तारी

5—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष गोरखपुर, जनपद गोरखपुर ने दिनांक 1-4-85 को उ0 प्र0 पिछड़ा अनुसूचित अल्पसंख्यक समाज सुधार समिति के प्रान्तीय अध्यक्ष श्री संकठा प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया और उनका कई कीमती सामान भी ले लिया ? यदि हां, तो क्या थाने से उनका सामान एवं महत्वपूर्ण पत्रों को उनको वापस किया गया तथा कौन-कौन सा सामान नहीं दिया गया ? क्या मन्त्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारन्ट के अनुपालन में दिनांक 1-4-85 को श्री संकठा प्रसाद यादव को थानाध्यक्ष गोरखनाथ द्वारा नहीं बल्कि दो कांस्टेबिलों द्वारा गिरफ्तार किया गया । श्री यादव के पास से एक घड़ी रिको 21 ज्वेल्स आटोमेटिक काला डायल स्टील चेन तथा सफेद केस, सदस्य विधान सभा उत्तर प्रदेश के पैड का एक पन्ना 55 पैसा नगद, तांबे की एक अंगूठी, स्टील की एक अंगूठी रुद्राक्ष की एक माला, तांबे की एक ताबीज तथा कत्थई रंग की एक शाल बरामद की गई थी ।

उपर्युक्त सभी सामान श्री यादव द्वारा न्यायालय के समक्ष वापस प्राप्त किये जा चुके हैं ।

सोहन लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राजेन्द्र नगर, लखनऊ के प्ले ग्राउन्ड गन्दे जल का भराव

6—श्री सिकन्दर अली खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सोहन लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजेन्द्र नगर, लखनऊ के प्ले ग्राउन्ड में मोहल्ले की नालियों के पानी के जमाव के सम्बन्ध में श्री कामेश्वर उपाध्याय एवं श्री सुखपाल पाण्डेय विधायकों का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र माह जुलाई, 1985 से सितम्बर, 1985 के मध्य नगर विकास राज्य मंत्री/सचिव, नगर विकास/प्रशासक लखनऊ नगर महापालिका को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है और उस पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । संदर्भित पत्र पर बिन्दुवार कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) पहला बिन्दु विद्यालय के खेल के मैदान में मुहल्ले के गन्दे पानी के

भराव के बारे में है। इसे रोकने के लिये महापालिका द्वारा नाली का निर्माण कराया जा रहा है।

(2) दूसरा बिन्दु निकटवर्ती निवासियों द्वारा खेल के मैदान को शौच कार्य के लिये प्रयोग करने के बारे में है। महापालिका द्वारा इस समस्या को हल करने के लिये मुहल्ले के निकट सुभाष मार्ग पर एक सुलभ शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है तथा एक सार्वजनिक शौचालय वहां पहले से ही है।

(3) तीसरा बिन्दु विद्यालय को जाने वाले रास्ते पर लोगों द्वारा जानवर बांधने तथा गोबर इकट्ठा करने के बारे में है। इसके लिये सम्बन्धित लोगों को चेतावनी दे दी गई है तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

7—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक 28-2-86 को अता0 प्र0 सं0 104 द्वारा उत्तरित]

अपराध संख्या शून्य धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम से सम्बन्धित थाना कैन्ट फैजाबाद में अंकित रिपोर्ट

8—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मन्त्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या शून्य धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अंकित रिपोर्ट दिनांक 27-2-85 थाना कैन्ट फैजाबाद के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अब तक की विवेचना से अनियमितता न किये जाने की बात पाई गई है। फैक्ट्री के ब्वायलर में भूसी या कोयला अथवा दोनों ही जलाये जा सकने के संबंध में उद्योग विभाग के विशेषज्ञ की राय प्राप्त की जा रही है। विवेचना जारी है।

श्री मुन्नी शरण हरिजन ग्राम ईंट गांव, थाना इनायतनगर, फैजाबाद द्वारा आम रास्ते पर अतिक्रमण

9—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 27-6-85 को मुन्नीशरण हरिजन ग्राम ईंटगांव, थाना इनायतनगर फैजाबाद का मकान ग्राम्य सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस कर्मियों ने गुण्डों के सहयोग से गिराकर लूट लिया है ? यदि हां, तो मकान गिराने एवं लूटने की टेलीग्राम द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर एस0 एस0 पी0 फैजाबाद दिनांक 2-7-85 को उक्त घटना की जब मौके पर जांच कर रहे थे तो उसी गांव के असामाजिक तत्वों ने राम केवल हरिजन तुरन्त बाद मुन्नीशरण की हजारों रुपये दिया था और एस0 एस0 पी0 के हटने के तुरन्त बाद ही मुन्नीशरण की हजारों रुपए की लकड़ी जबरिया उठा ली है ? यदि हां, तो राम केवल के मारे जाने, घर गिराने व लूटने मुन्नीशरण की लकड़ी जबारिया उठा ले जाने के सम्बन्ध में लिखित रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री मुन्नीशरण हरिजन द्वारा अवैध तरीके से आम रास्ते पर दीवाल बनायी गयी थी जिसके विरुद्ध 133 द0 प्र0 सं0 की

कार्यवाही की गई तथा परगनाधिकारी बीकापुर के आदेशानुसार 3-3 फीट अतिक्रमण हटाया गया।

दिनांक 2-7-85 को लकड़ी जबरिया लूटे जाने की घटना की सूचना पर मु0 अ0 सं0 232/85 धारा 394 भा0 द0 वि0 कायम हुआ। विवेचना करके अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है।

श्री कैलाश मोहन श्रीवास्तव तत्कालीन थानाध्यक्ष खामपार, सलेमपुर देवरिया के विरुद्ध हुई शिकायतों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

10—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कैलाश मोहन श्रीवास्तव तत्कालीन थानाध्यक्ष, खामपार, सलेमपुर, देवरिया के कार्यों की समीक्षा में क्षेत्राधिकारी सलेमपुर द्वारा कितने मामले में उनके विरुद्ध पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट की गई है और उन रिपोर्टों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित पुलिस कर्मी के कार्यों की समीक्षा के उपरान्त उनके विरुद्ध क्षेत्राधिकारी सलेमपुर द्वारा 8 मामलों में रिपोर्ट की गई जिनमें से 5 मामलों में दुश्चरित्र लेख प्रदान किये जाने विषयक कारण बताओं नोटिस देने की कार्यवाही की गई, दो मामलों में कड़ी चेतावनी दी गई तथा एक मामले में उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया जो विचाराधीन है।

कुमारी पूर्णिमा मिश्रा, निवासिनी बभनौली, थाना भटनी, देवरिया के साथ बलात्कार

11—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 13 जून, 1985 को पूर्णिमा मिश्रा, निवासिनी बभनौली द्वारा थाना भटनी, जनपद देवरिया में बलात्कार सम्बन्धी सूचना दी गई जिसे थाने में धारा 323 के अन्तर्गत दर्ज किया गया ? क्या यह भी सही है कि इस सन्दर्भित मुकदमें की जांच परगनाधिकारी सलेमपुर द्वारा की गई और जांच रिपोर्ट में पूर्णिमा मिश्रा के साथ बलात्कार का प्रयास पाया गया ? यदि हां, तो मुकदमें को कम करके लिखे जाने पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 13-2-85 को कु0 पूर्णिमा मिश्रा द्वारा दी गयी मारपीट सम्बन्धी मौखिक सूचना के आधार पर थाना भटनी जिला देवरिया में धारा 323 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत एक अहस्तक्षेपीय अपराध पंजीकृत हुआ। बाद में अन्य व्यक्तियों से शिकायती-पत्र प्राप्त होने पर परगनाधिकारी सलेमपुर द्वारा जांच की गयी जिसके फलस्वरूप बलात्कार सम्बन्धी आरोप असत्य पाया गया। एक अन्य जांच के परिणामस्वरूप यह विदित हुआ कि दो अभियुक्तों ने उक्त महिला का शीलभंग करने का असफल प्रयास किया था और तत्कालीन थानाध्यक्ष भटनी, एक उप निरीक्षक तथा तत्कालीन हेडमोहर्रिर ने अपने दायित्वों का निर्वाह निष्पक्ष रूप से नहीं किया और अभियोग का अल्पकरण

किया । तीनों पुलिस कर्मियों के विरुद्ध धारा 7 पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही विचाराधीन हैं ।

ग्राम गोबरही थाना खामपार, देवरिया के श्री बालदेव, पुत्र रामधनी तथा श्री भोला, पुत्र बालदेव की हत्या में थानाध्यक्ष द्वारा धांधली

12—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि जनपद देवरिया, थाना खामपार के ग्राम गोबरही, निवासी श्री रामचन्द्र यादव द्वारा अपने भाई व भतीजे की हत्या के सिलसिले में फरवरी, 1985 को थाना खामपार में मुकदमा दर्ज कराया ? उक्त हत्याओं के संबंध में घटनास्थल पर न जाने पोस्ट मार्टम के लिए डाक्टर पर दबाव डालकर प्रतिकूल मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाने और तथ्यों को छिपाकर अभियुक्तों की जमानतों में सहयोग देने के सन्दर्भ में थानाध्यक्ष के क्रियाकलापों की जांच कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री राम चन्द्र यादव पुत्र किशुन, निवासी ग्राम गोबरही, थाना खामपार द्वारा श्री बालदेव, पुत्र रामधनी तथा श्री भोला पुत्र बालदेव की हत्या के संबंध में अभियोग संख्या-13/85, धारा 147/148/149/302, भा0 द0 वि0 थाना खामपार पर पंजीकृत कराया गया । क्षेत्राधिकारी, की जांच में आरोप प्रमाणित नहीं हुए । अब प्रश्नगत प्रकरण की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन को सौंप दी गई हैं ।

थाना सलेमपुर, जिला देवरिया में एक अज्ञात व्यक्ति को पुलीस द्वारा प्रताडित करने के सम्बन्ध में जांच

13—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना सलेमपुर, जिला देवरिया में जून 1985 में क्षेत्राधिकारी सलेमपुर व पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एक व्यक्ति को उत्पीड़न करने के आरोप में थाना सलेमपुर में कोई मुकदमा दर्ज किया गया हैं ? यदि हां, तो उक्त मामले की तफतीश किस अधिकारी द्वारा की जा रही हैं और उसकी प्रगति क्या हैं ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

थाना सलेमपुर, जिला देवरिया में एक व्यक्ति को प्रताड़ित करने के संबंध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा, निवासी बभनौली पाण्डेय थाना सलेमपुर, जिला देवरिया द्वारा अभियोग संख्या 122/85, धारा 394/325/342/504/506/161, भा0 द0 वि0 व 5(2) भ्0 नि0 विरुद्ध दो पुलिस कर्मियों के तथा एक पुलिस पार्टी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध दिनांक 8-8-85 को पंजीकृत कराया गया हैं । इस अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी, हाटा देवरिया द्वारा की जा रही हैं । प्रकरण विवेचनाधीन हैं ।

श्री जय प्रकाश सिंह, गन्ना विकास निरीक्षक (सांख्यकी) सेवरही, देवरिया के आचरण तथा फर्जी यात्रा भत्ता की जांच

14—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जय प्रकाश सिंह, गन्ना विकास

निरीक्षक (सांख्यकी) जिला देवरिया (उत्तरी) परिक्षेत्र सेवरही के आचरण तथा फर्जी यात्रा एवं वेतन वसूल करने संबंधी स्थानीय अधिकारियों द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट एवं वर्ष 83-84 में उनकी सांठ-गांठ से हुए गन्ना मूल्य में गबन से संबंधित जांच के संबंध में मुख्यालय द्वितीय द्वारा दी गई रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री जय प्रकाश सिंह, गन्ना विकास निरीक्षक (सांख्यकी) सेवरही के आचरण तथा फर्जी यात्रा भत्ता लेने के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट पर जांच उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर क्षेत्र से करायी जा रही है। वर्ष 1983-84 में श्री सिंह की सांठ-गांठ से गन्ना मूल्य के गबन का कोई मामला नहीं है।

स्टेट हाई वे नं0 1 मार्ग से निकलने वाली कोथलिक मार्ग 3 कि0 मी0 प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 विभाग बलिया के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में जानकारी

15—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट हाई वे नं0 1 मार्ग से निकलने वाली कोथलिक मार्ग 3 कि0 मी0 प्रान्तीय खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग बलिया का निर्माण कार्य सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ है तथा मार्ग किस स्तर से स्वीकृत हुआ है एवं कब तक पूर्ण हो जायेगा ? क्या कोथलीक मार्ग को आगे किसी मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। उक्त मार्ग मिट्टी एवं पुलिया स्तर तक स्वीकृत है। मार्च 1986 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। जी हां।

आगरा जनपद के नगर फिरोजाबाद में रेलवे लाइन के पुल चन्दवार गेट में वर्षा के गन्दे पानी का भराव

16—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 8-7-85 को आगरा जनपद के नगर फिरोजाबाद में मामूली वर्षा होने पर रेलवे लाइन के पुल चन्दवार गेट में वर्षा का गंदा पानी भर गया जिससे सड़क पर यातायात रुक गया और इस कारण रामनगर, आजादनगर, श्यामनगर, ओमनगर आदि चंदवार क्षेत्र के नागरिकों का फिरोजाबाद शहर से संबंध खत्म हो गया ? यदि हां, तो जल निकासी और सड़क के चालू बने रहने के क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिलाधिकारी से प्राप्त सूचनानुसार आगरा जनपद के फिरोजाबाद नगर में दिनांक 8 जुलाई, 1985 को वर्षा नहीं हुई, अतः उस दिन जल भराव से यातायात रुकने का प्रश्न ही नहीं उठता। पुल नीचा है तथा दोनों ओर की सड़कें ऊंची हैं, अतः वर्षा होने पर पुल के नीचे पानी भर जाता है जिसे डीजल पम्प लगाकर निकाल दिया जाता है। स्थायी समाधान हेतु एक योजना तैयार की गयी है, जिसके अन्तर्गत आर0 सी0 सी0 ह्यूम पाइप डालकर चन्द्रवार गेट पुल के नीचे का पानी निकालकर आगे ढाल (घटिया) तक ले जाया जायेगा। इस पर अनुमानित व्यय रु0 15,60,000 होगा। योजना कार्यान्वित करने के लिए नगर पालिका के पास इस समय पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है।

पम्पिंग फायर सर्विस स्टेशन स्थापित करने की शर्तों की जानकारी

17—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि किसी भी तहसील मुख्यालय पर फायर स्टेशन स्थापित करने के लिए कुछ निर्धारित माप दण्ड तथा शर्तें हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं, किन्तु केन्द्रीय अग्निशमन सलाहकार समिति, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की संस्तुति के अनुसार किसी भी ऐसे स्थान, जहां की जनसंख्या 50 हजार या इससे अधिक हो, पर एक पम्पिंग फायर सर्विस स्टेशन स्थापित किये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा सकता है।

बलिया में स्वीपरों के अतिरिक्त पदों का सृजन

18—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या नगर विकास मन्त्री बतायेंगे कि नगरपालिका बलिया में आज से 10 वर्ष पूर्व स्वीपरों की संख्या क्या थी और 16-5-85 को कितनी है ? क्या इस नगरपालिका द्वारा अतिरिक्त स्वीपरों की मांग की गयी ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नगरपालिका बलिया में आज से 10 वर्ष पूर्व स्वीपरों के 138 पद स्वीकृत थे और 16-5-85 को भी यही संख्या थी।

नगरपालिका बलिया से 20 स्वीपरों के अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था जिसके सम्बन्ध में कुछ बिन्दुओं पर सूचना जिलाधिकारी बलिया से मांगी गयी है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर में शीघ्र समस्त नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने तथा क्षतिग्रस्त आवास आवंटियों को हर्जाना दिलाने की मांग

19—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 1984 के आवंटियों को बहुचर्चित गोमती नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासीय भवन, समस्त नागरिक सुविधाओं सहित जैसे सीवर लाइन, सड़क, विद्युतादि कब तक मिल जायेंगे और विलम्ब से निर्माण कार्य की लागत में वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार माना जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर स्कीम में आवंटियों को शीघ्र ही सभी सुविधायें उपलब्ध करा दी जायेंगी तथा इसमें विलम्ब होने के निम्न मुख्य कारण हैं।

(1) मौके पर उजरियांव गांव वालों के जबरदस्त प्रतिरोध होने के कारण अनेकों बार कार्य में अत्यधिक विलम्ब हुआ, जिसकी वजह से पूरी स्कीम में विलम्ब हुआ।

(2) मौके पर गांव वालों का प्रतिरोध इसलिए हुआ क्योंकि उजरियांव गांव की खतौनियों में भू-स्वामित्व के अनेक विवाद हैं जिसके कारण मुआवजा के वितरण में कभी-कभी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है तथा कुछ असामाजिक तत्व भी

माँके पर कार्य में प्रतिरोध करते हैं अत: अनेकों बार पुलिस की मदद से इसमें कार्य कराया जाता हैं जिसके कारण इसमें विलम्ब हो जाता हैं इसके लिए किसी विभाग की जिम्मेदारी नहीं हैं।

20—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत भवनों की आवासीय उपयुक्तता की अवधि निर्धारित कर उससे पूर्व अनुपयुक्त या क्षतिग्रस्त होने पर आवंटियों को हर्जाना देने का मामला शासन के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो हर्जाने की दरें और धनराशि क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विकास प्राधिकरण से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव शासन में नहीं प्रस्तुत किया गया हैं। आवण्टी को जब भी मकान का कब्जा दिया जाता हैं तो मकान को सही हालत में दिया जाता हैं अत: हर्जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

21—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[दि0 18-2-86 को अता0 प्र0 सं0 92 द्वारा उत्तरित]

मीराबाई मार्ग लखनऊ में स्थित राज्य अतिथि विश्राम गृह में आबंटन का आधार

22—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मीराबाई मार्ग, लखनऊ में स्थित राज्य अतिथि विश्राम गृह में आवंटन का मापदण्ड क्या हैं और 82-83, 83-84 एवं 84-85 में प्रति वर्ष किस दर पर आवास उपलब्ध कराये गये हैं? क्या उक्त अतिथि गृह में भूतपूर्व विधायकों व भूतपूर्व मन्त्रियों को भी सूट का आवंटन उपलब्ध कराया जाता हैं? यदि हां, तो भू0 पू0 विधायकों/भू0 पू0 मन्त्रियों को किस दर पर आवास उपलब्ध कराया जाता हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मीराबाई मार्ग, लखनऊ स्थित राज्य अतिथि गृह के कक्षों का आवंटन उक्त अतिथि गृह में अधिवास के लिए नियमावली के अनुसार किया जाता हैं। वर्ष 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 में अलग-अलग श्रेणी के महानुभावों को नियमानुसार उनसे देय अलग-अलग किराये की दरों पर कक्ष उपलब्ध कराये गये। भूतपूर्व विधायकों व भूतपूर्व मन्त्रियों को विशेष परिस्थितियों में भी राज्य अतिथि गृह में कक्ष उपलब्ध कराये गये हैं। भूतपूर्व विधायकों तथा भूतपूर्व मन्त्रियों द्वारा नियमानुसार रु0 30 प्रतिदिन की दर से किराया देय हैं।

जनपद देवरिया के थाना खामपार के थानाध्यक्ष भी कैलाश मोहन श्रीवास्तव के विरुद्ध शिकायतों की जांच

23—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया के थाना खामपार के थानाध्यक्ष (कैलाश मोहन श्रीवास्तव) के विरुद्ध सन् 85 में प्रश्नकर्ता के द्वारा की गई शिकायत पर गृह सचिव द्वारा भ्रष्टाचार निवारण शाखा से जांच के आदेश किये थे? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या हैं और थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जांच अभी पूर्ण नहीं हुई हैं।

जनपद देवरिया के भटनी थानाध्यक्ष श्री उदय नारायन राय के विरुद्ध एक लड़की के साथ बलात्कार के मामले की जांच

24—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या गृहमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 85 के माह अगस्त/सितम्बर में जनपद देवरिया के भटनी थानाध्यक्ष श्री उदय नारायन राय के विरुद्ध महानिदेशक पुलिस ने ग्राम बमनौंजी, थाना भटनी में एक लड़की के साथ बलात्कार के मामले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण शाखा को जांच दी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जांच से थानाध्यक्ष, भटनी तथा अन्य दो पुलिस कर्मियों को निष्पक्ष रूप से कार्यवाही न करने तथा अपराध कम करके दर्ज करने आदि का दोषी पाया गया जिसके लिये उनके विरुद्ध धारा 7 पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही किये जाने तथा अभियोग की धारा 354 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत परिवर्तित कर विवेचना किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराये जाने की संस्तुति की गई है । संस्तुति के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है ।

हमीरपुर वन प्रभाग के मझगवां बीट में मारे गये शेर के संबंध में जांच रिपोर्ट

25—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त 82 में हमीरपुर वन प्रभाग के मझगवां बीट में मारे गये शेर की जांच के संबंध में श्री चैतन्य नारायण, सहायक वन संरक्षक, रानीपुर पशु विहार, कर्वी (बांदा) ने दिनांक 2-1-83 कैम्प कानपुर से निदेशक, कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर को उनके पत्र संख्या 1403/23-1 दिनांक 27-12-82 के संदर्भ में जो पत्र लिखा था उस पत्र पर की गई कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सत्य है कि अगस्त 1982 में हमीरपुर वन प्रभाग के मझगवां बीट में मारे गये शेर के शिकार के संबंध में प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट श्री चैतन्य नारायण तत्कालीन सहायक वन संरक्षक रानीपुर वन्य जीव विहार, कर्वी, जिला बांदा द्वारा निदेशक, कानपुर प्राणि उद्यान को उनके पत्र संख्या 1403/23-1 दिनांक 27-12-82 के सन्दर्भ में अपने पत्र संख्या मेमो/2 दिनांक 2-1-83 कैम्प कानपुर द्वारा प्रस्तुत की गयी ।

शासन ने इस मामले में विचारोपरान्त मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को स्वयं जांच करके जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं । उनकी जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

श्री सुख सागर शुक्ल थानाध्यक्ष भाटपार रानी, देवरिया द्वारा आपत्तिजनक स्वरचित कविता पाठ करने पर जांच

26—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया के थाना भाटपार रानी में नियुक्त थानाध्यक्ष (श्री सुख सागर शुक्ल)

द्वारा जन्माष्टमी के दिन पढ़ी गयी स्व-रचित आपत्तिजनक कविता को उद्धृत करते हुए एक पत्र 8 अक्टूबर, 85 को श्री कामेश्वर उपाध्याय विधायक द्वारा गृह सचिव को दिया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उस पर जांच करायी गयी लेकिन प्रश्न-गत कविता का पाठ श्री सुख सागर शुक्ल थानाध्यक्ष, भाटपार रानी द्वारा किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ । श्री शुक्ल द्वारा एक अन्य कविता पढ़ी गयी थी ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के अवर अभियन्ता श्री श्याम बाबू को मण्डी परिषद् से जल निगम में वापस करने की मांग

27—श्री शारदा प्रताप—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम के अभियन्ता श्री श्याम बाबू वर्ष 1974 से ही विभिन्न विभागों/संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर हैं जब कि नियमतः अधिकतम पांच वर्ष की प्रतिनियुक्ति के बाद कम से कम दो वर्ष मूल विभाग में रहना चाहिए ? क्या इन्हें नियमानुसार विभाग (जल निगम) में वापस लिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश जल निगम के अवर अभियन्ता श्री श्याम बाबू वर्ष 74 से नहीं बल्कि मार्च, 76 से विभिन्न विभागों/संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर हैं । इन्हें जल निगम में वापस करने के लिये मंडी परिषद् से अनुरोध किया गया है किन्तु मंडी परिषद् से उन्हें अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है ।

जनपद देवरिया के भाटपार रानी के थानाध्यक्ष श्री सुख सागर शुक्ल के विरुद्ध जांच रिपोर्ट के संबंध में जानकारी

28—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या गृहमंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया के भाटपार रानी थानाध्यक्ष श्री सुखसागर शुक्ल के विरुद्ध 10 अक्टूबर, सन् 1985 को प्रश्नकर्ता के द्वारा की गई शिकायत पर, पुलिस महानिदेशक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण शाखा से जांच का आदेश हुआ था ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है और थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां,

जांच रिपोर्ट के अनुसार तीन आरोपों में से एक आरोप की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किये जाने के कारण इस संगठन द्वारा जांच नहीं की गई । एक अन्य आरोप की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने की संस्तुति की गई तथा अवशेष एक आरोप के संबंध में श्री सुखसागर शुक्ल, थानाध्यक्ष एवं एक अन्य उप निरीक्षक के विरुद्ध एक अभियोग अन्तर्गत धारा 342/218/323 भारतीय दंड विधान के अधीन पंजीकृत कराकर उसकी जांच किसी राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा कराये जाने की संस्तुति की गई । इस संस्तुति पर विचारोपरान्त शासन ने अन्य दोनों मामलों की जांच भी अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी है । संबंधित पुलिस अधि-

कारियों को स्थानान्तरित कर देने के आदेश कर दिये गये हैं ।

नगर पालिका बिलग्राम, हरदोई द्वारा अवैधानिक नियुक्तियां

29—श्री हरिशंकर तिवारी बिलग्रामी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि न0 पा0 बिलग्राम, जि0 हरदोई की आर्थिक स्थित खराब होते हुये भी गत दो वर्षों में सेवायोजन कार्यालय से बगैर मांगे व बिना विज्ञापन के कितने व्यक्तियों की अवैधानिक रूप से नियुक्ति की गई ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नगरपालिका, बिलग्राम जिला-हरदोई में गत दो वर्षों में चार नियुक्तियां की गई थी, जिनमें से दो नियुक्तियां सेवाकाल में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की शासनादेश सं0 154-टी/19-1-74-22-सा/74, दिनांक 16-10-74 के अन्तर्गत की गई थीं । इन नियुक्तियों के लिए सेवायोजन कार्यालय से नाम मंगाने तथा विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं थी । शेष दो नियुक्तियां सेवायोजन कार्यालय से बगैर नाम मांगे तथा बिना विज्ञापन कराये की गई थीं ।

प्रश्नगत कथित दो अनियमित नियुक्तियों के संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0 को जांच हेतु निर्देशित किया गया है ।

हरदोई के नगर पालिका बिलग्राम मोहल्ला खत्राना में प्रस्तावित पाइप लाइन लगाये जाने की मांग

30—श्री हरि शंकर तिवारी बिलग्रामी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि न0 पा0 बिलग्राम मो0 खत्राना में काफी समय से पाइप लाइन स्वीकृत होने पर भी अभी तक नहीं डाली गयी है जबकि इन लोगों को जल कर देना पड़ रहा है ? यदि हां, तो पाइप लाइन कब तक डाल दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

नगर पालिका बिलग्राम के मोहल्ला खत्राना में प्रस्तावित पाइप लाइन दिसम्बर, 1985 के पूर्व बिछाकर चालू की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई के नगर पालिका बिलग्राम का चयन मलिन बस्ती पर्यावरण योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने की मांग

31—श्री हरि शंकर तिवारी बिलग्रामी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न0 पा0 बिलग्राम का चयन मलिन बस्ती पर्यावरण योजना के अंतर्गत करने के संबंध में सहयुक्त नियोजक केन्द्रीय इकाई हरदोई के पत्रांक 118/87/21/21-ज0 यो0-हर0-84, दिनांक 23-4-1984 द्वारा डी0 एस0 टी0 की जो रिपोर्ट प्रेषित की गई उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री श्रीमती पद्मा सेठ—

सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों की संगठित विकास योजना के अंतर्गत सम्भावित चयनित होने वाले नगरों की संगठित विकास योजना बनाने का कार्य प्रदेश के

बहुत से नगरों के लिये किया गया था जिसमें न0 पा0 विलग्राम के क्षेत्र की भी संगठित विकास योजना की रूप-रेखा तैयार की गई। इस नगर से भी अधिक विकासोन्मुख नगर पाये गये जिनका विकास करना अधिक महत्वपूर्ण एवं अर्थपूर्ण पाया गया। अतः विलग्राम नगर को संगठित विकास योजना के अंतर्गत चयनित करने की संस्तुति नहीं की गई।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों की संगठित विकास योजना के अंतर्गत चयनित न होने के कारण, मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अंतर्गत न0 पा0 विलग्राम को नहीं सम्मिलित किया गया।

हरदोई की नगर पालिका बिलग्राम द्वारा शुष्क शौचालय की व्यवस्था न कराये जाने की शिकायत

32—श्री हरि शंकर तिवारी बिलग्रामी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की न0 पा0 बिलग्राम ने शासन द्वारा आवंटित शुष्क शौचालय के धन का उपयोग अभी तक नहीं किया ? यदि हां, तो इसका उपयोग कब तक हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नगर पालिका बिलग्राम को शासन द्वारा रु0 50,000 अनुदान तथा रु0 50,000 ऋण के रूप में स्वीकृत किया गया। यह धनराशि स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा बैंक ड्राफ्ट द्वारा सितम्बर, 1985 में नगर पालिका को भेजी गयी। नगर पालिका द्वारा अब तक केवल रु0 17,459 का उपयोग किया गया है।

जिलाधिकारी/प्रशासक की सूचना के अनुसार शेष का उपयोग 31-3-1986 तक होने की सम्भावना है।

बरेली नगर क्षेत्र में जल कर तथा पानी की टंकियों पर खर्च का ब्यौरा

33—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर क्षेत्र में वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में कितना जल कर नगर क्षेत्र को देय हुआ था और पानी टंकियों पर कितना खर्च हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बरेली नगर क्षेत्र में वर्ष 1983-84 एवं 84-85 में क्रमशः रु0 36, 72, 197 एवं रु0 36, 72, 197 जलकर देय हुआ। पानी की टंकियों पर उक्त वर्षों में क्रमशः रु0 51, 28, 167 तथा रु0 52, 36, 955 खर्च हुए जिसमें टंकियों का रख रखाव, बिजली का खर्च तथा जलकल विभाग के अधिष्ठान पर व्यय शामिल है।

बरेली नगर महापालिका द्वारा किये गये वृक्षारोपण का ब्यौरा

34—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बरेली महानगरपालिका ने पहली जुलाई, 85 से 51 हजार वृक्षों का रोपण किया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना में कितना धन खर्च हुआ तथा इन पेड़ों में अब तक कितने जीवित हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नगर महापालिका, बरेली ने पहली जुलाई, 1985 से नगर की विभिन्न सड़कों, पार्कों तथा सार्वजनिक स्थानों पर 3853 वृक्षों का रोपण किया ।

पौधों पर कुल व्यय 1630 रुपये हुआ एवं इनकी सुरक्षा के लिए 291 ट्री गार्ड लगाये गये जिनकी रंगाई, पुताई एवं उन्हें लगाने आदि पर कुल 9,727.36 पैसे का खर्च हुआ है ।

रोपित वृक्षों में से 2890 वृक्ष जीवित हैं ।

राज्य योजना आयोग के कर्मचारियों की प्रोन्नति

35—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18-10-85 या अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र राज्य योजना आयोग के कर्मचारियों की प्रोन्नति के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी हां । राज्य योजना आयोग के टंककों का अवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नति का कोटा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

उ0 प्र0 राज्य संग्रहालय बनारसी बाग, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री राम प्रसाद के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट

36—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य संग्रहालय बनारसी बाग, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने थाना हजरतगंज, लखनऊ में श्री राम प्रसाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के विरुद्ध वर्ष 1985 में कितनी बार रिपोर्ट दर्ज करायी और उस पर, उस कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उक्त थाने में माह अक्टूबर 85 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय बनारसी बाग, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा श्री राम प्रसाद, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के विरुद्ध दिनांक 25-4-85 तथा दिनांक 24-8-85 को कोतवाली हजरतगंज लखनऊ में दो सूचनायें गैर दस्तनदाजी सं0 135 तथा 315 अंकित कराई गई थी । दोनों सूचनायें गैर दस्तनदाजी होने के कारण पुलिस द्वारा कोई तफतीश नहीं की गई । अक्टूबर, 1985 में प्रश्नकर्ता के पत्र का कोतवाली हजरतगंज पर प्राप्त होना नहीं पाया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री डी0 डी0 चतुर्वेदी थानाध्यक्ष, कछौना, हरदोई के विरुद्ध श्रीमती शान्ति शर्मा का शिकायती पत्र

37—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती शान्ति शर्मा प्रबन्धक बी0 एम0

मान्टेसरी स्कूल, शिव विहार, सण्डीला. जनपद हरदोई का कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित माह अक्टूबर 1985 के चौथे सप्ताह में डी0 डी0 चतुर्वेदी थानाध्यक्ष, कछौना के विरुद्ध प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, प्रश्न में संदर्भित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रार्थना-पत्र तथा श्रीमती शान्ति शर्मा के इस मामले के संबंध में पूर्व में प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच कराई गई । श्रीमती शान्ति शर्मा के एक अन्य प्रार्थना-पत्र पर पुलिस अधीक्षक, हरदोई के आदेशानुसार थाना कछौना पर मु0 अ0 सं0—113 धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ था । विवेचना से अभियोग असत्य पाये जाने के कारण खारिज किया गया । जांच से स्पष्ट हुआ कि श्रीमती शान्ति शर्मा ने दिनांक 15-6-84 को श्री गोपाल बिहारी निवासी पतसैंनी के मकान पर 360 रु0 प्रतिमास की दर से डी0 एम0 मान्टेसरी स्कूल खोला । मकान मालिक के स्वर्गवास हो जाने एवं उनके कोई पुत्र न होने के कारण, उनके वारिश विनोद कुमार ने मकान का किराया मांगा । इस पर दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया । दिनांक 11-3-85 को समझौता हो जाने पर श्रीमती शर्मा ने 7 माह का किराया विनोद कुमार को दिया । इस समझौते में संभवतः यह निर्णय भी हुआ था कि श्रीमती शर्मा मकान को अगले सत्र के पूर्व खाली कर देंगी । मकान न खाली करने पर विनोद कुमार ने दिनांक 29-6-85 को मकान खाली कराना प्रारम्भ किया । इसके उपरान्त श्रीमती शर्मा के प्रार्थना-पत्र पर परगना अधिकारी संडीला ने इस विवादग्रस्त मकान को धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कुर्क करवाकर सील करवा दिया । यह मुकदमा खारिज होने पर श्रीमती शर्मा ने इस आदेश के विरुद्ध अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील दायर की जो दिनांक 31-8-85 को खारिज हो गई । श्रीमती शर्मा द्वारा सत्र न्यायाधीश, हरदोई के न्यायालय में दायर की गई अपील विचाराधीन है । जहां तक श्री डी0 डी0 चतुर्वेदी के स्थानान्तरण का संबंध है, थाना कछौना से उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

राज्य योजना आयोग में टंकक से अवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नति

38—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य योजना आयोग में अवर वर्ग सहायक की प्रस्तावित सेवा नियमावली में टंकक से अवर वर्ग सहायक पर प्रोन्नति का कोटा 50 प्र0 श0 निर्धारित है ? क्या यह सही है कि सचिवालय प्रशासन व अन्य निदेशालयों में भी यह कोटा 50 प्र0 श0 या इससे अधिक है और राज्य योजना आयोग के कर्मचारियों को प्रोन्नति में 25 प्रतिशत कोटा दिया जा रहा है, जब कि राज्य योजना आयोग के अन्य सम्वर्गों में भी यह कोटा 50 प्रतिशत सेवा नियमावली में प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या राज्य योजना आयोग के कर्मचारियों की प्रोन्नति 50 प्रतिशत कोटे के तहत करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी नहीं । सचिवालय प्रशासन विभाग में अवर वर्ग सहायक के पद पर टंककों के प्रोन्नति का कोटा निर्धारित नहीं है । अन्य निदेशालयों द्वारा इस संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया से राज्य योजना आयोग सम्बन्धित नहीं है ।

राज्य योजना आयोग की प्रस्तावित आलेख्य संज्ञा नियमावली में अवर वर्ग सहायक के पद पर टंकक की पदोन्नति का कोटा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

हरदोई के थाना बिलग्राम में ग्राम बेहटा बुजुर्ग निवासी श्री राम भजन पुत्र श्री परसादी कुम्हार के घर में पड़ी डकैती

39—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, 1985 के दूसरे सप्ताह में हरदोई के थाना बिलग्राम में ग्राम बेहटा बुजुर्ग निवासी श्री राम भजन पुत्र श्री परसादी कुम्हार के घर में पड़ी डकैती के मुल्जमों को पकड़ने हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र डी0 आई0 जी0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या मुल्जम पकड़े जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न में बतायी गयी घटना के संबंध में थाना बिलग्राम पर एक अभियोग अपराध संख्या 142/85, धारा 395/397 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ था । विवेचना से डकैती का रेंजिश के कारण बढ़ा चढ़ाकर दर्ज कराना पाया गया । घटना केवल गाली-गलौज व धमकी देने की पायी गयी, अतः विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई ।

40—श्री राम आसरे वर्मा—

(दि0 3-3-86 को अता0 प्र0 सं0 150 द्वारा उत्तरित)

वेद प्रकाश गोयल एण्ड सन्स फर्म गाजियाबाद से जल निगम द्वारा मांगे गये कोटेशन

41—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वेद प्रकाश गोयल एण्ड सन्स फर्म गाजियाबाद से जल निगम द्वारा सामग्री पूर्ति कराने हेतु फर्म से मांगे गये कोटेशन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित कोई पत्र जुलाई 1985 के तीसरे सप्ताह में अध्यक्ष जल निगम को डाक द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

मामले में जांच कराई जा रही है ।

गोरखपुर जनपद में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों का मिल के रिहाइशी मकानों में निवास

42—श्री हर्षवर्धन—

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में कितने ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक मिल के रिहाइशी मकानों में रहते हैं ? क्या इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश है जिसके अंतर्गत मिल के रिहाइशी मकानों में इनके रहने पर निषेध है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोरखपुर जनपद के तीन ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक मिलों के रिहाइशी मकान में रहते हैं। ऐसे कोई आदेश की जानकारी नहीं है जिसके द्वारा मिल के रिहाइशी मकान में रहना निषिद्ध हो तथापि बिना किराया मकानों में रहने के कारण उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

गणेश शुगर मिल, आनन्द नगर, गोरखपुर स्थित चहेरी एवं बागापार फार्म से गन्ने की सीधी आपूर्ति

43—श्री हर्षवर्धन—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गणेश शुगर मिल, आनन्द नगर, गोरखपुर के सुरक्षित क्षेत्र में स्थित चहेरी एवं बागापार फार्म से गन्ने की सीधी आपूर्ति किन नियमों में मिल करती है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गणेश शुगर मिल आनन्दनगर, गोरखपुर के सुरक्षित क्षेत्र में स्थित चहेरी एवं बागापार फार्म के गन्ने को अपने मिल के निजी फार्म के गन्ने का आधार मानकर गन्ने की आपूर्ति गन्ना समिति के माध्यम से कराने के विरोध में मिल ने मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है, जिसके अन्तर्गत मिल सीधे गन्ना आपूर्ति लेती है। रिट याचिका न्यायालय के विचाराधीन है।

44—श्री हर्षवर्धन—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गणेश शुगर मिल आनन्दनगर, गोरखपुर के सुरक्षित क्षेत्र में स्थित चहेरी एवं बागापार फार्म के गन्ने का सर्वेक्षण विगत 10 वर्षों में गन्ना विभाग द्वारा कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गणेश शुगर मिल आनन्दनगर, गोरखपुर के सुरक्षित क्षेत्र में स्थित चहेरी एवं बागापार फार्म के गन्ने का सर्वेक्षण विगत तीन वर्षों से गन्ना विभाग द्वारा कराया जा रहा है। चीनी मिल द्वारा आपत्ति किये जाने के कारण इससे पूर्व सर्वेक्षण कार्य गन्ना विभाग द्वारा नहीं कराया जा सका।

45—श्री राज किशोर सिंह—

(दिनांक 11-2-86 को अता0 प्र0 सं0 86 द्वारा उत्तरित)

उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत अधिकारी ग्रेड-4 में नियुक्तियां एवं विनियमितीकरण

46—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा में वर्ष 1976 से वर्ष 1980 तक अधिशासी अधिकारी ग्रेड-4 में किन-किन लोगों की शासन द्वारा तदर्थ नियुक्ति की गई है? किन-किन अधिकारियों की सेवायें विनियमितीकरण नियमावली के अधीन नियमित की जा चुकी हैं और अब कब तक स्थायीकरण आदेश निर्गत करा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा 1966 के अन्तर्गत वर्ष 1976 से 1980 तक अधिशासी अधिकारी ग्रेड-4 में निम्न अधिकारियों की तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं :—

सर्वश्री

(1) रूपेश कुमार
(2) जसवन्त सिंह
(3) प्रहलाद सिंह रावत
(4) कृष्ण चन्द्र मिश्र
(5) तारकेश्वर नाथ तिवारी
(6) सईद अहमद
(7) अनूप कुमार शुक्ला
(8) राजेन्द्र नाथ गुप्ता
(9) राजेन्द्र नारायन
(10) फौजदार भारद्वाज
(11) अनिल कुमार शाही
(12) रमाशंकर दीक्षित
(13) चन्द्र भूषण सिंह
(14) सुनील कुमार सिंह
(15) शिवजी पाण्डेय

उपर्युक्त सभी अधिकारियों की सेवाएं नियमित किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, जिसके पूरा होने के पश्चात् ही स्थायीकरण के आदेश निर्गत करना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सेवा आयोग से अवर अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची

47—श्री रमाकान्त मिश्र—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के दूसरे गुरुवार के उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 88 तथा 89 के संबंध में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग से उक्त अवर अभियन्ताओं की कोई ज्येष्ठता सूची प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उसमें क्रमबद्ध क्या-क्या नाम हैं तथा इस क्रमबद्ध सूची में से वर्तमान समय में कार्यरत अवर अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची क्या है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

आयोग ने अवर अभियंता (सिविल) के पदों के लिए अनुमोदित अभ्यर्थियों की जो सूची भेजी थी वह श्रेष्ठता के आधार पर थी ।

इनमें से केवल 65 कर्मचारी इस समय भी कार्यरत हैं, जिनके ज्येष्ठता क्रम में नाम संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ पर)

बिजनौर की धामपुर और स्योहारा चीनी मिलों द्वारा नाजायज गन्ना ढुलाई खर्च वसूलने तथा प्रति कुन्टल कीमत कम देने की शिकायत

48—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला बिजनौर की धामपुर और स्योहारा चीनी मिलों ने चालू पिराई सत्र में शासनादेश संख्या 6277-एस/18-5-1997-83, दिनांक 24-11-84 के अनुसार प्रति कुन्टल गन्ना 50 पैसा ढुलाई खर्च वसूलने के बजाय गन्ना उत्पादकों से 1.50 रुपया प्रति कुंटल वसूला ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रति कुंटल गन्ना 1.00 रुपया अतिरिक्त

वसूला गया रुपया गन्ना उत्पादकों को उपर्युक्त मिलों से वापस करायेगी ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

पेराई सत्र 1984-85 में बिजनौर जनपद की धामपुर एवं सिवहारा चीनी मिलों द्वारा गेट तथा वाह्य क्रय केन्द्रों पर गन्ने के मूल्यों में परामर्शित 50 पैसे प्रति कुंटल के बजाय रु0 1.50 प्रति कुंटल का अन्तर रखा गया । चूंकि वाह्य केन्द्रों पर उक्त मिलों द्वारा दिया गया गन्ना मूल्य नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य से अधिक हैं, इसलिये उनसे कोई धनराशि का वसूला जाना सम्भव नहीं हैं ।

49—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री को जानकारी हैं कि जिला बिजनौर की धामपुर व स्यौहारा चीनी मिलों ने गेट पर व क्रय केन्द्रों पर लिए गए गन्ने का मूल्य क्रमशः 22.00 रुपया प्रति कुंटल व 21.50 रुपया प्रति कुंटल देने के बजाय गन्ना उत्पादकों को मात्र 20.50 रुपया प्रति कुंटल दिया और दे रहे हैं ? यदि हां, तो उपर्युक्त मिलों से किसानों की क्षतिपूर्ति कराने के लिए शासनादेश संख्या 6227-एस/18-5—1997-83, दिनांक 24-11-84 का उल्लंघन करने के लिए उपर्युक्त मिलों के विरुद्ध क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिला बिजनौर की धामपुर तथा सिवहारा चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 1984-85 में मिल गेट पर रु0 22.00 प्रति कुंटल की दर से तथा वाह्य केन्द्रों पर रु0 20.50 प्रति कुंटल की दर से गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना उत्पादकों को किया गया ।

राज्य सरकार द्वारा इंगित गन्ना मूल्य एवं वाह्य क्रय केन्द्रों पर 50 पैसे का अन्तर परामर्शस्वरूप हैं । चूंकि वाह्य केन्द्रों पर उक्त मिलों द्वारा दिया गया गन्ना मूल्य नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य से अधिक हैं, इसलिये उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सम्भव नहीं हैं ।

जिला उन्नाव के पुरवा थाना के धिरजी खेड़ा निवासी श्री माता प्रसाद वर्मा का शिकायती-पत्र

50—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ रेन्ज को माह सितम्बर 85 में जिला उन्नाव के पुरवा थाने के धिरजी खेड़ा निवासी श्री माता प्रसाद वर्मा का एक पुलिस दरोगा द्वारा रिश्वत लिए जाने व उत्पीड़ित किए जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र मिला हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई हैं ? क्या यह सही हैं कि पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता को बयान बदलने के लिए सताया जा रहा हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, प्रश्न में संदर्भित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था । प्राप्त सूचना के अनुसार मामले में अपर पुलिस अधीक्षक, उन्नाव द्वारा जांच कराई गई । जांच से संबंधित उप निरीक्षक के विरुद्ध रिश्वत लेने के

आरोप प्रमाणित नहीं हुए परन्तु जांच के दौरान यह पाया गया कि उप निरीक्षक को श्री माता प्रसाद वर्मा की मोटर साईकिल दिनांक 30-8-85 को वादी खंड़ा गांव के बाहर खड़ी मिली जिसे लावारिस मानकर वह ले आये परन्तु उसे थाने में दाखिल न करके बाहर रखे और लोगों के कहने पर वापस कर दिया। इस संबंध में अपनी वापसी में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया और न ही कोई तस्किरा दर्ज किया। इसके अतिरिक्त दिनांक 30-8-85 को अपनी रवानगी अंकित करने के संबंध में भी कुछ अनियमितायें प्रकाश में आई।

इन अनीयमितताओं के लिए उनके विरुद्ध पुलिस रेगुलेशन के पैरा 478 ए0 के अंतर्गत कार्यवाही हो रही हैं। पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता को बयान बदलने के लिये सताये जाने की बात सही नहीं हैं।

जनपद उन्नाव की टाउन एरिया सफीपुर में नजूल विभाग की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

51—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी हैं कि जनपद उन्नाव की टाउन एरिया सफीपुर में नजूल विभाग की भूमि नं0 3469 रकबा लगभग 2 बीघा 9 विस्वा पर कुछ लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया हैं ? यदि हां, तो शासन ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस समय नजूल प्लाट संख्या 3469 पर कोई अनधिकृत कब्जा नहीं हैं।

उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में सई नदी पर पुल बनाने की मांग

52—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी हैं कि सई नदी की भीषण बाढ़ से उन्नाव जिले की पुरवा तहसील को जोड़ने वाली प्रमुख रोड का सम्पर्क जबरेला पुल से उत्तर लखनऊ जिले की सीमा में आधा कि0 मी0 सड़क पर सई के तेज बहाव के कारण खत्म हो जाता हैं ? क्या यह भी सही हैं कि आवागमन को जारी रखने के लिए शासन को उक्त स्थल पर नावों की व्यवस्था करनी पड़ती हैं ? यदि हां, तो हजारों यात्रियों की सुख-सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या मा0 मुख्य मन्त्री जी इस स्थान पर कोई पुल बनाने की योजना क्रियान्वित करने जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

52—जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

पुराना लोहे का पुल बना हैं जिस पर यातायात चलता हैं।

उन्नाव जिले के हिलौंलीलडवा मार्ग का निर्माण

53—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के हिलौंलीलडवा 5 कि0 मी0 नवनिर्मित मार्ग पर पी0 डब्लू0 डी0 ने निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय की हैं ? क्या यह सही हैं कि उक्त मार्ग हाल

की बारिश में पूरा का पूरा बह गया है और रास्ता इतना खराब हो गया है कि लडवा-हड़हरा आदि दर्जनों ग्रामों का सम्पर्क हिलौली अस्पताल, ब्लाक बीज गोदाम और सहकारी समिति तक से खत्म हो गया है ? यदि हां, तो इस मार्ग के तुरन्त निर्मण की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मार्ग पर सा0 नि0 विभाग द्वारा जनवरी, 1986 तक रु0 6.71 लाख व्यय किया जा चुका है।

हाल की वर्षा में उक्त मार्ग का लगभग 200 मीटर भाग बह गया था, जिसे पूर्णरूपेण ठीक कर दिया गया है तथा उस पर यातायात चालू है।

सोलिंग स्तर तक स्वीकृत इस मार्ग पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ज्योति नगर कुष्ठ निवारण केन्द्र मोहन लालगंज, लखनऊ के तीन कुष्ठ रोगियों का धर्म परिवर्तन

54—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्योति नगर कुष्ठ निवारण केन्द्र मोहन लाल गंज (लखनऊ) के तीन कुष्ठ रोगी श्री निर्मल शंकर और जीवन को जबरन करके ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया है ? क्या यह सही है कि इस केन्द्र द्वारा कुछ पकड़े गये अज्ञात बच्चों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार ज्योतिनगर कुष्ठ रोग निवारण केन्द्र मोहनलाल गंज में रह रहे कुष्ठ रोगी श्री निर्मल, श्री शंकर तथा श्री जीवन को जबरन बाध्य करके ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं किया गया है बल्कि उन्होंने स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपनाया है। ज्योतिनगर कुष्ठ निवारण केन्द्र मोहनलाल गंज, लखनऊ में अज्ञात बच्चों का धर्म परिवर्तित करने की कोई योजना नहीं है।

वाराणसी स्थित मुहल्ला छित्तपुर (चंदुआ) में दो पक्षों द्वारा मन्दिर की सम्पत्ति का विवाद

55—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी स्थित मुहल्ला छित्तपुर (चंदुआ) के देवोन्तर सम्पत्ति के विवाद से सम्बन्धित दिनांक 4 सितम्बर, 85 प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया कोई पत्र उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्राप्त पत्र की जांच कराई गई। जांच से यह ज्ञात हुआ कि दो पक्षों के बीच मन्दिर की भूमि के स्वामित्व के प्रश्न पर तनाव है अतः उनके विरुद्ध धारा 107/116 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही कर दी गयी। भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित मुकदमें न्यायालय के विचाराधीन हैं।

वाराणसी स्थित शिवाजी नगर कालोनी के विकास सम्बन्धी मामले की जानकारी

56—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी स्थित शिवाजी नगर कालोनी के विकास का मामला वाराणसी नगर महापालिका द्वारा शासन के विचारार्थ प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो वह मामला क्या है और शासन ने क्या निर्णय लिया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद सरकारी कोषागार अधिकारी द्वारा मनीटेस्टर के पद पर श्री भागवत सिंह की नियुक्ति

57—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद के सरकारी कोषागार में सरकारी कोषागार अधिकारी ने मनीटेस्टर के पद पर श्री भागवत सिंह की नियुक्ति की है ? यदि हां, तो श्री सिंह को चार्ज क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कराधान समिति द्वारा नये कर न लगाये जाने की संस्तुति

58—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधन जुटाने हेतु बनी कराधान समिति ने नए कर न लगाने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो संसाधन जुटाने के लिए अन्य किन उपायों का सुझाव दिया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कराधान रिव्यू समिति ने राज्य करों तथा करेत्तर राजस्व के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां राज्य सरकार को दे दी है और शासन के विचाराधीन है ।

नगरपालिका भदोही, ज्ञानपुर, वाराणसी के कर्मचारियों का भविष्यनिधि, नगदीकरण तथा पद सृजन

59—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका भदोही तह0 ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के कर्मचारियों का भविष्यनिधि का पैसा उनके खाते में जमा है ? यदि जमा है, तो खाते का प्रमाण-पत्र कर्मचारियों को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और उक्त पालिका में नगदीकरण योजना कर्मचारियों के लिये लागू करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । वर्ष 82-83 तक का पैसा जमा है ।

जी हां ।

पालिका में नगदीकरण की योजना लागू है ।

60— राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका भदोही जिला

वाराणसी ने कर्मचारियों के 32 पद सृजन हेतु शासन को लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है तथा कतिपय बिन्दुओं पर निदेशक, स्थानीय निकाय से सूचना मांगी गई है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के कर्मचारियों पर न्यूनतम वेतन लागू करने की शासन द्वारा कार्यवाही

61—श्री रामचन्द्र वक्श सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महामन्त्री उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम कर्मचारी संघ का पत्र संख्या 205/सेतु क0 स0/85 दिनांक 7-5-85 माननीय निर्माण राज्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या इसमें प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के विरुद्ध शासन द्वारा न्यूनतम वेतन का उल्लंघन करने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो शासन द्वारा सेतु निगम के मजदूरों पर न्यूनतम वेतन लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 1718/36-3-2 (एम0 डब्लू0)-84 दिनांक 29 जून, 1985 को जारी कर दी गयी है जिसे निगम में तद्नुसार लागू करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

62—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव श्रम अनुभाग-3 की पत्र संख्या 2102/36-तीन-23 (न्यू0 मज0)-83 लखनऊ दिनांक 17 मई, 1985 प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम 16 मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या इस पत्र में दिये गये निर्देश के अनुसार शासकीय अधिसूचना में निर्धारित मजदूरी की दरों को राज्य सेतु निगम के मजदूरों पर लागू कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा शासकीय अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी कब तक लागू की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं । इस पत्र के साथ संलग्न अधिसूचना दिनांक 6 अगस्त 1984 सेतु निगम के सम्बन्ध में नहीं थी ।

सेतु निगम के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 1718/36-3-2 (एम0 डब्लू0) 84, दिनांक 29 जून, 1985 को जारी हुई है जिसे निगम में तदनुसार लागू कर दिया गया है ।

शाहजहांपुर के थाना जैंतीपुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर के मारे जाने की अंकित रिपोर्ट के सम्बन्ध में जानकारी

63—श्री मयंकर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18-7-85 को शाह-

जहांपुर के थाना जैंतीपुर में जो रिपोर्ट राष्ट्रीय पक्षी मोर के मारे जाने की अंकित की गई और उसका पोस्ट मार्टम 19-7-85 अथवा 20-7-85 को हुआ उसकी रिपोर्ट लिखाने वाला कौन है और घटना किस जगह की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद शाहजहांपुर के थाना जैंतीपुर पर राष्ट्रीय पक्षी मोर मारे जाने के सम्बन्ध में अपराध सं0 115/85, धारा 53-वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट 1972 के अन्तर्गत लिखित सूचना पर, दिनांक 20-7-85 को पंजीकृत किया गया। यह लिखित सूचना श्री पुत्तू सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह, निवासी ग्राम बभ्हेड़ा भगवानपुर, थाना जैंतीपुर, जिला शाहजहांपुर, ने दी थी। घटना स्थल उक्त ग्राम बभ्हेड़ा भगवानपुर है। मरे हुये मोर का पोस्ट मार्टम दिनांक 20-7-85 को कराया गया।

प्रदेश में 84-85 में आवास परिषद् एवं विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित मकानों का ब्योरा

64—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 84-85 में आवास परिषद् एवं विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा कितने नये मकान बनाये गये तथा कितने मकानों की आवश्यकता थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेश में वर्ष 1984-85 में आवास विकास परिषद् एवं विभिन्न विकास मकान बनाये गये तथा लगभग 2,24,250 भवनों की आवश्यकता थी।

थानाध्यक्ष भाटपार रानी, देवरिया द्वारा हिस्ट्रीशीटर रमाशंकर की गोली मार कर हत्या

65—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि इंचार्ज थाना भाटपार रानी, जिला देवरिया ने ग्राम सुकवा पहुंच कर वहीं के रमा शंकर नवयुवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी ? यदि हां, तो क्या उक्त दरोगा के खिलाफ मुकदमा कायम करके उसको गिरफ्तार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हिस्ट्रीशीटर रमाशंकर, परमा नामक व्यक्ति पर कट्टे से हमले के दौरान गांव के लोगों द्वारा दिनांक 9-5-85 को तमंचा व कारतूस सहित पकड़ा गया था, लेकिन पुलिस आने पर पकड़ने वाले लोगों को दांत से काटकर अपने को छुड़ाकर भागा। पुलिस व लोगों ने पीछा किया। पकड़ने के प्रयास में उठा पटक के दौरान थानाध्यक्ष के रिवाल्वर की गोली तथा लोगों की लाठियों के प्रहार के फलस्वरूप रमा शंकर की मृत्यु हो गयी। घटना के सम्बन्ध में दिनांक 9-5-85 को ही अभियोग पंजीकृत हुआ। सम्प्रति मामले की जांच सी0 आई0 डी0 को सौंप दी गयी है।

श्री एस0 डी0 अवस्थी, डिप्टी जेलर, हरदोई के विरुद्ध स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना

66—श्री बलराम यादव—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस0 डी0 अवस्थी, डिप्टी

प्राधिकरणों द्वारा लगभग 35,279 नये जेलर हरदोई के स्थानान्तरण आदेश दि0 29-6-85 एवं 9-7-85 को होने के बावजूद उनके द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की जा रही अनुशासनहीनता के लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री एस0 डी0 अवस्थी का स्थानान्तरण विशेष परिस्थितियों में 4 माह के लिए रोक दिये जाने के फलस्वरूप इन्हें दिनांक 1-11-85 को हरदोई से कार्यमुक्त किया गया था। तदुपरान्त वे दिनांक 8-11-85 से 13-12-85 तक चिकित्सा अवकाश पर रहे। उनके द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 13-12-85 को अपरान्ह कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायक निवासों में नियुक्त कर्मचारियों से राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्य कराया जाना

67—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवासों में विधायक निवास के कार्य हेतु नियुक्त किये गये कर्मचारी राज्य सम्पत्ति विभाग कार्यालय में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

राज्य सम्पत्ति विभाग के विभिन्न अनुभागों में कार्य आधिक्य होने के कारण।

68—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[दि0 3-9-85 को अता0 प्र0 सं0 7 द्वारा उत्तरित।]

जनपद देवरिया के गोपाल कृष्ण गोखले इण्टर कालेज, भाटपार रानी के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

69—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या गृह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के गोपाल कृष्ण गोखले इण्टर कालेज, भाटपाररानी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा 8-4-85 को गृह सचिव को शिकायती-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

शिकायती-पत्र में अंकित तथ्यों की जांच करायी गयी। जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुयी।

श्री शिव कुमार पाठक, सहायक लेखाकार, **देवरिया के भविष्य निधि का भुगतान**

70—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव कुमार पाठक, सहायक लेखाकार जो जनपद देवरिया में कार्यरत थे और अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं, को भविष्य निधि की धनराशि वापस कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भुग-

तान न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री शिवकुमार पाठक, सहायक लेखाकार जो जनपद देवरिया में कार्यरत थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को भविष्य निधि की समस्त देय धनराशि का भुगतान किया जा चुका है ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर अस्थाई खण्ड में सहायक अभियन्ता श्री विद्या भूषण का स्थानान्तरण

71—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या सार्व0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर अस्थाई खण्ड में सहायक अभियंता श्री विद्या भूषण का स्थानान्तरण वर्ष 1983 से अब तक कितने बार किया गया और कितने बार रोका गया ? रोकने का तथा स्थानान्तरण करने का क्या औचित्य है ? क्या 1985 में इनका स्थानान्तरण हुआ था जिसके आधार पर कार्यमुक्त भी हो चुके थे ? यदि हां, तो क्या इनको अपने स्थानान्तरित स्थान पर जाने का आदेश दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री विद्या भूषण प्रसाद का स्थानान्तरण 3 बार किया गया और 3 बार रोका गया । ये स्थानान्तरण के पात्र थे जिसके कारण प्रथम बार वर्ष 1984 में इनका स्थानान्तरण किया गया, किन्तु उनकी एक पुत्री, जो इण्टरमीडिएट द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, के कारण उनके अनुरोध पर उनका स्थानान्तरण रोका गया । वर्ष 1985 में क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण के पात्र थे जिसके कारण इनका स्थानान्तरण क्षेत्र से बाहर किया गया पूर्वी क्षेत्र से कुमायूं क्षेत्र में किये गये स्थानान्तरण को मध्य क्षेत्र में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया, जिसके कारण उनका यह स्थानान्तरण परिवर्तित किया गया । इसी बीच अगस्त, 1985 में गोरखपुर में एक अधिशासी अभियंता का प्रत्यावर्तन सहायक अभियंता के पद पर किया गया, जिसके कारण श्री विद्या भूषण प्रसाद के वरिष्ठतम सहायक अभियंता होने के नाते अधिशासी अभियंता का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया, जिसके फलस्वरूप उनका स्थानान्तरण रोका गया । अब मुख्य अभियंता, पूर्वी क्षेत्र द्वारा इनके उक्त स्थानान्तरण आदेश को दिनांक 30-4-1986 तक रोकने की संस्तुति की गई है जिस पर प्रमुख अभियंता ने असहमति व्यक्त करते हुए इनके कार्यमुक्त करने के संबंध में अपना प्रस्ताव शासन को दिनांक 27-2-1986 को भेजा है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है ।

देवरिया के तहसील सलेमपुर में परगनाधिकारी द्वारा न्यायालय के निर्णयानुसार थानाध्यक्ष भाटपार रानी श्री श्याम शंकर आदि को कब्जा दिलाये जाने की मांग

72—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के तहसील सलेमपुर में परगना अधिकारी द्वारा 4-10-85 को मुकदमा नं0 162 धारा 145 सी0 आर0

पी0 सी0 में निर्णय लेकर थानाध्यक्ष भाटपार रानी को श्री श्यामा शंकर आदि को कब्जा दिलाने का आदेश दिया था उक्त आदेश की आमद थाने में दिनांक 4-10-85 को हुई और थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सहायक थानाध्यक्षों ने आदेश का पालन कर कब्जा दिला दिया ? यदि हां, तो क्या थानाध्यक्ष ने 10-10-85 को श्री श्यामा शंकर आदि को बेदखल कर दिया ? यदि हां, तो दोषी थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 4-10-85 को परगनाधिकारी सलेमपुर के न्यायालय से श्यामा शंकर के पक्ष में पारित आदेश थाना भाटपार रानी पर प्राप्त होने पर दिनांक 6-10-85 को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्यामा शंकर सिंह को कब्जा दिलाया गया। दिनांक 10-10-85 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश का सशर्त आदेश परगनाधिकारी सलेमपुर के माध्यम से प्राप्त होने पर पूर्व स्थिति कायम की गयी।

क्रिमिनल रिवीजन संख्या 162/1985 लड्डू बनाम स्टेट धारा 145 जा0 फौ0 के अन्तर्गत तृतीय सत्र न्यायाधीश देवरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-11-85, परगनाधिकारी सलेमपुर के माध्यम से प्राप्त होने पर, पुनः 19-11-85 को श्री श्यामा शंकर सिंह को कब्जा दिलाया गया।

उपरोक्त सभी कार्यवाहियां पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालयों के विधिवत पारित आदेशों के अनुपालन में की गयी हैं, अस्तु किसी पुलिस अधिकारी के दोषी न होने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

सरैया डिस्टलरी सरदार नगर गोरखपुर के बी0 डी0 ए0 के सिपाहियों द्वारा श्री राम नरायन की गोली मार कर हत्या

73—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-8-84 को जब गांव वाले गंदा पानी रोकने की मांग को लेकर शान्ति पूर्ण सरैया डिस्टलरी सरदार नगर गोरखपुर गये थे और उस समय डिस्टलरी के मैनेजर के ललकारने पर पुलिस कर्मियों ने गोली चलायी जिसमें श्री रामनयन नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो चौरी-चौरा थाने गोरखपुर में नामजद अभियुक्त कौन-कौन थे और उनके विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 1-8-84 को सरैया डिस्टलरी सरदार नगर गोरखपुर पर पुलिस कर्मियों द्वारा गोली नहीं चलाई गई थी बल्कि डिस्टलरी के बी0 डी0 ए0 के सिपाहियों द्वारा गोली चलाई गई थी और उसमें राम नरायन उर्फ किच्छू नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसमें नामजद अभियुक्त निम्नलिखित हैं—

1. गुरूवाले सिंह मजीठिया उर्फ बग्गी लाल जी
2. एस0 के0 बोहरा, मैनेजर डिस्टलरी
3. दिलीप सिंह
4. इन्दल सिंह
5. रामस्वरूप
6. योगेन्द्र सिंह
7. विश्राम सिंह बी0 डी0 ए0 के सिपाही

इस प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 लखनऊ द्वारा की जा रही हैं ।

जनपद देवरिया भाटपार रानी व भटनी विकास खण्डों में मार्ग एवं छोटी गंडक व खनुआ नाले पर सेतु एवं रेगुलेटर

74—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या सार्व0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया भाटपार रानी व भटनी विकास खंडों में मार्ग एवं छोटी गंडक व खनुवा नाले पर सेतु एवं रेगुलेटर के निर्माण के लिए दिनांक 1-8-85 को प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र मुख्य अभियन्ता सार्व0 नि0 विभाग को दिया गया हैं जिस पर अ0 अ0 देवरिया को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी, हां ।

पत्र में वर्णित मार्गों/पुलों के प्रस्तावों को अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, देवरिया ने चयन समिति से अनुमोदित कराने हेतु जिलाधिकारी, देवरिया को भेज दिया गया हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के परिणाम स्वरूप प्रश्नगत कार्य अब जिला सेक्टर में आते हैं । ऐसे कार्यों की स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा कार्यों हेतु जिला योजना में धन की उपलब्धता पर निर्भर करता हैं ।

शहर मुजफ्फरनगर के मोहल्ला योगेन्द्र पुरी (रहमतनगर) में गन्दगी डालने हेतु खत्तों पर आपत्ति

75—श्री अमीर आलम खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि क्या उनकी जानकारी में हैं कि शहर मुजफ्फरनगर के मोहल्ला योगेन्द्र पुरी (रहमतनगर) में आबादी के बीच में गंदगी डालने व जमा रखने के खत्ते नगर-पालिका ने बना रखे हैं और इनसे उस क्षेत्र में बीमारी फैलने का डर हैं ? यदि हां, तो सरकार इन्हें वहां से हटाने के संबंध में क्या कोई कार्यवाही कर रही हैं ? यदि हां, तो कब तक ये खत्ते हट जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शहर मुजफ्फरनगर के मोहल्ला योगेन्द्र पुरी (रहमतनगर) में खत्ते 1938 से चले आ रहे हैं । मो0 योगेन्द्र पुरी (रहमत-नगर) बाद में आबाद होकर अब खत्ती के पास फैल गया हैं जिसके फलस्वरूप बीमारी की आशंका हो सकती हैं ।

नगरपालिका द्वारा इन खत्तों की अन्यत्र ले जाने हेतु भूमि अर्जन की कार्य-वाही की जा रही हैं ।

भूमि उपलब्ध हो जाने पर ये खत्ते हटा दिये जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित बाबरी पेपर मिल बाबरी के गन्दे पानी से बीमारी

76—श्री अमीर आलम खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद मुजफ्फरनगर स्थित बाबरी पेपर

मिल बाबरी से निकलने वाला गंदा पानी बनती खेड़ा आदि ग्रामों के पशुओं में बीमारी फैला रहा है ? यदि हां, तो प्रदूषण (जल तथा वायु) की रोकने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद मुजफ्फरनगर स्थित बावरी पेपर मिल बावरी से निकलने वाले गन्दे पानी से बनती खेड़ा ग्राम में पशुओं की बीमारी फैलने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । परन्तु उद्योग द्वारा प्रदूषण किया जा रहा है तथा उद्योग के उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति अस्वीकार की जा चुकी है ।

श्री बी0 के0 गर्ग जिला संख्या अधिकारी, मुजफ्फरनगर का उनके गृह जनपद मुजफ्फरनगर में तैनाती पर आपत्ति

77—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि क्या क्लास—2 का व्यक्ति अपने गृह जनपद में रह सकता है ? क्या यह भी सरकार की जानकारी में है कि श्री बी0 के0 गर्ग, जिला संख्या अधिकारी, मुजफ्फरनगर, मोहल्ला कुन्दनपुरा मकान नं0 215 मुजफ्फरनगर के निवासी है ? यदि हां, तो इनका गृह जनपद में रहने का क्या औचित्य है और सरकार इन्हें कब स्थानान्तरित करेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

सामान्यतः नहीं ।

जी हां ।

विशेष परिस्थितियों में श्री गर्ग का स्थानान्तरण एक वर्ष के लिये किया गया था तथा उसके उपरान्त उन्हें उनके गृह जनपद से हटाकर सहारनपुर में तैनात कर दिया गया है जहां वे दिनांक 23-12-85 से कार्यरत है ।

78—श्री हरेन्द्र सिंह—

[दिनांक 18-2-86 को तारांकित प्रश्न संख्या 14 द्वारा उत्तरित]

जनपद मुजफ्फरनगर में थाना शामली पर श्री नवाब हैदर द्वारा खांडसारी चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज करने में विलम्ब

79—श्री हरेन्द्र सिंह तथा श्री कनक सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह सही है कि जनपद मुजफ्फरनगर में थाना शामली पर दिनांक 11-5-85 को श्री नवाब हैदर पुत्र अमीर हैदर की खंडसारी चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट देने के 1 माह से भी अधिक समय के बाद दर्ज हुई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि थाना प्रभारी निरीक्षक शामली ने पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर के एवं मुजफ्फरनगर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर ने स्पष्ट आदेश दिनांक 11-6-85 का भी उल्लंघन किया है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री नवाब हैदर दिनांक 11-5-85 को कोई सूचना लेकर थाने नहीं आये । उन्होंने दिनांक 20-5-85 को एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को

दिया । जांच कराने पर मामला दीवानी प्रकृति का पाया गया । दिनांक 11-6-85 को श्री नवाब हैदर ने पुनः एक प्रार्थना-पत्र अपर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को दिया और उस पर उनसे अभियोग पंजीकृत करने का आदेश प्राप्त करके उसे दस्ती ले गये और दिनांक 15-6-85 को थाना शामली पर दिया । इसके आधार पर दिनांक 15-6-85 को अपराध पंजीकृत किया गया । विवेचना में मामला आपसी लेन-देन का पाया गया । इस प्रकार अपराध न बनने के कारण अन्तिम आख्या न्यायालय भेजी गयी । अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय द्वारा दिनांक 4-1-86 को स्वीकार की जा चुकी है ।

असोहा थाना, उन्नाव के पुलिस कान्सटेबिल श्री दीन दयाल को लाईन हाजिर के आदेश तथा दशहरा मेला में दुर्व्यवहार के संबंध में शिकायत

80—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असोहा थाने के पुलिस कांसटेबिल दीनदयाल को माह सितम्बर, 85 में किन आरोपों में लाइन हाजिर किया गया था ? क्या लाइन हाजिर होने के बाद उक्त कांस्टेबिल ने समाजबादी नेता श्री गंगा प्रसाद वर्मा को पुलिस अधीक्षक के दफ्तर के सामने माह अक्तूबर में अपमानित किया है ? क्या यह भी सही है कि श्री वर्मा ने पुलिस अधीक्षक उन्नाव को इसकी लिखित शिकायत की ? यदि हां, तो उस शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार कांस्टेबिल दीन दयाल को लाईन हाजिर किये जाने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिये गये हैं ।

जी नहीं, इस प्रकार की कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

81—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या इसी सिपाही के विरुद्ध 28 अक्तूबर, 85 को श्री गंगा प्रसाद वर्मा ने उन्नाव दशहरा मेले में दुर्व्यवहार करने की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गंगा प्रसाद वर्मा से कोई भी ऐसी शिकायत प्राप्त नही हुई है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम नारायण पासी निवासी घाटमपुर थाना गुरुबख्शगंज, रायबरेली की जमीन पर सवर्णों द्वारा कब्जा

82—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामनारायण पासी, नि0 घाटमपुर, थाना गुरुबख्शगंज, जिला रायबरेली की जमीन पर सवर्णों द्वारा जबरिया कब्जा दिए जाने की शिकायत पुलिस महानिदेशक को 22 मई, 85 को व ए0 डी0 एम0 रायबरेली को 2 जुलाई, 85 को की गई थी ? क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारियों ने थाना गुरुबख्शगंज को निर्देशित किया था नियमानुसार कब्जा रोकें ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष द्वारा अधिकारियों के आदेश का पालन न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले में श्री राम नारायण पासी, निवासी

घाटमपुर, थाना गुरुबख्शगंज के प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-5-85 पुलिस महानिदेशक को एवं प्रार्थना-पत्र दिनांक 2-7-85 ए0 डी0 एम0 रायबरेली को प्राप्त हुए थे। पुलिस महानिदेशक को दिया गया प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक रायबरेली को जांच हेतु भेजा गया जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी, लालगंज द्वारा की गई। जांच के दौरान पाया गया कि मामला खेत सीमांकन का है जिसका मुकदमा जांच के समय परगनाधिकारी सदर रायबरेली के न्यायालय में विचाराधीन था।

अपर जिलाधिकारी रायबरेली को दिया गया प्रार्थना-पत्र दिनांक 2-7-85 थाना गुरुबख्शगंज पर जांच हेतु दिनांक 3-7-85 को प्राप्त हुआ था जिसके संबंध में जांच की गयी और पाया गया कि इस संबंध में मुकदमा न्यायालय परगनाधिकारी सदर रायबरेली से दिनांक 17-7-85 को श्री राम नारायण के पक्ष में निर्णीत हुआ। तदनुसार राजस्व तथा पुलिस विभाग के सहयोग से मौके पर वांछित सीमांकन करा दिया गया था और श्री राम नारायण ने लिखित दिया कि कब्जा मिल गया है।

उक्त निर्णय के विरुद्ध दिनांक 2-8-85 को प्रतिपक्षी गणों ने अतिरिक्त आयुक्त लखनऊ मण्डल के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। वर्तमान समय में विवाद अतिरिक्त आयुक्त लखनऊ मण्डल के न्यायालय में विचाराधीन है।

पाण्डे का तालाब (बीगवा) स्थित तालकटोरा रोड लखनऊ में शौचालय एवं सीवर लाईन की व्यवस्था करानें की मांग

83—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको डाक्टर भीम राव अम्बेडकर द्वारा स्थापित संस्था अखिल भारतीय समता सैनिक दल के अध्यक्ष श्री धनीराम का पत्र दिनांक 25-10-85 पत्रांक 189/85 मिला है ? यदि हां, तो क्या पत्र में वर्णित शौचालय एवं सीवर लाईन की व्यवस्था पाण्डे का तालाब (बीगवा) तालकटोरा रोड, लखनऊ में की जा रही है ? यदि नहीं, तो यह व्यवस्था कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

धनाभाव के कारण फिलहाल शौचालय तथा सीवर लाइन की व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं है।

वर्ष 1982-83 में चौक, विक्टोरियागंज तथा अमीनाबाद के भांग के ठेकेदारों का नाम तालिका में सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

84—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के पांचवें शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 सं0 5 के उत्तर में वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्न संख्या 5 के साथ संलग्न तालिका में वर्ष 82-83 में चौक के भांग के ठेकेदार बिहारी लाल का नाम बिक्टोरिया गंज में ठेकेदार बाबूलाल व अमीनाबाद के ठेकेदार इस तालिका में नहीं दिखाये गये है ? यदि हां, तो क्यों ? इन तीनों सालों में अलग-अलग कितना बिक्री कर बकाया है ? बकाया में से कितना वसूल हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के साथ संलग्न तालिका में श्री बाबूलाल भांग के ठेकेदार

का नाम 82-83 के लिए दिखाया, गया था । श्री बिहारी लाल भांग के ठेकेदार चौंक लखनऊ व अमीनाबाद के भांग के ठेकेदार सर्वश्री राकेश कुमार राधेश्याम का नाम तालिका में नहीं दिखाया गया था । इस सूचना के संकलित करने में कर्मचारियों द्वारा त्रुटि हो गयी थी जिसके नाम के सम्मुख अंकित हैं ।

व्यापारियों का नाम	वर्ष	आरोपित कर	बकाया
1. सर्वश्री बिहारी लाल भांग ठेकेदार, लखनऊ	82-83	1,12,000.00 4,800.00	1,16,800.00 अर्थ दण्ड
2. बाबू लाल पुत्र राम बिलास	82-83	1,12,000.00 4,800.00	1,16,800.00 अर्थ दण्ड
3. राकेश कुमार पुत्र श्री राधे श्याम	82-83	77000.00 उपरोक्त में से कोई वसूली नहीं हुई है ।	77000.00

वर्ष 80-81 तथा 81-82 में निम्न व्यापारियों का भांग का ठेका नहीं था। वर्ष 82-83 में बकाये की स्थिति उनके लिए संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी दे दी गयी है ।

श्री शशि भूषण दुबे पत्रकार, मिर्जापुर द्वारा वन संरक्षक दक्षिणी वृत्त इलाहाबाद को दिया गया शिकायती-पत्र

85—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वन मंत्री को ज्ञात हो कि श्री शशि भूषण दुबे पत्रकार मिर्जापुर ने एक शिकायती-पत्र दिनांक 23-6-85 को वन संरक्षक दक्षिणी वृत्त इलाहाबाद को दिया था ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जुलाई 84 में वन संरक्षक ने शिकायत की जांच के लिये प्रभागीय वनाधिकारी पश्चिमी मिर्जापुर को भेज दिया था ? यदि हां, तो तब जांच में क्या पाया गया ? क्या जांच में शिकायतकर्त्ता का सहयोग लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं, परन्तु 23 जून, 1984 को वन संरक्षक, दक्षिणी वृत्त को एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर जुलाई 1984 में प्रभागीय वनाधिकारी, पश्चिमी मिर्जापुर को वन संरक्षक, दक्षिणी वृत्त द्वारा जांच करने हेतु लिखा गया था । उक्त जांच के परिणाम निम्न प्रकार हैं—

प्रभागीय वनाधिकारी मिर्जापुर द्वारा इस पत्र में, जो पत्थर खदान से संबंधित है, लगाये गये आरोपों की जांच करने पर पता चला कि शिकायती-पत्र में उल्लिखित मिर्जापुर रेंज में लेहड़िया, परखोली, अष्टभुजा, कामापुर तथा बरकछा में वन भूमि पर पत्थर खदान के खनन पट्टे मिर्जापुर के पाषाण विभाग द्वारा काफी पहले दिए गये थे। अब भी पाषाण विभाग द्वारा परमिट दिए जाते हैं। इसकी आड़ में उपरोक्त पुरानी खदानों से भी माल चोरी-छिपे निकालने का संबंधित पट्टेदारों द्वारा प्रयास किया जाता है। वन विभाग के सशस्त्र दल की सहायता से कई बार अवैध खनन करने वालों को पकड़ा गया तथा मुआवजा वसूल किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी ने इस मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी तथा तय हुआ कि पाषाण विभाग परमिट देने से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इस प्रक्रिया के लागू होने से आशा है कि नाजायज खदानों पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलेगी।

श्री विजय सिंह कुशवाहा शैंडो पुलिस लाइन इटावा का निलम्बन व बकाये वेतन की जानकारी

86—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शैंडो बिजय सिंह कुशवाहा पुलिस लाइन इटावा जो पूर्व विधायक के साथ लगभग 2 वर्ष कर्त्तव्य निष्ठा से रहा है और जून 85 में वापिस हुआ है और आज तक उक्त शैंडो को आरोप पत्र भी नहीं दिया गया है फिर भी पिछले 6 मास से शैंडो बिजय सिंह कुशवाहा को कागजात में सस्पेण्ड दिखाया गया है और उसकी तनख्वाह रोक रखी है ? यदि हां, तो क्यों और एस0 एस0 पी0 इटावा को जून 85 और शासन को दिनांक 1-7-85 को दिये गये शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शैंडो श्री बिजय सिंह कुशवाहा (शैंडो कान्सटेबिल) पुलिस लाइन इटावा लगभग दो वर्ष तक एक भूतपूर्व विधायक के साथ ड्यूटी में रहने के बाद जून 1985 में वापस हुए थे। श्री कुशवाहा को न कभी आरोपित किया गया, न ही उन्हें कभी कागजात में सस्पेण्ड दिखाया गया और न ही कभी उनकी तनख्वाह रोकी गयी।

श्री कुशवाहा ने जनवरी 1985 का वेतन प्राप्त किया था लेकिन माह फरवरी का वेतन प्राप्त करने हेतु पुलिस लाइन इटावा में उपस्थित न होने के कारण फरवरी का वेतन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा माह अप्रैल में राजकीय कोष में जमा कर दिया गया। इन्हें वेतन प्राप्त करने हेतु बार-बार लिखा गया लेकिन ये उपस्थित नहीं हुए। इन्होंने दिनांक 1-6-85 को शैंडो ड्यूटी से पुलिस लाइन इटावा में आगमन किया और अपना बकाया वेतन प्राप्त किया। माह फरवरी 85 के वेतन का भी भुगतान 17-10-85 को कर दिया गया था।

एस0 एस0 पी0 इटावा को जून 85 का शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। शासन को दिनांक 1-7-85 को दिया गया एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिसे पुलिस मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था।

87—श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री बी0 के0 गुप्ता अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

88—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सार्व0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 के0 गुप्ता अधिशासी अभियंता के विरुद्ध दिनांक 18-2-84 तथा 28-3-84 को मुख्य अभियंता, म0 क्षेत्र सा0 नि0 वि0 को सचिव सा0 नि0 वि0 के पत्रांक 1386/23-6-84 दिनांक 23-4-84 द्वारा कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्रों में लगाये गये आरोपों की जांच करायी गयी जिसके उपरान्त श्री धर्मवीर सिंह अशुलिपिक को शिकायती-पत्रों में उल्लिखित दोषकों का भुगतान किया जा चुका है केवल वार्षिक वेतन वृद्धियां उनके विरुद्ध अनुशासनिक जांच चलने के कारण फिलहाल स्वीकृत नहीं की जा सकी हैं ।

89—श्री यदुनाथ सिंह—

[करण 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित]

इटावा के अपर बिक्री कर अधिकारी व बिक्री कर अधिकारी श्रेणी 2 द्वारा भट्ठा व्यापारियों का सर्वेक्षण

90—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि इटावा के अपर बिक्री कर अधिकारी व बिक्री कर अधिकारी श्रेणी 2 द्वारा दिनांक 22-5-84 को 11 भट्ठों के व्यापारियों का सर्वेक्षण किया गया ? यदि हां, तो सर्वेक्षण में प्रत्येक भट्टे पर कितनी कर बंचना बिक्री का अनुमान किया गया ? क्या अस्थायी आदेश पारित किये गये ? यदि हां, तो कितना-कितना कर लगाया गया तथा प्रत्येक मामले में अलग-अलग कितना अर्थ दंड लगाया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

सर्वेक्षण के आधार पर प्रथम दृष्टया कोई करापवंचन नहीं पाया गया । अतः इन सर्वेक्षणों के आधार पर किसी मामले में अस्थायी कर निर्धारण आदेश/अर्थदंड पारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

91—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

नगर महापालिका लखनऊ में राजेन्द्र नगर वार्ड में अधूरी सीवर लाइन की व्यवस्था को ठीक कराने की मांग

92—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि नगर महापालिका लखनऊ में राजेन्द्र नगर वार्ड में ऐशबाग आई0 टी0 कालोनी से होकर भदैवा बिल्लेचपुरा तक जाने वाली अधूरी सीवर लाइन के बारे में प्रश्नकर्ता का एक पत्र संख्या 1298 दिनांक 15-10-84 को मुख्य मंत्री जी को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उ0 प्र0 जल निगम ने लखनऊ जल संस्थान को प्रश्नगत क्षेत्र में सीवर व्यवस्था हेतु रु0 5 लाख अवमुक्त कर दिया है। कार्य कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

93—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि 1978 में इस सीवर लाइन के लिए बजट में 3,41,196 रु0 का प्राविधान रखा गया था और वर्ष 1979 में कराये गये काम पर 1,30,985 का व्यय हुआ था ? यदि हां, तो शेष 2 लाख से ऊपर की राशि का क्या हुआ ? उक्त अधूरी सीवर लाइन को कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासन द्वारा अलग-अलग नगरों की सीवर व्यवस्था के लिए बजट प्राविधान नहीं कराया जाता है बल्कि प्राविधानित समस्त धनराशि एक मुश्त जल निगम को स्वीकृत कर दी जाती है। जल निगम भिन्न-भिन्न योजनाओं पर व्यय करता है। अतः इस योजना के लिए अलग बजट प्राविधान का प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

धन की उपलब्धता के अनुसार शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा।

उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ द्वारा आयुक्त बिक्रीकर बनाम घनश्याम दास राज-नारायन फैजाबाद के रिवीजन में निर्णय

94—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ ने ता0 23-10-81 को आयुक्त बिक्रीकर बनाम घनश्यामदास राज नरायन फैजाबाद के रिवीजन संख्या 33 आफ 1981 में निर्णय दिया है ? यदि हां, तो यह रिवीजन काल बाधित क्यों और कैसे दाखिल हुआ तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इसमें कितने राजस्व की हानि हुई तथा इस मुकदमें की पैरवी में विभाग को कितना खर्चा वहन करना पड़ा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

द्वितीय अपील निर्णय बिक्रीकर अधिकारी एवं राज्य प्रतिनिधि फैजाबाद को दिनांक 22-9-80 को प्राप्त हुआ तथा विभिन्न स्तरों से अभिलेख प्रस्ताव प्रस्तुत एवं स्वीकृत होने में विलम्ब के कारण रिवीजन दिनांक 5-3-81 को दाखिल किया गया।

तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी एवं राज्य प्रतिनिधि, फैजाबाद तथा तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी, उच्च न्यायालय कार्य लखनऊ जिम्मेदार है।

बिक्रीकर राजस्व एक न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में किसी न्यायालय द्वारा दी गयी छूट के फलस्वरूप उक्त धनराशि को राजस्व की हानि नहीं कहा जा सकता। यह कहना भी संभव नहीं कि गुण-दोष के आधार पर यदि न्यायालय द्वारा विचार किया गया होता तो रिवीजन में निर्णय क्या होता।

बिक्रीकर विभाग में मुकदमों की पैरवी के लिए स्थायी रूप से इकाइयां कार्यरत हैं। अतः अलग से कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है।

तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी श्री डी0 के0 माथुर एवं श्री एस0 डी0 सिंह श्रेणी-2 की निन्दा तथा करदाता सर्वश्री नैनीताल आयरन डिपो, हल्द्वानी पर बकाया धनराशि

95—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 3रे शुक्र के लिए निर्धारित आ0 प्र0 सं0 108 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 31-3-85 तक क्या कार्यवाही की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? करदाता से कितना कर वसूला गया तथा कितना शेष हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री डी0 के0 माथुर, तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी एवं श्री एस0 डी0 सिंह तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 को आदेश दिनांक 27-4-82 द्वारा निन्दित किया गया हैं। श्री सिंह का स्वर्गवास हो चुका हैं।

अर्थदण्ड की धनराशि को सम्मिलित करते हुए करदाता सर्वश्री नैनीताल आयरन डिपो, हल्द्वानी के विरुद्ध कुल रु0 47,40,973 की धनराशि बकाया हैं। कोई भी धनराशि वसूल नहीं हुई हैं।

क्षेत्राधिकारी पुलिस का कार्यालय चुनार, मिर्जापुर में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव

96—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सर्किल अधिकारी पुलिस का कार्यालय चुनार में कायम करने के लिए प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-6-85 उन्हें प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

शासन की विकेन्द्रीकरण की नीति के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारियों को तहसील मुख्यालय पर आवासीय रूप से स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया हैं जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही हैं। चुनार में क्षेत्राधिकारी के कार्यालय का प्रस्ताव भी उसमें शामिल हैं।

1984-85 में उ0 प्र0 जल निगम के कर्मचारियों की संख्या एवं मार्ग व्यय के भुगतान का विवरण

97—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 84-85 में हैण्ड रिसीट के रूप में जल निगम मुख्यालय के कर्मचारियों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया हैं ? ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या हैं और इनके द्वारा किये गये कार्य का विवरण रखा गया हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वित्तीय वर्ष 1984-85 में जल निगम मुख्यालय के कर्मचारियों को फार्म-28 हैण्ड रिसीट के माध्यम से स्थानीय मार्ग व्यय के रूप में रुपया 5,38,546.18 का भुगतान किया गया हैं। ऐसे कर्मचारियों की संख्या 700 हैं। इनके

द्वारा किये गये कार्यों का विवरण निर्धारित रजिस्टरों पर रखा गया है ।

उ0 प्र0 जल निगम में डेमरेज की धनराशि की जांच

98—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में 1 जनवरी, 85 से 15 जून, 85 तक डेमरेज के रूप में परिहार्य भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है और इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

डेमरेज के रूप में मात्र रु0 16,103 का भुगतान किया गया है । इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

99—श्री यदुनाथ सिंह—

[6वें मंगलवार के लिए स्थगित]

इलाहाबाद जनपद के तत्कालीन डी0 वाई0 एस0 पी0 श्री रवि शंकर त्रिपाठी के विरुद्ध आरोपों की जांच

100—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 81-82 में जब श्री रवि शंकर त्रिपाठी इलाहाबाद जनपद में डी0 वाई0 एस0 पी0 के पद पर नियुक्त थे उनके विरुद्ध कुछ आरोपों में आगरा जनपद के एक हत्यारे को आरोप से बचाने के सहयोग का आरोप लगाया गया था ? यदि हां, तो उसकी जांच किसके द्वारा करायी गयी थी ? इस मामले में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । जब श्री रवि शंकर त्रिपाठी वर्ष 1983 में इलाहाबाद में क्षेत्राधिकारी नगर के पद पर थे तो आरोप में यह बताया गया था कि फिरोजाबाद जिला आगरा में पंजीकृत हत्या के अभियोग में एक अभियुक्त को इलाहाबाद में हत्या के दिन गिरफ्तार दिखाकर उसे बचाने का प्रयास किया गया था । उपरोक्त अभियुक्त की इलाहाबाद में गिरफ्तारी एवं उसके पास से मादक पदार्थ की बरामदगी फर्जी एवं कूट रचित पायी गयी जिसके संबंध में श्री रवि शंकर त्रिपाठी, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध धारा 120बी/166/167/218/220 भा0 दं0 वि0 के अतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना अपराध शाखा द्वारा प्रचलित है ।

जनपद फैजाबाद के थाना मालीपुर में 1984-85 में पड़ी डकैतियों, मृत्यु एवं लूट का ब्यौरा

101—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के थाना मालीपुर में वर्ष 84-85 में डकैतियों की कुल संख्या कितनी रही और इन डकैतियों में हताहत होने वालों की संख्या कितनी है ? इनमें लूटे गये माल का क्या ब्यौरा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1984-85 में जिला फैजाबाद के थाना मालीपुर के अन्तर्गत कुल आठ डकैतियां पड़ीं ।

जिनमें चार व्यक्ति हताहत हुए ।

कुल 6,48,120 रु0 का माल लूटा गया था ।

बांदा के तहसील कर्वी में तराव गांव के पहाड़ों से बिना लाइसेंस वन विभाग के सांठ-गांठ से खनन कार्य

102—श्री राम सजीवन—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की कर्वी तहसील में तराब गांव के पहाड़ों से बड़े पैमाने पर पत्थर गिट्टी की तोड़ाई की जाती है ? क्या उक्त पत्थर गिट्टी की खदान का यहां लाइसेंस दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि वन विभाग के उच्च अधिकारियों की सांठ-गांठ से वहां पर खनन कार्य चल रहा है और सरकारी सम्पत्ति की लाखों रुपयों की चोरी रोजाना की जा रही है ? यदि हां, तो उसके लिए कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

उक्त क्षेत्र में पत्थर की गिट्टी की खदानों का वन विभाग द्वारा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है ।

वन विभाग के उच्च अधिकारियों की सांठ-गांठ से यहां पर न तो कोई खनन कार्य किया जा रहा है और न सरकारी संपत्ति की चोरी हो रही है ।

इस क्षेत्र में जब कभी किसी ने अवैध रूप से पत्थर गिट्टी निकालने का प्रयास किया है तो उसे पकड़ा गया है और उस पर जुर्माना किया गया है । अप्रैल 1985 से अब तक 12 मामले पकड़े गये और उनमें 16,650 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किये गये हैं ।

103—श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

[6 वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 153 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित]

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम बरेली इकाई में चीनी की चोरी

104—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 29-5-85 को दशहरे की छुट्टी के दिन उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम यूनिट नेकपुर (बरेली) के गोदाम नं0 1 से वी0 आई0 एम0 एस0 की 800 बोरी चीनी निकाल ली थी, उसके स्थान पर गोदाम नं0 2 से उक्त चीनी अधिकारियों की मिली भगत से निकलवा दी गयी जिससे फैक्ट्री को 48 हजार रुपये की हानि हुई ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की बरेली इकाई में दिनांक 29-5-1985 को चीनी के लदान में हुई अनियमितता की रिपोर्ट निगम के आन्तरिक सम्प्रेक्षक से प्राप्त हुई थी । उक्त रिपोर्ट के आधार पर मामले में जांच कराई जा रही है । जांच अधिकारी की आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

सीतापुर में कार्यरत पुलिस कर्मियों को बी श्रेणी का अनुमन्य गृह भत्ता न दिया जाना

105—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर को बी श्रेणी का दर्जा मिलने के बाद भी वहां कार्यरत पुलिस विभाग के राजकीय कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की भांति बी श्रेणी के नगर में निवास करने वाले राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य गृह भत्ता न दिये जाने का क्या कारण है ? भत्ता दिया जाना कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सीतापुर नगर में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को निःशुल्क आवास के बदले देय मकान किराया भत्ता की दरों में वृद्धि शासनादेश संख्या जी—1—1373/दस-85-209-81, दिनांक 6-11-85 द्वारा स्वीकृत की गयी है । यह आदेश दिनांक 1-4-84 से प्रभावी होगा । उक्त जनपद में कार्यरत पुलिस विभाग के कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से अनुमन्य मकान किराया भत्ता का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु तुरन्त कार्यवाही करने के लिये पुलिस मुख्यालय द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

106—डाक्टर दिनेश जौहरी—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

नगर पालिकाओं के राजस्व निरीक्षक एवं सहायक अधीक्षकों के पदों का केन्द्रीय सेवाओं में स्थानान्तरण

107—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिकाओं के राजस्व निरीक्षक एवं सहायक अधीक्षक के पद मई, 84 से केन्द्रीय सेवाओं में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं जिसका गजट भी हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को केन्द्रीय सेवा में कब तक भेज दिया जायेगा तथा यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इनकी पदोन्नति के संबंध में सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

नगर पालिकाओं के राजस्व निरीक्षक तथा सहायक कर अधीक्षक के पद शासकीय विज्ञप्ति संख्या—410/11-4-80-113 ई0 ओ0-76, दिनाक 3-5-83 द्वारा उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के अन्तर्गत दिनांक 3-5-83 से आ गये हैं । उक्त शासकीय विज्ञप्ति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक 14-9-83 को स्थगन आदेश दिया है, स्थगन आदेश के निरस्त होने पर ही उक्त सेवा के कर्मचारियों को केन्द्रीय सेवा में मान-कर प्रोन्नति आदि पर विचार किया जायेगा । उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली 1966 के नियम-20 के अनुसार इन पद धारकों की पदोन्नति के लिए चयन, लोक सेवा आयोग के परामर्श से, उसी केन्द्रीयित सेवा के अगले पद क्रम में अनुपयुक्त को छोड़ते हुए

ज्येष्ठता के आधार पर किये जाने का प्रावि-धान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 सेतु निगम में सहायक अभि-यन्ताओं की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति

108—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने सहायक अभियन्ता उ0 प्र0 सेतु निगम में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हैं और उनमें से कितनं को अपने मूल विभाग में प्रत्यावर्तित किया गया और शेष को मूल विभाग में प्रत्या-वर्तित न करने के कारण क्या हैं ? क्या उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित न किये जाने से सेतु निगम में नियुक्त **सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नति का मार्ग** अवरुद्ध हैं ? यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति पर सेतु निगम में नियुक्त सहायक अभि-यन्ताओं को कब तक उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

1—सेतु निगम में 30 सहायक अभि-यन्ता प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हैं ।

दो सहायक अभियन्ताओं को उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित किया गया हैं ।

शेष के सम्बन्ध में संविलियन नियमा-वली के अनुसार उचित कार्यवाही की जा रही हैं ।

जी नहीं ।

संविलियन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद यदि कुछ सहायक अभियन्ता संवि-लियन के लिए तैयार नहीं होते हैं तो सेतु निगम के हितों को ध्यान में रखकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

109—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

महापालिका वाराणसी में तद्वर्थ नियुक्तियां

110—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या नगर विकास मंत्री बतानं की कृपा करेंगे कि उनके विभाग ने एक परिपत्र संख्या 6044-टी/5-1-82-329 सा0/82 जारी कर अपेक्षा की थी कि स्थानीय निकाय के फालतू स्टाक को ही खपाया जाय और तदर्थ नियुक्तियां न की जायं ? यदि हां, तो महापालिका वाराणसी में उक्त परिपत्र जारी होने के पश्चात् से अब तक कितनी नियुक्तियां की गई और उसके कारण क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

केवल तीन नियुक्तियां महापालिका द्वारा संचालित विद्यालयों में की गयी हैं ।

उस समय महापालिका में कोई फालतू स्टाफ खपाने के लिए उपलब्ध नहीं था इसलिए कार्य के हित में करनी पड़ी ।

लखनऊ स्थित रिजर्व पुलिस लाइन के दो बैरकों के गिरने से कई सिपाही घायल

111—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही हैं कि लखनऊ स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में दिनांक 12 व 13

अक्टूबर, 85 को सिपाहियों की रिहाइश की दो बैरकें धराशायी हो गईं जिसमें कई सिपाही घायल हो गये हैं ? यदि हां, तो इन बैरकों की मरम्मत पहले क्यों नहीं कराई गई और यदि इतना खस्ता-हाल थीं तो उन्हें न गिराये जाने का क्या कारण कारण था ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में अनवरत भीषण वर्षा के कारण एक बैरक दिनांक 9/10 अक्टूबर, 1985 तथा दूसरी बैरक दिनांक 13 अक्टूबर, 1985 की प्रातः आंशिक रूप से गिर गयी थी । ड्यूटी पर होने के कारण इस दुर्घटना में कोई सिपाही घायल नहीं हुआ । एक सिपाही के लड़के को मामूली चोट लगी थी जो प्राथमिक उपचार के बाद दूसरे दिन ठीक हो गया था । दोनों बैरकों की मरम्मत समय-समय पर करायी जाती रही हैं और रहने के योग्य थी । अतः उन्हें गिराये जाने की आवश्यकता नहीं थी । इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं हैं ।

नौगढ़, बस्ती के रेहरा (उस्का बाजार) के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भिक्कन्नू की पेन्शन में रुकावट

112—श्री धनराज यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील रेहरा (उस्का बाजार) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भिक्कन्नू राम को 1958 से लगातार फरवरी, 1967 तक स्वतंत्रता सेनानी पेन्शन मिलती रही हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी पेन्शन अब बन्द कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त सेनानी को पुनः पेन्शन देना चालू करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

जी हां ।

श्री भिक्कन्नू राम की पेंशन बन्द नहीं की गयी अपितु अपनी पेंशन लेने हेतु वर्ष 1967 के पश्चात् वह स्वयं कोषागार, नौगढ़ में उपस्थित नहीं हुए । फरवरी, 1986 में उनका इस आशय का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर कि उन्हें जनवरी, 1968 से देय पेंशन का भुगतान कराने की व्यवस्था की जाय, जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती को इस सम्बन्ध में तद्नुसार कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 22-2-86 को आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

म्यूनिसीपल नर्सरी स्कूल, लखनऊ की मुख्य अध्यापिका का स्कूल परिसर में अवैधानिक निवास

113—श्री धनराज यादव—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि म्यूनिसिपल नर्सरी स्कूल, लखनऊ की मुख्य अध्यापिका वर्षों से गैर कानूनी ढंग से स्कूल परिसर में रह रही हैं व उनके मद में जो विद्युत खर्च होता हैं उसके बिल का भुगतान संस्था द्वारा किया जाता हैं ? यदि हां, तो क्या शासन मुख्य अध्यापिका से आवास का किराया व इनके मद मे बिलों के भुगतान किये गये पैसे की वसूली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी कृपया बतायेंगे कि बकाया धनराशि कुल कितनी हैं व उसका भुगतान न किये जाने की दशा में मुख्य अध्या-

पिका के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुख्य अध्यापिका अपने आवास हेतु नियमानुसार आवंटित भाग में रहती है तथा वेतन का 10 प्रतिशत भाग किराये के रूप में भुगतान करती है ।

आवास में अलग से बिजली का सब-मीटर लगाने हेतु कार्यवाही की जा रही है तथा अब तक प्रयोग की गयी बिजली के मूल्य का हिसाब लगाया जा रहा है तथा शीघ्र ही वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

मुख्य अध्यापिका के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है ।

श्री भगवान सिंह बंदी रक्षक जिला कारागार, आजमगढ़ के निलम्बन काल के अवशेष वेतन का भुगतान

114—श्री धनराज यादव—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री भगवान सिंह, बंदी रक्षक कारागार जिला कारागार, आजमगढ़ के निलम्बन की अवधि का वेतन भुगतान लम्बे अर्से से कारागार विभाग के विचाराधीन है ? क्या यह भी सच है कि निलम्बन की कार्यवाही गाजीपुर के कार्यकाल में श्री सिंह के विरुद्ध संस्थित झूठे व मनगढ़ंत शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के मुकदमें के आधार पर की गयी थी जिसका निस्तारण मेरिट पर सी0 जे0 एम0 गाजीपुर द्वारा किया गया व श्री सिंह दोष रहित करार किये गये जिसके विरुद्ध कोई विभागीय अपील विचाराधीन नहीं है ? यदि हां, तो शासन लम्बित वेतन भुगतान कब तक कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री भगवान सिंह, बंदी रक्षक के निलम्बनकाल के अवशेष वेतन के भुगतान का मामला विचाराधीन है ।

जी नहीं, गाजीपुर के कार्यकाल में श्री भगवान सिंह दिनांक 3-4-74 को बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के गेट कीपर की ड्यूटी छोड़कर व बिना नियमानुसार चार्ज दिये जेल लाइन छोड़कर बाहर चले जाने के आरोप में निलम्बित किये गये थे ।

शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत मुकदमें में श्री भगवान सिंह निर्दोष करार दिये गये थे जिसके विरुद्ध कोई अपील विचाराधीन नहीं है, परन्तु इससे उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पर कोई प्रभाव नही पड़ता है ।

निलम्बित अवधि के अवशेष वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में नियमानुसार उनके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा "कारण बताओ" नोटिस दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है । श्री भगवान सिंह से नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर ही मामले में मेरिट के आधार पर यह निर्णय लिया जायेगा कि उन्हें अवशेष वेतन दिया जाय अथवा नहीं ।

बस्ती जनपद की गन्ना विकास समिति लि0 बढ़नी के क्षेत्र के गन्ना कृषकों का आनन्द शुगर मिल पर बकाया

115—श्री धनराज यादव—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में गन्ना विकास समिति बढ़नी के क्षेत्र के गन्ना किसानों

का अब तक आनन्दनगर शुगर मिल पर कितना रुपया बकाया हैं और उसे कब तक देने का विचार हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस्ती जनपद की गन्ना विकास समिति लि0, बढ़नी क्षेत्र के किसानों का आनन्द शुगर मिल पर दिनांक 31-1-86 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 1984-85 का रु0 0.81 लाख तथा पेराई सत्र 1985-86 का रुपया 3.70 लाख बकाया हैं जिसके भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा हैं ।

प्रदेश के जंगलों में चौंसिंघा, काकड़ा कस्तूरी मृग तथा अन्य प्रजातियों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी

116—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या वन मंत्री को जानकारी हैं कि उ0 प्र0 के जंगलों से चौंसिंघा, काकड़ा कस्तूरी मृग अनेक जानवरों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही हैं ? यदि हां, तो इनकी संख्या बढ़ाने के कोई उपाय सरकार कर रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सत्य हैं कि उ0 प्र0 के जंगलों में काकड़ा, चौंसिंघा, कस्तूरी मृग तथा कुछ अन्य प्रजातियों की संख्या में गत वर्षों में कमी हुई हैं । इसका प्रमुख कारण इनके आवास स्थलों में विभिन्न कारणों से हुई कमी हैं इनके संरक्षण के लिए निरन्तर सुरक्षात्मक प्रयास किये जा रहे हैं । इनके आवास स्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए अनेक पशु विहार एवं राष्ट्रीय पार्क स्थापित किये गये हैं । इसके अतिरिक्त कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए लखनऊ के निकट कुकरैल वन में एक प्रजनन एवं पुनर्स्थापन केन्द्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर हैं । कस्तूरी मृग के प्रजनन के लिए चमोली जिले में कांचुलाखरक नामक स्थान पर एक प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गयी हैं । इस प्रकार इन लुप्तप्राय प्रजातियों के विकास के लिए सरकार सतत् प्रयत्नशील हैं ।

बस्ती जिले के महुली थाने में अपहरण एवं हत्या के संबंध में दर्ज मुकदमें पर कृत कार्यवाही की जानकारी

117—श्री हरिशचन्द्र हरीश जी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के महुली थाना में 26-9-84 को अपहरण एवं हत्या करने से संबंधित कोई मुकदमा नं0 188/84 धारा 302 ताजीरात हिन्द दर्ज हैं ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 26-9-84 को नहीं बल्कि 27-9-84 को श्री अली जान पुत्र जान अली चौंकीदार ग्राम शान्ति नरगा पार, थाना महुली की जबानी सूचना पर मु0 अ0 सं0 188/84 धारा 302/364/201 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ हैं । जांच से यह घटना थाना कैन्ट, जिला-गोरखपुर से संबंधित पायी गयी । मामला विवेचनाधीन हैं ।

डी0 एल0 डब्लू0, वाराणसी की सीवर लाइन के सम्बन्ध में जानकारी

118—श्री हरिशचन्द्र हरीश जी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में स्थित डी0

एल0 डब्लू0 की सीवर लाइन से किस समय और किस स्थान पर जोड़ी गयी हैं ? दोनों सीवर लाइनें क्रमशः किस लाइन की हैं तथा नगर महापालिका की जिस सीवर लाइन से डी0 एल0 डब्लू0 सीवर लाइन जोड़ी गयी हैं वह किस सन् में बिछायी गयी थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वाराणसी जिले में स्थित डी0 एल0 डब्लू0 की सीवर लाइन वाराणसी नगर महापालिका की सीवर लाइन से वर्ष 1960 में महमूर गंज पुलिस चौंकी के पास स्थित महापालिका के सीवर के मैनहोल में जोड़ी गयी थी ।

दोनों सीवर लाइनें क्रमशः 12" एवं 12" व्यास की हैं ।

डी0 एल0 डब्लू0 की सीवर लाइन महापालिका के जिस सीवर लाइन से जोड़ी गई हैं वह वर्ष 1960 के पूर्व बिछाई गई थी ।

श्री शिवजी मन्दिर सम्पत्ति सुरक्षा शिवाला वाराणसी के अध्यक्ष श्री लाल चन्द्र का मन्दिर की भूमि के विवाद के संबंध में शासन को भेजा गया पत्र

119—श्री हरिशचन्द्र हरीश जी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवजी मंदिर संपत्ति सुरक्षा शिवाला वाराणसी के अध्यक्ष श्री लाल चन्द्र द्वारा दिनांक 23-8-85 को भेजा गया पत्र उन्हें प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रेषित माननीय प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 4-9-85 प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई गई । जांच से मंदिर की भूमि को लेकर दो पक्षों में तनाव पाया गया अतः उनके विरुद्ध धारा 107/116 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गयी । भूमि के स्वामित्व संबंधी मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

120—श्री हरिशचन्द्र हरीश जी—

[चौथे गुरुवार को अता0 प्र0 सं0 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पुलिस उप अधीक्षक सोरांव, इलाहाबाद के विरुद्ध श्री राम पाल फालोवर का शिकायती पत्र

121—श्री सरदार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता के संस्तुति के साथ श्री रामपाल फालोवर, पुलिस लाइन, इलाहाबाद का एक शिकायती पत्र पुलिस उप अधीक्षक सोरांव, जिला इलाहाबाद द्वारा घर बुलाकर मारपीट व उत्पीड़न के संबंध में दिनांक 29-10-85 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र में मुख्य शिकायत क्या थी ? शासन ने दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों तथा पीड़ित कर्मचारी को क्या राहत दी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय का प्रार्थना पत्र श्री राजपाल सिंह से प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई गयी । जांच से आरोप सर्वथा निराधार पाए गए अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा वृन्दावन में शरदोत्सव का आयोजन

122—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में हैं कि माह अक्तूबर, 85 के अन्तिम सप्ताह में शासन की ओर से वृन्दावन में शरदोत्सव का आयोजन शासन की ओर से किया गया था ? यदि हां, तो इस पर कुल कितना खर्च आया और शरदोत्सव मनाने का क्या औचित्य था ? क्या प्रश्नकर्ता का इस संबंध में कोई पत्र शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा 27 से 30-10-85 की अवधि में वृन्दावन में "शरदोत्सव" का आयोजन किया गया । इस आयोजन पर 2.12 लाख (2,12,000 रु0) का व्यय हुआ । शरदोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य कला एवं संस्कृति की विशेषकर ब्रज क्षेत्र में प्रोत्साहित एवं प्रोन्नति करना, जनमानस को अपनी कलाओं एवं संस्कृति के प्रति जागरूक बनाना तथा एक मंच पर विभिन्न शैलियों की नृत्य कलाओं को प्रस्तुत कर राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को सुदृढ़ करना है । इसके साथ-साथ शरदोत्सव के कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले 12-15 हजार लोगों को स्वच्छ मनोरंजन उपलब्ध होता है और साथ ही भारतीय एवं विदेशी पर्यटक भी वृन्दावन नगरी में आकृष्ट होते हैं ।

2—इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र किस तिथि को शासन को भेजा गया, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, अतः उस पर क्या कार्यवाही की गई, इसका उत्तर देना सम्भव नहीं ।

मथुरा जनपद के कतिपय गांवों की सड़कों का निर्माण गन्ना विभाग के अवर अभियन्ताओं द्वारा कराया जाना

123—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार की जानकारी में हैं कि मथुरा जनपद के गांव पटनौली, सेललखेड़ा, भूड़ासानी व मन्नाबालू छाता शुगर मिल छाता की परिधि के बाहर होते हुए भी तथा सा0 नि0 विभाग ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व जिला परिषद् के अभियंताओं की उपेक्षा कर भूड़ासानी से मन्नाबालू व पटनंली सिखेड़ा मार्ग साधनहीन गन्ना विभाग के अवर अभियंताओं से निर्मित कराया जा रहा हैं और बिना डी0 आर0 डी0 ए0 के सदस्यों की राय के निर्माण हेतु सबसे अधिक राशि प्रोजेक्ट अधिकारी ने गन्ना विभाग को दी है; जबकि गन्ना विभाग के पास उपयुक्त स्टाफ व साधनों की भारी कमी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत सड़कों के निर्माण कार्य की स्वीकृति जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी द्वारा दी गयी थी ।

उपर्युक्त सड़कों के निर्माण का कार्य प्रोजेक्ट अधिकारी द्वारा गन्ना विकास विभाग को आवंटित किया गया था ।

कार्यदायी संस्थाओं को जो कार्य दिये गये हैं उनमें गन्ना विकास विभाग को आवंटित धनराशि सर्वाधिक नहीं हैं ।

मथुरा संग्रहालय, मथुरा के वर्तमान निदेशक श्री श्रीवास्तव को अविलम्ब हटाने की मांग

124—शारदानन्द अंचल—

क्या सरकार की जानकारी में है कि मथुरा संग्रहालय, मथुरा के वर्तमान निदेशक श्री श्रीवास्तव के कार्यकाल में सारी सांस्कृतिक गतिविधियां ठप्प पड़ गयी हैं और वह अपना अधिकतर समय अपने अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारियों को प्रताड़ित करने व क्षेत्रीय राजनीति में भाग लेने में लगाये रहते हैं ? क्या शासन ऐसे अधिकारी को अविलम्ब हटाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जीवन दास दूर्विजयगंज, लखनऊ द्वारा अपने पुत्र के गायब होने की लिखाई गई रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही की जानकारी

125—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जीवन दास दूर्विजयगंज लखनऊ द्वारा 6 जुलाई, 1985 को थाना नाका हिन्डोला में अपने लड़के को गायब करने से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 341 धारा 363 भा0 द0 सं0 के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया ? यदि हां, तो मुल्जिमों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

विवेचना के दौरान स्थानीय पुलिस को वादी के पुत्र मुकेश को लापता किए जाने के संबंध में कोई ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ जिसके आधार पर किसी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती । हर सम्भव प्रयास के बावजूद भी वादी के पुत्र का कोई पता नहीं चल सका । अतः स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई । मामलें की गम्भीरता को देखते हुए शासन द्वारा इसकी जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है ।

जनपद बरेली में अलीगंज सिरौली मार्ग के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराने की मांग

126—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बरेली में अलीगंज सिरौली मार्ग में लगभग 5 कि0 मी0 मार्ग का निर्माण कार्य रुका हुआ है तथा अधिकारियों का बार-बार ध्यान इस ओर दिलाया गया है लेकिन कार्य नहीं कराया जा रहा है ? जिससे क्षेत्रीय जनता को यातायात की बड़ी असुविधा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर अधूरे मार्ग को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद बरेली में अलीगंज—सिरौली मार्ग की कुल लम्बाई 26.3 कि0 मी0 है जिसमें से 19.3 कि0 मी0 मार्ग लेपन स्तर व खड़न्जा स्तर तक निर्मित किया जा चुका है । उक्त मार्ग के क्षेत्र शेष 6.00

किलोमीटर का भाग केवल मिट्टी स्तर तक ही स्वीकृत है जिसका निर्माण कराया जा चुका है । अतः स्वीकृत कार्य रुका नहीं है ।

कच्चा मार्ग यातायात के लिये उपलब्ध है ।

स्वीकृत स्तर तक मार्ग पूर्ण कराया जा चुका है अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्त मार्ग के शेष भाग को निर्माण कराने का कार्य विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के परिणामस्वरूप अब जिला सेक्टर में आता है । जिला सेक्टर के कार्यों की स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा कार्यों हेतु जिला योजना में धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

गाजीपुर में (बांसडीह तिराहीपुर घाट मार्ग) सरजू नदी पर स्वीकृत पुल निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने की मांग

127—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में (बांसडीह) तिराहीपुर घाट मार्ग) सरजू नदी पर पुल बनाकर जनपद बलिया की तह0 रसड़ा को जोड़ने हेतु क्या सेतु निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुका था ? यदि हां, तो कब और क्या कारण है कि अभी तक उक्त सेतु का निर्माण कार्य खटाई में पड़ा है ? क्या उक्त सेतु का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत सेतु जनपद गाजीपुर में टोंस नदी, जिसे वहां पर सरजू नदी भी कहा जाता है, के तिराहीपुर घाट पर, गाजीपुर-सिवर अहमद मोहम्मदपुर तिराही घाट-रसड़ा मार्ग पर स्वीकृत हुआ था ।

उक्त सेतु की स्वीकृति दिनांक 16-7-83 को हुई थी । मुख्य सेतु का निर्माण कार्य सितम्बर, 1985 में पूर्ण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता । सेतु के पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

देवरिया जनपद में पथरदेवा नामक स्थान पर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

128—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा देवरिया जनपद में पथरदेवा नामक स्थान पर पेयजल टंकी निर्माण कराये जाने हेतु 18 जुलाई, 85 का पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त हुआ था जिसे मूल रूप में यथोचित कार्यवाही हेतु सचिव नगर विकास को भेज दिया गया था ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां,

पथरदेवा ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को शासन की नीति के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाकर पेयजल सुविधा उपलब्ध

करा दी गयी हैं । अतः टंकी के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

कसया, देवरिया सा0 नि0 विभाग द्वारा खनुआ नदी के पकहां स्थान पर पथकर वसूली हेतु नीलामी में अनियमितता

129—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा देवरिया जनपद के कसया स्थित सा0 निर्माण विभाग के द्वारा खनुआ नदी पर पकहां नामक स्थान पर सेतु निगम द्वारा निर्मित सेतु के पथकर की वसूली हेतु कराई गई नीलामी में अनियमितता किये जाने के संदर्भ में 19 अगस्त, 85 को भेजा गया पत्र उनके कार्यालय को भेजा गया पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

130- श्री सदल नाथ सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बस्ती जनपद में पुलिस व अपराधियों में मुठभेड़ों का ब्योरा

131—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में वर्ष 83-84 व 84-85 में पुलिस व अपराधियों में कुल कितनी मुठभेड़ें हुईं और उनमें कितने व्यक्ति मारे गये और कितने पुलिस कर्मियों को चोटें आईं तथा मारे गये व्यक्तियों का अपराधिक इतिहास क्या हैं ? क्या यह सत्य हैं कि पुलिस ने निरपराध व्यक्तियों को भी द्वेष वस फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मारा हैं ? यदि हां, तो किन-किन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत अवधि में 5 मुठभेड़े पुलिस व अपराधियों के बीच हुई । इन मुठभेड़ों में 6 व्यक्ति मारे गये, जिसमें दो अज्ञात थे । इन मुठभेड़ों में एक उपनिरीक्षक की मृत्यु तथा दो उपनिरीक्षकों तथा 3 कांस्टेबिलों को चोटें आई । मारे गये डकैतों का अपराधिक इतिहास संलग्न हैं ।

यह सत्य नहीं हैं कि पुलिस ने निरपराध व्यक्तियों को फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मारा, अस्तु पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 184 पर)

रानीखेत नागरिक चिकित्सालय के विस्तार एवं आवास भवन निर्माण का प्रस्ताव

132—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत नागरिक चिकित्सालय जो लगभग 4 लाख लोगों की तहसील का मुख्य चिकित्सालय हैं, का स्तर बढ़ाकर 200 शैय्याओं का किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं ? क्या उपरोक्त चिकित्सालय में नेत्र चिकित्सक की व्यवस्था भी की जायेगी तथा महिला चिकित्सकों

की संख्या भी बढ़ायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

नेत्र चिकित्सक की व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन नहीं है । ग्यानोकोलॉजिस्ट के एक पद के सृजन का प्रस्ताव चिकित्सा विभाग के विचाराधीन है ।

133—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त चिकित्सालय में कार्यरत डाक्टरों व अन्य कर्मचारियों के लिए आवास भवन निर्माण के लिए सरकार ने रुपया स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो आवास भवन बनकर कब तक तैयार हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । आवासीय भवनों के निर्माण के लिए रुपया स्वीकृत कर दिया गया है । चिकित्सालय के प्रांगण में निर्माण कार्य हेतु चयनित भूमि पर 60 पेड़ खड़े हैं जिन्हें काटने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सर्वे प्लान बनाया जा रहा है जिसके मिलते ही पेड़ काटने की कार्यवाही की जायेगी । पेड़ कट जाने के बाद आवास भवनों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

134—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पांचवी व छठी पंचवर्षीय योजना में नैनीताल अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जनपदों के लिए अलग-अलग प्रतिवर्ष कितने-कितने ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? निर्धारित लक्ष्य के विपरीत इन जनपदों में कितने-कितने ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवा दी गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में जल निगम द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1863 ग्रामों के लक्ष्य के विरुद्ध 1896 ग्रामों को तथा छठी पंचवर्षीय योजना में 1838 ग्रामों के लक्ष्यों के विरुद्ध 2308 ग्रामों को लाभान्वित किया गया । जनपदवार विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 191 पर)

135—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन तीनों जनपदों में अलग-अलग वर्ष 1985 के अंत तक कुल कितनी-कितनी प्रतिशत पेय जल योजनायें प्रारम्भ हो जावेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौड़ागढ़ में दिसम्बर 1985 तक 96, 70 एवं 70 प्रतिशत ग्रामों में पेयजल योजनायें चालू हो गई हैं ।

अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जनपदों में लघु जल विद्युत योजना का कार्यान्वयन

136—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या सरकार को जानकारी है कि अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जनपदों में लघु जल बिजली योजना लगाना शासन ने स्वीकार

कर लिया है ? यदि हां, तो अब तक कितनी ऐसी योजनाएं कार्य प्रारम्भ कर चुकी हैं ? कितनी ऐसी योजनाओं पर कार्य जारी है और कितनी योजनायें सर्वेक्षण के अन्तर्गत हैं ? इनके सर्वेक्षण करने व क्रियान्वयन में इतनी देरी के क्या कारण हैं ? किस निश्चित वर्ष तक ये सब योजनाएं पूरी कर ली जावेंगी व अपना कार्य प्रारम्भ कर देंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, शासन ने अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जनपदों में लघु जल बिजली योजना को कार्यान्वित किया जाना स्वीकार कर लिया है ।

इस समय पिथौरागढ़ जनपद में सुरीनगाड़ (800 किलोवाट) लघु जल विद्युत योजना पर निर्माण कार्य चल रहा है । उपरोक्त एक योजना पर कार्य जारी है । पिथौरागढ़ की चार योजनाओं तथा अल्मोड़ा की एक योजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा करके स्वीकृति के लिये भारत सरकार को भेज दिये गये हैं । पिथौरागढ़ की 25 तथा अल्मोड़ा जनपद की 2 योजनायें सर्वेक्षण के अन्तर्गत हैं ।

इनके सर्वेक्षण कार्य में कोई देरी नहीं की जा रही है ।

भारत सरकार से योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा तथा उन्हें पूरा किया जा सकेगा । पिथौरागढ़ की सुरीनगाड़ निर्माणाधीन योजना वर्ष 1986-87 में पूरी हो जायेगी और अपना कार्य प्रारम्भ कर देगी ।

कानपुर देहात के बिल्हौर थानान्तर्गत वकोठी ग्राम के निकट राम सनेही कीटयार की राहजनी

137—श्री हनुमान प्रसाद कुरील—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर देहात जनपद के बिल्हौर थाना अंतर्गत दिनांक 29 मई, 1985 को वकोठी ग्राम के निकट सड़क पर राम सनेही कीटयार नामक वृद्ध व्यक्ति की हुई राहजनी की घटना में केवल एक ही अपराधी मौके पर गिरफ्तार किया गया था शेष दो नामजद अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही 20 जुलाई, 1985 तक न करने का कारण क्या है ? क्या यह भी सत्य है कि स्थानीय पुलिस शेष अपराधियों को बचाने के प्रयास में मामले के गवाहान से झूठे हलफनामे लगवाने का भी प्रयास कर रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि लूट की महत्वपूर्ण घटना में अपराधियों को लम्बे समय तक नजर अन्दाज करने के लिए उत्तरदायी पुलिस निरीक्षक पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना दिनांक 29 मई, 1985 की नहीं वरन् दिनांक 25 मई, 1985 की है जिसमें 3 अभियुक्त नामजद किए गए थे । एक अभियुक्त का चालान दिनांक 10-7-85 को किया गया । शेष दो अभियुक्तों के विरुद्ध जुर्म साबित न होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया ।

उक्त अभियोग की विवेचना सुचारु रूप से की गई अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

ब्लाक धनीपुर और लोधा जिला अलीगढ़ के सड़कों को पक्का कराने का प्रस्ताव

138—श्री किशन लाल दिलेर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक धनीपुर, ब्लाक लोधा, जिला अलीगढ़ के अंतर्गत, जो सड़कें पी0 डब्लू0 डी0 में आ चुकी हैं, उन्हें इस वर्ष पक्का कराने का कोई विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद अलीगढ़ में ब्लाक धनीपुर व ब्लाक लोधा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कुल 13 मार्ग स्वीकृत हैं, जिनमें से 2 मार्ग लेपन स्तर तक तथा शेष मार्ग खड़ंजा स्तर तक स्वीकृत हैं। लेपन स्तर तक स्वीकृत मार्गों पर कार्य प्रगति में हैं। खड़न्जा स्तर तक के मार्गों को पक्का करने का कार्य अब जिला सेक्टर के अन्तर्गत आता है। ऐसे कार्यों की स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा कार्यों हेतु जिला योजना में धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

139—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

[7वें सोमवार को अता0 प्र0 सं0 94 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ललितपुर जनपद के कतिपय मार्गों पर पुलों को ऊंचा कराने का प्रस्ताव

140—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के ललितपुर महरौनी, महरौनी बानपुर, बार-बांसी मार्ग पर मढ़रौनी योजना मार्गों तथा (ललीतपुर बाला वेहर) मार्गों पर सजनम जामनी, सहजाद, जमड़ार आदि नदियों पर बने पुराने पुल रिप्टें जो नीचे हैं जिनमें बारिश में सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं तथा नागरिक तौर कर निकलने में मारे जाते हैं तथा ट्रक आदि नदियों में बह जाते हैं एवं चिकित्सा के अभाव में हर वर्ष बरसात भर नागरिकों को परेशानी उठाकर जिला तहसील केन्द्रों में मुकदमों, चिकित्सा से वंचित रहना पड़ता है ऐसी दशा में उक्त मार्गों पर पुलों को ऊंचा करने का सरकार का कोई विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

रपटे नीचे होने के कारण मार्गों पर वर्षा के समय पानी आ जाता है जिससे कुछ समय के लिये यातायात रूक जाता है तथा जनता को कुछ असुविधा होती है।

फिलहाल नहीं।

धनाभाव के कारण।

141—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

[विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जनपद फैजाबाद स्थित थाना पूराकलंदर के गांव हलक्मी का पूरवा माँजा मधुपुर में सन्तराम केवट की हत्या

142—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या गृह्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित थाना पूराकलंदर स्थित गांव हलक्मी का पूरवा माँजा मधुपुर में माह जुलाई या अगस्त, 85 महीने में गांव वालों ने किसी डकैत को रात में मारा था ? यदि हां, तो क्या उसके

संबंध में गांववालों की तरफ से तथा मृतक के परिवारवालों की तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज हुई ? डकैती के पूर्व जब गांव में उपरोक्त डकैत मारा गया तो पुलिस द्वारा कोई निरोधात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 18-8-85 की रात्रि में एक व्यक्ति सन्तराम केवट की हत्या हुई थी ।

दोनों पक्षों के तरफ से एक-एक रिपोर्ट पंजीकृत कराई गयी ।

मृतक की तरफ से पंजीकृत रिपोर्ट विवेचना से सही पाई गई । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । घटना डकैती की नहीं थी । ऐसी स्थिति में निरोधात्मक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

बैसव नदी के दोनों ओर जनपद जौनपुर तथा आजमगढ़ में स्वीकृत मार्ग पर पुल बनाये जाने की मांग

143—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर व जनपद आजमगढ़ को ग्राम सोंगर व भादों के मध्य जो बैसव नदी जोड़ती है उसके दोनों तरफ हर जगह पी0 डब्ल्0 डी0 की सड़क बन चुकी है और पुल नहीं बना है, जिससे आवागमन का रास्ता अवरुद्ध है ? क्या विभाग द्वारा पुल का निर्माण निकट भविष्य में किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बैसव नदी के दोनों ओर जनपद जौनपुर तथा आजमगढ़ में मार्ग निर्माणाधीन है तथा पुल अभी स्वीकृत नहीं है ।

फिलहाल नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धनाभाव के कारण ।

144—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नगरपालिका हमीरपुर द्वारा नगर की कतिपय शिक्षण संस्थाओं को जल कर व गृह कर वसूली की नोटिस

145—श्री जगदीश नारायण शर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद हमीरपुर की नगरपालिका हमीरपुर द्वारा ही नगर की शिक्षा संस्थाएं श्री विद्या मंदिर इंटर कालेज, हमीरपुर व इस्लामिया इंटर कालेज, हमीरपुर से जल कर व गृह कर के वसूली की नोटिस दिया गया है जबकि पूरे जनपद की अन्य सभी शिक्षण संस्थाएं जल कर व गृह कर से मुक्त हैं ? यदि हां, तो क्या नगर विकास मंत्री उपरोक्त दोनों संस्थाओं पर लगे गृह कर व जल कर को माफ कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद हमीरपुर की नगरपालिका हमीरपुर द्वारा शिक्षा संस्थाओं, श्री विद्यामंदिर इंटर कालेज, हमीरपुर व इस्लामिया इंटर कालेज, हमीरपुर पर गृह कर वसूली का नोटिस दिया गया है । जल संस्थान द्वारा

उक्त विद्यालयों पर वर्ष 1975-76 से जल कर निर्धारण किया गया है। आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी की विज्ञप्ति संख्या 3865/21-265 (66-67) दिनांक जुलाई 24, 1968 द्वारा स्वीकृत उपनियम में केवल निःशुल्क शिक्षा संस्थाओं से संबंधित भवन ही गृह कर से मुक्त है। उक्त दोनों संस्थाओं तथा अन्य संस्थायें जो सशुल्क शिक्षण संस्थायें हैं, पर नगर पालिका हमीरपुर द्वारा गृह कर आरोपित किया गया है।

जी नहीं।

ग्राम तारा खुर्द, फर्रुखाबाद में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा के संबंध में एक व्यक्ति की हत्या

146—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तारा खुर्द, फर्रुखाबाद में 1983-84 में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा करते समय ग्राम प्रधान नारायन व अन्य लोग घायल हुये थे तथा एक हत्या हुई थी ? क्या उक्त भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने के लिये क्या जिला प्रशासन ने धारा 122 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिला प्रशासन इस ग्राम सभा की भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिये कानूनी कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

चूंकि सक्षम न्यायालय में 145 सी आर0 पी0 सी0 की कार्यवाही विचाराधीन है, धारा 122-बी की कार्यवाही नहीं की गयी।

इस भूमि पर वर्तमान में किसी का अवैध कब्जा नहीं है।

नगरपालिका पडरौना, देवरिया के अधिशासी अधिकारी और ठेकेदारों द्वारा तुलसी मार्केट के निर्माण में लाखों का घोटाला

147—श्री बालेश्वर—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका पडरौना, जनपद देवरिया के अधिशासी अधिकारी और ठेकेदारों द्वारा स्लाटर हाऊस और तुलसी मार्केट के निर्माण में लाखों रुपये का घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और दोषी पाये अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

स्लाटर हाऊस के निर्माण का कार्य नियमानुसार टेण्डर आमंत्रित करके न्यूनतम टेण्डरदाता द्वारा सम्पन्न कराया गया है तथा तुलसी मार्केट के निर्माण का कार्य भी नियमानुसार टेण्डर आमंत्रित करके न्यूनतम टेण्डरदाता से कराया जा रहा है। इनमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना समिति पडरौना, देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्री बांके सिंह, आजमगढ़ का शिकायती पत्र तथा जांच

148—श्री सुग्रीव सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना समिति पडरौना जनपद देवरिया में भ्रष्टाचार से संबंधित

श्री बांके सिंह प्रबन्धक गंगादास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धवरियासाथ जनपद आजमगढ़ का शिकायती पत्र जिसकी जांच जांच सैल अधिकारी गन्ना संघ, लखनऊ द्वारा दिनांक 17-1-85 से 19-1-85 तक की गयी उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन द्वारा दोषी सदस्यों को गन्ना समिति की उप-विधियों के तहत गन्ना समिति की सद-स्यता से दो माह के अन्दर पृथक किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच दल द्वारा जांच करायी गयी । जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही प्रगति पर हैं । दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

149—श्री बालेश्वर—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 18-6-85 जो गन्ना समिति पडरौना के भूतपूर्व अध्यक्ष आदि के विरुद्ध हैं, प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच गन्ना आयुक्त द्वारा करायी गयी । जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी हैं जिसका परीक्षण गन्ना आयुक्त स्तर पर किया जा रहा हैं ।

जनपद गाजीपुर के थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्र स्थित शाहीनन्दा मल्लाह बस्ती में अवैध नशीली वस्तुओं का धन्धा

150—श्री अफजल अन्सारी—

क्या गृह मंत्री को जानकारी हैं कि जनपद गाजीपुर के थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्र स्थित शाहीनन्दा मल्लाह बस्ती में अवैध शराब, गांजा, मरीफया, हिरोइन आदि नशीली वस्तुओं के बनाने, बेचने का एक सक्रिय अड्डा हैं । इस पर स्थानीय एवं जिला पुलिस ने पिछले 2 वर्षों में कब-कब कितने छापे मारे हैं तथा कितने मुकदमें कायम किए गए हैं ? क्या जिला पुलिस उक्त गैर कानूनी अड्डे पर नियंत्रण पाने में कहां तक सफल हुई हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

मल्लाह बस्ती में विगत दो वर्षों में अवैध शराब बनाने की सूचना प्राप्त होने पर वर्ष 1984 में 10 व वर्ष 1985 में 9 छापे मारे गये । इस संबंध में धारा 60 आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत थाना मुहम्मदा-बाद में कुल 19 अभियोग पंजीकृत किये गये ।

अवैध शराब बनाने वालों की रोकथाम के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा बराबर सतर्कता बरती जा रही हैं जिससे अवैध शराब बनना नियंत्रण में हैं ।

जिला कारागार बाराबंकी द्वारा खरीदी गई सीमेन्ट की इन्ट्री गेट बुक पर किये जाने की जानकारी

151—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह तथा कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार बाराबंकी द्वारा

दिनांक 30-8-84 को 50 बोरी सीमेन्ट खरीदी गयी ? यदि हां, तो क्या यह सीमेंट जेल के अन्दर लायी गयी और क्या इसकी इन्ट्री गेट बुक पर की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

152—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह तथा कुंवर रेवती रमण सिंह—

[दिनांक 11-2-86 के अता0 प्र0 सं0 120 द्वारा उत्तरित]

जिला कारागार बाराबंकी के भवन पर 2 अक्तूबर, 1985 को राष्ट्रीय ध्वज न फहराये जाने पर आपत्ति

153—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह तथा कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या कारागार बंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार बाराबंकी के भवन पर 2 अक्तूबर, सन् 85 के दिन राष्ट्रीय झन्डा नहीं फहराया गया ? यदि हां, तो क्यों ? और इस सम्बन्ध में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तत्कालीन सांसद श्री नाथूराम शाक्यवार तथा श्रीमती मुन्नी देवी अवस्थी वगैरह के प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी इटावा द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

154—श्री बिहारी लाल दोहरे—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन सांसद श्री नाथूराम शाक्यवार के 29-12-83 के पत्र के साथ संलग्न श्रीमती मुन्नी देवी अवस्थी, उर्मिला देवी अवस्थी के प्रार्थना पत्रों पर तत्कालीन मुख्य-मंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी ने जिलाधिकारी इटावा को 1/84 में जांच के आदेश प्रदान किये थे ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी हां ।

जिलाधिकारी की रिपोर्ट संलग्न है । जिलाधिकारी इटावा द्वारा लेखपाल/सुपर-वाइजर कानूनगो के विरुद्ध कड़ी कार्य-वाही की जा रही है ।

तत्कालीन उप निबन्धक औरैया जिला इटावा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए महानिरीक्षक निबंधन को शासन द्वारा आदेश दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 192 पर)

155—श्री बिहारी लाल दोहरे—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने सांसद श्री नाथूराम शाक्यवार के पत्र के साथ प्रार्थना-पत्रों पर दिनांक 27-1-84 को जिलाधिकारी इटावा को आयकर अधिनियम 230-ए आयकर नियम 1961

के अंतर्गत मूलभूत नियमों का पालन न करने के कारण जांच पर्यन्त बैनामे को अप्रभावी रखने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और क्या आदेशों का पालन हुआ ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रेछारिया—

जी हां ।

आयकर अधिनियम में जिलाधिकारी द्वारा रजिस्ट्री किये गये दस्तावेज को अप्रभावी रखने का कोई प्राविधान नहीं है । मूल विलेख-पत्र पर स्टाम्प ऐक्ट की धारा 47-ए के अन्तर्गत कार्यवाही कलक्टर इटावा के यहां चल रही है । प्रश्नगत लेखपत्र उक्त कार्यवाही तक के लिए स्टाम्प ऐक्ट की धारा 33 के अन्तर्गत अवरुद्ध होने के कारण अप्रभावी हो चुका है ।

156—श्री बिहारी लाल दोहरे—

क्या वित्त मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि एक ही तिथि 26-8-83 को आयकर अधिकारी इटावा से 30.000 रुपये की अनुमति से 1,33,000 रुपये की सम्पत्ति का उप निबन्धक औरैया, इटावा द्वारा विक्रेता, क्रेता से मिली भगत करके 16-9-83 को निबन्धन करके आयकर एवं स्टाम्प का अपवंचन किया है जबकि 15-9-83 को उप निबन्धक को लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर दी थी ? यदि हां, तो शासन को वित्तीय हानि के लिए उत्तर दायी उप निबन्धक एवं आयकर अधिनियम 230-ए आयकर नियम 1961 का अतिक्रमण करने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

दिनांक 26-8-83 को आयकर अधिकारी इटावा के यहां हस्तान्तरण की जाने वाली सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया और उसी दिन उप निबंधक कार्यालय में विक्रय पत्र प्रस्तुत हुआ । आयकर अधिकारी ने 3-9-83 को रुपये 30,000 की सम्पत्ति के लिए प्रमाण-पत्र इन्कमटैक्स की धारा 230-ए(1) जारी किया । 13-9-83 को उप निबन्धक औरैया ने विलेख-पत्र, जिस पर 1,33,000 का स्टाम्प शुल्क दिया गया और सम्पत्ति (हस्तान्तरित) का मूल्य 75,000 दिखाया गया, निबन्धन के लिए स्वीकार किया । दिनांक 15-9-83 को उप निबन्धक औरैया को आपत्ति मिली । विलेख पंजीकरण 16-9-83 को हुआ ।

उप निबन्धक, औरैया के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिए महा-निरीक्षक निबंधन को आदेश दिये गये हैं ।

पर्वतीय विकास परिषद् में जनपदवार गैर सरकारी सदस्य की नामजदगी की जानकारी

157—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या सरकार पर्वतीय विकास परिषद् में हर पर्वतीय जनपद से एक गैर सरकारी सदस्य भी नामजद करवा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पर्वतीय विकास परिषद् में पर्वतीय क्षेत्र के सांसद, विधान सभा/विधान परि-

षद् के सदस्य व जिला परिषदों के अध्यक्ष सदस के रूप में नामित हैं । इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र के आठों जिलों के गैर सरकारी जनप्रतीनिधियों का पर्वतीय विकास परिषद् में समावेश होने के कारण अलग से प्रति जनपद एक गैर सरकारी सदस्य के नामन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में बन्दी श्री देशराज सिंह को एक माह के पैरोल पर मुक्त किये जाने की स्वीकृति

158—श्री बृहमदत्त द्विवेदी—

क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में आजीवन कारावास की सजा भोग रहे कैदी दस्यु देशराज की आदेश संख्या 3787 ले0-एव0/वार्ड्स/800/55/85, दिनांक 21 अगस्त, 1985 को एक माह का पैरोल स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या जमानतें दाखिल करने और उनकी हैसियत तहसील से तस्दीक होकर आ जाने के उपरान्त अभी तक उसकी रिहाई का परवाना जारी नहीं किया गया है ? परवाना ज़ारी न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । बंदी देशराज सिंह पुत्र बादशाह सिंह जिला फर्रुखाबाद को शासनादेश संख्या 3987 जे0 एल0/बाई्स—800 (55)-85, दिनांक 21-8-85 द्वारा एक माह का पैरोल स्वीकृत हुआ था । औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद बंदी देशराज सिंह को दिनांक 19-1-86 को कारागार से मुक्त भी किया जा चुका है ।

जनपद फर्रुखाबाद में सक्रिय दस्यु दलों के पंजीकरण तथा उनके नियंत्रण की जानकारी

159—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में इस समय कौन-कौन से पंजीकृत दस्यु दल सक्रिय हैं और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद फर्रुखाबाद में इस समय स्थानीय कोई गैंग सक्रिय नहीं है । जनपद मैनपुरी का पंजीकृत दस्यु दल सज्जना उर्फ सज्जन दस्यु दल द्वारा कुछ अपराध किये गये हैं । उक्त सज्जन गिरोह में जनपद फर्रुखाबाद का निवासी दस्यु मानसिंह भी सक्रिय सदस्य है ।

उपरोक्त सज्जना गिरोह की गतिविधियों को नियंत्रण करने हेतु सीमावर्ती जनपद मैनपुरी व एटा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से विचार-विमर्श हेतु समय-समय पर गोष्ठियां की जाती हैं । जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कड़े निर्देश देकर सघन रात्रि गश्त व विभिन्न थानों के मिलान गश्त की व्यवस्था की गयी है जिसके फलस्वरूप उक्त गैंग की गतिविधियां इस जनपद में शान्त हैं ।

देवरिया जनपद में तुर्तीपार भागलपुर के पास घाघरा नदी पर पक्के पुल की मांग

160—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, देवरिया और बलिया जन-

पदों को सीमा सड़क मार्ग सेवा द्वारा के लिए घाघरा नदी पर तुर्तीपार-भागलपुर के सामने पीपे के पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाने के लिए सरकार ने कब-कब सर्वेक्षण कराया है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनता की इस मांग को सरकार कब तक पूरा करने जा रही है और पुल का निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

देवरिया जनपद में तुर्तीपार-भागलपुर के पास घाघरा नदी पर पुल का विस्तृत सर्वेक्षण वर्ष 1980-81 में कराया गया था ।

धनाभाव के कारण इस सेतु का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

161-162—श्री राम सजीवन—

[दिनांक 21-2-86 को अता0 प्र0 सं0 120-121 द्वारा उत्तरित]

श्री राम गोपाल सेवा निवृत्त कॉश शाखा मुद्रा निरीक्षक को पेन्शन सुविधा दिलाने हेतु जिलाधिकारी, बरेली को निर्देश

163—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि कोषागार कॉश शाखा कर्मचारियों को दिनांक 1-1-81 से पेंशन सुविधा प्राप्त हुई थी परन्तु श्री राम गोपाल पुत्र पं0 बल्देव देव शर्मा, को कॉश शाखा मुद्रा निरीक्षक के पद से दिनांक 1-9-81 को अवकाश प्राप्त करने के उपरान्त पारिवारिक पेंशन सुविधा से वंचित रखा गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? मंत्री जी श्री राम गोपाल को शीघ्र पेंशन दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

पारिवारिक पेंशन की सुविधा दिनांक 1 जनवरी, 1984 से ही स्वीकृत की गयी है ।

जी हां । श्री राम गोपाल को पेन्शन दिलाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बरेली को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री दुर्विजय सिंह यादव, ग्राम खरौला, थाना छिबरामऊ, फर्रुखाबाद की श्री श्याम सिंह यादव द्वारा हत्या

164—श्री सरदार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री दुर्विजय सिंह यादव पुत्र श्री धनपत सिंह यादव निवासी ग्राम खरौला थाना छिबरामऊ जनपद फर्रुखाबाद जो कि भारतीय सेना का सैनिक था और जो अवकाश पर घर आया था, को दिनांक 14-8-85 को श्री श्याम सिंह यादव पुत्र श्री कामता सिंह यादव ने उन्हीं की रायफल से मार दिया तथा जिसकी रिपोर्ट उन्होंने दिनांक 14-8-84 को थाना छिबरामऊ में अंकित करा दी गयी थी ? यदि हां, तो अब तक उक्त मुल्जिमानों को गिरफ्तार न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । प्राप्त सूचनानुसार श्री दुर्विजय सिंह को श्री श्याम सिंह यादव द्वारा

उसकी रायफल से मारा गया, जिसके सम्बन्ध में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 307/380 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके जो बाद में धारा 302/380 में तरमीम हुआ । विवेचना कराई गयी । पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में काफी प्रयास किया गया । उसकी गिरफ्तारी न होने के कारण दिनांक धारा 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही करके दिनांक 17-9-84 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

बिक्रीकर विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति एवं प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में जानकारी

165—श्री सरदार सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के 4थे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री बुनियाद हुसैन अंसारी के अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब दिनांक 8-4-83 तक वेतनमान 515—860 का एक पद रिक्त रहा, तब किन परिस्थितियों में इस वेतनमान में तदर्थ रूप से प्रमोट सबसे सीनियर अनुसूचित जाति के कर्मचारी को ही प्रत्यावर्तित कर दिया गया ? क्या यह शासनादेश संख्या-50-चालीस-1-81-13/203/72 दिनांक 3-9-81 के पैरा-2 के सब पैरा 2 के विरुद्ध नहीं है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के 4थे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी के अतारांकित प्रश्न संख्या-136 के उत्तर के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि वेतनमान 515—860 का एक पद दिनांक 8-4-83 तक रिक्त नहीं था । इस पद के विरुद्ध श्री इन्द्र जीत सिंह कार्यरत थे जो निलम्बित चल रहे थे । श्री इन्द्रजीत सिंह अनुसूचित जाति के कर्मचारी थे और तदर्थ रूप से पदोन्नत सबसे वरिष्ठ कर्मचारी भी यही थे । श्री इन्द्रजीत सिंह को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया था और वह वेतनमान रु0 515—860 के पद के विरुद्ध निलम्बन भत्ता प्राप्त कर रहे थे । अतः शासनादेश संख्या-50-चालीस-1-81-13/203/72, दिनांक 3-2-81 के पैरा-2 के सब पैरा-2 के विरुद्ध कोई प्रत्यावर्तन नहीं किया गया ।

बिक्रीकर विभाग में स्थायी,अस्थायी प्रमोट तथा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी

166—श्री सरदार सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 3रे मंगलवार के लिए श्री बुनियाद हुसैन अंसारी के अतारांकित प्रश्न संख्या 156 के उत्तर के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 940 पदों में जब 811 कर्मचारी नियमित तथा 99 तदर्थ हैं तो क्या 30 पद रिक्त थे ? यदि हां, तो जब 30 पद रिक्त थे तब किन परिस्थितियों में दिनांक 9-11-82 को **कतिपय कर्मचारियों को प्रत्यावर्तित करना** पड़ा तथा क्या जो 99 कर्मचारी तदर्थ रूप से प्रमोट थे वह क्या दिनांक 9-11-82 को प्रत्यावर्तित किये गये कर्मचारियों से सीनियर थे ? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । वेतनमान रुपया 430—685 का पद बिक्रीकर विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1973 के नियम 18 के अनुसार कनिष्ठ लिपिकों की प्रान्तीय ज्येष्ठता के आधार पर, उनमें से चयन करके भरा जाता हैं । इस वेतनमान के बिक्रीकर मुख्यालय पर कुल 46 पद थे । इन सभी पदों पर नियमित रूप से चयनित कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया था । अतः इन पदों के विरुद्ध जो कर्मचारी केवल मुख्यालय स्तर की ज्येष्ठता के आधार पर तदर्थ रूप से पदोन्नत किये गये थे उन्हें 9-11-82 को प्रत्यावर्तित करना पड़ा था ।

इस सम्बन्ध में तुलनात्मक परीक्षण की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि दिनांक 9-11-82 को प्रत्यावर्तित किये गये कर्मचारियों को जिस तिथि को बिक्रीकर मुख्यालय पर काम चलाने के लिए तदर्थ रूप से पदोन्नत किया गया था उस तिथि को इस बात पर विचार नहीं किया गया था कि मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी क्या इन कर्मचारियों से ज्येष्ठ हैं ।

जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं हैं ।

167—श्री सरदार सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 3रे मंगलवार के लिए श्री बुनियाद हुसैन अंसारी के अतारांकित प्रश्न संख्या-156 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 125 अनुसूचित जाति के कर्मचारियों में कितने तदर्थ तथा कितने नियमित थे ? क्या तदर्थ रूप से प्रमोट सभी कर्मचारी दिनांक 9-11-82 को बिक्रीकर मुख्यालय पर प्रत्यावर्तित किये गये कर्मचारियों से सीनियर हैं ? मुख्यालय पर प्रत्यावर्तित किये गये कर्मचारियों के स्थान पर वेतनमान 430—685 में कौन-कौन से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी एवं क्या इनके स्थान पर परिक्षेत्रों में नियुक्ति की गयी ? यदि हां, तो क्या परिक्षेत्रों में इनसे कनिष्ठ कर्मचारी प्रत्यावर्तन हेतु उपलब्ध थे ? यदि हां, तो कितने थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

15 कर्मचारी तदर्थ रूप से तथा 110 कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत थे ।

इस सम्बन्ध में तुलनात्मक परीक्षण की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि दिनांक 9-11-82 को प्रत्यावर्तित किये गये कर्मचारियों को जिस तिथि को बिक्रीकर मुख्यालय पर काम चलाने के लिए तदर्थ रूप से पदोन्नत किया गया था उस तिथि को इस बात पर विचार नहीं किया गया था कि मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी क्या इन कर्मचारियों से ज्येष्ठ हैं ।

मुख्यालय पर प्रत्यावर्तित कर्मचारियों के स्थान पर वेतनमान 430—685 में अनुसूचित जाति के किसी कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया गया था क्योंकि प्रदेश स्तर पर ज्येष्ठता के आधार पर की गयी पदोन्नति में जिस जिले के कर्मचारी पदोन्नत हुए थे उन्हें अपने ही जिले में या उसके निकटस्थ जिले में उपलब्ध रिक्ति में तैनात कर दिया गया था । मुख्यालय पर जिन कर्मचारियों को

प्रत्यावर्तित किया गया था वह प्रदेश स्तर की ज्येष्ठता में न आने के कारण प्रोन्नत नहीं हो सके थे ।

इस सम्बन्ध में स्थिति ऊपर स्पष्ट की गयी है ।

पौड़ी जनपद के तहसील कोटद्वार के तल्ला-ढांगू के ग्राम खण्ड ऊंचाकोट के वन से वृक्षों का अवैध कटान

168—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पौड़ी जनपद के तहसील कोटद्वार के तल्ला ढांगू के ग्राम खंड ऊंचाकोट के सरकार कैसर हिन्द जंगल नामक सिविल स्वयं जंगल से मार्च, 82 के 3रे सप्ताह में साल आदि के 125 वृक्षों की अवैध कटान हुई और जो वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उ0 प्र0 पौड़ी की जांच में सही पायी गयी ? यदि हां, तो उसकी प्रथम सूचना सम्बन्धित पटवारी ने कब प्राप्त की उस पर मुकदमा कब कायम किया गया और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने इस घटना के अभियुक्तों को दण्डित कराने के लिए क्या कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो कब और क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, यह सही है कि प्रश्नगत ग्राम खण्ड में 125 वृक्षों का अवैध कटान हुआ । इस जंगल में हुए पेड़ों के अवैध कटान की जांच सर्वप्रथम राजस्व पुलिस से करवाये जाने के आदेश किये गये थे परन्तु जांच के दौरान अन्वेषणकर्ता राजस्व पुलिस अधिकारियों ने मामले की पर्याप्त जटिलता व अन्वेषण का क्षेत्र विस्तृत बताया । फलतः मामले के सफल अन्वेषण को दृष्टि में रखते हुए यह मामला राजस्व पुलिस अधिकारियों से जनपद की सिविल पुलिस को अनुसंधान एवं विवेचना हेतु हस्तान्तरित करने के आदेश दिये गये । उक्त मामले में अन्वेषण कार्य थानाध्यक्ष, कोटद्वार को सौंपा गया । मु0 अ0 सं0 1/82 भारतीय दंड संहिता की धारा 329 के अन्तर्गत अन्वेषण अधिकारी ने इस मामले में विवेचना के उपरान्त साक्ष्यों के अभाव में तथ्य सिद्ध न हो सकने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 21-12-83 को स्वीकृति दी गयी ।

मामले के महत्व को देखते हुए जिलाधिकारी गढ़वाल द्वारा परगनाधिकारी, कोटद्वार को माह दिसम्बर, 1985 में आदेश दिये गये हैं कि वे पुनः मामले की जांच करें । जांच की जा रही है ।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड शाहपुर के ग्राम शौरों को टाउन एरिया घोषित करने का प्रस्ताव

169—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड शाहपुर के ग्राम शौरों को सभी अर्हतायें पूरी करने के पश्चात् भी टाउन एरिया अब तक घोषित नहीं किया गया है और ग्राम सौरों को कब तक टाउन एरिया घोषित किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रस्ताव का परीक्षण प्रगति पर हैं गुणावगुण के आधार पर अन्तिम निर्णय शीघ् लिया जायेगा ।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बधरा को टाउन एरिया घोषित करने का प्रस्ताव

170—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बधरा को कब तक टाउन एरिया घोषित किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

निर्धारित मानक पूर्ण न होने के कारण प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया हैं ।

मुहम्मद शमीम खां, मुख्य लिपिक हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, आजमगढ़ के विरुद्ध इस्तगासा दायर

171—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात हैं कि हेड क्लर्क मु0 शमीम खां अ0 सं0 9/84 थाना जीयनपुर धारा 147/148/149/307 के मुकदमें में वांछित हैं तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में यह प्रकरण स्टेट बनाम उबैदुर्रहमान आदि के नाम से विचाराधीन हैं ? क्या यह सही हैं कि शमीम को न्यायालय ने दो बार हिरासत में लिया हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुहम्मद शमीम खां, मुख्य लिपिक हरिजन एवं समाज कल्याण आजमगढ़ के विरुद्ध थाना जीयनपुर आजमगढ़ में अपराध संख्या 9/84 अन्तर्गत धारा 147/148/307 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ हैं । उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में वादी श्री जफरे आलम पुत्र मुहम्मदयासीन सा0 अल्लीपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट सगड़ी आजमगढ़ के यहां इस्तगासा दायर किया हैं । उक्त इस्तगासा के सम्बन्ध में जरिये नोटिस दिनांक 7-8-85 एवं 25-11-85 को शमीम अहमद ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा अपनी जमानत करा लिया । पुलिस की विवेचना से मामला झूठा पाये जाने पर 22-1-84 को अंतिम रिपोर्ट लगायी गयी ।

नगर पालिकाओं को ट्रकों द्वारा शहर के कूड़ा व गन्दगी को ढक कर ठीक ढंग से ले जाने के निर्देश

172—श्री कृष्ण कुमार—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहर का कूड़ा खुली ट्रकों द्वारा भेजा जाता हैं जिससे एक स्थान पर इकट्ठा किया हुआ कूड़ा नगर पालिका का ट्रक शहर की सड़कों पर बिखेरता हुआ अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचता हैं ? इस प्रकार एक स्थान का कूड़ा पूरे शहर में फैल जाता हैं ? सरकार इस दिशा में ट्रकों द्वारा जाने वाले कूड़े को ढक कर भेजने की व्यवस्था के लिए सोच रही हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । सामान्य रूप से खुली ट्रकों द्वारा जो कूड़ा नगर पालिका का ट्रक एक स्थान से गन्तव्य स्थान पर ले जाता है उसमें कूड़ा सड़क पर नहीं बिखरता, किन्तु कभी-कभी जब ट्रक की धारण क्षमता से अधिक कूड़ा उसमें भर लिया जाता है तो थोड़ा कूड़ा सड़क पर बिखर सकता है ।

पालिकाओं को निर्देशित किया जा रहा है कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कूड़ा ले जाने वाले ट्रकों में उनकी धारण क्षमता से अधिक कूड़ा न भरा जाय ताकि उसके सड़क पर गिरने की नौबत न आये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उर्दू अकादमी द्वारा पिछले पांच वर्षों की उपलब्धियों के सम्बन्ध में जानकारी

173—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उर्दू एकेडमी, उत्तर प्रदेश ने पिछले पांच वर्षों में कितनी किताबें प्रकाशित कराईं और उनके लेखकों के नाम क्या हैं ? क्या मंत्री जी उन शायरों के नाम भी बताने की कृपा करेंगे जिन्हें एकेडमी की ओर से पेंशन मिल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा गत 5 वर्षों में 169 पुस्तकें प्रकाशित की गईं । लेखकों के नामों की सूची संख्या एक में संलग्न† है । अकादमी की ओर से जिन शायरों को पेन्शन मिल रही है, उनकी भी सूची संख्या दो में संलग्न† है ।

174—डा0 दिनेश जौहरी—

[दिनांक 25-2-86 को अता0 प्र0 सं0 120 द्वारा उत्तरित]

श्री कासिम अली, ग्राम मलेथू बुजुर्ग थाना इनायत नगर, फैजाबाद को गिरफ्तार करने व पीटने की जांच

175—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के सातवें मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-40 के प्रत्युत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जांच किस अधिकारी से करायी गई ? शिकायत के मुख्य-बिन्दु क्या थे और जांच के समय प्रश्नकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया अथवा नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जांच क्षेत्राधिकारी बीकापुर जनपद फैजाबाद से कराई गयी । शिकायत का मुख्य बिन्दु था कि श्री कासिम अली, ग्राम मलेथू बुजुर्ग थाना इनायतनगर, फैजाबाद को दिनांक 9-10-84 को 3 बजे हरिंगटनगंज बाजार में गिरफ्तार कर थानाध्यक्ष श्री बघेल तथा अन्य पुलिसकर्मियों ने बुरी तरह मारकर दर्जनों चोटें पहुंचाई हैं और जेल भेज दिया । प्रश्नकर्ता से जांच के समय पूछताछ की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

†छापी नहीं गई ।

मऊनाथभंजन, आजमगढ़ में दिनांक 20 जुलाई, 1985 की घटना के संबंध में भूतपूर्व विधायक श्री0 रामजी के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

176—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊनाथभंजन (आजमगढ़) में दिनांक 20 जुलाई, की घटी घटनाओं के संबंध में भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भूतपूर्व विधायक प्रोफेसर रामजी सिंह द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 85, 24 अगस्त, 85 के पत्र मिले हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 19 अगस्त, 1985 का पत्र प्राप्त हुआ है, जो आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, आजमगढ़ को भेजा गया ।

झांसी जनपद के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खर्च किये गये धन के कतिपय वर्षों का ब्यौरा

177—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जनपद के सार्वजनिक निर्माण विभाग को वित्तीय वर्ष 1982-83, 83-84, 84-85 व 85-86 में कितना धन किस-किस मद में दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राज्य सरकार द्वारा झांसी जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग को वर्षवार निम्नलिखित मदों हेतु धन दिया गया—

मद का नाम	धनराशि (लाख रु0 में)
वर्ष 1982-83	
संचार साधन	126.69
सामुदायिक विकास	4.70
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	1.50
अनावासिक भवन	28.91
आवासिक भवन	10.65
कार्यात्मक भवन	25.24
योग ..	197.69
वर्ष 1983-84	
संचार साधन	86.83
सामुदायिक विकास	9.98
दैवी आपदा	19.00
अनावासिक भवन	35.61
आवासिक भवन	10.45
कार्यात्मक भवन	24.25
योग ..	186.12
वर्ष 1984-85	
संचार साधन	166.05
सामुदायिक विकास	10.75
दैवी आपदा	5.00
अनावासिक भवन	20.06
आवासिक भवन	4.35
कार्यात्मक भवन	29.25
योग ..	235.46
वर्ष 1985-86	
संचार साधन	166.80
दैवी आपदा	17.00
अनावासिक भवन	8.80
आवासिक भवन	3.27
कार्यात्मक भवन	77.25
योग ..	273.12

उन्नाव जिले के कतिपय कस्बों में हुये विकास कार्यों व जन सुविधाओं का विवरण

178—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच सालों में उन्नाव जिले के चार कस्बों पुरवा, मौरावां, भगवंत-पुर व बीघापुर की जानबूझ कर उपेक्षा की गयी है ? क्या गत पांच साल में उक्त कस्बों में सम्पादित विकास कार्यों व जन सुविधा की सेवाओं का विवरण देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

उपेक्षा नहीं की गयी है ।

गत 5 वर्षों में उक्त टाउन एरियाओं में किये गये विकास कार्य एवं नागरिकों को उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का विवरण संलग्न है ।

(1 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

संसद सदस्यों की तरह विधायकों को भी जीप सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

(ग्राम विकास मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री शारदा नन्द अंचल—

माननीय, माननीय मुख्य मंत्री जी बोलें ।

(श्री श्याम सूरत उपाध्याय, ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा बोलने का प्रयत्न करने पर विरोध पक्ष के कई सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर पर आकर शोर मचाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष—

मैं अनुमति नहीं देता हूं । हर मंत्री को अधिकार है । मेहरबानी करके ऐसा व्यवहार न करें । मेहरबानी करके आप लोग अपनी-अपनी जगह पर जायं ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए विरोध पक्ष के सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री शारदा नन्द अंचल—

माननीय, मुख्यमंत्री जी यहां मौजूद हैं, उनको बुलवाइये ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग अपने स्थान पर जायं ।

(सदन के "फ्लोर" पर आये हुए विरोध के सदस्यों द्वारा निरन्तर नारे लगाते रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधीदल, मेहरबानी करके अपने सदस्यों को व्यवस्थित करें ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

माननीय, मुख्यमंत्री जी को बुलवा लिया जाय ।

श्री शारदा नन्द अंचल—

माननीय, मुख्यमंत्री जी को बुलवाये बगैर यह हाउस नहीं चलेगा ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्यों द्वारा पूर्ववत नारे लगाते रहने पर)

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 195 पर)

श्री अध्यक्ष—

यह अशोभनीय है, माननीय नेता विरोधी दल आप मजबूर कर रहे हैं मुझे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इनसे कह दीजिये कि ये अपने स्थान पर जायं ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्य पुनः नारे लगाते रहे किन्तु मुख्यमंत्री के सदन में प्रवेश करते ही सभी सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर वापस चले गये)

श्री मुलायम सिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, आपको भी क्रोधित नहीं होना चाहिए । मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब माननीय सदस्यों की भावना है कि मुख्यमंत्री जी ही कुछ कह दें तो इसमें मुख्यमंत्री जी का कौन सा अपमान हो रहा है । जब सारे लोगों की यही भावना है तो क्या वह इसका आदर नहीं करेंगे ? अपनी जिद में रहेंगे ? तो मजबूरी में माननीय सदस्य यही करेंगे ।

(पुनः ग्राम्य विकास मंत्री को पुकारे जाने पर विरोध पक्ष के कई सदस्य अपनी सीट पर फिर खड़े हो गये तथा श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी एवं चौधरी महाराज सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये)

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, माननीय नेता विरोधी दल आप मजबूर कर रहे हैं मुझे उसके लिये जो मैं नहीं करना चाहता हूं ।

*श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, अभी जो प्रश्न यहां उपस्थित किया गया था . . . (व्यवधान) । उसका उत्तर भी दिया जा चुका है लेकिन बीच में व्यवधान हुआ । मैं नहीं समझ पाया कि कोई भी मंत्री जब उत्तर देता है तो वह सरकार का उत्तर होता है, चाहे वह उत्तर मंत्री दे या मुख्य मंत्री दे । उत्तर आ गया । माननीय ग्राम्य विकास मंत्री ने उसका उत्तर दे दिया । उसके बाद आप उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं । उत्तर पूछना आपका कार्य है, आपका कर्तव्य है । आप सवाल करें, प्रश्न करें लेकिन सरकार उसका क्या उत्तर देती है, वह सरकार का काम है । सरकार जो उत्तर देती है, वह सरकार देगी । सरकार को बाध्य करके उत्तर नहीं लिया जा सकता है ।

(मेजों की थपथपाहट)

सवाल यह है कि जो यह कहा गया कि जो सुविधायें संसद सदस्यों को दी गई हैं वही सुविधायें विधायकों को दी जायेगी या नहीं, यही सवाल का सारांश है, यही मेन बात है । विधायकों को क्या सुविधा दी जाय, यह विचाराधीन है । इस पर हम विचार कर रहे हैं । अपने क्षेत्र में जाने के लिये उन्हें दिक्कतें होती हैं, जिससे जनता के बीच में जाकर जो हमारे विकास के कार्य हो रहे हैं उनको वे देख सकें और उनका मूल्यांकन करें । मैंने पहले भी कहा था जब बजट रखने के बाद मैंने उत्तर दिया था, उस समय मैंने कहा था कि हम जन-प्रतिनिधियों का प्रदेश में चल रहे विकास के कार्यों में इन्वाल्वमेंट करना चाहते हैं । वह विधायक हो सकता है, संसद सदस्य हो सकता है, ब्लाक प्रमुख हो सकता है, ग्राम प्रधान हो सकता है । हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जो जन-प्रतिनिधि हैं, चाहे वह प्रधान हों, चाहे ब्लाक प्रमुख हों,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहे विधायक हों या चाहे संसद सदस्य हों, सबका हमें सम्मान करना है और जितने भी हमारे जनता के विकास के लिये, गरीबों को उठाने के लिये कार्य हो रहे हैं, इसमें उनका जितना भी सहयोग ले सकें, यह हमारे लिये एक बहुत बड़ा कार्य होगा । अगर उनसे कार्य लेना है तो थोड़ी बहुत सुविधा उनको देनी होगी ताकि वे वहां जा सकें । तो मान्यवर, विधायकों के बारे में विचार हो रहा है । यहां पर इसके लिये एक कमेटी भी बनी हुई है । वह बैठती है । आपके साथ भी बैठ चुकी है । यह तमाम बातें उसके सामने रखी गई हैं । उन पर विचार हो रहा है । जो माननीय सदस्यों की भावना है उसकी कद्र की जायेगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, सरकार को प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर तो हम नहीं कर सकते लेकिन सरकार भूल करती जायेगी तो विपक्ष के लोग जितने बैठे हैं, उसको सुधारने के लिए जनहित में हर स्थिति पैदा करने का यहां पर हमारा अधिकार है । दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी इसी सदन में हम लोगों से वायदा किया था कि हम फिजूलखर्ची रोकेंगे और चूंकि हमारे संसाधन कम हैं, जिसकी वजह से सातवीं पंचवर्षीय योजना में कटौती हुई है, उसके लिये और संसाधन जुटायेंगे । तो यह वायदा उन्होंने हमसे किया था कि हम फिजूलखर्ची रोकेंगे । अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और आप अपने वायदे से मुकर गये । जहां तक माननीय सदस्यों के सवालों का प्रश्न है, सरकार को सही रास्ते पर लाने के लिये जो अनुपूरक सवाल पूछे जाते हैं उसके आधार पर हम लोगों का पूरे का पूरा निर्णय है कि एक भी विधायक कोई सुविधा नहीं चाहेगा जब तक उत्तर प्रदेश की आम जनता की आमदनी नहीं बढ़ जायेगी जब कि अन्य सूबों की अपेक्षा यहां पर वह गिरती चली जा रही है । इस स्थिति में हम लोग अपनी आमदनी बढ़ाये, इसे हम स्वीकार नहीं करते हैं । हमारा एक ही प्रश्न है, एक ही मांग है कि संसद सदस्यों को खुश रखने के लिये, अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिये चापलूसी करने के लिये, उनको सुविधा देने के लिये जो सुविधायें उनको दी गयी हैं उन्हें तुरन्त वापस किया जाय । माननीय मुख्य मंत्री जी से उम्मीद थी कि वह प्रदेश की जनता के हित में फिजूल खर्ची रोकने के लिए सांसदों को जो भी सुविधायें दी गयी हैं कार, जीप आदि की उसको उन्होंने वापस नहीं किया है । इसलिए इसके विरोध में हम सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, जैसा माननीय नेता विरोधी-दल ने कहा कि सरकार एक तरफ फिजूल खर्ची बढ़ाती जा रही है और कोई सुविधा आम लोगों तक नहीं पहुंच रही है । प्रदेश के बजट में 88 करोड़ रुपये का घाटा है । एक तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि फिजूलखर्ची को रोकेंगे लेकिन वह उसे रोकना नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ एम0 पी0 को सुविधा

दे रहे हैं । मैं मांग करूंगा कि विधान परिषद् को भी भंग कर दिया जाय उससे भी फिजूल खर्ची होती है । हम कोई सुविधा नहीं चाहते हैं । जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा उसके विरोध में मैं भी सदन का परित्याग करता हूं ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक तर्क दिया कि 20 सूत्री कार्यक्रम के सिलसिले में उसके कार्यान्वयन के लिए सुविधा संसद सदस्यों को दे रहे हैं । मैं मांग करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिलों से रिपोर्ट मंगा लें कि कितने माननीय सांसदों ने 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में भाग लिया है । मैं कहना चाहता हूं कि उनकी हाजिरी न्यून है । एम0 एल0 ए0 तो 20 सूत्री कार्यक्रमों की मीटिंग में जाते भी हैं (व्यवधान) आप इस बात का पता लगा लें ।

(तत्पश्चात् श्री मैनेजर सिंह भी सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान सुनकर हमें निराशा हुई है । हम आशा करते थे और पहले भी कहा है कि जो सुविधायें सांसदों को दी गयी है उसे विचार करने तक स्थगित कर दें । मैं उनके इस भाषण के विरोध में अपने दल के साथ वहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मित्रसेन—

एम0 पीज0 को सुविधायें बढ़ाते जा रहे हैं और हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर कर रहे हैं । हम इसके विरोध में सदन त्याग करते हैं ।

(श्री मित्र सेन भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(संसदीय कार्य राज्य मंत्री के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर—

हम भी इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन त्याग करते हैं ।

(श्री कौशिक रमाशंकर भी सदन त्याग कर चले गये)

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, हम भी सदन का त्याग करते हैं ।

श्री राम नरेश यादव—

हम भी सदन का त्याग करते हैं ।

श्री फजलुल बारी—

इसके विरोध में हम भी सदन त्याग करते हैं ।

(इसके बाद श्री देव कुमार यादव, श्री राम नरेश यादव तथा श्री फजलुल बारी भी सदन त्याग कर चले गये ।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें प्रश्नकर्ता हैं श्री अशोक बाजपेयी, श्री सत्यपाल सिंह, श्री देव कुमार यादव, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री अमीर आलम खां जिसमें लोकदल और जनता पार्टी आदि के माननीय सदस्य हैं। इन सबने प्रश्न किया है कि क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि संसद सदस्यों को अपने जनपदों में 10 दिन प्रतिमाह जीप सुविधा शासन द्वारा उपलब्ध की जाने के समान प्रदेश में विधायकों को भी इस प्रकार की जीप सुविधा शासन उपलब्ध करायेगा ? यदि हां, तो कब तक और कितने दिनों के लिए ? यदि नहीं, तो इस सौतेली नीति का आधार क्या है ?

तो मान्यवर, यह खुद सुविधा चाहते हैं। सारे प्रतिपक्ष के सम्मानित विधायक खुद सुविधा चाहते हैं और यहां पर घड़ियाली आंसू बहाकर सदन का बीहष्कार कर रहे हैं। अगर सुविधा नहीं चाहते थे तो यह प्रश्न करने की क्या आवश्यकता थी ? सुविधायें भी चाहते हैं उसके बिना रह नहीं सकते हैं और वाक आऊट भी करते हैं। आप मान्यवर, इनको निर्देशित करें कि सवाल करने से पहले अपनी पार्टी में विचार कर लिया करें।

साधन सहकारी समिति लम्हुआ, सुल्तानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 की जो 27 सूचनायें आयी थीं उनमें से मैंने 7 सूचनायें श्री शिव नारायण मिश्र, श्री रिजवानुलहक, श्री मित्र सेन, श्री विजय सिंह राणा, श्री हीरश्चंद्र हरीश जी, श्री हर्षवर्धन तथा कुंवर रेवती रमण सिंह जी की सूचनाओं को स्वीकार किया है।

श्री शिव नारायण मिश्र—

मान्यवर, जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड, लम्हुआ में पंजीकृत साधन सहकारी समिति सूर्य भान पट्टी है जिसके माध्यम से 10 ग्राम सभाओं के किसानों को खाद, बीज अन्य उपभोक्ता की वस्तुयें प्रदान की जाती हैं। राम लखन सिंह समिति के सचिव थे। काश्तकारों के नाम फर्जी खाद, लोन लगभग 80 हजार का वितरण दिखा कर भारी मात्रा में धन का अपहरण करके अभिलेखों को लेकर फरार हो गया है। अक्तूबर, 1983 से आज तक किसानों को खाद, बीज तथा अन्य उपभोक्ता को वस्तुएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। जनता ने विभागीय अधिकारियों को अनेकों पत्र दिये परन्तु कार्यवाही नहीं हुई। इससे क्षेत्र में भीषण संकट पैदा हो गया है। विभागीय अधिकारी सचिव से मिले हैं। कमियों को छिपाने के लिए उसको पुनः उसी समिति में नियुक्त कर दिया गया। इससे आम सदस्यों में भीषण असंतोष व्याप्त है, कभी भी शांति भंग हो सकती है। आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी से मांग करता हूं कि दोषी सचिव और ए0 आर0 के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही करके प्रशासनिक जांच करवाने का कष्ट करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेशनल जूनियर हाई स्कूल ग्राम पीपलसाना, मुरादाबाद को सरकार द्वारा अधिग्रहण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

मान्यवर, मेरे ग्राम पीपलसाना जनपद मुरादाबाद में एक नेशनल जूनियर हाई स्कूल वर्ष 1963-64 से अस्थायी मान्यता पर चल रहा है। इस स्कूल का मैं स्वयं प्रबंधक हूं। स्कूल की जमीन की मालियत 75 हजार रुपये तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा प्रमाणित है तथा भवन की कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपया है एवं स्कूल की भूमि पर 300 वृक्ष यूकलेपटिस के हैं जिनकी कीमत 30 हजार रुपये के लगभग है। उक्त स्कूल में वर्ष 1963-64 से ही दो ट्रेंड अध्यापक कार्यरत हैं व 3 अन्य ट्रेन्ड अध्यापक, एक लिपिक व एक चपरासी कुछ वर्षों से कार्यरत हैं। मैनेजिंग कमेटी एवं जनता की मांग है कि उक्त स्कूल को उत्तर प्रदेश सरकार मय स्कूल की सम्पत्ति, समस्त कर्मचारियों व छात्रों सहित अपने नियंत्रण में लेकर हायर सेकेन्डरी स्तर तक चलायें।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

थाना कुमारगंज फैजाबाद की पुलिस द्वारा कुमारगंज-खंडासा मार्ग के निर्माण में अवरोध उत्पन्न करने तथा क्षेत्रीय जनता पर अत्याचार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्र सेन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ग्राम उमरहर विकास खंड अमानीगंज, थाना कुमारगंज, फैजाबाद के ग्रामीणों और मजदूरों पर होने वाले बर्बर पुलिस अत्याचार की एक लोक महत्व की घटना सदन के संज्ञान में लाने की अनुमति चाहता हूं। दिनांक 25-2-86 को कुमारगंज-खंडासा सार्वजनिक मार्ग से गांव उमरहर के निर्माणाधीन सम्पर्क मार्ग जो ग्राम विकास अधिकरण द्वारा स्वीकृत है और लगभग डेढ़ लाख रुपये विकास खंड अमानीगंज द्वारा खर्च किये जा चुके हैं पर काम करने वाले मजदूरों को कृषि विश्व विद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के फार्म कर्मचारियों ने बुरी तरह मारा पीटा है। राम औतार और महादेव मजदूर को मार पीट कर पकड़ ले गये हैं। इन्हीं के इशारे पर थाना कुमारगंज पुलिस ने अपने दल बल के साथ ग्रामीण जनता को भी घरों में घुस कर मारा पीटा जिससे कई लोगों को चोटें आई हैं और 70 वर्षीय राम आधार पंडित को गहरी चोटें आयी हैं। पुलिस 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चालान भी कर दिया है। निर्माणाधीन मार्ग का लगभग कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन पुलिस और फार्म कर्मचारियों की अत्याचार से ग्रामीण जनता और मजदूरों में गहरा असंतोष एवं आक्रोश है। तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन संपर्क मार्ग का कार्य ठप्प हो गया है। ग्रामीण

जनता के विकास हित में इस पुस्तैनी निर्माण कार्य के रूक जाने से ग्रामीण जनता का विकास और आवागमन सदा के लिए अवरुद्ध हो जायेगा ।

इस कार्य के जिला मुख्य विकास अधिकारी एवं प्रयोजना निदेशक तथा खंड विकास अधिकारी ने दिनांक 28 फरवरी, 1986 को निरीक्षण कर प्रगति रिपोर्ट भी जिलाधिकारी फैजाबाद को प्रेषित की है । लेकिन फार्म कर्मचारी एवं पुलिस अत्याचार से विकास कार्य में भारी व्यवधान पैदा कर दिया गया है ।

अतएव मैं शासन से मांग करता हूं कि विकास योजनाओं के निर्माणाधीन कार्यों को जनहित में अविलम्ब पूरा कराया जाय और संपर्क मार्ग के निर्माण में व्यवधान उत्पन्न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये ।

पशु चिकित्सालय ग्राम बमरौली कटारा, आगरा के भवन की मरम्मत शीघ्र कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, आगरा जनपद में ग्राम बमरौली कटारा का पशु चिकित्सालय पूर्णतः ध्वस्त पड़ा है । उसकी छत नीचे गिर गयी और दीवालें टूट कर गिर चुकी हैं । डाक्टरों के बैठने और अपने आवश्यक उपकरणों तथा दवाओं आदि को रखने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है । फलतः वर्ष भर यहां पशु चिकित्सालय बंद पड़ा है । संपूर्ण क्षेत्र की जनता बहुत दुःखी है । उन्हें अपने जानवरों को लेकर आगरा आना पड़ता है । अतः जिन लोगों के पास साधन हैं अथवा पर्याप्त पैसा है वह अपने पशुओं को आगरा ले जाते हैं अथवा गरीब जनता के पशु बिना इलाज के ही मर जाते हैं । इससे संपूर्ण क्षेत्र की जनता बहुत ही दुःखी है और संतप्त है । इसका धन भी आवंटित है किन्तु फिर भी भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है । इससे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि धन आवंटित होने पर भी भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है । गरीब जनता बेहद दुखी है । आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से तुरन्त पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं ।

डुमरियागंज, बस्ती में हुये गोलीकाण्ड में मृतक श्री राम वृक्ष पाण्डेय के शव की दुर्दशा होने तथा उनकी विधवा को सरकारी सुविधा दिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चंद्र (हरीश जी)—

मान्यवर, 23 फरवरी को डुमरियागंज गोलीकाण्ड में मृत श्री रामवृक्ष पाण्डेय के घरवालों के इस सूचना पर कि पुलिस, लाश को लावारिस करार देकर फेंक देना चाहती है । 24 फरवरी को मैं पुलिस लाइन स्थित चीरघर पहुंचा परन्तु पुलिस ने मुझे भी चीरघर तक जाने नहीं दिया, पुलिस लाइन के इंचार्ज के इस आश्वासन पर कि आप मृतक के घर वालों को प्रमाणित कर दें पोस्टमार्टम के बाद लाश उन्हें दे दी जायेगी । मैंने लिखित रूप से मृतक के भाई और चाचा को प्रमाणित कर दिया । एक घंटे बाद मेरे पास बस्ती के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सिटी मजिस्ट्रेट श्री गोस्वामी आये । उनके इस आश्वासन पर कि मृतक के घरवालों को गाड़ी दी जा रही है वे लोग मृतक के घरवालों को बस्ती लायें और यहीं दाह संस्कार करें । घर वाले विवश होकर मान गये । परन्तु जब वे मृतक की पत्नी और घर के शेष लोगों को लेने गये तो पुलिस ने मृतक के शव को चीरघर में टुकड़े-टुकड़े करके बोरे में भर कर पत्थरों से बांध कर कुआना नदी में फेंक दिया । इस प्रकार बस्ती की पुलिस व प्रशासन ने इस सदन के एक सदस्य के साथ विश्वास-घात किया है तथा एक शव की दुर्दशा की है, जिसके कारण बस्ती पुलिस के प्रति जनमानस में घोर घृणा व अविश्वास उत्पन्न हो गया है ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि इस जघन्य अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाय तथा मृतक के शव को कुआना नदी से निकाल कर उनके आत्मीयजनों को सौंपा जाय तथा मृतक की बीस वर्षीया विधवा को क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपया दिया जाय ।

अवध शुगर मिल लि0, हरगांव, सीतापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार से कर्मचारियों में असंतोष होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, जनपद सीतापुर में दि अवध शुगर मिल लिमिटेड, हरगांव (सीतापुर) की व्यवस्था, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बुरी दशा और मिल के रवैये की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

इस मिल में बेगार कीर्मियों से मिल से सम्बन्धित समस्त कार्य लिया जाता है जिनकी संख्या 120 होगी, उन्हें मात्र 6 से 8 रुपया प्रतिदिन अनियमित रूप से दिया जाता रहा है । मिल के श्रमिकों के लिये पानी, ठहरने व चिकित्सा आदि की कोई व्यवस्था नहीं है । मिल में प्रभू (हरिजन) का 1981 में ड्यूटी पर एक पैर कट गया था जिसे 100 रुपया गुजारा के रूप में प्रतिमाह दिया जा रहा है । राखी उठाने व ढोने वालों को 180 तथा ट्रालीमैन को 180 रुपया दिया जा रहा है जो न्यूनतम है । इस मिल में वेल्फेयर आफीसर तथा लेबर आफीसर नहीं हैं । मिल की शीरा टंकियां पुरानी हैं किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है । 2 वर्ष पूर्व इस मिल में टंकी फटने से एक श्रमिक की मृत्यु हो गई थी । मिल अधिकारियों द्वारा मिल के लगभग 2500 श्रमिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर करोड़ों रुपये की चोरी की जा रही है जिससे मिल के श्रमिकों में काफी रोष एवं असन्तोष व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के सुनिश्चित प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर चर्चा की मांग करता हूं ।

थाना पुरन्दरपुर, गोरखपुर के निकट भारत-नेपाल सीमा पर हुई गोलाबारी की घटना से आतंक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हर्षवर्धन—

मान्यवर, फरवरी 1986 के प्रथम पखवारे में गोरखपुर जनपद के पुरन्दरपुर थाना स्थित ग्राम एकडंगवा के निवासियों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ने एक नेपाली युवक को डकैत होने के सन्देह पर मार डाला ।

इस घटना के प्रतिरोधस्वरूप नेपाली पुलिस के संरक्षण में एकडेगवा ग्राम से सटे नेपाली गांवों में भारतीय मूल के निवासियों की सैंकड़ों एकड़ फसल नेपालियों द्वारा काट डाली गयी और घर ध्वस्त कर दिये गये । नेपाल की पुलिस एवं सैंकड़ों की संख्या में नेपालियों ने ग्राम एकडंगवा को लूटने एवं ग्रामवासियों को जान से मारने की नीयत से डंडा नदी पार कर भारतीय सीमा में आने की कोशिश की जिसके चलते 15 से 17 फरवरी, 1986 के बीच में उत्तर प्रदेश पुलिस तथा नेपाली पुलिस के मध्य कई बार गोली चली ।

आज भी सीमावर्ती गांवों में इस घटना के चलते व्यापक असुरक्षा की भावना घर कर गयी है । सीमावर्ती गांवों में से हजारों की संख्या में ग्रामवासी गांव छोड़कर दूसरे गांव में रह रहे हैं । सारे क्षेत्र में व्यापक भय, असन्तोष एवं तनाव की स्थिति व्याप्त है ।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं ।

(समय 2 बज कर 10 मिनट)

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । एक माननीय राम आसरे वर्मा जी की है, जो नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या 3 में उनका नाम जोड़ दिया गया है, उसके बारे में है । दूसरी सूचना माननीय मनोहर लाल जी की है । उनका कहना है कि माननीय आबकारी मंत्री जी जब बोल रहे थे तो कुछ मुनासिब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया । तीसरी सूचना माननीय जगवीर सिंह, माननीय सुरेश प्रताप सिंह गांधी, माननीय हरेन्द्र सिंह, माननीय भोपाल सिंह और माननीय रिछपाल सिंह बंसल की है । चौथी सूचना माननीय किरनपाल सिंह, माननीय मनोहर लाल की शिक्षा मंत्री के बारे में है । पांचवी सूचना माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी की है ।

माननीय राम आसरे वर्मा जी नहीं हैं, मगर वह नाम सवाल से अलग करना चाहते हैं तो उनका नाम नहीं लिखा जायगा ।

आबकारी विभाग से संबंधित अनुदानों पर चर्चा के दौरान प्राविधिक शिक्षा राज्यमंत्री द्वारा धार्मिक पूजा स्थलों के संबंध में टिप्पणी किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

माननीय मनोहर लाल जी जिस वक्त माननीय मंत्री जी बोल रहे थे उसी वक्त आपको उठाना चाहिये था अगर कोई ऐसी बात उन्होंने कही थी आप लिख कर भिजवा दीजियेगा, मैं देख लूंगा ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्रियों की आम बात हो गयी है । मंत्री लोग इस तरह की अनर्गल बातें कह दिया

करते हैं। अभी शिक्षा मंत्री जी ने "रामायण" के बारे में कहा है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक भावना भड़क रही है। माननीय राज्य मंत्री शिक्षा की बात मैं नहीं कर रहा हूं। माननीय आबकारी राज्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है, सदन के संज्ञान में उन्होंने कह दिया कि जो मंदिर और मस्जिद हैं यह सांप्रदायिक भावना को भड़काते हैं और मधुशालायें, शराब खाने जितने भी हैं वह सांप्रदायिक भावना को जोड़ते हैं। भगवान राम को भोगी और महात्मागांधी को ढोंगी कहने वाले लोग यहां मौजूद हैं। मान्यवर, मैं इनके इस्तीफे की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात हो गयी, आप अब बैठें।

आबकारी राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, कानपुर से, जो बहुत पुराने सदस्य हैं, बड़े विद्वान हैं और मंत्री रहने का उनको अनुभव प्राप्त है, तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। मेरी सरकार का और मेरा मद्य निषेध में पूर्ण विश्वास है। मद्य निषेध हमारे 12 सूत्रीय कार्यक्रम में है।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, कार्यवाही में है आप देख लें। मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मनोहर लाल जी, आप बैठिये।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मेरा सार्वजनिक जीवन देख लें, मेरे बाप, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे दादा, सब सनातनधर्मी और आर्य समाजी रहे हैं। मेरे घर में अगर एक बूंद शराब मिले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। न मेरा ऐसा कहने का इरादा है और न मैंने ऐसा कहा है और न भविष्य में कहूंगा।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, आप कार्यवाही देख लें। यह कहा गया है।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई तरीका नहीं है, मेहरबानी करके बैठ जायं। मैं कार्यवाही देख लूंगा और अगर ऐसी बात है तो फैसला कर दूंगा।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, शेर मैंने नहीं कहा था।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें, आपका स्पष्टीकरण आ गया है कि मैंने कुछ नहीं कहा है। सूचना नं0 3, 4 और 5 को मैंने अस्वीकार किया है।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है।

श्री राम सरन—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जाने अनजाने में हाउस में कोई गलत बात निकल जाती है। वह बात कार्यवाही में है। अगर माफी मांग लें तो कोई हर्ज नहीं है। गलती की माफी मांगी जा सकती है। इसमें आपका अपमान नहीं होगा।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने देख लिया है, वह नियम के अन्तर्गत नहीं आता है। औचित्य के प्रश्नों की सभी सूचनाएं अस्वीकृत की गयीं।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1985-86) का प्रथम प्रतिवेदन

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1985-86) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(इस समय 2 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल पीठासीन हुए)

(शोर होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मैं नहीं सुनूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय हरेन्द्र सिंह बोल रहे थे उन्होंने बताया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन में यह आश्वासन दे दिया था कि मैं इसे प्राथमिकता पर ले लूंगा, मैं यहां पर था नहीं और माननीय अध्यक्ष जी चले गये हैं, इसलिए इस बारे में तो कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन आप कल पहले इसे ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया था, तो वह अगर नियमों के अन्तर्गत आयेगा, उसे देख लिया जायेगा और ग्राह्यता पर बोलने के लिए स्वीकार कर लिया जायेगा। (शोर) ठीक है, अब बात हो गयी नेता विरोधी दल ने अपनी बात कह दी अब आप लोग विराजें।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1985-86) का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री कौशिक रमाशंकर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1985-86) का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1985-86) का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री कौशिक रमाशंकर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा लोक लेखा समिति (1985-86) का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक के ग्राम सभा मिझौंड़ा में राजकीय एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका††

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में स्थित गांव सभा मिझौंड़ा में राजकीय एलोपैथिक

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

डिस्पेन्सरी खोलने विषयक श्री त्रियुगी नारायण तिवारी तथा श्री चिन्तामणि पाण्डेय, निवासीगण जनपद फैजाबाद, द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद बलिया के ग्राम सभा रतसड़ को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से जनपद बलिया के ग्राम सभा रतसड़ को टाउन एरिया बनाने विषयक श्री गिरिजा प्रसाद तथा श्री श्याम नारायण सिंह निवासीगण जनपद, बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फतेहपुर भेड़ाव में राजकीय पैरियाडीह के बीच हाहा नाले पर पुल बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में याचिका†

श्री विष्णु देव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फतेहपुर भेड़ाव में ग्राम लखनौर व बैरियाडीह के बीच हाहा नाले पर पुल बनवाने विषयक श्री उदयभान गुप्त, निवासी आजमगढ़ तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

†छापी नहीं गयी ।

जनपद जौनपुर तहसील शाहगंज, परगना अंगुली, ग्राम खेतासराय को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री दीप चन्द्र सोनकर—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर तहसील शाहगंज परगना अंगुली ग्राम खेतासराय को टाउन एरिया घोषित किये जाने विषयक श्री किशोरी लाल गुप्त तथा अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर, द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या 11, 12 व 13 में तो कुछ है नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हैं ।

स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर सुनवायी न होने पर इस सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

यह विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में मैं आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं । एक विशेषाधिकार का प्रश्न मैंने पिछले सत्र में माननीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री लोकपति त्रिपाठी के विरुद्ध दिया था आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई । इस बारे में मैं माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष व सचिव विधान सभा को भी लिख कर दे चुका हूं । इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि विशेषाधिकार जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर भी इधर एक परम्परा सी बन गयी है कि इन प्रश्नों की

†छापी नहीं गयी ।

सुनवाई होती ही नहीं है, जबकि मान्यवर, यह बहुत ही विशेष परिस्थिति में उठाया जाता है, और बगैर माननीय सदस्यों को सुने ही विशेषाधिकार की नोटिसें खारिज कर दी जाती हैं। इस पर मान्यवर, पहले भी कई मर्तबा बात हो चुकी है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे मामलों की सुनवाई होनी चाहिए ताकि हमारे अन्दर ऐसे गम्भीर विषयों पर जो आज आपस में समझदारी बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता मुझे तो कम से कम अवश्य प्रतीत होती है, पूरी होगी। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, पहले भी इस सदन में सिद्धांत रहे हैं ? जिसको आप स्वीकार कर लेते हैं, वह सुना जाता है। यह परम्परा धीरे-धीरे खत्म हो जायेगी। इससे मान्यवर, सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस पर अपना निर्णय दें। मान्यवर, इस परम्परा को खत्म करने का कौन सा औचित्य है ?

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अधिष्ठाता जी, जो प्रश्न माननीय तिवारी जी और माननीय रेवती रमण सिंह जी ने उठाया, मान्यवर, जहां तक परम्पराओं का सम्बन्ध है, जो कुछ हमको जानकारी है, उसके आधार पर मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि हर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर चर्चा यहां पर नहीं हुई। लेकिन हां, जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आये हैं, निर्णय से पहले और स्पष्टीकरण आने से पहले किन्हीं-किन्हीं विशेषाधिकार के प्रश्नों पर बोलने का अवसर दिया जाता रहा है। माननीय सदस्यों या माननीय सदन की अवमानना का प्रश्न जहां पर आया है, उसमें बोलने का अवसर दिया जाता रहा है और उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय तिवारी जी ने जो विषय उठाया था, मैंने भी इस विषय पर माननीय अध्यक्ष से निवेदन किया था कि जो विशेषाधिकार की सूचनाएं दी जाती हैं, उनके निस्तारण के लिए भी कोई अवधि तो होनी चाहिए। माननीय तिवारी जी ने पिछले सत्र की बात उठाई, मान्यवर, पिछले सत्र में मैंने भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिया था। मान्यवर, जो विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाएं दी जाती हैं, उसका निस्तारण निर्धारित कितनी अवधि में होगा। उसके ऊपर स्पष्टीकरण जिस किसी भी सदस्य से मांगा जाय या उधर से हमारे खिलाफ होगा, तो उसके लिए स्पष्टीकरण की अवधि भी तय कर लेनी चाहिए। मान्यवर, इन दो विषयों के ऊपर मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा।

श्री खरपत राम—

मान्यवर, माननीय राज्य शिक्षा मंत्री के ऊपर .....

श्री अधिष्ठाता—

आप बिराजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री खरपत राम—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

जिन माननीय सदस्यों ने आपसे पहले प्रश्न उठाया है, मुझे पहले उस पर अपनी व्यवस्था देने दीजिए । आप बैठिये ।

श्री खरपत राम—

[xxx] ।

श्री अधिष्ठाता—

अब बैठिये ।

श्री खरपत राम—

[xxx] ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिये । मैंने आपको आज्ञा नहीं दिया है ।

श्री खरपत राम—

[xxx] ।

श्री अधिष्ठाता—

यह जो माननीय सदस्य बिना मेरी अनुमति के बोले हैं, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने और माननीय नेता जनता पार्टी कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है व्यवस्था का उसमें आप देखें स्पष्ट है कि यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने के पूर्व संबंधित सदस्य अथवा अन्य सदस्यों को सुन सकेंगे । यह प्राविधान है और जहां तक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने कहा कि इसका समय निर्धारित होना चाहिए, उसमें देख लेंगे, अध्यक्ष जी से बैठकर बात कर लेंगे कि जो लम्बित विषय हैं उस पर विचार कर लिया जाय ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

जहां तक मेरी जानकारी है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं इसलिए आप कृपा करके निर्देशित करें ताकि आपके आसन की गरिमा रहे ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है और जो दूसरा विषय है, मैं चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी से आप इस विषय में बात कर लें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

आप कोई समय निश्चित कर दीजिए, कोई अवधि निश्चित कर दीजिए कि इतने समय के अन्दर इस पर निर्णय ले लिया जाय ।

श्री हुकुम सिंह—

यह अध्यक्ष पीठ के सोचने की बात है । इनके अधिकार क्षेत्र की बात है, इनके विवेक की बात है ।

नोट—[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

नियम 56 के अन्तर्गत आज कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें—

1—श्री गौरी शंकर भइया—हथकरघा निगम द्वारा जनता धोती का वजन कम करके जनता का शोषण ।

2—श्री राम सरन दास, श्री पारस नाथ यादव, श्री दीपचन्द्र सोनकर, श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री फागू चौहान—जौनपुर में सम्भ्रान्त नागरिकों की पुलिस द्वारा पिटाई ।

3—श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—राज्य विद्युत परिषद् में करोड़ों रुपये की हेराफेरी ।

4—श्री मनोहर लाल—प्रधान लिपिक श्री ताहिर हुसैन, कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों से संबंधित हैं ।

5—श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह—झांसी में ककरवई पुलिस द्वारा ग्रामवासियों का उत्पीड़न ।

6—श्री अशोक बाजपेई—उ0 प्र0 सरकार द्वारा वित्तीय नियमों की अवहेलना ।

7—श्री हृदय नारायण दीक्षित—उन्नाव में बाढ़ एवं सूखे से तबाही ।

8—श्री फजलुल बारी—अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारियों द्वारा आयोजित प्रदर्शन पर रोक लगाना ।

9—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—लोकदल के उपाध्यक्ष की जनसभा में व्यवधान ।

10—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह एवं श्री मित्रसेन—ब्लाक प्रमुख, हसनगंज उन्नाव पर पुलिस द्वारा अत्याचार ।

इस सूचना पर किसी माननीय सदस्य के हस्ताक्षर नहीं हैं ।

11—श्री बृहमदत्त द्विवेदी—लखनऊ में बच्चे चुराने वाले गिरोह से उत्पन्न स्थिति ।

12—श्री शारदानन्द अंचल—बलिया में कैशियर की हत्या ।

13—श्री अवधेश प्रसाद—फैजाबाद में नहरों और माइनरों के कटान से फसल चौपट ।

14—श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री रणजीत—मथुरा में ईसाई मिशनरियों द्वारा हरिजनों का धर्म परिवर्तन ।

15—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—ललितपुर में श्री कुन्दन, निरन्जन के परिवार पर हमला ।

16—श्री हरेन्द्र सिंह, श्री रिछपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री किरनपाल सिंह, श्री कनक सिंह श्री भोपाल सिंह, श्री कमलेश कुमार पाठक तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क—18-9-85 को श्री अमीर आलम खां विधायक पर हमला ।

*श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, गरीब के लिए जनता राज्य में 36 रुपये जोड़ा की एक स्कीम चलाई गयी थी जिसके अंतर्गत आठ सौ नौ सौ ग्राम वजन की धोतियां गरीब जनता को सप्लाई की जानी थीं । हथकरघा निगम ने 4 लाख

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

धोतियां खरीदी हैं जिनका वजन 4 सौ से 500 ग्राम हैं। यह सारी धोतियां कलेण्डरिंग के लिए मऊआयमा, इलाहाबाद, बी0 वी0 शकर बस्ती तथा विमल कलेण्डरिंग खलीलाबाद के यहां भेजी गयी हैं। यह धोतियां कलेण्डरिंग करके तैयार हैं। 68 लाख रुपये की 4 लाख धोतियां खरीदी गयी हैं। एक तरफ जहां जनता को 8-9 सौ ग्राम की वजनी और मोटी धोतियां दी जाती थीं वहीं इसका वजन 4-5 सौ ग्राम कर दिया गया हैं। इससे गरीब जनता को मोटी और मजबूत धोतियां न मिलकर झीनी धोतियां दी जा रही हैं। दूसरी तरफ इसकी लागत भी कम नहीं की गयी हैं। 68 लाख की खरीद में 4-5 लाख रुपये का अवैध कारोबार किया गया हैं। इससे जनता धोतियों के प्रति और निगम के प्रति जनता का विश्वास उठ गया हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह 4 लाख धोतियां कम से कम दो लाख परिवारों में वितरित की जायेंगी। अतः इस अविलम्बनीय विषय पर चर्चा करा दें।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

जिस शिकायत का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया हैं। शासन के पास यह शिकायत हैं, शासन वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी जांच करा रहा हैं। मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि यह शिकायत आज से 6 महीने पहले और 6 महीने बाद भी दी जा सकती हैं। कार्यस्थगन के माध्यम से यह नियम 56 में नहीं आता हैं। आपकी सूचना से पहले शासन कार्यवाही कर रहा हैं। सरकार शीघ्र कार्यवाही करके दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी।

श्री अधिष्ठाता—

राम सरन जी आप सूक्ष्म में अपनी बात कह दें। यदि आपको जानकारी न हो तो दूसरे सदस्य को बोलवा दें।

श्री राम सरन—

मान्यवर, यह जौनपुर का मामला हैं इस पर जौनपुर के विधायक को सुन लें

श्री पारसनाथ यादव—

आज पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन का जो नंगा नाच हो रहा हैं, वह सबको विदित हैं। मैं सम्मानित सदन और सरकार का ध्यान जौनपुर जिले व कस्बा मछलीशहर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। 24-2-86 को मण्डलायुक्त वाराणसी आये थे तहसील का मुआयना करने के लिए। हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता और क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों ने जाकर उनसे थानाध्यक्ष व बारे में तथा तहसील के अधिकारियों की लापरवाही के बारे में कुछ शिकायत की थी। इससे रुष्ट होकर श्री आर0 डी0 शुक्ल, थानाध्यक्ष और परगनाधिकारी, श्री अमिताभ श्रीवास्तव यह साजिश बनाकर कि यह लोग बराबर हम लोगों की शिकायत करते हैं और 26-2-86 तारीख को जब भारत बन्द का आन्दोलन था, उस दिन एक ग्रुप बनाकर हमारे 5—7 कार्यकर्ताओं को जीप में लाद कर थाने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गये । डा0 वसीउल्ला, उमाशंकर यादव, लाल बहादुर मौर्य, बंशराज आदि 4-5 लोगों को पकड़ कर थाने के अन्दर ले आये । इस घटना को सुन कर वहां के सौ-डेढ़ सौ कार्यकर्ता थाने के पास आ गए तो उनको भी बैठा लिया गया और रात को आठ बजे उनको एक गाड़ी में लाद करके वहां से करीब 72 किलोमीटर दूर एक निर्जन स्थान पर छोड़ दिया गया । बाकी को रात को 11 बजे हवालात में बन्द किया गया, उनके कानों में करंट लगाया गया, उनके गुप्तांगों में पेट्रोल डाला गया । सदर अस्पताल में उनका मुआयना कराया गया है । यहां तक कि डा0 वसी का इनकाउन्टर करने तक के लिए कहा गया । उन्होंने (थानाध्यक्ष) अभद्र शब्दों का प्रयोग किया और यह कहा कि अहीर, कोरी, गड़रिये कहीं राजनीति करते हैं । यह उस थाने के आर0 डी0 शुक्ला के शब्द थे । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां इतनी अशांति फैली हुई है कि निश्चय ही कोई न कोई घटना हो जायेगी । मैं मांग करता हूं कि इस विषय में चर्चा करावें, यह मेरी गुजारिश है ।

श्री अर्जुन सिंह यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री वसीउल्ला के साथ जो घटना घटी, वह मैं कुछ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मछलीशहर जिला जौनपुर के कोतवाल ने कहा कि राजनीति करनी है तो पाकिस्तान जाओ । छोटी जातियों के लिए कहा कि साले नीच जाति के लोग राजनीति करने आये हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे इस धटना की न्यायिक जांच करा दें, और अगर घटना सही है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर मैंने झूठ कहा है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । मान्यवर, जितना अपमान हुआ है, जो घटना घटी है, जितनी तकलीफें हुई हैं, बिजली का शाक लगाया गया, वहां पर इनकी पार्टी के केशरी प्रसाद पाण्डेय विधायक हैं, वे बता दें कि दिनांक 26 फरवरी को लोग जो पकड़े गये थे इनमें कौन क्रिमिनल या हिस्ट्रीशीटर था । डा0 वसीउल्ला, उमाशंकर, लालबहादुर यादव, पंथारी यादव, एवं बंशराज आदि इनमें से कौन हिस्ट्रीशीटर था । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये लोग क्रिमिनल नहीं थे तब इस तरह से बर्बरतापूर्वक व्यवहार इनके साथ क्यों किया गया । माननीय मुख्य मंत्री जी से पचीसों बार कहा गया कि वहां के एस0 पी0 को हटाया जाय । परन्तु आज तक न तो उनके कृत्यों की जांच हुई और न तो हटाया ही गया । परगनाअधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं मछलीशहर के कोतवाल तथा एक सिपाही को तत्काल निलम्बित किया जाय ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, वहां का एस0 पी0 हरिजन है, जिसको हटाने की मांग ये कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने इसमें दो सदस्यों को बुलवा दिया । ग्राह्यता पर सुन लिया और चर्चा हो गयी । आपके क्षेत्र का मामला था तो पहले बोलना चाहिए था ।

(श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग विराजें ।

श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह—

मान्यवर, मैं भी जौनपुर जनपद से सम्बन्धित हूं । यह मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित मामला है । मुझे एक मिनट का मौका दें ।

मान्यवर, 24-2-1986 को वाराणसी मण्डल के कमिश्नर जौनपुर की मछलीशहर तहसील में आये थे । कार्यकर्ताओं ने उनसे शिकायत की कि एस0 डी0 एम0 मछलीशहर एक साल से तहसील में नहीं गये हैं, सी0 ओ0 कोतवाली वहां बराबर आतंक कायम किये हुए हैं । मान्यवर, 26-2-86 को जब भारत बंद आयोजित था, उस दिन मेरे एक कार्यकर्ता श्री लाल बहादुर मौर्य, जो एडवोकेट भी हैं, को पंधारी लाल जी अध्यापक के यहां से श्री शुक्ला पकड़ ले गये । उनको थाने में ले गये, पुलिस ने उनको वहां मारा तथा उनके साथ 4-5 कार्यकर्ता और भी थे, उनको भी पकड़कर थाने में बंद कर दिया ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया विराजें । इस पर चर्चा नहीं हो रही है । इस पर पूर्व में भी कई माननीय सदस्य कह चुके हैं ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैंने नियम 56 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी ।

श्री अधिष्ठाता—

आप सब लोग विराजें । इस तरह से एक साथ बोलने से कोई फायदा नहीं है ।

श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह—

मान्यवर, मेरे साथ यहां कांग्रेस के भी एक विधायक, जो यहां मौजूद हैं, स्थिति देखने गये थे । वे भी अपनी यहां बात रखें ताकि वस्तुस्थिति सामने आ सके ।

श्री अधिष्ठाता—

आप विराजें । मैंने आपकी बात सुन ली ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, यह जौनपुर का मामला अकेला मामला नहीं है । माननीय सदस्यों ने अपनी बात आपके सामने रखी कि डा0 वसी के वहां गुप्तांगों में पेट्रोल डाला गया और यही नहीं उनके मुंह में पेशाब भी कराया गया । मान्यवर, इसके पहले भोगनीपुर में भूतपूर्व विधायक श्री मौंजी लाल कुरील के गुप्तांगों में डंडों से चोट पहुंचायी गयी थी, उसमें मेडिकल रिपोर्ट थी । इस मामले में भी मेडिकल रिपोर्ट है । थानेदार जब यह कृत्य कर रहा था उस समय मौके पर एस0 डी0 एम0 और सी0 ओ0 भी बैठे थे । मान्यवर, जौनपुर में हालत यह हो गयी है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस के खिलाफ शिकायत करता है तो उसका जीना दुर्लभ हो जाता है । मान्यवर, फिर वही बात हो जाती है कि हम मर्यादित से अमर्यादित हो जाते हैं । मान्यवर, एक दर्जन बार मैं मुख्य मंत्री जी को कह चुका हूं कि जौनपुर के एस0 पी0 जानबूझकर जुल्म कर रहे हैं और उससे वह सहमत भी हैं । फिर भी कोई ध्यान नहीं । पहले मान्यवर, घटना घटी एस0

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पी0 की वजह से जौनपुर में, जो घटना घटी थी, जिसमें एक दो लोग मारे गये थे, उसके बाद भी एस0 पी0 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । मान्यवर, आप देखें अमानवीय व्यवहार किया गया—पेशाब पिलाया, गुप्तांगों में पेट्रोल डाला गया, बिजली के शाक लगाये गये किन पर राजनीतिक कार्यकर्ता पर और, उनसे यह कहना कि तुम मुसलमान हो पाकिस्तान जाओ—यह क्या बात है । जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनसे कहा गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी राजनीति करने की । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो आप उपेक्षा करते चले जा रहे हैं, अन्ततोगत्वा इसका असर आप पर ही पड़ेगा । मान्यवर, 6-7 विधायकों ने वहां के हालात के बारे में लिखकर के दिया था । मुख्य मंत्री जी को चाहिए था कि वे उन विधायकों को बुलाते और पूछते कि क्या परेशानी है मान्यवर, बुलाने से शासन को ही मदद मिलती । लेकिन नहीं । मान्यवर, जौनपुर में स्थिति गंभीर है, इसलिए मांग करता हूं कि इस पर 2 घंटे की चर्चा करायी जाय ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैंने आज जो विषय कार्य-स्थगन के रूप में दिया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, आपने जौनपुर वाले विषय पर क्या निर्णय लिया ?

श्री अधिष्ठाता—

इसके बाद मैं अपना निर्णय दे दूंगा ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, राज्य विद्युत परिषद् ने सामान की खरीद-फरोख्त में करोड़ों रुपये की घपलेबाजी की है । मेरे पास पूरे आफीसिएली टेन्डर रेट की कापियां हैं । विद्युत् परिषद् में खम्भों की खरीद हुई और इसमें 50 लाख रुपये की घपले बाजी हुई । टेंडर मांगे गये । उसमें जो न्यूनतम रेट था वह 326 रुपये का था और अधिकतम 336 रुपये का रेट था, लेकिन बीच में रेट तय हो गया 332 रुपये का । अधिकारियों ने मनमाने तरीके से 332 रुपये प्रति खम्भे के हिसाब से खरीद की और जो कम्पनियां काली सूची में थीं, उन्हीं कम्पनियों से इनकी आपूर्ति की गयी । विद्युत् विभाग ने 20 कम्पनियों से ट्रान्सफारमरों की खरीद की । उसमें भी करोड़ों रुपये का घपला हुआ । ये 20 कम्पनियां काली सूची में थीं । बम्बई की एक ट्रेडिंग कम्पनी को 12 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया । टेन्डर मांगे गये । चीफ जोनल परचेज कमेटी ने रेट तय किये लेकिन उसे ताक पर रख-कर विभागीय अधिकारियों ने मनमाने तरीके से खरीद की । जिसका रेट 576 रुपये तय किया गया, उसे 1550 रुपये में खरीदा गया, जिसका रेट 6,100 रुपये तय किया गया था, उसे 10,678 रुपये में खरीदा गया, जिसका रेट 5,800 रुपये तय किया गया था, उसे 10,015 रुपये में खरीदा गया, जिसका रेट 3,500 रुपये तय किया गया था, उसे 12,500 रुपये में खरीदा गया, जिसका रेट 436 रुपये तय किया गया था, उसे 1050 रुपये में खरीदा गया और जिसका रेट 385 रुपये तय किया गया था, उसे 950 रुपये में खरीदा गया । जनता की गाढ़ी कमाई का विद्युत् विभाग के लोग मनमाने तरीके

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

से दुरुपयोग कर रहे हैं और अपना धन बनाने के लिए मनमाने तरीके के सामान खरीद रहे हैं ।

मान्यवर, इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि भूतपूर्व विद्युत मंत्री श्री के0 पी0 तिवारी जी के अकेले विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 30 हजार पोल गिराये गये । उन्होंने टेन्डर को कौन्सल कर दिया और मनमाने तरीके से खरीदने के लिए अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला । जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्युत् विभाग पहले ही 800 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है और करोड़ों रुपये की घपलेबाजी करके ये अधिकारी इस विभाग को चूना लगा रहे हैं । माननीय नेता विरोधी दल ने आज सुबह भी कहा है कि 7 वीं योजना में पैसा कम दिया गया है । अधिकारी लोग अपने जेब में पैसा डाले जा रहे हैं । इसलिए मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह एक अविलम्बनीय विषय है, तात्कालिक विषय है और निश्चित विषय है, इस पर आप चर्चा करवायें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय चौधरी जी ने जो बात उठाई है, उसके कुछ विशेष बिन्दुओं पर मैं प्रकाश डालूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री चौधरी जी तो विस्तृत प्रकाश डाल ही चुके हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

इन्होंने बताया था, यह सही भी है इस प्रदेश में यह निर्णय लिया गया था, आज से नहीं कई साल पहले । जनता शासन में इस प्रदेश में कई छोटी फैक्टरियां खोली गयी थीं इसीलिये कि जब प्रदेश में पोल की आवश्यकता हो तो बाहर से न मंगवाया जाय, यहीं से खरीदा जाय, लेकिन यह गाजियाबाद के आगे दिल्ली से और फरीदाबाद से मंगवाया गया । माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, जी0 ओ0 भी हैं सरकार का कि जो माल प्रदेश में उपलब्ध हो, यहीं से खरीदा जाय, बाहर से न मंगवाया जाय । पोल यहां बनते हैं, ट्रांसफारमर बनते हैं । इस प्रदेश में चुनाव के दरम्यान लाखों रुपये का कमीशन लेकर महंगे दामों पर पोल खरीद लिये गये । कमीशन ले लिया गया, बाहर के फैक्ट्री वालों से बिजली लगाने के लिए । मैं चाहता हूं कि चूंकि यह एक अहम मसला है, पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है, इस पर आप चर्चा करा दें जिससे कि तथ्य सामने आ जायं और जो भी बात हो सदन में पूरी तरह से हो जाय ।

*ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

विभाग की तरफ से जो पक्ष है, उसे भी सुन लें ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी तैयार हैं, दो घण्टे की चर्चा करा दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, माननीय सदस्य को चूंकि पूरी जानकारी नहीं है इसीलिए बताना चाहता हूं, माननीय सदस्य ने कहा कि 332 रुपये में खरीदा गया, जबकि वास्तव में वह 305 रुपये में खरीदा गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस सम्बन्ध में स्थिति यह थी कि 305 रुपये और 310 रुपये वालों से कहा गया कि खम्भे दे दें, उनकी क्षमता भर खरीद लिया गया, लेकिन जो कहा था, उसका 30 प्रतिशत भी नहीं खरीद पाये क्योंकि वह दे नहीं पाये । हमको 5 लाख की आवश्यकता थी । दुबारा जब टेण्डर मांगे गये तो 342 रुपये, 350 रुपये और 360 रुपये के आये । फिर मेम्बर, डिस्ट्रीब्यूशन बैठे, मेम्बर फाइनेन्स बैठे, उस कमेटी में तय पाया गया कि 332 रुपये का रेट उचित है, खरीद लिया जाय । यह बात जो ज्यादा देने की बात कही है, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य इसे बड़ी जल्दी में ले आये हैं । उन्होंने कहा कि 22 लाख देना था 12 लाख ज्यादा दिया गया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस गणित के हिसाब से 12 लाख और 22 लाख, 35 लाख होते हैं । इससे यह पता चलता है कि यह इसको जल्दी में लाये हुए हैं या तो इनकी गणित कमजोर है या जल्दबाजी में लेकर चले आये हैं । खंभे 305 रुपये में खरीदे गये जब पूरा नहीं हो पाया क्योंकि 5 लाख की जरूरत थी तो फिर 332 रुपये में खरीदे गये हैं, अन्य टेण्डर 360 रुपये और 385 रुपये के आये थे । जहां तक इस बात का प्रश्न है कि काली सूची वालों से क्यों खरीद लिया गया, तो इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य अगर यह जानते हैं और उनको जानकारी है तो उन काली सूची के लोगों के नाम इसमें क्यों नहीं रख दिये ? नहीं रख सकते तो हम स्वयं देख लेंगे, काली सूची में जिनसे खरीद की गयी होगी, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । तो सचाई यह है कि जो भाव ये बतला रहे हैं, उससे कम भाव में हम खम्भे खरीद रहे हैं ।

(व्यवधान होने पर)

मान्यवर, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो तथ्य इस सम्बन्ध में सामने लाये गये हैं, वे तथ्य ऐसे नहीं हैं । इस माननीय सदन में जो तथ्य आये हैं वह अधूरे हैं और जानकारी के अभाव में लाये गये हैं ।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

इस सूचना पर दो माननीय सदस्य बोल लिये, अब हर माननीय सदस्य को मौका देना उचित नहीं है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मंत्री जी ने एक मूल प्रश्न उठा दिया है कि सूचना में सारे लोगों की सूची क्यों नहीं दी गयी कि जो लोग ब्लैक लिस्टेड हैं । तो मान्यवर सूचना तो शार्ट में ही दी जाती है, सारे डिटेल उसमें नहीं दिये जाते हैं । अब माननीय मंत्री जी स्वयं कबूल कर रहे हैं कि जितना निर्धारित रेट था उससे ज्यादा रेट में खम्भों की खरीद हुई है । माननीय मन्त्री जी स्वयं कबूल कर रहे हैं अधूरी है जबकि वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि खम्भे न मिल पाने के कारण दूसरी जगह से खम्भे खरीदे गये और जहां से ये खम्भे खरीदे गये वो ब्लैक लिस्टेड हैं या नहीं हैं, यह मंत्री जी ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम है । तो यह जो खरीद होती है, यह पब्लिक एक्सचेकर के मनी से

खरीद की जाती है। मेरा निवेदन है कि अब मंत्री जी की स्वीकारोक्ति पर आप नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा करा लें।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी ने तो अनावश्यक ही हस्तक्षेप किया और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि 305 रुपये में खम्भे का आर्डर दिया गया था, लेकिन वे सप्लाई न कर सके और इसलिए 332 रुपये में दूसरी जगह से यह लेने पड़े। तो जिन्होंने इन्हें सप्लाई नहीं दी तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री अधिष्ठाता—

आपने नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी और माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया, अब आप मेरे निर्णय की प्रतीक्षा तो करें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ब्लैक लिस्टेड की सूची दें तो यदि आपकी अनुमति हो तो क्या वह सूची मैं इन्हें दे सकता हूं ? मैं पूरे डिटेल दे सकता हूं कि कहां पर उन्होंने बंगलिंग किया है।

श्री अधिष्ठाता—

इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि मंत्री जी खुद अपने दफ्तर से फाइल मंगा कर देख लें कि मैंने जो बात कही है, सही है। ये स्वयं गैर जिम्मेदाराना बात कहते हैं। मैं कहता हूं कि इसमें घपला हुआ है और इसमें तमाम अधिकारी साझेदार हैं। सारी सूची मेरे पास है।

श्री अधिष्ठाता—

बस हो गया, अब आप बैठिये।

*श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, प्रजातांत्रिक परम्पराओं पर आज हम लोग यहां मौजूद हैं। इसमें यह जरूरी है कि यदि किसी बात से किसी को विरोध हो तो उसके लिए वह पब्लिक ओपिनियन फार्म कर ले। यहां हाउस में आरक्षण विरोधी बिल जो कि टेबुल हो चुका है उस बिल के खिलाफ और हरिजनों का जो उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेकर लखनऊ में दलित पैंथर पार्टी ने आरक्षण के सम्बन्ध में लखनऊ में एक प्रदर्शन का आयोजन किया था और उसकी डेट्स एनाउन्स हो गयी थी, यह सरकार जिसको प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है और हरिजनों के नाम पर राज्य कर रहे हैं, लेकिन हरिजनों का उत्पीड़न रोज हो रहा है। सरकारी विभागों में जितने कर्मचारी होने चाहिए, उससे बहुत कम तादाद है। यह नहीं चाहते कि कमजोर तबका सामाजिक न्याय पाये, इसलिए मान्यवर, इन्होंने बसों के तमाम परमिट कैंसिल कर दिए और उसके कारण लोग उस प्रदर्शन में नहीं आ सके। मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि इस अहम मुद्दे पर बहस हो जाने दें और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपना असंतोष और आक्रोश व्यक्त करने का मौका मिले, लोग सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी जबान इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनको आजादी मिलनी चाहिए। गैर घोषित कर्फ्यू जिस तरह से आपने लागू

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर दिया, उसी प्रकार से इसके साथ भी व्यवहार न करें। आप उसी तरह से कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सारे नियमों को निलम्बित करके इस अहम मुद्दे पर चर्चा करा दें।

*श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यह सरकार जितना आरक्षण हरिजनों को मिलना चाहिए, उतना देने के लिए कटिबद्ध है। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जिस विधेयक की बात कही जा रही है, उसको जनता पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य माननीय तिवारी जी ने प्रस्तुत किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं और पुरजोर शब्दों में कहता हूं कि हरिजन विरोधी विधेयक पास नहीं होगा।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने ऐसा लगता है कि इस विधेयक का अध्ययन नहीं किया है। तिवारी जी ने जो विधेयक पेश किया है, वह आरक्षण विरोधी नहीं है, सही माने में लागू करने वाला है। जो आरक्षण का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, वही इसके विरोधी हैं और यह सरकार आरक्षण विरोधी है। कल ही मैंने कहा था कि सिंचाई विभाग और परिवहन विभाग में हरिजनों को 18 प्रतिशत का आरक्षण कोटा पूरा नहीं है, तो यह सरकार हरिजन विरोधी है और आरक्षण का दुरुपयोग कर रही है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, चूंकि मेरा जिक्र किया गया है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मेरा नाम लिया है। आप नियम 29/(क) को देखें, इसके अंतर्गत स्पष्टीकरण का अधिकार है। अगर आप अनुमति नहीं देंगे, तो मेरे साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा आरक्षण विरोधी विधेयक पेश किया गया है और सरकार आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है। मान्यवर, इस विधेयक पर कब चर्चा होगी और होगी भी या न होगी तो अगर आप स्पष्टीकरण का मौका नहीं देंगे तो मेरी चरित्र हत्या हो जायेगी। मैं केवल निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी इसको फिर से पढ़ें तो उनको मालूम होगा कि मेरे विधेयक पास होने पर जो आरक्षण है वह बढ़कर 25 प्रतिशत हो जायेगा, हरिजनों को उसके लाने के पीछे भावना यह है कि 1977 में कुछ लोग जो गैर हरिजन थे, सवर्ण थे, मेरे जिले में उन्होंने हरिजन का फर्जी सर्टीफिकेट लेकर कलेक्टर से और दूसरे अधिकारियों से लेकर सरकारी नौकरियों में, पी0 एम0 टी0 में इन्जीनियरिंग कालेज में दाखिला ले लिया। मेरे जिले में गोसाईंगंज में 21 गजटेड आफीसर इस तरह के सर्टीफिकेट पर हैं। पिछली विधान सभा में मैंने कोशिश किया तो मिल्कीपुर के सदस्य श्री मित्रसेन बैठे हैं, बस्ती के सदस्य श्री माता प्रसाद जी हैं और श्री कमाल यूसुफ साहब हैं। इन लोगों ने इसको उठाया था, लेकिन हरिजनों के अधिकारों पर डकैती हुई थी परन्तु किसी हरिजन ने इस मसले को कभी नहीं उठाया। मान्यवर, आरक्षित समूहों में एक ऐसा वर्ग पनप रहा है, जो सुविधा संपन्न हो गया है और वह नहीं चाहता है कि आरक्षण की सुविधायें शेष हरिजनों तक पहुंच सकें। इसीलिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने मजबूर होकर आरक्षण का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसे रोकने के लिए यह विधेयक पेश किया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार भी जातिवाद की भावना से प्रेरित होकर कार्य कर रही है और इसीलिए वह इस विधेयक का विरोध कर रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर स्वस्थ बहस हो जाये, सभी के चेहरे की नकाब हटे और उनका सही स्वरूप जनता के सामने आवे।

*मुख्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, यह बार-बार इस सदन में हरिजनों के आरक्षण का सवाल उठाया जाता है। मान्यवर, आरक्षण तो मिला हुआ है उसमें किसी का विरोध नहीं है। जो लोग यह सवाल उठाते हैं वह हरिजनों के हितैषी नहीं हैं। सरकार इस बात का निश्चय कर चुकी है कि जो हरिजनों को आरक्षण मिला हुआ है चाहे नौकरियों में हो, चाहे जहां कही भी हो उसका पूरा का पूरा पालन होगा। यही कारण है कि हमने जो भी चयन समिति बनी हुई है या बनायी जा रही है सब में हरिजन अफसर को रखा है ताकि वह देखें कि उनका आरक्षण पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। वह सर्वे करेगा कि कैसे उनका आरक्षण पूरा हो। जहां-जहां कमियां हैं उनको देखा जा रहा है। मान्यवर, अभी विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाया है यह तो हरिजनों के साथ खिलवाड़ करना है। उनके साथ इनकी कोई सहानुभूति नहीं है उनको बहकाने के लिए सवाल उठाया गया है।

श्री मैनेजर सिंह—

मुख्य मन्त्री जी जो सिंचाई विभाग लिये हुए हैं उसमें कमेटी ने कहा है कि उसकी दयनीय स्थिति है। सिंचाई विभाग के बारे में आप कहते हैं कि हम कोटा पूरा कर रहे हैं। यह विभाग आपके पास 5 साल से है।

(श्री फजलुल बारी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)।

श्री अधिष्ठाता—

आप विराजें।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, इसकी ग्राह्यता को देख लें।

श्री अधिष्ठाता—

आप विराजें।

*श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए एशोसिएटेड जरनल को 21 लाख रुपये का ऋण दिया गया। मान्यवर, जितने भी वित्तीय नियम हैं शासन के, उत्तर प्रदेश सरकार के उन नियमों का खुला उल्लंघन किया गया। मान्यवर, इस सरकार की सदैव से यह नीति रही है कि कार्यपालिका की निष्पक्षता समाप्त की जाय, अदालतों की निष्पक्षता समाप्त की जाय और पत्रकारिता की निष्पक्षता पर कुठाराघात किया जाय। मान्यवर, यहां अखबार समूह एशोसिएटेड जरनल को सारे वित्तीय नियमों को उल्लंघन करते हुए बिना वित्त विभाग की सलाह लिये हुए ऋण दिया गया। जब किसी संस्था को ऋण या अनुदान दिया जाता है तो उसकी अलग एजेन्सी बनी हुई है जैसे पिकप है यू0 पी0 एस0 आई0 सी0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। लेकिन एशोसिएटेड जरनल को प्रदेश सरकार ने बिना किसी एजेन्सी के माध्यम से ऋण देने का काम किया है। इनका कहना है कि हम अखबार को आजादी देना चाहते हैं। मान्यवर, तमाम अखबार हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अगुवाई की थी, भारत लीडर ऐसे तमाम अखबार हैं वह तमाम अखबार बन्द हो गये वित्तीय साधनों के अभाव में तब इस सरकार को उस कमजोर वर्ग के प्रति दया का भाव नहीं उभरा। जो अखबार सरकारी छूट के रूप में छपते हैं। मन्त्रियों और सरकार के झूठे-सच्चे कारनामों का प्रचार करने के लिये प्रदेश की गाढ़ी कमाई में से साढ़े इक्कीस लाख रुपये इस एसोसियेटेड जरनल को दिया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इससे पत्रकारिता निष्पक्ष रह पायेगी ? इससे उनके कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का काम किया गया है। ऋण की शर्तों में रखा गया है कि उसकी वसूली विज्ञापनों से की जायेगी। जब इन ऐसोसियेटेड जरनल्स को विज्ञापन दिया जायेगा, उसके रूप में इस ऋण की वसूली की जायेगी और इसके ऊपर ब्याज नहीं लिया जायेगा। इसकी कहां से स्वीकृति ली गयी। एक ओर तो यहां पर आये दिन संसाधनों की कमी की चर्चा होती है दूसरी तरफ कठिनाई हो रही है और फिर यह सरकार जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह से दे रही है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपकी बात हो गई।

श्री अशोक बाजपेयी—

श्रीमन्, अब मैं विषय पर बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यह एक गम्भीर विषय है। सारे पत्रकार जगत में इस विषय पर चिन्ता व्याप्त हो गई है, जनता में चिन्ता व्याप्त हो गई है कि क्या इससे पत्रकारिता निष्पक्ष रह जायेगी ? नहीं रह सकेगी। इससे इस सरकार के काले कारनामों का पर्दाफाश हो जायेगा। इस तरह से आज ब्यूरोक्रेसी कमीटेड हो गयी है सरकारी मन्त्रियों और जुडीशियरी को कमिटेड करने का काम किया जा रहा है। यह पत्रकारिता को निष्पक्ष नहीं रहने देंगे। इन्होंने 84 में 6/7 लाख रुपया दिया और अब 21 लाख रुपया देकर पत्रकारिता को अपने पक्ष में करने का काम किया गया है। इसलिये मान्यवर, इस अत्यन्त लोकहित के महत्वपूर्ण विषय पर सदन की शेष कार्यवाही को रोककर चर्चा आप करा दें।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपको जानकारी है और समस्त माननीय सदन को जानकारी है कि पत्रकारिता के प्रश्न को लेकर, ऐसोसियेटेड जरनल्स के प्रश्न को लेकर इस सदन में एक बार नहीं अनेकों बार वर्षों से उठाया जाता रहा है। आज उनकी हालत खराब है, उनके कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है, उनकी रोजी-रोटी का प्रश्न है यदि इस संबंध में यह सरकार अपनी सजगता का परिचय देती है, उन्हें सहायता देती है और उनकी रोजी-रोटी का प्रबन्ध करती है तो उसमें ये कहेंगे कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है या हमने अपना दायित्व नहीं निभाया है। श्रीमन्, नेशनल हेराल्ड, नव-

जीवन, और सारे समाचार पत्र ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध इस देश की आजादी से रहा है, उन्होंने आजादी के आन्दोलन में काम किया है उनको जिन्दा रखना हमारी जिम्मेदारी है। श्रीमन् मैं नहीं समझता था कि हमारे नवयुवक साथी बाजपेयी जी इस क्रांतिकारी कदम के ऊपर प्रश्न उठायेंगे। मान्यवर, तमाम वित्तीय नियमों का पालन करें वित्त विभाग से परामर्श लेकर, श्रम विभाग से राय लेकर, श्री विक्रम राव जी के साथ बैठक करके इस ऋण की स्वीकृत दी गई है। इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है।

मान्यवर, एक विवाद और चल रहा है। उस समाचार पत्र का कहना है कि विज्ञापन का कुछ रुपया सरकार पर शेष है। उस पर विचार किया जा रहा है। उसमें कठिनाई नहीं है। मान्यवर, यह जनहित का प्रश्न है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है।

*श्री बृहमदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का सबसे बड़ा दायित्व और कर्तव्य होता है कि वह अपने प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा और निर्भरता का ध्यान रखें। मान्यवर,, लखनऊ में गोलागंज में कल की घटना है कि दो बालक एक सक्रिय गिरोह के पास से बरामद हुये जिसका कार्य बच्चों को उठाना है। मान्यवर, यह मामूली घटना नहीं है। प्रदेश के कई अन्य स्थानों से भी ऐसी सूचनायें आयी हैं कि प्रदेश के अन्दर कई एक गिरोह इस तरह से सक्रिय हैं जो भोले-भाले मासूम छोटे-छोटे बच्चों को उठाकर गायब कर देते हैं और उसके बाद उनका अपाहिज किया जाता है, उनके हाथ-पैर तोड़ दिये जाते हैं, आंखें फोड़ दी जाती हैं, जिससे लुंज-पुंज होकर उनको भीख मांगने के लिये विवश किया जाता है।

मान्यवर, एक तरफ तो यह सरकार लोकतांत्रिक सरकार होने का दावा करती है और जनहित के कार्यों का ढिंढोरा पीटती है और दूसरी तरफ जनजीवन को सुरक्षित नहीं रख सकती है। यही नहीं हमें जानकारी मिली है ऐसे बच्चे जो अबोध हैं उनको कभी-कभी जो समाज में एक घोर अभिशाप है, नरबलि में भी प्रयोग किया जाता है। जिसको सुन कर हृदय रो उठता है। होटलों में भी मानव मांस के रूप में बच्चों को इस्तेमाल किया गया है उनकी अंगुलियां मिली हैं। यह कार्य आज लखनऊ में हुआ है सरकार की नाक के नीचे हुआ है लेकिन इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। यह बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय है। एक तरफ यह सरकार कहती है कि छोटे बच्चों को भीख मांगने के लिए बाध्य नहीं होने देगी और ऐसे कानून बनाने का ढिंढोरा पीटती है और दूसरी तरफ निरन्तर ऐसी घटनायें हो रही हैं। मासूम बच्चों को पकड़ कर उनको भीख मांगने के लिए बाध्य किया जाता है। इससे प्रदेश के नागरिक विशेषकर लखनऊ के नागरिक भयभीत हैं और उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजना बन्द कर दिया है। जो बच्चे पकड़े गये हैं वह 5 साल और सात साल के अबोध बच्चे हैं। अगर बच्चे स्कूल नहीं जायेंगे, शिक्षा ग्रहण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं करेंगे तो हमारे भविष्य के नागरिक किस प्रकार के बनेंगे इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। इस घटना से पूरे प्रदेश के अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य से चिंतित हैं। इस प्रकार बच्चों को लूंज-पुंज किया जा रहा है। यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की आज शेष कार्यवाही रोक कर इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कराई जाय जिससे प्रदेश के नागरिक भय-मुक्त होकर रह सकें।

श्री अधिष्ठाता—

श्री गौरी शंकर भैया की जो सूचना है उसको मैंने जांच करने के लिए कहा है। इसमें जांच कर रिपोर्ट दें।

माननीय राम सरन जी की सूचना को मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है और श्री राम गोविन्द चौधरी जी की सूचना के विषय को भी वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

(श्री अर्जुन सिंह यादव सदन के फ्लोर पर आ गये परन्तु श्री अधिष्ठाता के कहने पर अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री राम सरन—

मान्यवर, सुन लीजिये (व्यवधान)।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। एक माननीय विधायक पर कातिलाना हमला हुआ है। (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, जौनपुर वाले मामले में क्या किया ? (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं अभी आ रहा हूं। आप इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं ?

श्री मुहम्मद आजम खां—

जब निर्णय दे दूंगे उसके बाद सुनेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

मैंने अभी व्यवस्था नहीं दी है, आप वरिष्ठ सदस्य हैं (व्यवधान) माननीय राम सरन जी की सूचना को मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है श्री राम गोविन्द चौधरी जी की सूचना को मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

श्री शारदानन्द अंचल—

हमारी भी सूचना थी।

श्री अधिष्ठाता—

सब पर आ रहा हूं। माननीय अशोक बाजपेयी की सूचना पर शासन का ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार किया है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी की सूचना को भी शासन का ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार किया है, श्री हृदय नारायण दीक्षित माननीय अवधेश प्रसाद जी की सूचना को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार किया है। श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री रणजीत की सूचना के विषय पर ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार किया है। कार्य स्थगन के रूप में सभी सूचनाएं को अस्वीकार किया है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मेरी सूचना का क्या हुआ ?

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या-15, कृषि मन्त्री जी ।

(व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल—

मेरी सूचना पर आपने व्यवस्था नहीं दिया है ।

(श्री शारदानन्द अंचल एक कागज हाथ में दिखाते हुए अध्यक्ष-पीठ की तरफ जाने लगे) ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपनी सीट पर जायं । आप बैठ जायं । माननीय सदस्य शान्त रहें ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मेरी सूचना पर आपने क्या व्यवस्था दिया है ?

श्री अधिष्ठाता—

आप सितम्बर 1985 की सूचना दे रहे हैं, इसलिये यह नियम 56 में नहीं आता है । आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननवर, श्री अमीर आलम खां, मुजफ्फरनगर के सदस्य हैं, उनको पहले पीटा गया, गोली चलाई गयी किन्तु वह किसी तरह बच गये । उसके बाद साजिश करके दफा 307 के बजाए 324 कर दी गयी । अब उनको धमकी दे रहे हैं, पुरानी घटना जरूर है लेकिन उनको अब धमकी दी जा रही है कि तुमने धारा 307 को 324 में बदला दिया है । अब उसको भी वापस लें नहीं तो जिन्दा नहीं छोड़ेंगे । इसलिये यह तात्कालिक घटना है उनसे कहा जा रहा है कि मामले को वापस लें । इस पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं किया है, इसलिए यह स्थिति है ।

श्री अधिष्ठाता—

नेता विरोधी दल ने जो माननीय विधायक पर हमले की बात कही है उस पर सरकार का मैं ध्यानाकर्षण करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मुझे सुन लीजिए ।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी घटना पर व्यवस्था दे दिया है । इसलिये आप लोग विराजें ।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

कौंशियर की हत्या के सम्बन्ध में मेरी सूचना पर आप सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं । आप विराजें । आप विराजें ।

(व्यवधान)

आप लोग शान्त रहें । जब मैं खड़ा हुआ हूं तो आप लोग बैठ जायं ।

जितनी सूचनाएं आज प्राप्त हुई थीं उनमें से 6 सूचनाओं को मैंने सुना और

उसके अलावा भी जो माननीय अध्यक्ष जी ने और हमने देखा तो जो आवश्यक थीं, उनको सरकार का ध्यान आकर्षण और वक्तव्य के लिये निर्देश दिया।

(श्री मुहम्मद आजम खां के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप सुन तो लीजिए। माननीय नेता विरोधी दल ने विधायक पर हुए हमले पर प्रकाश डाला। उस पर मैंने शासन को निर्देश दिया है कि वह इस पर जांच करे और उस पर उचित कार्यवाही करें और साथ ही दोषी लोगों को दंडित करे। उसके बाद भी आप सन्तुष्ट नहीं होते हैं, तो वक्तव्य के लिए देखा जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे कार्य-स्थगन प्रस्ताव को शासन के पास ध्यान आकर्षणार्थ भेज दिया है (व्यवधान) उसको आप वापस ले लीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी सूचना मैंने ध्यान आकर्षण हेतु स्वीकार कर ली है।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

आपने विषय की गम्भीरता को देखते हुए ही उसे ध्यान आकर्षणार्थ भेजा है। उत्तर प्रदेश में विदेशी इसाई मिशनरियों के द्वारा (व्यवधान) मथुरा जनपद में इसी सप्ताह के भीतर 12 लोगों को इन मिशनरियों द्वारा भीम नगर गांव में इसाई बनाने का कार्य किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार के वक्तव्य के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। (व्यवधान) सामूहिक रूप से ऐसी घटनाएं हो रही हैं वक्तव्य स्वीकार कर लीजिए।

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क सदन त्याग कर चले गये।)

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या—15—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध-शाला विकास) तथा अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

*संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 28,31,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(समय 3 बजकर 27 मिनट)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,69,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,30,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आपसे निवेदन हैं, आपसे अनुरोध हैं, आप लोग विराजें। अब हमने मन्त्री जी को बुलवा लिया हैं, वह बोल रहे हैं। आप लोग अब बैठें।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, समस्त प्रदेश में 5 करोड़ 67 लाख मवेशी हैं। जिनके रखरखाव के लिए, उपचार के लिए और जिनके नस्ल सुधार के लिए विभाग की जिम्मेदारी हैं। इस जिम्मेदारी को विभाग किस तरह निभा रहा हैं, क्या-क्या साधन विभाग ने उपलब्ध कराये, उन्हें मैं बहुत ही संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। जो दायित्व इस विभाग पर सौंपा गया हैं, उत्तर प्रदेश के गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए, उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए, उस जिम्मेदारी को हम भली प्रकार निभा पायेंगे, इसकी हमें पूरी आशा हैं। उस जिम्मेदारी से हम भली प्रकार अवगत हैं। आप देखें कि तीन प्रकार की जिम्मेदारी हम पर आती हैं। एक तो जो मवेशी बीमार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उनके इलाज की सुविधा यह विभाग उपलब्ध करायें। अब से कुछ दिन पूर्व जब हमारे पास डाक्टर नहीं होते थे, ग्रामीण अंचल के विधायकों ने देखा होगा कि यदि कोई बैल या भैंसा जख्मी हो गया तो उसके लिए कोई दवा, मरहम, पट्टी या डाक्टर नहीं उपलब्ध होता था।

मान्यवर, अंधविश्वास के बल पर और जादू-टोने के जरिये वह अपने जानवरों का इलाज करते थे।

(व्यवधान)

श्री राम सरन—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। सुनायी नहीं दे रहा हैं कि क्या बोल रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं कोशिश करूंगा कि आप सुन लें।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ—

मान्यवर, नजदीक का मामला हैं।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं कोशिश करूंगा कि माननीय राम सरन जी को सुनायी पड़े। मान्यवर, मवेशियों के बारे में जानवरों के बारे में उनको इतनी जानकारी हैं कि जितना कहा जाय उतना कम हैं। चाहे भैंस को या भैंसा दोनों उनको एक समान लगते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

एक तो रिश्तेदारी का मामला है और दूसरे मुजफ्फरनगर का मामला है। (हंसी)।

श्री हुकुम सिंह—

तो मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि एक समय था जब प्रदेश के कृषक वर्ग के जानवरों के लिये सुचारू चिकित्सा या इलाज की या दवाओं का कोई प्रबन्ध नहीं था। बीमार जब जानवर होता था तो गांव में रहने वाले लोग जितना जानते थे और अपने अनुभव के आधार पर जो सीख लेते थे उसी पर निर्भर रहते थे और उसी तरह से इलाज करवाते थे। आज हमारे विभाग के माध्यम से 57 जनपदों में अस्पतालों का जाल विछा हुआ है। हर विकास खण्ड में अस्पताल हैं। मान्यवर, पूरे प्रदेश में 1485 पशु चिकित्सालय और 2664 पशु सेवा केन्द्र हैं। इस वर्ष जब कि मैं अनुदान लेकर आया हूं तो 29 नये पशु चिकित्सालयों और 37 नये पशु सेवा केन्द्रों के खोलने का प्रस्ताव है। मान्यवर, इसके अलावा जो नस्ल सुधार का कार्यक्रम है, तो ऐसे जानवर जो खराब नस्ल के थे, कमजोर थे और उनसे जितनी अपेक्षा की जाती थी उन उम्मीदों को पूरा नहीं करते थे तो उस दिशा में कदम उठाया गया है और नस्ल सुधारने के लिये अनेक सेन्टर हैं। हमने जगह-जगह पर ए0 आई0 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये हैं। इस वक्त पूरे प्रदेश में 2661 कृत्रिम गर्भाधान सेन्टर कार्यरत हैं। 749 डी-फ्रोजेन केन्द्र स्थापित हैं। इस वर्ष 600 अतिरिक्त केन्द्रों पर यह सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। तो चाहे चिकित्सालय हों, चाहे कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हों, यह सही है कि जितनी अपेक्षायें हमसे की जाती हैं, उस हद तक हम अपेक्षा की पूर्ति नहीं कर पाये हैं। आज हमारे अस्पतालों में अगर कोई किसान जानवर लेकर जाता है तो उसको सारी की सारी दवायें वहां उपलब्ध हो जायं यह सम्भव नहीं है लेकिन दवायें चाहे कम हों लेकिन कम से कम वहां डाक्टर की सुविधा उपलब्ध है, वहां बतलाने वाला है कि क्या इलाज हो सकता है और कौन सी दवा की जरूरत है। आज किसान को दर-दर भटकना नहीं पड़ता है। इतने बड़े प्रदेश में जहां यह कहा जाता था कि इस देश में दूध और घी की नदियां बहती हैं तो एक समय आया कि लोगों ने कहना शुरू किया कि दूध तो नुस्खे में है और राशन कार्ड से मिल सकता है। तो एक समय इतनी कमी महसूस हुयी। लेकिन सम्मानित सदन को सूचित करते हुये मुझे गर्व होता है कि आज उत्तर प्रदेश से 1 लाख लीटर दूध प्रति दिन दिल्ली को जा रहा है। 40 हजार लीटर कलकत्ता को जा रहा है और 20 हजार लीटर विहार को जा रहा है। आज यह प्रदेश अपने पैरों पर ही नहीं खड़ा है बल्कि दूसरे राज्यों को भी दूध भेज रहा है तो यह कम उपलब्धि नहीं है।

मैं जानता हूं कि हमारे कुछ साथियों को यह उपलब्धि नजर नहीं आयेगी। वैसे अगर आप इसकी तुलना करें कि तीन वर्षों के अन्तर्गत हमने यह उपलब्धि प्राप्त की है क्योंकि यह कार्यक्रम हमारा कोई सन् 1947 में नहीं बना था, यह प्रोग्राम हमारा सन् 1917 में

नहीं बना था। यह योजना हमारी सन् 1983 में शुरू की गयी लेकिन मान्यवर, आज उत्पादन की दृष्टि से दूसरे राज्यों के सामने हम खड़े हुए हैं। जिन राज्यों में यह योजना सन् 1940 में शुरू हुयी थी और हमारा यह कार्यक्रम जैसा कि मैंने अभी कहा कि सन् 1983 में बनाया गया है, परन्तु फिर भी जो थोड़ी बहुत उपलब्धि हमारे विभाग ने की है, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज हमारे जैसा कार्यकर्ता जब यह महसूस करता है कि अन्य राज्यों से जैसे पंजाब व हरियाणा आदि जगहों पर यदि आप जाएं और देखें तो उत्तर प्रदेश किसी से कम नजर नहीं आयेगा। मान्यवर, आज पी0 सी0 डी0 एफ0 द्वारा निर्मित घी और इनके द्वारा निर्मित मिल्क पाउडर तमाम जगहों पर सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन ठीक है, आज सीमाएं बहुत हैं, इसलिए संघर्ष करना हमारा काम है, प्रयास करना हमारा काम है, समस्याओं से लड़ना भी हमारा काम है। इन्हीं योजना वद्ध कार्यक्रमों के आधार पर मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश में इस ओर स्वेत क्रान्ति लाना चाहता हूं। दूसरे मान्यवर, सहकारिता के बारे में आज हमारे बहुत से साथी भ्रम के शिकार हैं। अगर सही मायनों में आप सहकारिता को देखना चाहते हैं तो आपरेशन फ्लड-2 के माध्यम से देखिए। मान्यवर, सहकारी समितियों में आपरेशन फ्लड-2 के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है, हमारे माननीय सदस्य वहां जाएं और देखें कि यह समितियां कैसे काम कर रही हैं, इनके माध्यम से आज कितना दूध उपलब्ध कर पा रहे हैं। आज यही समितियां हमारी सरकार के माध्यम से नहीं चल रही हैं, बल्कि ब्लाक प्रमुखों की देख-रेख में इन्हें जन्म दिया जा रहा है। यह समितियां हमारी गांव-गांव में आज खड़ी हैं और वह दिन मान्यवर, दूर नहीं हैं जहां हम हर जिले में इनके केन्द्र स्थापित करेंगे और मान्यवर, आप देखें।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, भैंस की चोरी में माननीय राम सरन जी आगे हैं या माननीय सहकारिता मन्त्री जी ? मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि राम सरन जी आगे हैं मान्यवर, मैं आपरेशन फ्लड-2 के बारे में कह रहा था। यही कार्यक्रम मान्यवर, आज 5 जनपदों में चलाया जा रहा है। साथ ही मैं यह भी अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि आई0 डी0 सी0 138 लाख रु0 का दूध का उत्पादन दे रहा है और यही नहीं मान्यवर, हमें उम्मीद है कि आगे के वर्षों में हम दूध का उत्पादन इतना बढ़ा देंगे कि उत्तर प्रदेश का कोई भी आदमी बिना दूध के नहीं रहेगा और साथ ही यह भी हमें उम्मीद है देश के दूसरे अंचलों में जहां पर इसकी कमी होगी, वहां भी दूध सप्लाई किया जायेगा क्योंकि हमारी जो उपलब्धि है सन् 1982-83 में केवल हमारे पास 214 सहकारी समितियां थीं और इनके सदस्यों की संख्या एक लाख 21 हजार थी और मान्यवर, 3,234 सहकारी समितियां बन चुकी हैं जिनके सदस्यों की संख्या एक लाख 70 हजार है और यदि मान्यवर, यही गति हमारी आगे बढ़ने की रही तो हमें आशा है कि एक दिन हमारे उत्तर प्रदेश का हर जिला

अपने पैरों पर खड़ा हो जायेगा। और मान्यवर, इनमें 90 प्रतिशत समितियां ऐसी हैं जो वहां पर पशु चिकित्सा की सारी की सारी सुविधायें उपलब्ध करा रही हैं अपने सदस्यों को इनके माध्यम से नस्ल सुधार का काम चल रहा है, इलाज का काम चल रहा है और कोई कठिनाई उस ग्राम के सदस्यों के अतिरिक्त पशुओं पर आती है, तो उसका उत्पादन किया जाता है। मान्यवर, इस दूध के विपणन की भी समस्या सदैव रही है और ऐसे-ऐसे समय आते हैं, जैसे गर्मी का समय आया, दूध की समस्या आ जाती है। इसके लिये जितने आछादित जिले हैं, वहां पर प्रोसेसिंग प्लांट लगाये जायेंगे। जब यह सारा कार्य हमारा पूर्ण हो जायेगा, जितना हमारा मिल्क का प्रोडक्ट है, हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो स्वप्ना हमने देखा था गरीबी को मीटाने का, वह स्वप्न भी साकार होगा। अब प्रश्न होता है कि पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाय। इसके लिए हमारी कई एजेन्सियां ऐसी हैं, जो प्रदेश में संतुलित आहार का उत्पादन कर रही हैं, चाहे ऐसी हो, चाहे हमारा विभाग हो, चाहे पी0 सी0 डी0 एफ0 की निर्माणशालायें हों, अच्छे आहार सस्ते दाम पर हम उपलब्ध करा रहे हैं। जहां-जहां पर हमारी समितियां हैं, वहां पर किसी भी सदस्य को इस आहार की कमी नहीं है। लोगों को पहले कितना महंगा आहार अपने पशुओं के लिए लेना पड़ता था। महंगा आहार लेने के बाद दूध की कीमत भी बढ़ जाती, तो क्या आम जनता उस दूध की कीमत को दे पाती ? इसके अलावा 17 नगरों में उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख नगर हैं, उनमें तरल दूध (लिक्विड मिल्क) हमारे पी0 सी0 डी0 एफ0 के माध्यम से हमारे शहरी बन्धुओं के लिए वहां पर आपूर्ति की जा रही है। आज लखनऊ हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, मेरठ हो या और प्रमुख नगर हों, आज कोई कठिनाई नहीं रह जाती कि दूध की कमी आपको रह सके। कितने वैज्ञानिक ढंग से उसकी पैकिंग करके, अच्छे तरीके से दूध सप्लाई किया जा रहा है।

जो नस्ल सुधारने का काम विभाग ने लिया, उसके लिए हमने कई जनपदों में व्यवस्था की। अनुसंधान के माध्यम से नस्ल सुधार का काम विभाग पूर्णतया कर रहा है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो इसका कार्यक्रम शुरू किया है आपरेशन फ्लड-2 का आप इसकी समीक्षा करें, इसका परीक्षण करें और जब भी आप अपने जनपद में जायं आप खुद जाकर देखें कि क्या यह सहकारी समितियां अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने मन से दूध की आपूर्ति कर रही हैं, और उसके सदस्य जिसमें से 90 प्रतिशत ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे थे, आज इस सहकारी आन्दोलन के माध्यम से गरीबी की रेखा से ऊपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करूंगा।

*श्री राम सरन—

मान्यवर, मछली वाले से भी कुछ कहलवा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी बजट प्रस्तुतीकरण का भाषण अभी चल रहा है या समाप्त हुआ।

श्री हुकुम सिंह—

वह कटौती नहीं रखना चाहते।

:वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं चाहता था कि जो एजेण्डे में छपा है उसके हिसाब से सब पर एक साथ ही बोल दूं।

मत्स्य राज्य मन्त्री (श्री सीताराम निषाद)—

मान्यवर, यह मत्स्य विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मन्त्री जी, एक सेकेन्ड रुकें। माननीय राम सरन जी आप पहले कटौती का प्रस्ताव रखेंगे उसके बाद मन्त्री जी बोलेंगे। नियमों के अन्तर्गत ही उचित प्रतीत होता है।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, मैं यह समझ रहा था कि आज माननीय हुकुम सिंह जी, हमारे पशुधन मन्त्री कुछ आंकड़ों सहित अपनी बात को रखेंगे क्योंकि आप पढ़े लिखे ज्यादा हैं, संसदीय कार्य मन्त्री भी हैं, योग्य हैं। हम तो इनसे कुछ सीखना चाहते थे क्योंकि हम तो अटरंडम बोल दिया करते हैं लेकिन आप तो किताबें पढ़कर, संविधान की और तमाम किताबें अपने पास रखे रहते हैं, उनको देखकर बोलते हैं लेकिन आज तो ताज्जुब हुआ इनका भाषण सुनकर, इनसे अच्छा तो मैं ही बोल दूं। यह तो ऐसे बोल रहे थे जैसे किसी पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हों, चुनाव सभा में बोल रहे हों, इन्हें एहसास होना चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे कि दूध की नदियां बहा दें। श्रीमन् इनसे क्या आशा है कि यह दूध की नदियां बहायेंगे, यह तो नहरों का पानी भी सुखा दें।

श्री अधिष्ठाता—

आपके यहां का पानी तो दूध से भी ज्यादा ताकतवर है।

श्री राम सरन—

मान्यवर, वह मौका आयेगा तब मैं कहूंगा।

मान्यवर, हमारा देश और प्रदेश एक ग्रामीण क्षेत्र है जिसकी 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है। ग्रामीण जनता का आर्थिक स्रोत कृषि एवं पशुधन है। हम 80 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं। हमारा जो आर्थिक ढांचा है वह दो पर ही निर्भर करता है। एक तो खेती दूसरे पशु

जैसे गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बकरी आदि उसमें मछली भी आ जाती है।

श्रीमन्, भारत कृषि प्रधान देश है। ग्रामीण लोग पशुधन पर आधारित है। पशुधन से सभी ग्रामीणों का सेन्टीमेन्ट जुड़ा है। हम लोगों का सेन्टीमेन्ट जुड़ा है। जिस मकान में हम रहते हैं, उसी मकान के दूसरे हिस्से में हमारे पशु बन्धते हैं, इतना लगाव होता है। जिस घर में एक पशु न हो उसको हम लोग मनहूस कहते हैं। यह भी कहते हैं कि जिसका धन दुखी उसका मन दुखी। जो अपने मवेशी को दुखी रखता है, उसका परिवार और वह दुखी रहता है। यह पशु हमारे ग्रामीण लोगों के जीवन के अंग हैं। चाहे दुधारू पशु हों, चाहे बोझ ढोने वाले पशु हों, या ऊन देने वाले पशु हों। मान्यवर, अगर इन पशुओं के पास जबान होती तो जिस प्रकार से हम लोग जुलूस बनाकर भारत बन्द करा देते हैं, यूनीवर्सिटी बन्द करा देते हैं, थानों को घेर लेते हैं, यह भी अपना जुलूस बनाकर हुकुम सिंह और वीर बहादुर सिंह के बंगले को घेर लेते। सबसे पहले गधों का जुलूस इनके दरवाजों पर आता। इसी के लायक यह लोग हैं। प्रधान मन्त्री के घर पर तो भैंसों का जुलूश होता लेकिन इनके दरवाजों पर तो गधों का ही जुलूस होता। इस समय प्रदेश में 7 करोड़ संख्या पशुओं की है। श्रीमन्, इनके जो पशु चिकित्सालय हैं चाहे रामपुर का हो, कैराना का हो या दूसरी जगहों का हो, एक पशु चिकित्सालय एक साल में, मान्यवर, मैं इसलिये कह रहा हूं कि यहां अधिकारी बैठे हैं, मन्त्री जी से पशुओं से कोई मतलब नहीं है यह तो कैबिनेट के चक्कर में हैं, कब कैबिनेट मिले। हम लोग वाक आउट करके चले गये और यह हमको गाली देने लगे वीर बहादुर को खुश करने के लिये। अरे भले आदमी हम लोग यहां होते तो कहते, जब हम लोग लाबी में थे तो बुरा भला कहना कहां तक उचित है। यह तो मैं भी सिफारिश कर सकता हूं कि इनको कैबिनेट मन्त्री बना दिया जाय। मेरा कोई नुकसान थोड़े ही है, मेरा तो फायदा है। मैं भी अपनी बिरादरी में कहूंगा कि मेरा एक गूजर कैबिनेट में हो गया, लेकिन हमारी गैर हाजिरी मे कुछ न कहा करो। मान्यवर, जो सात करोड़ पशु हैं, आपके प्रदेश के, उनमें से एक चौथाई का भी यह लोग इलाज सुलभ नहीं करा सकते। मान्यवर, यह सरकार पशुओं के पोषण, प्रजनन, रोग निदान, प्रबन्ध व्यवस्था मार्केटिंग और फाइनेंसिंग की व्यवस्था रोक दे तो समझा जा सकता है कि कुछ हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। आज ऐसी हालत है श्रीमन, मैं इनके मन्त्री की बात कहूंगा, इनके मुख्य मन्त्री की बात कहूंगा और उनके सेन्टर के मिनिस्टर की बात कहूंगा। श्रीमन्, माननीय श्रीपति मिश्र जी जब मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने कहा था कि हर ब्लाक में दो पशु चिकित्सालय होने चाहिये। मैं यह कहता हूं कि हर ब्लाक मे कम से कम चार पशु चिकित्सालय होने चाहिये और श्रीमन्, जो पशु सेवा केन्द्र हैं, ये कम से कम हर न्याय पंचायत में एक होना चाहिये। नहीं तो मान्यवर, मैं क्या कहू, यहां पर सब मर्द होते तो ज्यादा अच्छी तरह कहा जा सकता था, मुझे शर्म आती है क्योंकि दोनों तरफ

महिला सदस्याएं बैठी हुई हैं। यह समझ गये होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पशुओं में हीट का समय 12 घन्टे रहता है, लेकिन उन्हें तत्काल एड नहीं मिल पाती। दस बारह किलो मीटर ले जाने में उनकी हीट खतम हो जाती है। तो श्रीपति मिश्र जी ने स्वीकार किया था कि हर ब्लाक में दो पशु चिकित्सालय होने चाहियें। अब थोड़ा इनके कार्य-कलापों को बता दूं। इनका जो विभाग है, उसमें हम भ्रष्टाचार शब्द तो नहीं कहेंगे, यह नये आए हैं, इन्हें पता नहीं है, न ही इनकी रुचि है, इसलिये इन्हें समय भी नहीं मिलता, इनके विभाग को देखें तो भाई-भतीजावाद, कमीशनबाजी और घटिया किस्म की दवाएं देने का काम होता है। पचास फीसदी दवाएं तो मानक के आधार पर खरी ही नहीं उतरती। श्रीमन्, इस तरह से इनकी हालत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर ये प्रदेश की तरक्की चाहते हैं, क्योंकि मान्यवर, ज्यादातर हम लोग खेती करने वाले लोग हैं, तो उनकी जरूरतों को पूरा करें।

जैसे भैंस है, अगर असली नस्ल की लोगों को दें तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। असली नस्ल की गाय दें, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। भेंड़ है, बकरी हैं, यह जो छोटे-छोटे पशु हैं, गांव के लोग उनसे ही गुजारा कर लेते हैं, जिनके पास भूमि नहीं है। लेकिन इनकी दृष्टि वहां है नहीं। अगर दृष्टि जाय, तो बेरोजगारी दूर हो सकती है। मान्यवर, यह करते क्या हैं, उल्टा करते हैं, ब्लाकों के जरिये जो अनुदान योजना के अन्तर्गत आधा कर्जा चढ़ाकर भैंस उपलब्ध करते हैं, उसमें इनके डाक्टर लोग घपला करते हैं, मरी-मराई भैंस को उपयुक्त बताकर उसे लाभार्थी को दे दिया जाता है। बाद में थोड़े दिन के बाद ही वह मरी-मराई भैंस मर जाती है। तो, यह ऐसा देखने में ज्यादा आ रहा है कि पशुओं पर इनकी कोई तव्जो नहीं है। मान्यवर, प्रदेश के आर्थिक ढांचे को खड़ा करने के लिये पशु चिकित्सा उतनी जरूरी है, जितनी कि इन्सान की चिकित्सा। मान्यवर, हम अपंग हो जायें, अगर हमारे पास पशु न रहे। मान्यवर, हम लोग दीक्षण गये थे, वहां पशुओं से बहुत प्यार करते हैं लोग, बैलों के सींग रंगते हैं, उन पर पगड़ी बांधते हैं, उनको घुंघरू बांधते हैं, जब वह चलते हैं तो देखते बनता है। लेकिन जो हमारे यहां के बैल हैं माननीय हुकुम सिंह जी के यहां बैल हैं—टूटरू-टूं, टूटरू-टूं करते चलते हैं बिल्कुल मरे-मराये बैल लगते हैं। अगर धक्का दे दें तो दूर जा गिरें। मान्यवर, जब यह पशु पालन विभाग के महकमे में आये हैं, तो मेरा निवेदन है कि इन्हें कुछ करना चाहिए। इनकी वहां दृष्टि हो। मान्यवर, इनके टेस्ट का विभाग तो यही है। अभी चोरी की बात सामने बैठे माननीय सदस्य ने कही आप जांच करा लें चोरी इनके यहां ज्यादा है या हमारे यहां। मान्यवर, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इन्हें अभिमान होना चाहिये कि यह इस विभाग में है। मान्यवर, मुझे यदि कभी मन्त्री पद का अवसर मिला, भगवान ने चाहा, तो मैं उस वक्त के मुख्य मन्त्री से कह दूंगा कि मुझे पशु पालन ही दो, मैं कुछ और नहीं चाहता।

मान्यवर, यह जो मेरे पास कागज है इसमें लिखा है पशु धन विकास या पशुओं की कब्रगाह यह अखबारों में

निकल रहा है। आप चाहेंगे तो उसकी कटिंग मैं आपके पास भिजवा दूंगा। मान्यवर, मैं इनकी दुग्धशालाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं मान्यवर इनकी जितनी डेरी है वह सब घाटे में चल रही है घर में दूध पूरा नहीं पड़ता यह दूध भंज रहे हैं इंग्लैंड यह तो वही बात हुई कि बाहर कहें पतेल सिंह घर में कहें दलेला और पास में है नहीं एक भी धेला कहां-कहां जाता है आपका दूध। क्यों जनता को ब्लफ दे रहे हो। प्रदेश के बच्चों को तो दूध तो पीने को क्या, उसके दर्शन तक नहीं होते। ऐसा लगता है कि हुकुम सिंह ने इतना दूध पैदा कर दिया है कि कोई बच्चा बगैर दूध पीये रात में सोता न हो ? आज बच्चों को दूध के दर्शन तक नहीं होते। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, इस तरफ आप ध्यान दें। महाराष्ट्र की डेरी से क्या आपकी डेरी अच्छी है, गुजरात की डेरी से आपकी क्या डेरी अच्छी है ? मुकाबला आप कर रहे हैं बिहार से, जो सबसे पिछड़ा प्रदेश है। मुकाबला कीजिए आप महाराष्ट्र से गुजरात से और तमिलनाडु से। कोआपरेटिव की आप सोसाइटियां खोलने जा रहे हैं। लेकिन मेरे गांव में और ब्लाक में तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। हो सकता है कैराना में खुली हो।

मान्यवर, सीताराम निषाद जी की ही बात कहूंगा जो पिछली बार उन्होंने अपने भाषण में कहा। उत्तर प्रदेश में 72 लाख मछुआ समुदाय की जनसंख्या है, जिसमें केवल बिन्द, धीवर और मल्लाह आते हैं। हमारे गांव में भी धीवर जाति के लोग रहते हैं। ये सब निर्बल तपके के लोग हैं। मछलियों का ठेका भी ये ठेकेदारों को देते हैं। क्यों न उन धीवर जाति के लोगों को दिया जाय, जो बेचारे गरीब हैं। नदियों के किनारे जो तालाब होते हैं, उनमें से मछलियां पकड़ने का पट्टा आस-पास के लोगों को दिया जाय, जिससे वह अपना गुजर-बसर कर सकें। उनकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। बड़े-बड़े लोग ठेके लेते हैं, ठेकेदार है कानपुर का और ठेका लेता है उन्नाव में और अलीगढ़ में। आपके पास विभाग आ गया, मन्त्री रहना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर अपने टाइम में कोई ऐसा काम कर जाइए जिससे पुश्त दर पुश्त हो जाय और कहे कि हां भाई कोई सीताराम निषाद हुआ था। टी0 वी0 वाली बात है, आपने कानपुर, बस्ती और आजमगढ़ में टी0 वी0 लगवाये हैं, 60-60 और 70-70 हजार रु0 में लगवाये हैं। यह फिजूलखर्ची बन्द कर दीजिये। अगर उस पैसे से डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल्स में ऐसी मशीन लगवा सकें जिनसे लूले-लंगड़े पशु का इलाज हो सके, बीमार पशुओं का इलाज हो सके, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। ये जो वाहियात खर्चे हैं, जिन पर मुलायम सिंह जी कह रहे थे, वे इससे सन्दर्भित नहीं हैं। हुकुम सिंह जी ने बड़े तैश में आकर कहा था। हम लिखकर देने को तैयार हैं, हम सब लिखकर दे देंगे कि हमें कोई कार नहीं चाहिये, लेकिन एम0 पीज0 की कार भी विदड्रा कर लो। आप हमें कहते हो कि कार के लिये तड़प रहे हैं, हम सायकिल पर चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी के साथ मैंने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया, उस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि अपने विभाग की बात साफ-साफ बता दें कि क्या करने जा रहे हैं, सीताराम निषाद से भी कहता हूं कि बढ़िया काम करके इस्तीफा देकर घर जाओ।

(हंसी)

(मत्स्य राज्य मन्त्री) श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, मत्स्य विकास एक महत्वपूर्ण विभाग हैं जिसके बजट के समर्थन में मैं विचार प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस समय हमारे देश में जो मत्स्य का उत्पादन होता हैं और जितनी जनसंख्या हमारे देश की हैं, देश के स्तर पर लगभग आधी जनसंख्या के लोग मछली का सेवन करते हैं, लेकिन इसकी उपलब्धता जो हमारे देश में हैं वह प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति केवल 3.57 किलो ग्राम मछली इस समय हमारे देश में उपलब्ध होती हैं, जबकि जापान जैसे देश में 44 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति मछली पायी जाती हैं।

राष्ट्रीय कृषि आयोग की 1976 की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं उसमें 1971 की जनगणना के अनुसार हमारे प्रदेश के संबंध में जो आंकड़े प्रकाशित किये गये हैं उसमें 1973 में मछली उत्पादन की उपलब्धता के आधार पर 0.26 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति, केवल इतनी ही मछली पायी जाती थी। मान्यवर, यह दुःख का विषय हैं कि बहुत ही कम मछली का उत्पादन हमारे प्रदेश में हो सका हैं जबकि भारतीय चिकित्सा परिषद् का यह कहना हैं कि 55 ग्राम प्रोटीन प्रति व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिये आवश्यक हैं और उसके लिये 30 ग्राम मछली का सेवन करना आवश्यक होता हैं, यह भारतीय चिकित्सा परिषद् की राय हैं।

मान्यवर, इस हिसाब से 12.2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मछली का उत्पादन अनिवार्य हैं इसलिये इस दिशा में मछली का उत्पादन बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हैं। यद्यपि हमारे प्रदेश में जल का भाग बहुत ज्यादा हैं लेकिन अभी आवश्यकता के अनुसार मछली का उत्पादन नहीं हो सका था। लेकिन हमारा यह विभाग अब इस दिशा में बड़ी तेजी से काम कर रहा हैं। 11.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, जल का क्षेत्र हमारे प्रदेश में पाया जाता हैं। उसमें हम मत्स्य के उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिये हमने प्रयास किये हैं।

माननीय राम सरन जी ने जो बात कही, उनका मैं आभारी हूं कि मछुआ समुदाय के प्रति उन्होंने हमदर्दी जाहिर की हैं। उनको मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार नें पहली बार इस तरफ विशेष ध्यान दिया हैं कि हम मत्स्य उत्पादन को भी आगे बढ़ायें और उससे संबंधित मछुआ समुदाय के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करें। इस दिशा में हमारे प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। हमारे प्रदेश में तालाब और पोखर 1.62 हेक्टेयर जल क्षेत्र में पाये जाते हैं, उनके 10 वर्षीय पट्टे देने के लिये शासनादेश 2 मई, 1981 को जारी किया गया था। उस शासनादेश का अनुपालन बड़ी कड़ाई के साथ इस प्रदेश में किया जा रहा हैं जिससे कि मछुआ समुदाय के लोगों को लम्बी अवधि तक के लिये यानी कि 10 वर्षों के लिये पट्टे दिये जा रहे हैं मत्स्य पालन के संबंध में।

मान्यवर, नदियों का भी बहुत बड़ा जल क्षेत्र हमारे प्रदेश में पाया जाता हैं। 4.6 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मुख्य नदियों का हैं और 1.22 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र

मुख्य सहायक नदियों का है। 1.38 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र पहाड़ी नदियों और झीलों का है। 2.83 लाख हेक्टेयर सिंचाई विभाग के बन्धों में पाया जाता है। इसी तरह से 1.413 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र हमारे मत्स्य विभाग के जलाशयों का है। इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मान्यवर, तालाबों का पट्टा 10 साल के लिये देने का निश्चय किया गया है। वहां पर ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर उत्तर प्रदेश की समस्त नदियों का पट्टा मछुवा सहकारी समिति के माध्यम से देने का निश्चय किया गया है और 30 जून, 1981 को इस सम्बन्ध में एक शासनादेश जारी किया गया। आज जहां बड़े-बड़े पूंजीपति और ठेकेदार नदियों का ठेका लेते थे और मछुवा समुदाय के लोग उससे वंचित रह जाते थे, वही मछुवा सहकारी समितियां बनवाकर गरीब मछुवारों को पट्टे मिल रहे हैं, लेकिन कहीं-कहीं पर ऐसी शिकायते आयी हैं कि पूंजीपति और ठेकेदार आज भी फर्जी सोसाइटी बनाकर गरीब मछुवारों का शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। शासन की जानकारी में जो शिकायते आयी हैं उन पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है और मछुवारों के हित में सरकार ने निर्णय लिया है कि मत्स्य विभाग के जो जलाशय हैं, वह 4 श्रेणियों में बांट दिये गये हैं। प्रथम श्रेणी के बड़े-बड़े जलाशयों की जब नीलामी होती है तो मछुवा सहकारी समितियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। दूसरी श्रेणी के जो जलाशय हैं, उनमें 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है। तीसरी और चौथी श्रेणी के जो जलाशय हैं वह केवल मछुवारों की समितियों को ही दिये जाते हैं। इससे मछुवा समुदाय के लोगों को मत्स्य विभाग के जलाशय मिल जाते हैं और वह उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। मान्यवर, कुछ नयी योजनायें भारत सरकार की मदद से हमारे प्रदेश को मिली हैं। एक योजना नेशनल वेलफेयर फण्ड फार फिशरमैन की है। प्रधान मंत्री, स्वर्गीया इन्दिरा जी जब जीवित थीं, उन्होंने आकांक्षा की थी कि देश के करोड़ों मछुवारों के लिये, जो उपेक्षित रहे हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिये काम किया जाये, उनकी आकांक्षा थी कि नेशनल वेलफेयर फन्ड फार फिशरमैन के नाम से एक कोष की स्थापना की जाये और मान्यवर, प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने 19 नवम्बर, 1984 को स्वर्गीय प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी के न रहने पर उनके जन्म दिन पर इस बात की घोषणा की थी कि देश के करोड़ों मछुवारों के लिये एक नेशनल मछुवा कल्याण योजना लागू की जायेगी और वह योजना सारे देश में लागू कर दी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत ही हमारे प्रदेश में भी यह योजना लागू की गयी है कि मछुवारों के समुदाय के लिये जो नदियों में जलाशयों में मछली का शिकार करते हैं, कभी-कभी उनकी दुर्घटना हो जाती है इसलिये बीमा योजना लागू की गयी है और अगर कोई आदमी मर जाता है तो 15 हजार रुपये और अगर अपंग हो जाता है तो साढ़े सात हजार रुपये मछुवारों को दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी, आप कितना और समय लेंगे ?

श्री सीताराम निषाद—

10 मिनट और चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

आज दो बजट हैं, आप कम से कम समय में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, उस निर्माण योजना के अन्तर्गत मछुवा समुदाय के लोगों को उनकी पढ़ाई-लिखाई में भी सुविधा देने के लिए हाईस्कूल से लेकर डिग्री कालेज तक जो मछुवा समुदाय के बच्चे पढ़ेंगे, उनकी जो फीस हैं उसमें 50 प्रतिशत की छूट देने का कार्य हमारी सरकार ने किया हैं और इस योजना के अन्तर्गत 2 लाख रुपये वित्तीय वर्ष में दिया हैं जिससे गरीब मछुवा समुदाय के लड़कों को उससे बड़ी राहत मिलेगी । मान्यवर, मछुवा समुदाय का जहां बाहुल्य हैं वहां जिनके पास मकान नहीं हैं उनको रहने के लिए भवन बनाने की भी योजना हैं समुदायिक हाल मछुवा आबादी में निर्माण किया जायगा । यह मछुवा कल्याण की एक विशेष योजना हैं जो हमारे प्रदेश में चलायी जा रही हैं । इसके अलावा मान्यवर, इस वर्ष हमारी सरकार ने फिशरी इस्टेट की योजना भी इस प्रदेश में लागू की हैं । आपने भी देखा होगा कि नहरों के किनारे सीपेज हो जाने के कारण पानी भरा रहता हैं, जमीन बरबाद हो जाती हैं, खेती नहीं हो पाती हैं । उस पानी का उपयोग करने के लिए फिशरी इस्टेट की व्यवस्था की गयी हैं । उसमें छोटे-छोटे जलाशय बनाकर यह निर्णय लिया गया हैं कि मछुवा और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को उसको सुधार करके उनको दे दिया जायेगा, उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी जायेगी ।

मान्यवर, विश्व बैंक की योजना हमारे प्रदेश में लागू हैं । 24 जिले विश्व बैंक की योजना में लिये गये हैं । मत्स्य पालक विकास अभिकरण 24 जिलों में बनाये गये हैं और अन्य 22 जिलों को उनके राज्य-स्तर की योजना में लगाकर वहां पर भी मत्स्य पालक विकास अभिकरण बनाया गया हैं । इस प्रकार पूरे प्रदेश के 48 जिलों में पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ करके मत्स्य पालक विकास अभिकरण बना करके तालाब के पट्टे देने, जिला बैंक से लोन दिलाने और उसमें 25 प्रतिशत की छूट दिलाने का कार्य, यह मत्स्य पालक विकास अभिकरण की तरफ से किया जाता हैं । पहले एक हेक्टेयर के तालाब में केवल 600 कि0 ग्रा0 मछली पैदा होती थी लेकिन आज मौजूदा जो तकनीकी हमारे मत्स्य विभाग में अपनाई हैं उससे 3 हजार किलोग्राम मछली प्रतिवर्ष एक हेक्टेयर तालाब में पैदा होती हैं और उससे 15-16 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मत्स्य उत्पादन में लाभ हो रहा हैं, जो कृषि या अन्य प्रकार से आमदनी होती हैं, उससे बहुत ज्यादा हैं । इस तरह से मछुवा समुदाय के लोग या अन्य जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उन्हें बहुत बड़ा फायदा हो रहा हैं और उससे उत्पादन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हैं और उससे मछुवा समुदाय के लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो रहा हैं । इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे पशुधन मंत्री बोल रहे थे और उन्होंने यह कहा कि अंग्रेजों के जमाने में तो कोई दवा नहीं थी और यह था, वह था, तो मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ फिजूलखर्ची की जा रही हैं और दूसरी तरफ यह आलम हैं । जो जानवर मान्यवर, बीमार होता हैं और जो उसको लेकर अस्पताल में जाता हैं उससे 20 पैसे लिये जाते हैं और उसको 2 पैसे की दवा नहीं दी जाती हैं । यदि हमारी बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गलत हो जाय तो आप मुझे जो सजा देना चाहे दे दें जो 'ए' क्लास के अस्पताल हैं उनको आप 4 हजार रुपया देते हैं, और जो सैकिन्ड क्लास के अस्पताल हैं उनको 3 हजार रुपया सालाना देते हैं। उसमें उनका तेल, किराया, चपरासी, आना-जाना और जानवरों की दवा की खरीद भी है। यह आलम है आपके इन अस्पतालों का। दूसरे जो स्टेट हैं, तामिलनाडु और महाराष्ट्र आदि, उसमें 10 हजार और 15 हजार रुपया सालाना उन अस्पतालों को दिया जाता है। आपके यहां तो 35-40 हजार जानवरों की पापुलेशन पर 1 अस्पताल है जब कि दूसरी जगहों पर इतनी पापूलेशन पर कई अस्पताल हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप इन अस्पतालों की तादाद बढ़ायें और कम जानवरों पर एक अस्पताल रखें। इसी तरह से किसी अस्पताल में एक्स-रे की व्यवस्था नहीं है। यदि किसी जानवर का पैर टूट जाय तो उसके लिये आपके पास कोई इलाज नहीं है। मैं नहीं जानता कि दिल्ली आदि जगहों पर इसकी व्यवस्था है किन्तु यहां पर नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम में हर जगह छोटे-छोटे डक-ब्रीड फार्म चलाये जाते हैं। इन फार्मों की तादा बढ़ानी चाहिए। कर्नाटक में डाक्टर बुलबुले साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम इस दिशा में किया है। उसी तरह से यहां पर काम होना चाहिए। इन फार्मों में ऐसी डकें हैं जो 90 प्रतिशत अंडा देती हैं। इस तरफ हमारी सरकार का भी ध्यान जाना चाहिए। आज तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इनका गया-गुजरा विभाग है। इनके इस विभाग के अफसर भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनकी तरक्की नहीं होती। अब वे जिले के दूसरे अफसरों के साथ बैठते हैं तो ह्यूमिलियेशन फील करते हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार का आलम इस डिपार्टमेंट में फैला हुआ है। इनके विभाग के जो डाइरेक्टर साहब हैं, विजीलेंस की इन्क्वायरी उनके ऊपर चली, पता नहीं कैसे डाइरेक्टर हो गये। अलीगढ़ के मामले में इन्क्वायरी हुई था। जिस दिन वे डाइरेक्टर हुये, उसी दिन विजीलेंस की रिपोर्ट आ गई थी। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी को मैं आधा मंत्री मानता हूं। पूरा तो नहीं मानता। अगर उनमें नैतिकता है तो इन डाइरेक्टर के खिलाफ, जो विजीलेंस की रिपोर्ट है, उसको दिखवा लिया जाय। पैसा कमाने का धन्धा इनके विभाग ने बना रखा है। डिप्टी चला जाता है। इस तरह से अगर मंत्री जी डाइरेक्टर के यहां छापा मारने के लिये एक दस्ता बनवा दिया, उसमें सट्टेबाजी होती है। आधा पैसा उनके यहां चलायें।

माननीय, इन्होंने आपरेशन फ्लड टू के बारे में कहा। जो जिले जी0 टी0 रोड के अन्तर्गत आते हैं, उन्हीं 28 जिलों को ये उससे सुविधा देते हैं, बाकी को नहीं देते हैं। लाखों रुपया इस मद में प्रतिवर्ष खर्च हो रहा है। इन डाक्टरों के पास कोई काम नहीं रह गया है। क्या आपके ये डाक्टर नालायक हैं। उनके पास कोई दवा नहीं है। मरीज आता नहीं है तो आई0 आर0 डी0 और नसबन्दी वाले वही काम करते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप डक ब्रीड फार्म चलायें, उससे आपको काफी लाभ होगा।

एक सुझाव मैं आपको और देना चाहता हूं। यदि हम चाहें कि हमें आप 4 अच्छे नस्ल की बछिया दे दें, 4 अच्छी

नस्ल की भैंस दे दें, तो आप नहीं दे सकते हैं। इतने बड़े प्रदेश में आप इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है। इन विन्दुओं के साथ मैं चाहता हूं कि इस विभाग को एक भी पैसा न दिया जाय और विजीलेंस की रिपोर्ट, जिसका मैंने जिक्र किया, उसे सदन के पटल पर रखा जाय।

*कैप्टेन बल्देव सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और माननीय मंत्री जी के बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। जो माननीय राम सरन जी ने मखौल का प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं।

मान्यवर, ओ0 एस0-2 पी0 सी0 डी0 एफ0 के तीन मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला यह कि मिडिलमैन यानी जो बिचौलिये हैं उनके शोषण से लोगों को मुक्त करना। इस योजना में जब समितियां बनाई जाती हैं तो सबसे ज्यादा विरोध मिडिलमैन की तरफ से होता है। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जो इस प्रदेश में दुग्ध अधिनियम है उसमें जब तक इसे काग्निजबुल आफेंस नहीं बनायेंगे, यह समस्या बनी रहेगी और इसका पूरा पालन नहीं हो पायेगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस ओ0 एस0-2 का पिछले 3-4 सालों में यानी जहां 1982 में 260 समितियां गठित हुई थी और जिसके 21 हजार सदस्य थे, आज 1985-86 में 2 हजार समितियां गठित हो गयी हैं और उसके 1 लाख 70 हजार सदस्य हो गये हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि यह कितनी लोकप्रिय योजना है और जनता की कितनी इसमें रुचि है।

दूसरा इसका जो उद्देश्य है वह टैक्निकल इनपुट्स देकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। इसके अंदर आइ0 डी0 सी0 के माध्यम से भी सहायता मिलती है। इसमें आर्टीफिशियल इनसैमिनेशन, हरा चारा तथा अन्य सुविधायें किसानों को देते हैं। उसमें अगर पैसे के अभाव में कटौती होती है तो उससे इस योजना को नुकसान होगा। मैं अनुरोध करूंगा जैसा मुझे बताया गया है अलीगढ़ दुग्ध संघ के जो आइ0 डी0 सी0 के रिप्रजेंटेटिव हैं, उन्होंने बताया कि कुछ कटौती करने वाले हैं तो इस ओर सरकार की तरफ से कार्यवाही की जाय।

तीसरा जो इसका उद्देश्य है, बड़े-बड़े नगरों में मिल्क सप्लाई करना। उसमें भी एक परेशानी हो गयी है कि समितियों द्वारा जो दूध कलेक्ट किया जाता है वह अब पी0 सी0 डी0 एफ0 की कैपेसिटी से ज्यादा हो गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी पैसे की आवश्यकता हो, इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए प्रबंध करें।

अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ में जो निगम है सी0 डी0 एफ0 का उसकी पिछले 3 सालों में यह स्थिति हो गयी थी कि सरकार उसको बंद करने वाली थी लेकिन इस साल वहां के अधिकारियों ने काफी मेहनत करके उसे प्राफिट में लाया है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कैप्टन बलदेव सिंह—

एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि वह निगम प्राफिट में आ गया है। यहां पर एक बहुत बड़ा डेरी फार्म है जो कि ब्रिटिश राज्य में बना हुआ था उसका दुरुपयोग हो रहा है। वह भी आपके एनीमल हसबेंडरी विभाग के अन्तर्गत आता है, इसे सी0 डी0 एफ0 में ट्रान्सफर करके इसको लाभदायक बनायें।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका मैं आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का समय दिया।

मान्यवर, रैबीज, कुत्ते के काटने की बीमारी भयंकर बीमारी है, जिसके संबंध में तीन दिन पहले दिल्ली में सम्मेलन हुआ और वहां बताया गया कि यह भयंकर बीमारी है जिसके रोकथाम के लिये तुरंत उपाय होने चाहिए। मैं आज सोच रहा था कि मंत्री जी ने "एन्टी रैबीज वैक्सीन" अस्पतालों में पहुंचाने के आदेश दिये होंगे और कुत्तों को लगवाने के संबंध में यहां कोई घोषणा करेंगे। लेकिन अफसोस है कि बजट में इसके संबंध में कोई प्राविधान नहीं किया गया। मान्यवर, जिसने कुत्ते काटे मरीज को तड़पते हुए देखा है उसको इसका अंदाजा होगा कि यह कितनी भयंकर बीमारी है। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और यह वैक्सीन हर डिस्पेंसरी में उपलब्ध करा दी जाये।

मान्यवर, गायें उत्तर प्रदेश से कलकत्ता भेजी जाती हैं और बहाना होता है कि डेरी और कृषि कार्य के लिये जा रही हैं और इस बहाने को लेकर न मालूम कितनी गायें मुरादाबाद, बरेली, दलपतपुर से चोरी से रातों रात कलकत्ता भेजी जाती हैं। यह गायें फर्जी लाइसेंस बनवाकर कलकत्ता जाती हैं और वहां कटती हैं। मैं मांग करता हूं कि सरकार कोई ऐसा आदेश पारित करें जिससे उत्तर प्रदेश से गायों का निर्यात बंद हो जाये और डेरी एवं कृषि कार्य हेतु ले जाई जा रही हैं इसका बहाना लेकर जो कलंक उत्तर प्रदेश और देश के माथे पर लग रहा है कि यहां से गायों का मांस करोड़ों-करोड़ों टन विदेशों को निर्यात होता है, यह कलंक न लगे।

मान्यवर, वेटनरी अस्पतालों की जो समस्या है उसको वहां देखते ही बनता है। जिला अस्पताल जो आदमियों का है वहां ए0 पी0 सी0 की गोलियां तो मिल जाती हैं लेकिन वेटनरी अस्पतालों में यह गोलियां भी नहीं हैं और न बांधने के लिये पट्टियां ही हैं। वहां बाहर से डाक्टर दवाइयां लिख देते हैं, जिनको बाहर से जनता को दवाइयां खरीदना पड़ता है। इसलिये इन अस्पतालों से कोई फायदा नहीं हो रहा है और जो श्री राम सरन ने कहा है, वह ठीक ही कहा है कि यदि इन बेजुबानों के जुबान होती तो वह भी विधान सभा का घेराव करते कि अस्पतालों में दवाई नहीं है। इसलिये मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि दूध उत्तर प्रदेश से बाहर भेज रहे हैं। मुझे खुशी होती कि यदि वह कहते कि उत्तर प्रदेश के सारे बच्चों को दूध उपलब्ध करवा दिया है, तो शायद हम लोग उनसे कहते कि विरोध पक्ष कहता कि पदम श्री की उपाधि मंत्री जी को दे दी जाय। मान्यवर, आप देखें कि दूसरे प्रान्तों ने दूध

का नदियां बहा दिया लेकिन अपना उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, तो इससे शर्म और नीचता की और क्या बात हो सकती है ।

मान्यवर, बरेली में पिछले वर्ष चोरों से ले जाते हुए एक ट्रेन पकड़ी गयी थी जिसमें गायें ले जाई जा रहीं थीं और पकड़ने पर उनको गोशाला में भेजा गया । उनके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने उन गायों के लिये एक भी पैसा नहीं दिया, जिससे कि उनको चारा दे सकते । मान्यवर, बरेली की जनता चंदा करके उन गायों को 800-900 रुपये का प्रतिदिन चारा खिलाती है । वहां की जनता ने सरकार से मांग किया था कि गायों के चारा खिलाने के लिये अनुदान दिया जाये लेकिन पशु पालन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । इन शब्दों के साथ मैं श्री राम सरन जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री बद्री सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का जो विरोध पक्ष के माननीय सदस्य ने रखा है, उसका घोर विरोध करता हूं । इस बजट में पशुओं के संबंध में जो बात कही गई है, अच्छी नस्ल के पशु निश्चित रूप से आज हमारे उत्तर प्रदेश में भी मौजूद हैं तथा उनको और अधिक पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है । सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात यह है कि उत्तर भारत में केवल हमारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कलकत्ता को 40 हजार लीटर दूध प्रतिदिन भेजा जाता है । यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहां दूध की कोई कमी नहीं है । जब हम दूध प्रदेश से बाहर को भेजते हैं तो वह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि हमारे प्रदेश में काफी दूध है और हमारे प्रदेश में दूध की कमी नहीं है । इसका दूसरा प्रमाण यह है कि आप लोग कटौती प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता को देखें तो उनके स्वास्थ्य और सेहत को देखकर भी कह सकते हैं कि यहां पर दूध की कोई कमी नहीं है । इसके अतिरिक्त 20,000 लीटर दूध प्रतिदिन यहां से बिहार को तथा 1.5 लाख लीटर दूध दिल्ली की दुग्धशालाओं को भेजा जा रहा है । इसी प्रकार 83 में ग्रामीण सहकारी दुग्ध समितियों का निर्माण हमारे विभाग की ओर से किया गया और उसके माध्यम से उसी वर्ष 83 में 70,800 लीटर दूध, 1984 में 1 लाख 19 हजार 400 लीटर दूध और 1985 में 2 लाख 6 हजार 500 लीटर दूध प्रतिदिन उपार्जित किया गया । इससे स्पष्ट है कि हमारा विभाग उन्नति की ओर जा रहा है । दुग्ध उत्पादन का यह एक अच्छा कीर्तिमान है । इसके अतिरिक्त जो हमारी आनन्द पद्धति की दुग्ध सहकारी समितियां हैं, उन्होंने दुग्ध विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय कार्य किया है । यह समितियां 1982 में मात्र 260 थीं, 1983 में यह 920 हुईं, 1984 में यह 2,095 हो गईं और 1985 में इनकी संख्या बढ़कर 3,153 हो गई । इससे यह निश्चित रूप से प्रकट हो जाता है कि प्रदेश के लोगों में दुग्ध उत्पादन के प्रति कितनी रुचि है, कितना अधिक उत्साह है और वह इसे कितना अधिक महत्व देते हैं । जहां तक समिति के सदस्यों की संख्या का सवाल है, उसमें भी

अच्छी वृद्धि हो रही है, 82 में यह सदस्य संख्या 21 हजार थी, 83 में बढ़कर यह संख्या 56 हजार हो गई, 84 में 1 लाख 9 हजार हो गई और 85 में यह संख्या बढ़कर 1 लाख 70 हजार हो गई । इससे यह निश्चित हो रहा है कि सहकारिता आन्दोलन के प्रति ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों का विश्वास बढ़ रहा है । इसी तरह दुग्ध विक्रय के मामले में भी इस प्रदेश के दुग्धशाला विकास विभाग ने काफी उन्नति की है । साथ ही संतुलित पशु आहार विक्रय के सम्बन्ध में भी इस विभाग ने काफी उन्नति की है और बहुत अच्छा काम किया है । इसी तरह घी विक्रय और मक्खन विक्रय में भी पी0 सी0 डी0 एफ0 दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है और आगे ही बढ़ता चला जा रहा है ।

अब मैं अपने जनपद जालौन के बारे में कुछ बातें इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं । जालौन जिले को 87-88 में बी0 ए0 आई0 एफ0 में लिया जा रहा है, जिससे वहां पर ओ0 एफ0-2 की भांति दुग्ध का विकास हो सके । मेरा निवेदन है कि ओ0 एफ0-2 की भांति ही अन्य जनपदों के समान जालौन जिले के लिए भी आप धन का प्रावधान करें । इसके साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री विष्णु दत्त—

मान्यवर, पशुपालन विभाग हमारे प्रदेश के लिए सबसे महत्व का विभाग है । सूबे के 85 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं और इन लोगों का एक मुख्य धन्धा पशुपालन भी है । विभाग की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई है, वह झूठ है । आप अपने प्रदेश के बाहर दूध भेजने के लिए अपनी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रदेश के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनको 100 ग्राम भी दूध आप एक दिन में नहीं दे सकते हैं, यह कितने शर्म की बात है । एक वर्ष में प्रतिदिन प्रति बालक आप डेढ़ सौ ग्राम दूध देने की स्थिति में हैं ।

यह आपका विकास है । आपने सहकारी समितियों की बड़ी चर्चा की । यह जो 1982 की रिपोर्ट है, प्रदेश सरकार ने एक जांच करायी थी तो उसमें पाया कि जो सहकारी समितियां थीं उसमें केवल 30 प्रतिशत कार्यरत थीं और 13.5 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ तो यह सहकारी समितियों की दशा है । मैं निवेदन करूंगा कि पशु जो बेजुबान हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या इलाज है । एक ब्लाक में दो अस्पताल हैं लेकिन कहीं पर भी डाक्टर नहीं हैं । दवाओं का इतना अभाव है कि जो किसान अपने पशु लेकर जाते हैं तो उनसे पैसा लिया जाता है, तब उनको दवा दी जाती है । कमजोर वर्ग के लोगों को, भूमिहीनों को बहुत राहत मिल सकती है, यदि उनके पशुओं का ठीक से इलाज हो जाय । मेरे क्षेत्र से एक हरिजन का पत्र आया है, उसने लिखा है कि मैंने पशु खरीदने के लिये दरखास्त दी थी तो ग्राम सेवक 45 रुपये मांग रहा है और डाक्टर कहता है कि 250 रुपये हमें दो, तो मैं रिकमेंड करूंगा । तो मेरा निवेदन है कि डाक्टर और ग्राम सेवक मिलकर लोगों का पैसा खा जाते हैं । आप ऐसी व्यवस्था करें कि मेला लगवायें और मेले में अच्छी नस्ल के पशुओं को स्वयं देने की व्यवस्था करें तभी दूध का उत्पादन बढ़ेगा । इसी के साथ-साथ जो गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी

के लिये पैसा देते हैं तो उसका लाभ गरीब लोगों को नहीं मिलता है और जबरदस्त लोग उस पैसे को खा लेते हैं। मछली पालन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मछुवों की रोजी छीनी जा रही है। आपने कहा कि उनको तालाबों के पट्टे देंगे लेकिन मछुओं को पट्टा नहीं मिला है और जबरदस्त लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने तालाबों पर कब्जा कर लिया है और मछली पालने का काम करते हैं और मछुवे दर-दर भटक रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मत्स्य पालन कराया जाय तो बहुत लाभ होगा क्योंकि मछली हमारे लिये बहुत उपयोगी है। जो लोग मांसाहार करते हैं उनके लिये मछली बहुत उपयोगी है। मछलियों का उत्पादन तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक मछली पालने वालों को सुविधा नहीं दी जाती। इसी तरह से जब तक पशु पालने वालों को सुविधा नहीं दी जायगी तब तक दूध का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। मेरे क्षेत्र मधुबन में प्रजनन केन्द्र खोला जाय। पूर्वी जिलों में इसकी बड़ी कमी है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री समर पाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बोलने के लिए अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं राम सरन जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आज बड़ी बोरियत हो रही थी आपने सदन का बड़ा मनोरंजन किया। उन्होंने क्या बात कही यह तो सदन नहीं जानता है लेकिन हमारा मनोरंजन अवश्य हुआ। इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूं। मान्यवर, पशु पालन और दुग्ध उत्पादन का काम बड़े शहरों के आसपास तथा एकीकृत विकास योजनाओं द्वारा दिये गये पशुओं के अतिरिक्त बाकी सारे देश मे और प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और पशुपालन का काम किसान लोग ही करते हैं क्योंकि किसानों को खेती से जो आमदनी होती है, वह तो 6 माह बाद ही होती है। परन्तु किसानों को तो रोजाना पैसे की आवश्यकता होती है। यदि यह लोग पशु-पालन और दुग्ध उत्पादन की तरफ ध्यान दें तो रोजमर्रा की जरूरतें इनकी पूरी होती रहेंगी। मान्यवर, हमारे जिले में मैं रोजाना देखता हूं कि किसानों की भीड़ लगी रहती है यह कहते हुए कि हमारे यहां दुग्ध उत्पादन समिति गठित की जायें और ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन किया जाये। मान्यवर, यह एक आश्चर्य की बात है कि कहां पहले तो इस काम को अलाभकारी समझा जाता था परन्तु आज उनकी इस जिज्ञासा से यह पता चलता है कि अब दूध उत्पादन का कार्य लाभकारी हो गया है। पहले हमारे यहां दलपतपुर दूध डेरी में एक शिफ्ट के लिए भी दूध की आपूर्ति नहीं थी जब कि आज दो-दो शिफ्टों के लिए दूध उपलब्ध है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां दलपतपुर डेरी में बजाय 2 शिफ्टों के 3 शिफ्टों में दूध की प्रोसेसिंग का काम शुरू कराने का कष्ट करें ताकि जिले में दूध का विपणन अच्छी तरह से हो जाये। और मान्यवर, यह तो सर्वमान्य है कि डेरी का काम अलाभकारी होता है, लेकिन मान्यवर, मैंने हालैण्ड की

अरौंरा डेरी को देखा हैं और भी डेरियां मैंने देखी हैं, लेकिन यह डेरियां राष्ट्रीय अनुदान से चलती हैं। और जैसा माननीय मन्त्री जी ने बताया उत्तर प्रदेश में आपरेशन फ्लड-2 के माध्यम से जो उपलब्धि प्राप्त हुयी हैं, वह अपने आप में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हैं। इसलिए मान्यवर, माननीय मंत्री जी की प्रशंसा किये बगैर नहीं रह सकता हूं। यह 3 साल की उपलब्धि हैं, जिसका मुकाबला मान्यवर, गुजरात की आनन्द डेरी से नहीं किया जा सकता हैं, यह ठीक हैं कि आनन्द डेरी में दूध उत्पादन अधिक हो रहा हैं, परन्तु यह जानना आवश्यक हैं कि उसकी स्थापना आज की नहीं हैं, वर्ष 1947 की हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि हम अपने देश के लोकतंत्र का जो केवल 30-35 वर्ष पुराना हैं इंगलैण्ड के लोकतंत्र, जो 300 वर्ष से भी पुराना हैं, नहीं कर सकते फिर भी इस अभूतपूर्व उपलब्धि की जितनी भी प्रशंसा की जाए मान्यवर कम हैं, साथ ही मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इससे संबंधित कुछ खास बातों की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि पशुपालन में आज चारे का भी महत्व हैं और इसी पर उत्पादन भी निर्भर करता हैं, परन्तु मान्यवर, आज देखा यह जा रहा हैं कि हमारे किसानों का ध्यान विशेष रूप से पूर्वी जिलों की इस ओर नहीं हैं, इसलिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए और उनको चारे का महत्व बताया जाय। आप मान्यवर, देखें कि पश्चिमी जिलों की हालत इस संबंध में अच्छी हैं। वहां अधिक दुग्ध उत्पादन होता हैं। माननीय राम सरन जी के शरीर से ही वहां के पशुपालन और दुग्ध उत्पादन का अंदाजा लगाया जा सकता हैं।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, माननीय राम सरन जी थन से दूध पीते हैं (हंसी)।

श्री अधिष्ठाता—

मनोहर लाल जी आप यह भी बता दीजिए कि यह थन से किस तरह से दूध पीते हैं (हंसी)।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, इस संबंध में स्वंय वह जानते हैं।

श्री समरपाल सिंह—

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री मनोहर लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, एक कहावत हैं कि मथुरा की लड़की और वृन्दावन की गाय, करम फूटे तो बाहर जाय। तो मान्यवर, आज वृन्दावन या मथुरा की गायों के ही करम नहीं फूटे हैं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की गायों के करम फूट गये हैं। मान्यवर, आज बच्चों के दूध पीने के लिए तो छोड़िए, उसकी कौन कहे। परन्तु आज भगवान सत्यनारायण की कथा के लिए भी दूध की उपलब्धता दुर्लभ हो गयी हैं और हमारे माननीय पशुधन मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे यहां दूध की कमी नहीं रही हैं, हम प्रदेश से बाहर दूध भेजते हैं। मान्यवर, जब कि प्रदेश की हालत यह हैं कि सत्यनारायण की कथा के लिए दूध उप-

लब्ध नहीं हो पाता है, बच्चों को दूध पीने की बात कौन कहे, कारण यह है कि उत्तर प्रदेश से गायें बाहर भेजी जा रही हैं। अगर आप गांव के बच्चों के चेहरे को देखें, तो आप महसूस करेंगे कि सालों से उन्होंने दूध का मुंह नहीं देखा है। जहां तक पशु चिकित्सालयों की बात है, उनकी संख्या नगण्य है। पशुओं की संख्या को देखते हुए पशु चिकित्सालय बढ़ाये जाने चाहिए। अब मैं जब से हमारा देश आजाद हुआ है, सन् 47 से, तब से हमारे प्रदेश में हर साल दूध की कमी होती चली गयी है। इसका कारण मौजूदा कांग्रेस सरकार है, जिसकी गलत नीतियों के कारण हमारे प्रदेश से पशुओं की नस्ल नहीं बढ़ पा रही है। चूंकि राम सरन जी थन से दूध पीते हैं और उधर के बैठे हुए लोग पता नहीं कैसे दूध पीते हैं, इसलिए इन लोगों के चेहरे पर कुछ लाली दिखाई दे रही है। लेकिन यह बात गांवों में देखने को नहीं मिलेगी। कानपुर स्थित मिल्क डेरी लगभग 8-10 साल से बन्द पड़ी है और वहां के मजदूर बेकार हैं। लाखों रुपये की मशीनें बेकार पड़ी हैं। इसी तरह से अन्य जिलों में भी जहां सरकार ने दूध की डेरी खोली थी, वह बिल्कुल असफल हो गयीं और घाटे पर चल रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि पशुधन मंत्री इस तरफ ध्यान दें कि किस तरह उन डेरियों की रक्षा की जा सके और किस तरह से पशुओं के अस्पताल बढ़ाये जा सकें। हमारे उन्नाव जनपद में पशुओं के चिकित्सालय की बहुत कमी है।

अब मैं मत्स्य विभाग पर भी कुछ कहना आवश्यक समझता हूं। माननीय मत्स्य विभाग मंत्री, जिन्होंने अभी बड़े जोश में अपनी सरकार की क्रांतिकारिता के बारे में यह बताया कि सन् 1981 से मछुआ समुदाय के लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए तालाबों व नदियों से मछली पकड़ने के लिए 10 साल के ठेके देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। यह सब ढकोसला है और झूठे आश्वासन हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जितनी भी मछुआ समुदाय की समितियां बनी हैं, उनको आज तक 10 साल के पट्टे सिर्फ कागजों तक ही मिल पाये हैं और उन्हें कब्जा वगैरह नहीं मिल पाये हैं। मछली पकड़ने का काम दूसरे लोग अधिकारियों से मिल कर कर रहे हैं। सरकारी पक्ष के लोग भी इन फर्जी सहकारी समितियों के बनवाने में साथ दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के ही एक एम0 एल0 सी0 हैं जो हमीरपुर में बालू निकालने का काम करते हैं, जो बिलकुल गैर कानूनी है। यह काम मछुआ समुदाय के लोगों की सहकारी समितियों को मिलना चाहिए। लेकिन इस सरकार में दम नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सके। मत्स्य विभाग में एक मिस्टर रखे जा रहे हैं, जो सिंचाई विभाग के इंजीनियर थे। वह मत्स्य विकास निगम में लगभग 5 साल तक प्रतिनियुक्ति पर थे, उस पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप थे और माननीय मंत्री जी जब विधायक थे, मंत्री नहीं थे, उस समय उन्होंने तत्कालीन मंत्री से उनकी शिकायत करके उनको हटवाने का काम किया था। लेकिन डाक्टर संजय सिंह, परिवहन मंत्री ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को पुनः निगम में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अमेठी में संजय सिंह के तालाबों को बनवाने का काम किया हो और कुछ तालाब बनने से रह गये हों।

माननीय संजय सिंह उनको कहीं से भी बुलाकर तालाब बनवाने का काम करवा सकते हैं। मेरा यह कहना है कि निगम के सर्वोच्च प्रबन्ध निदेशक जैसे पद पर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को पुनः न लाया जाय। कानपुर जनपद में गूजर ताल में मछुआ समुदाय के लड़कों के लिए शैक्षिक योग्यता में छूट देते हुए प्रशिक्षण देने का कार्य होता था। लेकिन यह योजना बन्द कर दी गयी है। मैं चाहता हूं कि इसे पुनः चालू किया जाय। विभाग के जितने भी ट्रेनिंग सेन्टर हैं, पैसा वर्ल्ड बैंक से मिलता है, वह सब सेन्टर पंत नगर को दे दिये गये हैं और चिनहट प्रशिक्षण केन्द्र सेन्ट्रल फिशरीज को दिया जा रहा है। ऐसा क्यों ? बालू ठेका व नाव, घाट की नीलामी मछुआ समुदाय के लोगों को ही दिया जाना चाहिए। विकास खण्ड सूरतगंज, बाराबंकी के अन्तर्गत घाघरा नदी एवं सुमली नदी के टुकड़ों के क्षेत्र को मछुआ समुदाय के लोगों को मछली पकड़ने के लिए पट्टे पर 10 साल के लिए देने को तय हुआ था, उन लोगों से बाईस रुपया भी जमा करवा लिया गया था तथापि स्टाम्प के लिए 5,876 रु0 भी ले लिये गये, लेकिन आज तक उनको कब्जा नहीं मिल पाया। दूसरे लोग मछली पकड़ने का काम अधिकारियों से मिलकर कर रहे हैं। इसी तरह से आगरा, कानपुर, हमीरपुर, उन्नाव आदि जिलों में भी हो रहा है। इस तरह से माननीय मंत्री ने, जो अपनी सरकार की तरफ से यह कहा है कि 1981 से उनकी सरकार मछुआ समुदाय के लिए 10 साल के पट्टों पर मछली पकड़ने का काम दे रही है, यह सिर्फ थोथी घोषणा है। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे मत्स्य विभाग और पशुपालन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आभारी हूं। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मत्स्य विभाग एवं पशुपालन विभाग के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और श्री राम सरन दास तथा विरोध पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अभी-अभी मनोहर लाल जी ने कहा कि शासन ने मछुआरों को धोखा देने के लिए 81 में शासनादेश निकाला जिसके तहत मछुआरों को कोई फायदा नहीं हुआ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, चौधरी साहब उधर से बोल रहे हैं और कुछ मेरे बारे में कह रहे हैं तो क्या आप मुझे बाद में स्पष्टीकरण का अवसर देंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि स्पष्टीकरण का मौका मिले।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद—

श्रीमन्, हमारी सरकार ने मछुआरों के कल्याणार्थ बहुत से शासनादेश किये थे। मछुआरों को, जिनको पृथ्वी से कोई लगाव नहीं था, जो केवल पानी पर रहते थे उनकी उन्नति के लिए कई शासनादेश शासन ने किये। 1981 में जो शासनादेश हुआ, उसमें यह था कि मछुआरा

समुदाय को सामान्य तीन वर्ष की औसत आय पर 10 वर्ष का पट्टा दिया जायेगा। श्रीमन्, इससे काफी प्रगति हुई है। उत्तर प्रदेश में जो मछुआरे एस0 डी0 एम0 के यहां नहीं जा सकते थे, जिला परिषद् में नहीं जा सकते थे, आज वह इन शासनादेशों के आधार पर कचहरियों में जाकर पट्टा ले रहे हैं। श्रीमन्, काफी पट्टे हुए हैं और उनसे काफी लोग लाभान्वित हुए हैं। श्रीमन्, यह जरूर है कि जहां कुछ अच्छाई होती है, वहां कुछ बुराई भी होती है। मुझे यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि अगर 75 प्रतिशत मछुआरों के हक में पट्टे हुए हैं तो 25 प्रतिशत अधिकारियों की मिली-भगत से दूसरे लोगों के हुए हैं लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उसमें मछुआरों का भी हाथ है।

श्रीमन्, मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मछली विभाग को आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो सिंचाई विभाग, राजस्व, वन, नजूल, जिला परिषद्, नगर विकास के अन्तर्गत जो झील आदि हैं, उनमें मत्स्य विभाग के अधिकारियों को पट्टा करने का अधिकार दिया जाय। इससे यह लाभ होगा कि गरीब मछुआरों को हर जगह दौड़ना नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

अब आप विराजिये।

श्री जगाहर सिंह यादव—

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान एक ज्वलन्त विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं। यदि सरकार ने तुरन्त कोई आदेश न दिया तो उत्तर प्रदेश के काश्तकारों का बड़ा नुकसान हो जायेगा। जो दूध का काम करते हैं, उनकी जीविका का मुख्य साधन दूध ही है वार्षिक लाभ दूध से ही होना है। मार्च के अन्त में और अप्रैल के शुरू में सरकार की तरफ से एक अध्यादेश जारी हो जाता है कि कोई भी दूध बेचने वाला दूध का कोई सामान नहीं बना सकता है। मेरे इलाहाबाद में दूध की डेरी है। लेकिन वहां पर यह आर्डर लागू हो जाता है, सारे गांवों में पुलिस जाकर नाजायज ढंग से पैसा वसूल करती है। मिल्क बोर्ड उनका दूध खरीद नहीं पाता है। किसान कोई सामान बना नहीं सकते हैं, एक लीटर दो लीटर दूध रोजाना कोई बाजार से नहीं ला सकता है शहर से 30-40 किलो मीटर पर गांव है। गत वर्ष हजारों मन दूध रोजाना बरबाद हुआ। सैकड़ों आदमियों को जेल भेज दिया गया। मैंने अधिकारियों से सम्पर्क किया और कहा कि यदि यह आदेश लागू है, तो दूध खरीदवाईये। लेकिन डेढ़ सौ गांवों के नाम देने के बाद 30-35 गांव का दूध खरीदा गया शेष दूध मिल्क बोर्ड नहीं खरीद सका। काश्तकार क्या करे। गर्मी में अपनी गायों बेंच दें। माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करें और अन्तिम निर्णय लेकर कोई रास्ता निकालें। दूसरा निवेदन मैं कृत्रिम गर्भाधान के बारे में करना चाहता हूं। आप अपने अधिकारियों से पूंछ लीजिये 90 प्रतिशत सर्विस असफल हो जाती है केवल 10 प्रतिशत सर्विस सफल होती है। इसका क्या कारण है। इसके लिये जरूरी है कि अच्छे-अच्छे सांड़ गांवों में

रखे जायं। जिससे उसका लाभ किसानों को मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती चारू शीला—

आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं आपकी आभारी हूं। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझती हूं कि आज मुझे समय मिला कई दिन से प्रयास कर रही थी। हमारे माननीय मंत्री जी ने पशुधन के ऊपर जो अपना बजट पेश किया है, मैं उसका स्वागत करती हूं। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें रखी हैं, जिसकी इस समय आवश्यकता थी अपने प्रदेश को। मैं एक निवेदन करना चाहती हूं, मैं मुजफ्फरनगर के लिये कह रही हूं। वहां पर एक डेरी की आवश्यकता है, लोग परेशान हैं, दूध के लिए। जो वहां पशुओं का अस्पताल है, उसके लिये मेरा निवेदन है कि वहां पर पशुओं की दवा उपलब्ध कराई जाय और जो बछिया या बछड़े हैं, जो मर जाते हैं, किसानों को समय पर दवा उपलब्ध होने लगे तो वह न मरें। क्योंकि यह मेरा अपना भी अनुभव है। मैंने कई लोगों को दवा दिलाने का प्रयास किया, लेकिन वहां के डाक्टर कहते हैं कि हमारे यहां दवा उपलब्ध नहीं है, समाप्त हो गयी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हर जिले में ऐसी व्यवस्था रहे कि समय पर बछड़ों को सामग्री मिल जाय, तो वहां का पशुधन अच्छा हो जायगा और दूध की कमी नहीं रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी के बजट का समर्थन करती हूं।

*श्री लक्ष्मी नारायण—

मान्यवर, आपने मुझे पशुधन विकास जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, भगवान राम और कृष्ण के जमाने में इतिहास बताता है कि दूध और घी की नदियां बहती थीं, तब तो प्रदेश के बाहर कभी दूध बिकने नहीं गया, लेकिन मालूम होता है कि मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह और हुकुम सिंह सिंह जी के जमाने में दूध की नदियां बिहार पहुंच गयी होंगी। एक खेद का विषय है कि आज इसलिए हमारे पशुधन की हालत बदतर हो गयी है, क्योंकि हमारे समरपाल सिंह जी और बद्री प्रसाद जी जैसे जो पशु पालने वाले लोग हैं, उन लोगों को अपनी छोटी-मोटी बातें न कहकर अखबार गलत बातें कहनी पड़ती हैं तो इस तरह से सरकार के पास सही सुझाव नहीं आ सकता। मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र मथुरा की छाता तहसील की ओर से आना चाहता हूं। वहां कैसी कलां में एक पशु अस्पताल था, लेकिन वहां एक बार मैंने अपने एक साथी को भेजा तो वह लौटकर आया तो उसने कहा कि उसे सर्प ने काट लिया है। मैंने कहा कि उस अस्पताल में तो पशु रहते हैं तो उन्होंने कहा कि वहां अब पशु नहीं बल्कि सांप और चूहे रहते हैं। हमारे यहां मथुरा में एक वेटेनरी कालेज है, जहां भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, उस जगह घोड़े और गाय तो हैं, लेकिन गाय की अच्छी किस्म नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस वेटेनरी कालेज को यूनीवर्सिटी का दर्जा दिया जाय। मथुरा के दुग्ध संघ की हालत बहुत खराब है। बदकिस्मती से एक डेढ़ साल से जबसे इस योजना में आया, मथुरा दुग्ध संघ की हालत बदतर होती चली गयी। मान्यवर, इसी तरह से आपका ध्यान मछली पालन की ओर ले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्दीक्षण नहीं किया।

जाना चाहता हूं । हमारे यहां माठ में एक तालाब बनाया गया । वहां पर हमारे कुशल पाल सिंह जी गये तो न तालाब में पानी था, न मछली थी । इन सुझावों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लाल चन्द्र निषाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मत्स्य विभाग के मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, इस देश और प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या और खाद्यान्न के सीमित उत्पादन इन दोनों को मिलाकर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक चुनौती बन गयी है । इसमें मत्स्य उत्पादन के जरिये से आहार उत्पादन में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मेरी यह मांग है कि उत्तर प्रदेश में फिशरीज बोर्ड का गठन किया जाय । इसके अतिरिक्त यह भी कहना चाहूंगा कुछ जिले में जो मत्स्य पालक अभिकरण बनाये गये हैं, जिसका काम तालाबों का सुधार करना, उसमें पानी और मिट्टी का शोध करके मछुवारा समुदाय के लोगों को यह बताना कि मछली उत्पादन उसमें किया जाय, मैं मांग करता हूं कि हर जिले में यह अभिकरण खोले जायं और उसका सदस्य कम से कम एक मछुआरे समुदाय का भी व्यक्ति रहे । मान्यवर, कुछ जिलों में विशेषकर गोंडा और बाराबंकी में रंगीन मछलीघर बने हुए हैं । यह मैं चाहूंगा कि अन्य जिलों में भी यह रंगीन मछलीघर खोले जायें और लखनऊ में एक बहुत बड़ा रंगीन मछलीघर खोला जाय जिससे मत्स्य विभाग का प्रचार एवं प्रसार भी होगा और सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा । मान्यवर, हैचरी फार्म के जरिये जो मत्स्य बीज का उत्पादन होता है, मैं मांग करता हूं कि गोरखपुर में भी एक हैचरी फार्म की स्थापना की जाय । जो तालाबों में मछली संचित होती है, उसके लिये बीमा योजना चालू की जाय हर जिले में । मान्यवर, नेशनल फिशरमैन एसोसिएशन के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि जहां पर मछुआरे समुदाय के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं वहां पर एक सामुदायिक भवन बनाया जाय और एक प्रदेश स्तर पर लखनऊ में एक बहुत बड़ा सामुदायिक हाल बनाया जाय ताकि मछुआरे समुदाय के लोग आपस में इकट्ठा होकर अपनी समस्याओं को उजागर कर सकें और विचार विनिमय कर सकें । इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम सरन जी आप सूक्ष्म में अपनी बात कहेंगे ।

*श्री राम सरन—

मान्यवर, एक बात मैं सदन की संज्ञान में, माननीय मंत्री जी की संज्ञान में एवं अधिकारियों की संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बाढ़ के समय जो प्रभावित लोग होते हैं उनके लिये तो पैकेट आदि की व्यवस्था रहती है, लेकिन पशुओं के लिये कोई खास इंतजाम नहीं रहता है । "पन्द्रह लाख पशुओं पर मौत का साया" यह खबर बाढ़ के समय अखबार में छपी थी । मान्यवर, चारे के लिये भूसा है या और भी चीजें हैं--मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिये भी आप इस विभाग से बड़े-बड़े गोदाम बनवायें ताकि वक्त जरूरत पर चारा लेकर ऐसी जगह पहुंचाया जा सके, जहां बाढ़ के समय मवेशियों को चारे की किल्लत न हो ।

मान्यवर, राव वीरेन्द्र सिंह, जो केन्द्रीय मंत्री थे वह प्रदेश में एक जगह आये थे– उन्होंने कहा था –"पशुधन के ऊपर किये गये सभी अनुसंधान कार्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से पहुंचाने के लिए पशु वैज्ञानिकों से आग्रह किया और कहा कि अभी उनके अनुसंधान कार्य मात्र फाइलों तक सीमित रह जाते हैं तो उससे उनका दायित्व पूरा नहीं होता । उन्होंने कहा कि पशुधन को सुरक्षित रखना व उनके रोगों के बारे में उपचार विधि खोजना मानवीय रोग के उपचार से कहीं अधिक जटिल है ।" पशुओं का भी आप ज्यादा से ज्यादा बीमा करायें । अभी कुछ जिला परिषदों के पशु-चिकित्सालय थे । उनमें कुछ फोर्थ क्लास के कर्मचारी परिषद् के थे, शेष इनके विभाग के थे । लेकिन अभी कुछ जिला परिषदों के अस्पतालों का प्रान्तीयकरण कर दिया गया है, उनमें से कुछ फोर्थ क्लास के कर्मचारी इनके अधीन आ गये हैं लेकिन इनके अधिकारी इन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं । उनको हटाकर अपने लोगों को रखने की नीयत से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है । मेरे यहां दो चिकित्सालय थे, एक रामपुर में और दूसरा राणा जी के घर के पास ही कलसिया में । इनका प्रान्तीयकरण कर दिया गया है । लेकिन वहां के जो फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं, उनको वहां का डी0 एल0 ओ0 और मेरठ के डिप्टी डाइरेक्टर प्रताड़ित कर रहे हैं । इन बेचारों की सर्विस 8-8 और 10-10 साल की हो चुकी है । उनको उसी पद पर रहने दिया जाय । यदि आप कुछ गलत काम करेंगे, तो फिर उसके लिए आपको पछताना पड़ेगा ।

मान्यवर, मत्स्य विभाग के बारे में कहना चाहता हूं, मछली का कितना महत्व है, इसे आप इस एजेन्डे को देख कर लगा सकते हैं । जो हमारे स्टेट का चिन्ह है । सीताराम निषाद जी जरा ध्यान से आप सुनें । इसे आप हल्के-फुल्के तरीके से न लें । इसके लिए कुछ कर गुजरें । आगरा में एक सूरसरोवर झील है, जो 7.2 किलोमीटर लम्बी है । जलकुम्भी से यह झील ढक चुकी है । लाखों रुपये की इससे सरकार को आय होती थी । मुझे मालूम हुआ कि जिला योजना के तहत 4 लाख 48 हजार रुपये इस पर खर्च किए गए थे, लेकिन जलकुम्भी केवल 4 ईंच ये हटा पाये । जिससे लाखों रुपये का घाटा इस सरकार को प्रति वर्ष हो रहा है । इसलिए माननीय मंत्री जी आप इसकी पूरी सफाई करायें ।

मान्यवर, अब मैं दूध वाले मामले पर आता हूं । जिन जिलों में दूध नहीं होता है, उन जिलों को इन्होंने सलेक्ट कर रखा है, और जिन जिलों में दूध ज्यादा होता है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है । श्री हुकुम सिंह जी भी जब जाते हैं तो इनके गूजर घेर-घेर कर कहते हैं और कभी-कभी मैं भी चला जाता हूं । कुछ मुसलिम गूजर पहाड़ों पर रहते हैं, जिनकी संख्या 20 से 25 हजार है, जो सिर्फ दूध का ही काम करते हैं, इनको आप सेट करा दीजिए, आपका भी नाम होगा । अगर आप अपने टाइम में उन गूजरों को, जो दूध का

धन्धा करते हैं, अगर कृपा करके उनको सैंट कराकर अच्छा काम कर जायेंगे, तो आपका नाम रहेगा ।

आखिर में, मान्यवर, आपकी इच्छा पूरी करने जा रहा हूं । अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

"न सौरत, न सूरत, न तिरछी नजर,
डेयरी फारम को तो हुकुम सिंह
ले गये मुजफ्फरनगर ।"

कुमारी कृष्णा रावत—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । अगर माननीय मंत्री जी मीलिहाबाद में दो डेयरी फार्म में देंगे तो ....

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें ।

*श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं आभारी हूं सम्मानित राम सरन जी का, जिन्होंने उछल-कूद के बाद भी कोई रचनात्मक बात न कह कर मेरा हौंसला बढ़ाया । कई सम्मानित सदस्यों ने सुझाव दिया, मेरा दायित्व है कि बहुत ही संक्षेप में उनका जिक्र करूं । माननीय राम सरन जी शिकायत कर रहे थे कि कोई योजना इनकी ऐसी नहीं जिससे नस्ल का सुधार हो सके, श्री मनोहर लाल जी और सम्मानित सदस्य छाता भी कह रहे थे कि दूध कहीं बेचा जा रहा है । यह वास्तव में हमारा दुर्भाग्य है कि प्रदेश के बारे में जितनी जानकारी हमको करानी चाहिये थी, नहीं करा पाये । आश्चर्य होता है हमारे सदस्यों को कि क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश से दूध बाहर जा सकता है ? इसमें कोई चोरी की छिपाने की बात नहीं है । हमारे अपने माध्यम से जो हमारा ओ0 एफ0-2 और पी0 सी0 डी0 एफ0 का संगठन है, इसके माध्यम से प्रति दिन 1 लाख लीटर दूध दिल्ली को सप्लाई किया जा रहा है, 40 हजार लीटर रोजाना एक वैगन मुरादाबाद से कलकत्ता पहुंचता है, 20 हजार लीटर बिहार में जाता है । नेशनल मिल्क ग्रिड को विकसित किया गया है, जैसे बिजली की ग्रिड बना दी है कि जहां आवश्यकता हो भेजा जा सके, वैसे ही दूध की ग्रिड है, जहां दूध ज्यादा हो वहां से दूध को भेजा जा सके । आज समस्या वास्तव में हमारे सामने यह है कि जितनी उम्मीद हम नहीं कर रहे थे, जिस रेसपान्स की आशा नहीं कर रहे थे, आज वह रेसपान्स मिल रहा है हर जगह इतना दूध का उत्पादन बढ़ कर आया है कि हम अपनी क्षमता 4 लाख 25 हजार लीटर तक ले गये हैं और भी बढ़ाना चाह रहे हैं । कोई शिकायत हमारे उत्पादनों की नहीं आ रही है । आज आप सहमत होंगे कि कुछ दिन पहले दूध उत्पादकों का शोषण बिचौलिये कर रहे थे, आज उसका भाव 2.90 रु0 प्रति लीटर देना शुरू किया तो उनको प्रोत्साहन मिला और उनका मनोबल बढ़ा है । बरेली, पीलीभीत, बदायूं और खीरी इन चारों जगह तरल नाइट्रोजन का प्लाण्ट लगाया जा रहा है ताकि जो कमी रहती थी वह कमी न रहे । मान्यवर, यह बात सही है कि पशुओं के लिये कृत्रिम गर्भाधान शुरू किया गया था जिसमें हमारे गांव के लोगों को, किसानों को आशंका थी कि इसके डाक्टर ठीक नहीं है । इसलिये अब डीफ्रोजन सीमेन की व्यवस्था की जा रही है । जितने भी हमारे केन्द्र हैं वहां डीफ्रोजन सीमेन के आधार पर अब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गर्भाधान कराने की योजना हैं। सभी केन्द्रों पर अब इसकी आपूर्ति को जायेगी।

इसी प्रकार से मान्यवर, इस वर्ष बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर तथा बिजनौर इन तीन जगहों पर नाईट्रोजन संयंत्र लगाई जाने की व्यवस्था हैं। पशु चिकित्सा के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की बात अभी कही गयी तो इसके लिये एक्सरे की सुविधा देने के लिये दो पोलीक्लीनिक बनाये जाने की योजना हैं जिसमें एक यहीं लखनऊ में बादशाहनगर में तथा दूसरा मुजफ्फरनगर में लगाये जाने का प्राविधान किया गया हैं। संक्रामक रोगों के लिये दवायें बनायी जा रही हैं और 12 तरह की वेक्सीन तैयार की जा रही हैं।

माननीय राम सरन ने जो सुझाव दिया कि चारा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कमी के स्थानों पर उसे भेजा जा सके। इसके लिए अभी इसी वर्ष 21 जनपदों में इसके लिए बड़े-बड़े गोदाम बनाने का प्राविधान किया गया हैं जिसके लिए पी0 डब्लू0 डी0 से इसके निर्माण कार्य के बारे में बात भी कर ली गयी हैं।

मान्यवर, मत्स्य के बारे में हमारे साथियों ने काफी जानकारी दी और गूजरताल विभाग के प्रशिक्षण केन्द्र के बन्द हो जाने की बात कही। अब आई0 सी0 आर0 के सौजन्य से आगरा में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जा रहा हैं। पन्तनगर में प्रथम फिशरीज कालेज स्थापित किया गया हैं जिसमें फिशरीज से सम्बन्धित डिग्री प्रदान की जाया करेंगी।

हमारा जो लक्ष्य रहा हैं उसके पूर्ण करने के प्रयास में 838 आनन्द पद्धति के केन्द्र खोले गये हैं जिसमें 1284 लाख लीटर दूध उपार्जित किया जायेगा। इसमें 19,27,000 दुधारे पशुओं को उत्पादित किया जायेगा और सारा लाभ उनको मिलेगा।

इस संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं कि पी0 सी0 डी0 एफ0 के माध्यम से 1985 में जो दूध से वस्तुएं तैयार की गयी उसमें से घी 1830.026 मी0 टी0, इस्किम्ड मिल्क पाउडर 2188.97 मी0 टी0, टेबिल बटर 719.890 मी0 टी0, पनीर 59.116 मी0 टी0, मिल्क केक 9.492 मी0 टी0, हैं। प्रदेश के कारपोरेशन्स और निगमों के संबंध में आपने सुना होगा, उनमें से एक निगम यह भी हैं। कहा जाता हैं कि सारे निगम घाटे में चलते हैं। मुझे प्रसन्नता हैं कि जो निगम आज से दो वर्ष पहले तक करोड़ों रुपये के घाटे में जा रहा था, उसने अब अपने घाटे को पूरा कर लिया हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति में आगे बढ़ रहा हैं। अब इसके माध्यम से दूसरे संस्थानों को पनीर की, घी की तथा मीट की आपूर्ति की जाती हैं।

इसको आगे बढ़ाने में जो प्रयास हमारे विभाग के अधिकारी कर रहे हैं उससे हमें उम्मीद हैं कि इसी वर्ष हम गरीबी को मिटाने में, किसानों की मुश्किलों को दूर करने में हम बहुत कुछ सफल हो सकेंगे। बहुत कुछ आवश्यकता हैं और इसमें बहुत कुछ करने की अभी गुंजाइश हैं और यह हमेशा रहेगी। मैं माननीय राम सरन दास जी से कहना चाहूंगा कि जिस गम्भीरता के साथ उन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव को यहां रखा हैं, उसे उसी गम्भीरता के साथ आशा करता हूं वे वापस ले लेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम सरन दास जी, आप अपने प्रस्ताव को क्या वापस ले रहे हैं ?

श्री राम सरन—

मान्यवर, यह कैसे हो सकता है ? मैं कभी मुड़ने वाला नहीं हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—15 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 28,31,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—16 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,69,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—17 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 4,30,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 69—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) तथा अनुदान संख्या 70—श्रम विभाग (सेवा योजन)

श्रम राज्य मंत्री (कुमारी सरस्वती अम्माल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और भी राज्यपाल की सिफारिश

से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 18,29,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 10,92,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, यह हर्ष का विषय है कि वर्ष 1985 में प्रदेश में औद्योगिक संबंध अपेक्षाकृत मधुर रहे । वर्ष 1984 में 9.82 लाख मानव कार्य दिवसों की हानि हड़ताल/तालाबंदी के कारण हुई थी, जबकि वर्ष 1985 में मानव दिवसों की हानि 7.71 लाख कार्य दिवस हुई । इस प्रकार कार्य दिवसों की हानि में उल्लेखनीय कमी आयी । वर्ष 1984 की तुलना में वर्ष 1985 में हड़ताल/तालाबन्दी की संख्या में कमी आयी । वर्ष 1984 में 147 हड़ताल/तालाबन्दी हुई जबकि वर्ष 1985 में केवल 112 हड़ताल/तालाबन्दी हुई । समय पर हड़ताल/हस्तक्षेप करने के कारण 113 हड़ताल व तालाबन्दी रोकी जा सकी । जो हड़तालें हुई भी थी उनमें से 50 प्रतिशत हड़तालें 15 दिन के अन्दर हस्तक्षेप कर समाप्त कर दी गयी । मान्यवर, इसी तरह से कारखानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शासन ने बहुत बड़ा प्रभावी कदम उठाया है । हमने सुरक्षा मापदण्डों का कड़ाई से पालन किया है । मान्यवर, 28 ऐसे कारखानों की सूची बनायी गयी है जो खतरनाक प्रक्रिया वाले हैं । इनमें 11 कारखाने अधिक खतरनाक प्रक्रिया वाली श्रेणी में हैं जिनमें आपात् स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिकता प्लान बना लिया गया है । इसके साथ ही साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की जो समस्याएं हैं उन पर सरकार ने विचार किया है । असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किया गया है । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 61 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण निर्धारण हो गया है । 39 नियोजनों में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की भी व्यवस्था की गयी है तथा 42 नियोजनों में वेतन दरों का पुनरीक्षण करते समय मूल वेतन समान रखा गया है ।

शासन द्वारा बंधुवा मजदूरों की भर्ती को रोकने के लिये, बंधुवा मजदूरों के पुनर्वासन के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है । शासन द्वारा बंधुवा मजदूरों के पुनर्वासन पर विशेष ध्यान दिया गया और प्रदेश के लिए निर्धारित कुल लक्ष्य 4000 से आगे आकर 5,827 बंधुवा मजदूरों के पुनर्वासन की योजना अनुमोदित की जा चुकी है । मान्यवर, 3,198 बंधुआ मजदूरों को अभी तक पुनर्वासित किया जा चुका है, इस प्रकार इस क्षेत्र में लक्ष्य से हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं ।

मान्यवर, वृद्धावस्था पेंशन एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा की योजना है । जो महिलाएं 60 साल के ऊपर हैं और निराश्रित हैं बहुत वृद्ध हैं ऐसी महिलाओं को, और जो 65 साल से ऊपर के पुरुष हैं जो निराश्रित हैं, अपंग हैं, उनके लिए महीने में 60 रुपये की दर से वृद्धावस्था पेंशन

अनुमन्य हैं। वर्ष 1985 के अन्त तक इस योजना का लाभ पाने वाले व्यक्तियों की संख्या 97,748 थी।

मान्यवर, बाल श्रमिकों की जो वर्तमान स्थिति हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए वाराणसी क्षेत्र में कालीन उद्योग में काम करने वाले बाल श्रमिकों की जो तकलीफ हैं, समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए उसके निराकरण के लिए तथा उनको लाभ पहुंचाने के लिए एक विशेष परियोजना भारत सरकार के सहयोग से चलाये जाने पर सक्रिय रूप से प्रदेश सरकार विचार कर रही हैं।

मान्यवर, इसी तरह से एक दूसरा सरकार का कार्यक्रम हैं प्रशिक्षण का उत्पादन में कुशल कारीगरों को उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक हैं कि लोगों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण दिया जाय। इसलिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण की सुविधा बढ़ायी गयी हैं। वित्तीय वर्ष के अन्त तक 75 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 46 ब्रान्च औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 14 राजकीय औद्योगिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कुल सीटों की संख्या 37,714 से बढ़कर 44,098 की जा रही हैं। इसमें महिलाओं के लिए 3,296 सीटें होंगी। ललितपुर जनपद में जहां अभी तक कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए वर्ष 1985-86 में साज-सज्जा की व्यवस्था की जा रही हैं।

मान्यवर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोंडा में 112 सीटों की विभिन्न व्यवसायों में वृद्धि की गई ताकि इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, मनकापुर को कुशल कारीगरों की आपूर्ति की जा सके। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ तथा रायबरेली में कम्प्यूटर साइन्स के व्यवसाय में प्रशिक्षण आरम्भ किया जा रहा हैं। हल्द्वानी में महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु 80 सीटों वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही हैं। वर्तमान संस्थानों में चल रहे व्यवसायों में द्वितीय यूनिट खोले जाने से मैदानी क्षेत्र में 1024 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 284 सीटों की वृद्धि हुई हैं। प्रदेश में यू0 पी0 ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट फार वार्वर्स संस्था की भी स्थापना की गई हैं जो एक पंजीकृत समिति द्वारा संचालित की जायेगी। इस संस्था में केश तथा त्वचा से संबंधित व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

सेवा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा विकलांगों की सेवा नियोजकता में वृद्धि करने के लिये 45 शिक्षण एवं मार्ग-दर्शन केन्द्र चलाये जा रहे हैं जिनमें अभ्यर्थियों को सचिवालय पद्धति एवं आशुलिपि में प्रशिक्षण दिया जाता हैं तथा उक्त वर्ग के अभ्यर्थियों की उपयुक्त सेवाओं के लिये साक्षात्कार हेतु भी मार्गदर्शन दिया जाता हैं। इन केन्द्रों में 3960 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीया मन्त्री जी, समय का ध्यान रखें। संक्षेप में कह दें।

कुमारी सरस्वती अम्माल—

मान्यवर, एक-दो शब्द मुझे और कहना हैं।

श्री अधिष्ठाता—

बाद में भी आपको अवसर मिलेगा।

कुमारी सरस्वती अम्माल—

मान्यवर, इसी तरह से कर्मचारी राज्य बीमा योजना .....

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीया मन्त्री जी, अधिष्ठाता महोदय जानते हैं कि आपको ज्यादा श्रम करना पड़ेगा और आपने श्रमिकों के कल्याण के लिये कोई काम नहीं किया है, इसलिये आप ज्यादा न बोलें।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

कुमारी सरस्वती अम्माल—

मान्यवर, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के महत्व को देखते हुये और यह सुनिश्चित करने के लिये इसका लाभ श्रमिकों तथा उनके परिवार को अधिक से अधिक मिले, इस योजना के कार्यान्वयन हेतु एक पृथक् निदेशालय की स्थापना की गई है जिसका नाम "निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवायें" है। यह कार्य जून, 1985 से श्रम विभाग के प्रशासनिक अधिकार में दे दिया गया है जब कि इससे पूर्व यह कार्य स्वास्थ्य विभाग के अधीन चल रहा था। इस योजना से 4 लाख 79 हजार बीमांकित व्यक्ति तथा उनके परिवार चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। वर्ष 1985-86 में सौ-सौ शैय्याओं वाले राज्य बीमा चिकित्सालय किदवई नगर और आजमऊ, कानपुर में तथा पचास-पचास शैय्याओं वाले चिकित्सालय नोयडा (गाजियाबाद) तथा बरेली में खोले जाने का निर्णय लिया गया है। 6 चिकित्सालयों में श्रमिकों की आयुर्वेदिक एवं होम्यो-पैथिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है।

मान्यवर, मैंने ज्यादा समय नहीं लिया। सरकार का जो प्रशासन की ओर से किये गये कार्यों का छोटा सा लेखा-जोखा था वह मैंने सम्मानित सदस्यों के सामने रखा। मुझे विश्वास है कि इन कार्यों से सम्मानित सदस्य निश्चित रूप से सन्तुष्ट होंगे और आप लोगों से प्रार्थना है कि जो सुझाव आप देंगे उन पर विचार किया जायेगा। मैं उसकी प्रक्रिया बाद में बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि सदन के सामने जो अनुदान मैंने पेश किया है उसको आप लोग बिना कटौती के ही पास कर देंगे और हमारा हौंसला बढ़ायेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। मुझे जो कुछ बोलना है, जब माननीय सदस्य लोग बोलेंगे उसके बाद अपनी राय प्रकट करूंगी।

श्री अधिष्ठाता—

इसके पहले कि मैं माननीय राज किशोर सिंह जी से कहूं एक निवेदन है कि आप विद्वान सदस्य हैं, कम समय में बहुत अधिक बातें कही जा सकती हैं। इसलिए अगर समय का ध्यान रख कर कहें तो अच्छा रहेगा।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, मैं प्रयास करूंगा कम समय में अधिक बातें रखूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70—श्रम विभाग (सेवा-योजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीया मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है और उस पर जो भाषण किया उसमें कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि माननीया मंत्री जी ने जो अनुदानों की मांग की है वह मंत्रियों, आफिसरों और उनके जो चाटुकार हैं उनका पेट भरने के लिए सब राशि मांगी गयी है, यही वास्तविकता है। मान्यवर, श्रम एक ऐसी शक्ति है जो उत्पादन के तमाम स्रोतों में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है और हम जो आज इस आलीशान भवन में बैठे हैं यह श्रम का ही करिश्मा है। अगर श्रम नहीं होता तो आज जो हम इस खुशनुमा भवन में बैठे हैं यह भवन न बनता, यह हम और आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन यह विडम्बना है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि श्रम की अहमियत नहीं है। उसका शोषण करके जो अतिरिक्त कमाई है उसको लोग बटोर लेते हैं और उससे बड़े-बड़े पूंजीपति बन जाते हैं और आप उन्हीं पूंजीपतियों की वकालत करते हैं। आज हड़तालों और तालाबन्दी में करोड़ों रुपया चला जाता है जो आपके आंकड़े हैं उनकी इतनी दुर्दशा है कि वह कही जो सांख्यकी विभाग है वह तालाबन्दी के आंकड़े अलग-अलग करके नहीं देता है कि कितनी हड़तालें हुई और कितनी तालाबन्दी हुई। तालाबन्दी के आंकड़ों को पूंजीपति छिपा देते हैं क्योंकि वे आपके दोस्त हैं, उनसे चुनावों के लिए और इधर-उधर के कामों के लिए पैसा मिलता है। पूंजीपतियों द्वारा जो तालाबन्दी होती है उसके बारे में इसलिए आपने एक शब्द भी नहीं कहा जो इस बात का द्योतक है कि आप पूंजीपतियों के हिमायती हैं और उनके शुभचिन्तक हैं उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं और श्रमिकों का शोषण करते हैं। तालाबन्दी में दिनों-दिन वृद्धि हो रही है इसकी संख्या आपने अलग से दी ही नहीं। 1984 में 147 दिन हड़तालें हुई और 40 दिन तालाबन्दी हुई। न्यायोचित मांगों के लिए हड़ताल करना, प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना संवैधानिक अधिकार है, उसमें कोई अड़चन की बात नहीं है, जो आप कहते हैं उससे अशांति फैलती है।

(इस समय 6 बजे अधिष्ठाता, श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी पीठासीन हुए)

मान्यवर, जो कार्यदिवस की हानि होती है, वह मजदूरों की हड़ताल के कारण होती है, ऐसा यह कहते हैं। तो ऐसी उल्टी बात यह करते हैं। सही माने में कार्य दिवस की जो हानि होती है, जो जिम्मेदार हैं, जो तालाबन्दी करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने की आपकी हिम्मत नहीं है। मान्यवर, आपके प्रदेश में कानपुर में अकेले चार कारखाने बन्द हैं जैसे—जे0 के0 ग्रुप, जे0 के0 इलेक्ट्रानिक, जे0 के0 इंडस्ट्रीज, जे0 के0 मेन्यूफैक्चरर्स, इन कारखानों को बन्द कर रखा है जिसमें 10 हजार से ज्यादा श्रमिक आपने बेकार कर दिया है। इनको लेने में आपकी हिम्मत नहीं या तो आपको शर्म आ रही है। इसके अलावा इस प्रदेश में मोदी नगर में तीन कारखाने बन्द हैं

जिसमें 14 हजार श्रमिक बेकार हैं। अब आप बतायें कि यह आप श्रमिकों की हिफाजत कर रहे हैं या उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, इससे लगता है कि आप श्रमिकों के खिलाफ हैं और पूंजीपतियों के पक्ष में आपकी नीति है।

मान्यवर, कानपुर के सम्बन्ध में बताया। अब आप लखनऊ में देखें कि भगवान इंडस्ट्रीज, गर्ग फार्मा, बनारस में विभूति ग्लास फैक्टरी, देहरादून में नरेन्द्र एक्सप्लोसिव, गाजियाबाद में हिन्दुस्तान लीवर्स फैक्टरी आदि बन्द हैं, इसके अलावा कई कारखाने बन्द हैं। आप कहते हैं कि हम छोटे-छोटे उद्योग खोलेंगे और सभी को काम देंगे किन्तु दूसरी तरफ जो श्रमिक काम में लगे हैं उनको आप बेकार करते जा रहे हैं और उनकी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आपने आज तक जे0 के0 ग्रुप और मोदी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है जिसका परिणाम है कि वह लोग कारखाने बन्द करके, तालाबन्दी करके बैठे हैं और उससे हजारों श्रमिक बेकार होकर प्रदेश में घूम रहे हैं।

मान्यवर, हाल की घटना के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि बस्ती में वाल्टरगंज और खलीलाबाद की शुगर मिलों को जिनको बन्द कर दिया गया था, आपकी हिम्मत नहीं थी कि कह दें कि उनको चालू करें किन्तु जब श्रमिकों और वहां की जनता ने आन्दोलन किया कि हमको काम चाहिए तो आपने पुलिस से उन पर डंडे बरसवाये यही आपसे हमको उम्मीद है और जहां कहीं भी श्रमिक मांग करता है, उनकी वाजिब मांगों के बदले पुलिस उनके सर तोड़ती है। इससे लगता है कि आपकी पुलिस और सरकार पूंजीपतियों की रक्षक है और श्रमिकों की भक्षक है। तो यह आपकी पुलिस की हालत है।

मान्यवर, कानपुर टेक्सटाइल में 48 हजार श्रमिकों की संख्या घटकर 35 हजार हो गयी है, तो आप श्रमिकों के कल्याण के बारे में क्या बात करते हैं। इसीलिये यह संख्या घटी कि वहां छटनी की गयी तो एक तरफ छटनी की इजाजत दें और कानून में संशोधन न करें और पुराने कानून यू0 पी0 में चलते रहेंगे जैसे इंडस्ट्रियल ऐक्ट, लेबर ऐक्ट, तो उनके चलते पूंजीपति लोग श्रमिकों की छटनी करते हैं जिनको आप रोक नहीं सकते हैं। मान्यवर, 1984 में 639 छटनी किया, मजदूरों को ले-आफ का शिकार होना पड़ा और दूसरे बिजली की कटौती से कारखाने बन्द हुए।

बिजली की कटौती और दूसरे अन्य कारणों से कुल मिलाकर 84 में 30 हजार 50 लोगों की आपने बैठकी करा दी है। इसके अलावा आपके अपने सार्वजनिक निर्माण निगम, सेतु निगम, विद्युत परिषद्, सड़क परिवहन निगम तथा सहकारी समितियों में भी कर्मचारी लगते हैं। अभी राजकीय निर्माण निगम की बात चली थी। आपने वहां 300 की छटनी कर डाली, और जब आपसे उसे रोकने के लिए कहा गया तो आप इन्कार करते हैं। इन निगमों में न्यूनतम वेतन का कानून भी नहीं लागू है। इसके अलावा जो छोटे-छोटे असंगठित मजदूर हैं, जैसे कालीन उद्योग, पावर हथकरघा, बीड़ी, तम्बाकू, चूड़ी, कपड़ा छपाई, बिस्कुट आदि उद्योगों में लगे हुए, उनके लिए आपने कहने को न्यूनतम वेतन कानून तो बना दिया, लेकिन जो कुल 62 नियोजन हैं उनमें यह नियम कहीं भी लागू नहीं

हैं। जो आपने तय किया वह भी इन लाखों मजदूरों को नहीं मिल रहा है, उनका शोषण हो रहा है। क्या आपने कभी इसका सर्वेक्षण किया है, कराया है कि कितने मजदूर इसमें काम करते हैं और उनकी क्या दशा है। इनके हितों की देखभाल करने के लिए आपके पास केवल 200 निरीक्षक हैं, आप सोचें कि इतने कम निरीक्षकों से कैसे जांच होगी और यह भी खाने पीने वाले लोग हैं। वह कुछ भी नहीं करते हैं। आप इन असंगठित मजदूरों को जो 62 नियोजनों में लगे हुए हैं और बाहर काम कर रहे हैं, उनको भी आप देखें कि न्यूनतम वेतन मिलता है या नहीं और उनकी क्या दशा है।

औद्योगिक विवाद के बारे में आपने क्या किया। पहले एक त्रिदलीय समिति या त्रिदलीय समझौता चलता था। किन्तु आज ऐसे समझौते हो ही नहीं पाते हैं। यह जो त्रिदलीय समिति है जिसमें सरकार, मालिक और मजदूर तीनों के प्रतिनिधि होते हैं, यह तीनों अब कहीं एकत्रित हो नहीं पाते हैं, आगे समझौते की बात क्या चले। यदि श्रमिकों का प्रतिनिधि आ जाएगा तो मिल मालिक का नहीं आएगा। तो आप ऐसी दशा में उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। यह रास्ता अब एक दम ठप हो गया है। जो बड़े-बड़े कारखानेदार हैं, पूंजीपति हैं, वे मन्त्री की बात सुनते नहीं हैं, वह अपने हाथ का खिलौना उनको समझते हैं और ये राज्य मन्त्री तो उनके सामने कुछ भी नहीं हैं, इसलिए आप त्रिदलीय बैठकों की परम्परा को पुनः ठीक से शुरू कराइये और इन्हें बराबर कराइये। जहां कहीं विवाद हो, आपको मजबूती के साथ उनको बुलाना चाहिए, जो मजदूरों को काम से निकाल रहे हैं, छंटनी कर रहे हैं या तालाबन्दी कर रहे हैं। इसके बन्द होने से श्रमिकों को बहुत नुकसान हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

15 मिनट हो चुके हैं, आप समय का ध्यान रखें और जल्दी करें।

श्री राज किशोर सिंह—

कानपुर के टैक्सटाइल वर्कर्स ने लड़कर जीत हासिल की और आपने 60 रुपया बढ़ाना तय किया। आपने तय तो किया लेकिन उनको दिया है? इसको लागू नहीं किया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको लागू कीरये। अन्य क्षेत्रों में भी जहां पर टेक्सटाइल्स मजदूर काम करते हैं उनको भी यह दिया जाय। माननीया मंत्री जी ने कल्याण केन्द्रों के बारे में कहा कि वहां बुढ़ियों को पेंशन दे रहे हैं और सारे उपाय कर रहे हैं। आपने जो हितकारी केन्द्र खोले हैं उनकी इतनी दुर्दशा है कि वह कहीं नहीं जा सकती। आप कहती हैं कि वहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है और मनोरंजन के लिये टेलीविजन की व्यवस्था की गयी है तो आपका यह टेलीविजन कागज पर है। कहीं हितकारी केन्द्र ठीक से नहीं चलते हैं। आपने कहा कि शिशिक्षु प्रशिक्षण दे रही हैं तो इसका मतलब मैं आज तक नहीं समझ पाया कि यह क्या है। आपने कहा कि हमने प्राविधिक संस्थान खोले हैं और प्रशिक्षण दे रहे हैं तो इनमें क्या हो रहा है अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों को

कहां मौंका दिया गया हैं। इसमें सारे के सारे लोग कांग्रेस के हैं। कहीं पर कोई सदस्य हैं कहीं पर कोई अध्यक्ष हैं।

आपके जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं या अन्य जो राजकीय सेंटर्स हैं आप बता दें कि उनमें किसको रखा हैं। कांग्रेस के लोगों के अलावा किसी को और आपने कोई पद प्रदान नहीं किया हैं। विपक्ष के एम0 एल0 ए0 या एम0 पी0 को कतई नहीं रखा हैं। इसका नतीजा यह हैं कि यह संस्थान और कल्याण केन्द्र खाने पीने के अड्डे बन गये हैं। आपने कुछ कालोनियों को बनाया हैं। कानपुर में बाबूनगर में दीखिये, वहां पर श्रमिकों की क्या हालत हैं। न उनके लिये वहां पैयजल की व्यवस्था हैं और न उनके लिये लैट्रीन की व्यवस्था हैं। जो उनको सुविधायें मिलनी चाहिये उनकी कोई व्यवस्था नहीं हैं। जीवन के लिये जो सुविधायें जरूरी हैं उनकी वहां पर व्यवस्था नहीं हैं। आप उन बस्तियों में नहीं गयीं हैं मेरा निवेदन हैं कि आप उन बस्तियों मे भी जाया करिये। वरना अफसरान लोग आपको गलत तस्वीर पेश करेंगे और कहेंगे कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं हैं। आपने जो श्रमिकों के लिये जो कुछ बनवाया भी हैं उसमें एलाटमेन्ट ठीक से नहीं हुआ हैं। इनमें असामाजिक तत्व और अफसर बैठ गये हैं हमारे वाराणसी में लेबर कालोनी बनी हैं मगर उसमें एक भी लेबर नहीं हैं। सब बाहर के लोग घुस गये हैं। वहां पर लेबर आफिस हैं, वहां पर श्रमिकों को बड़ा लाभ था एक जगह पर तमाम दफ्तर थे। वहां पर कंसीलियेशन बोर्ड था और डिप्टी लेबर कमिश्नर बैठते थे। आपने लेबर कोर्ट को वहां से हटाकर जंगल में रखवा दिया हैं। कानपुर के कोई ए0 डी0 एम0 चतुर्वेदी हैं उनके फायदे के लिये बी0 एच0 यू0 के पास, 5 किलोमीटर दूर आपने दफ्तर बनाया हैं जहां आदमी को पानी भी नहीं मिलता हैं। वहां बन्दरों का निवास हैं। मैं उसके लिए 6 महीने से ध्यान आकर्षित कर रहा हूं लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया हैं। इससे साबित होता हैं कि आप श्रमिकों के कल्याण की बात नहीं करना चाहती हैं और आप पैसे वालों के बारे में ज्यादा चिंतित रहती हैं इसी लिये आज तक उसको निरस्त नहीं किया हैं।

लेकिन आपने उसका प्रत्यावर्तन नहीं किया कि वह लोग वहां आकर आफिस में काम करें और मान्यवर, कानपुर के बारे में ही बताना चाहता हूं कि वहां के जो बड़े-बड़े लोग हैं जैसे जे0 के0 साहब राम रतन गुप्ता और जयपुरिया आदि . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राज किशोर सिंह जी, बीस मिनट हो चुके हैं समय का ध्यान रखिए पहले भी इस सम्बन्ध में मैंने कहा था अब और कितना समय आप लेंगे ?

श्री राज किशोर सिंह—

बस थोड़े समय में अपनी बात को खत्म करूंगा, बाकी समय आप बाद में दे दीजिएगा। मान्यवर, आप देखें जे0 के0, राम रतन गुप्ता और जयपुरिया ने सरकार से जमीन ले ली सस्ते में। इन तीनों महानुभावों ने, जो थैली शाह भी हैं। इन्होंने आपसे सस्ते में यह कहकर जमीन ले ली कि हम श्रमिक कालोनी बनायेंगे। एकाध कालोनी तो बना दी बाकी जमीन पर

कहीं आफिसर्स के लिए आवासी मकान बना दिया, किसी ने मार्केट बना दिया और किसी ने स्कूल बना दिये और श्रमिकों का वहां पर कहीं नाम नहीं है। यह आपकी नीति है। बाल श्रमिक समस्या जैसा कि आपने जिक्र किया। इस सम्बध में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कांस्टिट्यूशन के अनुच्छेद 15, 23 व 24 के अनुसार 14 वर्ष के बच्चों से पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में काम नहीं लिया जा सकता है किसी भी कल कारखाने में और किसी भी उद्योग में। लेकिन मान्यवर, आप आज देखें 14 वर्ष के बच्चों को तो कौन कहे 6-6 वर्ष के बच्चों से होटलों में कालीन उद्योगों में हर जगह इन से काम लिया जा रहा है। जो बेचारे 24 घन्टों में सिर्फ चार रोटी पाते हैं, उनसे कुछ स्वार्थी लोग बेगार ले रहे हैं, कुछ लोग भदोही सैर-सपाटे के लिए गये वहां घूमे-फिरे और मुर्गा, खाकर सारी कमेटी का काम समाप्त हो गया फिर कोई रिपोर्ट आदि नहीं और मान्यवर, मजदूरों के वेतन के सिलसिले में मैं बताना चाहूंगा कि आपने पूर्वी जिलों में 8 रु0 और पश्चिम में 9.50 रु0 दिए जाने का कानून बनाया। यह मान्यवर कहां से लागू हुआ, इसके लागू करने वाले मान्यवर वह लोग हैं जो बड़े-बड़े लोगों से दोस्ती रखते हैं और उनके साथ खाते पीते हैं और उनसे पैसा वसूलते हैं इन्हीं के हाथों में उन बेचारे मजदूरों का भाग्य है। इस तरह से मान्यवर डेढ़ करोड़ मजदूर हमारे यहां आज ऐसा मौजूद है जो आज भी बन्धुआ मजदूरों की तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मैं उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इनके काम के घन्टे और वेतन के बारे में कोई निश्चित नीति बनाइए ताकि इनको राहत मिल सके और दूसरी बात है कंसीलेशन दफ्तर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह ऐसा दफ्तर है, जहां से श्रमिकों को कोई लाभ ही नहीं होता। यहां पर सिर्फ बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचता है। यहां पर जैसा कि आप जानते हैं पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट न्यूनतम वेतन अधिनियम वर्कमेन कम्पेंसेशन ऐक्ट ग्रेच्यूटी व अन्य तमाम चीजों को डील करते हैं।

आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट में इतना दोष है कि मालिक चाहे आवे या न आवे, कोई प्राविधान नहीं है कि न आवे तो एकतर्फा फैसला भी नहीं होगा। अब वह लम्बा चलेगा और वह लम्बा चलने में मर जायगा और अगर कोई डिग्री बन गयी वेतन की, तो कहां से वसूल होगी। वह रैवन्यू विभाग में, तहसीलदार के यहां पर जायेगी। इसलिए इसकी आप अलग व्यवस्था कीजिए, ताकि निर्णय जो हो, वह तुरन्त लागू हो जाय और रिकवरी हो जाय। इसलिए मेरा सुझाव आप नोट कर लें, बाद में बाकी बताऊंगा।

श्री आर0 एन0 पाठक—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। जो बजट का प्रस्ताव माननीय मन्त्री जी ने रखा है, मैं उसका जोरदार समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान, 26 फरवरी को जो भारत बन्द का नारा विरोधी पक्ष से दिया गया था, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को, माननीय श्रम मंत्री को और मैं अपने श्रम विभाग के

विशेष तौर से श्रम सचिव और लेबर कमिश्नर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक भी कारखाना बन्द नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश का मजदूर, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के साथ है, जिसने सरकार का साथ दिया। मान्यवर, कानपुर में एक महीने तक राज्य कर्मचारियों की हड़ताल रही और उस हड़ताल को समाप्त कराने में माननीय मुख्य मन्त्री ने जो प्रयत्न किया, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, खास तौर से श्रम सचिव को, जिन्होंने सरकारी अफसरों को और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बैठा कर उन पर पूरा अपना प्रभाव डाला, जिससे कि उन लोगों का समझौता हुआ। एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि जो फैसला हुआ उसकी घोषणा सरकार को करनी है, उसे जल्द से जल्द कर दें, जिससे कि कर्मचारियों में जो कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, उसका निराकरण हो सके। मान्यवर, महंगाई भत्ता . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय पाठक जी, पांच मिनट का समय आपके लिए है और सभी माननीय सदस्यों के लिए भी पांच मिनट का समय निर्धारित है।

श्री आर0 एन0 पाठक—

भारत सरकार ने जो 1.35 पै0 से 1.65 पै0 कर दिया है, महंगाई के आंकड़े निकालने के लिए वह सारे देश में लागू हुआ। हमारे प्रदेश में भी जैसे बिजली उद्योग में लागू हुआ। लेकिन बहुत सी जगहों में अभी यह लागू नहीं हुआ है। मैं निवेदन करूंगा, माननीय मन्त्री जी से कि इसको लागू किया जाय। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत से हमारे साथियों ने भी अपनी बात में यह कहा है कि बहुत से उद्योगों में पांच साल के अन्दर वेज का रिवीजन नहीं हुआ है, उन उद्योगों के लिए त्रिदलीय सम्मेलन के द्वारा या बाई पर-टाइट द्वारा सम्मेलन बुला कर, जिसमें बहुत से उद्योग आते हैं, इंजीनियरिंग है, आपका डालडा है और उद्योग लेबर के हैं, उन लोगों के वेजेज में रिवीजन की आवश्यकता होगी। वह ट्रिपर-टाइट या वाई परटाइट (द्विपक्षीय या त्रिदलीय) वार्ता से होना चाहिए। जहां उद्योग बन्द हैं, मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि दर्जनों उद्योग बन्द हैं, उन उद्योगों को चालू कराने की कार्यवाही की जाय और जो मजदूर बेकार हो गये हैं, उनको काम में लगाने की व्यवस्था हो। इस सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये गये हैं वह 9.82 लाख कार्य दिवस की हानि 1984 में हुई और 1985 में 7.71 लाख कार्य दिवस की हानि हुई। यह सराहनीय है। लेकिन मुझे लगता है कि वह कारखाने जो बन्द हो गये और सरकार की अनुमति के बगैर बन्द हो गये हैं, वहां के कार्य-दिवस भी इसमें आने चाहिए। मेरा ख्याल है सरकार इस पर विचार करेगी।

मान्यवर, परिवार नियोजन में जो काम हुआ है उसमें समझौते ज्यादा कराये गये हैं। वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिलाया गया। महिलाओं के लिए इस बात का ध्यान रखा गया कि पुरुषों के बराबर उन्हें तनख्वाह मिलने लगे और वह उन्हें दिलाया गया और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनुदान के सम्बन्ध में जो माननीय विरोध पक्ष के सदस्यों द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है,

उसमें उनको दोनों बातें नहीं कहनी चाहिए। एक तरफ वह कहते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है और दूसरी तरफ कहते हैं कि यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। आप अगर ग्रामीण मजदूरों की हालत देखें उसको श्रम विभाग कैसे ठीक करेगा जब उनके पास धन नहीं है, कर्मचारी नहीं हैं। उनके मिनिमम वेजेज को लागू करने के लिए उन्हें कटौती के प्रस्ताव को वापस लेना चाहिए। उनको दोनों बातें नहीं कहना चाहिए। हां, तालाबन्दी से हम लोगों को जरूर कष्ट होता है। सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। किसी मिल मालिक को तालाबन्दी का अधिकार नहीं देना चाहिए। अगर कोई मिल मालिक सरकार की जानकारी और इजाजत के खिलाफ मिल बन्द करता है, तालाबन्दी करता है तो प्रोसीक्यूशन होना चाहिए। आई0 टी0 आई0 के बारे में मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे प्रदेश में आई0 टी0 आई0 का काम बहुत तेजी से चल रहा है। यह जरूर है कि आर्डिनेन्स फैक्टरी से जो छात्र ट्रेनिंग पाकर निकल रहे हैं उनकी शिक्षा इतनी नही है, उन्हें इतनी टैक्निकल नालेज नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि राजनैतिक प्रभाव से अलग हटकर इनको ज्यादा ट्रेनिंग दी जाय। मान्यवर, मैं दो चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। एक तो यह कि एफैक्टव पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेन्ट होना चाहिए। मजदूरों को रा मैटीरियल की खरीद, मशीनरी की खरीद, उत्पादन के, सेल के बारे में और लोकल परचेज के बारे में मजदूरों को जानकारी हो कि क्या आमदनी हुई। एफैक्टव पार्टीसिपेशन पर जोर दिया जाय। इसी तरह सिंचाई विभाग का एक एवार्ड हुआ था, मैं चाहूंगा कि उसे लागू किया जाय। उसमें जो दवाओं की व्यवस्था है उसमें कुछ कमी है उसमें जरूर कुछ सुधार होना चाहिए। श्रम विभाग की कालोनियों के बारे में कुछ बातें कही गईं। श्रम विभाग जो पैसा इकट्ठा करता है उनके किराये से उतना नहीं आता है कि उसका मैन्टिनेन्स कर सकें। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो लोग उसमें रहते हैं, जो उसका मुनासिब दाम निश्चित किया जाय उस पर उसे उन लोगों को बेच दिया जाय और उस पैसे से नई कालोनी बनाने की व्यवस्था की जाय, अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय पाठक जी, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री आर0 एन0 पाठक—

अच्छा जी बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मन्त्री के रूप में डाक्टर लोहिया की क्रांति से पहले पैदा हुई माननीय मन्त्री जी ने बजट प्रस्तुत किया लेकिन माननीय मन्त्री जी ने सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट जो रिपोर्ट श्रमिकों के शोषण और उन पर होने वाले अत्याचार पर आधारित है उस रिपोर्ट को जब प्रस्तुत किया तो मुझे निराशा और दुख हुआ। मुझे अपेक्षा थी कि माननीय मन्त्री जी उस क्रान्ति में से कुछ भी यहां ऐसे शब्द उद्धरण करतीं जिनसे श्रम जगत में एक आशा का संचार और एक स्फूर्ति पैदा होती।

किसी भी राष्ट्र में श्रम शक्ति का बढ़ावा और श्रम कल्याण तथा श्रम शक्ति को शोषण से बचाना ही स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना का प्रमुख कार्य हैं । जो इस समय मंत्री जी के हाथ में हैं । मान्यवर, आज बाल श्रमिक 9 साल, 12 साल तथा 14 साल के बच्चे गरम भट्ठियों पर काम कर रहे हैं जहां आदमी खड़ा नहीं हो सकता हैं । कांच की गुल्लियां उठा कर फिरोजाबाद में काम करते हैं । हिन्दुस्तान का संविधान, जिसकी आपने शपथ लिया हैं, उस संविधान की धाराओं के विपरीत जाकर उन बच्चों से काम लिया जा रहा हैं । ऐसे श्रमिकों के कल्याण के लिए आपने इस बजट में एक शब्द भी नहीं कहा हैं । एक समय में आपने मेरे साथ जाकर उन बस्तियों को और उन मजदूरों को देखा हैं, आप उन श्रमिकों के लिए कोई क्रांतिकारी काम करें । मान्यवर, हमारे यहां 60 सैंकड़ा बच्चे कारखानों में काम करते हैं । वहां पर फैक्ट्री ऐक्ट के मुताबिक कारखाने नहीं हैं । मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस होता हैं श्रम कानून की विसंगतियां देखकर । एक ही कानून के तहत रहकर उच्च पदेन अधिकारी निलम्बित होने पर जीवन निर्वाह भत्ता पायेगा और कारखाने में काम करने वाला श्रमिक निलम्बित हो जाय तो उसके लिए जीवन निर्वाह भत्ता नहीं हैं । मान्यवर, उनकी दरखास्तें बहुत दिनों तक कौन्सीलेशन बोर्ड में पड़ी रहती हैं, वहां से जब लखनऊ आती हैं तो महीनों यहां पड़ी रहती हैं, उसके बाद श्रम न्यायालय में जाती हैं । माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करें, कौन्सीलेशन बोर्ड को क्या पावर हैं । समझौता करायें, समझौते में न आये तो रेफरेन्स कर दिया जाता हैं । महीनों वहां रेफरेन्स में पड़ा रहता हैं । एक ही कानून सभी श्रमिकों के लिए होना चाहिए । यदि एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी जो ऊंची-ऊंची तनख्वाह पाता हैं यदि वह जीवन निर्वाह भत्ता ले सकता हैं तो ढाई और तीन रुपया पाने वाले श्रमिक की जीवन निर्वाह की गारन्टी आप अवश्य सुनिश्चित करें । आप दोनों बहिनों ने आन्दोलन किया हैं, इसलिए थोथी घोषणा न करके पुराने अतीत को याद करके काम करिये । रेफरेन्स में जितने मुकदमें पड़े हैं आप घोषणा करें कि 10 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा, 10 दिन से ज्यादा रहेगा तो अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । श्रम न्यायालय में निर्णय में तीन महीने से ज्यादा नहीं लगेगा । यह घोषणा माननीय मंत्री जी आप मजदूरों के हित में करें । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाल कल्याण के लिए आपको कठोर काम करना पड़ेगा । आपका दल जिसमें आप बैठी हैं यह मजदूरों का शोषण रोकने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि इनको चुनाव का पैसा चाहिए । अगर आप चुनाव के लिए पैसा लेंगे तो कानूनों में शिथिलता रहेगी । कानूनों में शिथिलता रहेगी तो आप मजदूरों के हित में काम नहीं कर पायेंगी । माननीया मंत्री जी थोड़ी अंगड़ाई लीजिये आप तो डाक्टर लोहिया की अनुयायी रही हैं, आप कुछ क्रांतिकारी काम करें भले ही आपको इस्तीफा देना पड़े या घर जाना पड़े । आप मजदूरों के हित में क्रान्तिकारी काम करें । इन कानूनों की विसंगतियों को आप दूर करें । इस देश में दो तरह के कानून हैं, गरीबों के लिए दूसरे कानून और अमीरों के लिए एवं बड़े लोगों के लिए दूसरे कानून । इस देश और प्रदेश में आपकी सरकार महंगाई बढ़ा रही हैं, जो गरीब हैं, जो कांच की चूड़ियों के

कारखाने में, झाड़ फन्नूस बनाने का काम करते हैं, उनके लिये कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं है। जब आप महंगाई बढ़ा रही हैं तो उनके लिये जो गरीब मजदूर वहां काम कर रहे हैं, उनके लिए भी न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। उनकी भी तनख्वाह बढ़ाने का कानून होना चाहिए। तो मान्यवर, जो स्तर आपने रख रखा है, उसको जब की महंगाई पर लाने का क्रांतिकारी काम करने की लाइन होनी चाहिए, वह आपने नहीं की। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आज श्रमिकों में कुछ करना चाहती हैं तो एक सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे फिरोजाबाद में श्रमिकों के बैठने के लिए न मजदूर भवन हैं, न लाइब्रेरी है और न उनके लिए कोई कल्याणकारी योजना है। इसलिए कल्याणकारी योजनाएं, मजदूर भवन, बीमा अस्पताल आदि के सम्बन्ध में आपके पूर्व के मंत्री जी घोषणा कर चुके थे लेकिन उनके जाते ही आपके अधिकारी उसे भूल गये और आज आपके बजट में बाल श्रमिकों के लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं है। आपके अधिकारियों ने कोई नई योजना नहीं चलाई। आपको इस सम्बन्ध में विचार करना होगा और कुछ घोषणा करनी पड़ेगी।

मैं कालीन मजदूरों के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। कालीन का काम करने वाले लड़कों की बड़ी दयनीय दशा है। आगरा में, बनारस में जहां भी कालीन का काम होता है, उसमें 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे काम करते हैं और कालीन की कीमत के एवज में उन बच्चों को जो श्रम का पुरस्कार मिलता है, उसकी तुलना आप बता दें तो हम ऋणी होंगे। मंत्रियों के कमरे में कालीन पड़ता है, अधिकारियों के कमरे में कालीन पड़ता है, उन पर पैर रखने में आराम मालूम होता है, लेकिन 9 साल के बच्चों के उस श्रम में उन श्रमिकों की दशा क्या हुई? संविधान में श्रमिकों को शोषण मुक्त करने की कसम खायी गयी है। यह संविधान का प्रियम्बल है। तो आप डा0 लोहिया की क्रांति का ख्याल करके, आज आप परिस्थितियोंवश वहां पर हैं और मंत्री भी परिस्थितियोंवश बन गयी हैं, क्योंकि आपके पास कुछ पुराना है, तो उसी का ख्याल करके, उन बच्चों का, श्रमिकों का ख्याल करके उनके लिये नयी मजदूरी की दरें तय करने की घोषणा करें और आखीर में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में कहीं भी इन मजदूरों के लिए अस्पताल नहीं है। फिरोजाबाद में डेढ़ लाख मजदूर काम करते हैं, लेकिन बीमा की बात करो तो कहा जाता है कि एक हजार का बीमा है। तो जरा आप इस मुहकमे को कड़ा कीजिये। इसके अधिकारियों की रिश्वतें बंधी हुई हैं। आपके अधिकारी कहीं जाते नहीं हैं। होटलों में छोटे-छोटे बच्चे काम करते हैं, ये वहां नहीं जाते हैं। आप देखिये कि इन बाल श्रमिकों की होटलों में क्या दुर्दशा है। फाइव स्टार होटल ताज, आगरा में बच्चों को दो रुपया और डेढ़ रुपया मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि इस ओर आप ध्यान दें। इसके साथ ही आप स्वयं बड़ी विद्वान हैं, आप लोहिया जी के विचारों पर ध्यान दीजिये। मैं चाहूंगा कि मजदूरों के हित में आप कुछ काम करें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजकिशोर सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, आपके मुहकमे में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार व्याप्त

हैं । विभाग भ्रष्टाचार की गंगा में गोते लगा रहा है । आप इस कटौती के प्रस्ताव को मानकर क्रांतिकारी बातों पर ध्यान दें । इस विभाग के अधिकारी स्वयं इतना पैसा खा रहे हैं कि अब इनको और पैसा देने की आवश्यकता नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजाकिशोर सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि डा0 लोहिया के विचारों से प्रेरणा लें । इन शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं ।

*श्री हनुमान प्रसाद करील—

मान्यवर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे श्रम विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं इसका समर्थन करता हूं और इस पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

मान्यवर, श्रम का महत्व केवल हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरे संसार में है । मान्यवर, संसार में श्रम का महत्व जितना है, हमारा देश इसमें ज्यादा महत्वाकांक्षी है इसी श्रम को महत्व देने के लिए । क्योंकि अधिकतर प्रगति के मार्ग पर बढ़ने के लिए अग्रसर हैं और इस प्रगति के लिए हमें मजदूरों का सहारा लेना पड़ता है, श्रम का सहारा लेना पड़ता है । मान्यवर, हमने हर क्षेत्र में श्रम का सहारा लिया है और हमारी सरकार ने इन श्रमिकों, मजदूरों के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, तमाम सुविधा दी है । मान्यवर, अभी पिछले दिनों हमारी केन्द्र की सरकार ने, राजीव गांधी जी के नेतृत्व की सरकार ने हमारी सफाई के मजदूरों के लिये जो बीमा योजना लागू की है, वह बड़ा ही सराहनीय कार्य है । मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय सरकार को इस सराहनीय कार्य के लिए हम सबका धन्यवाद पहुंचाने की व्यवस्था करें । मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि जो हमारे प्रदेश में रिक्शा चालक हैं, ठेलिया खींचने वाले कुली हैं, उनका जीवन भी सदैव खतरे से भरा रहता है, उनके लिए भी बीमा योजना लागू होनी चाहिए । यह अत्यन्त ही आवश्यक है । मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव में जो चौकीदार काम करते हैं पुलिस डिपार्टमेन्ट के उन्हें मात्र 19 रुपया मिलता है । मान्यवर, आप स्वयं सोचें कि इस भीषण महंगाई के युग में 19 रुपये में क्या हो पाता होगा, इसीलिए मेरा यह अनुरोध है कि इनको प्रतिमाह 100 रुपये देने की व्यवस्था की जाय । मान्यवर, जहां तक श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा की बात है, मनोरंजन की बात है, रहने की बात है, हमारी सरकार ने उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की है । मान्यवर, अगर विरोध पक्ष के साथी आंख बन्द करके अलगाववादी दृष्टि से देखते हैं तो बात अलग है । हमारी सरकार ने इस दिशा में काफी कार्य किया है । मान्यवर, जैसे कि कानपुर के बारे में बात कही गयी, मान्यवर, मजदूरों और मिल मालिकों के जो झगड़े होते हैं, उसमें सरकार कुछ आफिसर्स को बिठाकर, उसमें फैसला कराती है । मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि हर जिले वाइज एक कमेटी इस परिपेक्ष्य में बना दी जाय जिसमें शासन के प्रतिनिधि, मिल मालिकों के प्रतिनिधि और श्रमिकों के प्रतिनिधि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसमें रहें, तो यह ज्यादा सुविधाजनक होगा । मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि खेतिहर मजदूरों की जो 7 रुपये प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित है, वह अत्यन्त ही कम है । मेरा यह अनुरोध है कि इसे बढ़ाकर 15 रुपये प्रतिदिन करा दिया जाये ।

मान्यवर इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का एक बार पुनः समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी पहले भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे । उन्होंने 26 तारीख का उल्लेख करते हुए श्रम मंत्री जी को बधाई दी । वह एक राजनैतिक बात बोल रहे थे । हमारा उसमें मतभेद हो सकता है । वह बधाई उन्होंने जो दी, वह बात तो समझ में आती है लेकिन उन्होंने श्रम सचिव व श्रम आयुक्त को बधाई देकर यह बात उजागर कर दी कि शासन की नीतियों का सत्ता पक्ष राजनैतिक कार्यों के लिए दुरुपयोग करता है । एक मानक और आदर्श लेकर राजनीति में हम काम करते हैं । हम आन्दोलन करते हैं । उसके खिलाफ दूसरी पार्टियां भी कुछ कर सकती हैं लेकिन शासन द्वारा उन पर प्रहार व प्रतिहार कर और इस पर उन्हें बधाई देकर देश की ब्यूरोक्रेसी का दिमाग खराब करना और उन्हें गलत काम करने के लिए प्रेरित करना है और साथ ही साथ सही काम करने की उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी, उससे उन्हें च्युत करना है ।

मान्यवर, श्रम विभाग के ऊपर कई माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें कहीं । उससे किसी को मतभेद हो सकता है । माननीय वर्मा जी ने चाइल्ड लेबर की दुर्दशा की बात कही लेकिन मान्यवर, मैं एक ऐसा उदाहरण देना चाहता हूं, जिसमें किसी को भी मतभेद नहीं होगा । माननीय मंत्री जी को याद होगा । इस देश में राज्य सभा में एक सवाल उठा था और श्रम मंत्री ने स्वीकार भी किया था उसे । टिहरी जिले के एक न्यायाधीश ने पर्वतीय क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का सर्वेक्षण किया । इस पर उन्होंने एक लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट भी पेश की । उन्होंने दर्शाया कि हाईडिल की एक कन्सट्रक्शन कम्पनी है, जिसमें 12 से 14 साल के नेपाली बच्चे 200 रुपये प्रतिमाह पर काम कर रहे हैं और उसमें से 80 रुपये उनके भोजन का काट लिया जाता है । काम वे क्या कर रहे थे । बदन में उनके कपड़ा नहीं था, पानी उनके ऊपर चू रहा है फिर भी वे काम कर रहे हैं । इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि वह ऐसे मल्टी नेशनल मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करें । मान्यवर, मेरी सही जानकारी है और मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि मंत्री जी ने अभी तक किसी भी पूंजीपति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है । यदि यह सही नहीं है, तो मंत्री जी अब अपना उत्तर दें, तो उस समय इसके बारे में भी बतायें । चाइल्ड लेबर की दुर्दशा के बारे में पिछले बजट में भी बातचीत हुई थी और श्री सईदुल हसन उस समय लेबर मिनिस्टर थे । उनकी अध्यक्षता में 1984 में एक चाइल्ड लेबर एडवाइजरी कमेटी बनी थी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज 1986 हो गया है, कहां है उसकी रिपोर्ट । उस कमेटी को स्टाफ तक नहीं दिया गया । यह इसलिए नहीं दिया गया कि कहीं सही स्थिति सामने न आ जाय और आपकी नियतों का भंडाफोड़ न हो जाय । मान्यवर, हमको केवल आंकड़े नहीं देखने चाहिए अपितु सही स्थिति को देखना चाहिए । 1984 के शुरू में 1131 केसेज पेन्डिंग थे जो बाद में 1171 हो गये और 1163 थे, वे 1300 तक पहुंच गये । वहीं पर माननीय श्रम मंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि श्रम आयुक्त के कार्यालय में भी भीषण असन्तोष व्याप्त है । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्रम आयुक्त के नीचे 6 अतिरिक्त श्रम आयुक्त हैं उसमें से दो पी0 सी0 एस0 और चार प्रोमोशन से भरे जाने हैं, जो कि दीर्घकाल से रिक्त हैं । इसी तरह से उप श्रमायुक्त के 11 में से 9 पद रिक्त हैं, श्रम अधिकारी के 55 में से 14 पद रिक्त हैं, सहायक श्रमायुक्त के 13 में से 4 पद रिक्त हैं, श्रम निरीक्षक के 300 में से 80 पद रिक्त हैं । इसीलिए आपके मामले पेन्डिंग हैं ।

रिटेनिंग भत्ता सीजनल इण्डस्ट्रीज को दिया जाता है जैसे चीनी मिलें इत्यादि । इसी तरह से वर्फ, चावल, कोल्ड स्टोरेज, ईंट-भट्ठे के कारखाने हैं, इन पर भी लागू क्यों नहीं है ?

अभी त्रिपक्षीय वार्ता की बात हो रही थी मंत्री का नैतिक दबाव होता है । लेबर के पोर्टफोलियो को इतना नीचा समझा है कि राज्य मंत्री को दे दिया कैबिनेट मंत्री होता तो नैतिक बल का उपयोग करता । वनस्पति उद्योग के श्रमिकों के वेतन पगार के बारे में पता नहीं कब से वार्ता चल रही है । 80 प्रतिशत एडहाक वेतनवृद्धि के आदेश हुए, उन्होंने कर दी, बाद में मालिकों ने देना बन्द कर दिया, आपने फिर एक्सटेण्ड कर दिया, उन्होंने फिर दे दिया । मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन सी परिस्थीतियां थीं जिसके कारण त्रिपक्षीय वार्ता का परिणाम नहीं निकला ? मेरा सुझाव है कि, चूंकि परिस्थितियां बदल रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, श्रमिक कानून कालातीत हो रहा है, आप एक त्रिपक्षीय स्थाई समिति गठित कर दें, जो कि स्थायी रूप से समय-समय पर सदा इस पर विचार करती रहे ।

सालवेन्ट इन्डस्ट्री है । उस कारखाने के श्रमिकों को मिनिमम वेजेज देते हैं, उसका पुनरीक्षण करना आवश्यक है ।

सरकार ने वाहवाही लूटी, छोटे-छोटे नर्सरी स्कूल जो हैं, वे दुकानों के रूप में चल रहे हैं । अपनी अधिसूचना में आपने कह दिया कि 6 घण्टे जो अध्यापक, अध्यापिका काम करते हैं, उन पर मिनिमम वेजेज लागू नहीं होगा । स्कूल वालों ने अपने स्कूल का समय प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक कर दिया और उस पूरी अधिसूचना को इन्फ्रक्युअस कर दिया ।

आपने व्यवस्था की है लेबर वेलफेयर कोष बनाया है । आखिर उसका सही काम क्या होगा ? क्या आपने कोई एडवाइजरी कमेटी बनाई ?

इसी के साथ राज किशोर जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती विमला सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है, उसका अवलोकन करते हुए कह सकती हूं कि देश और प्रदेश के विकास एवं प्रगति के लिए है। मैं जहां तक समझती हूं श्रमिक, उद्योगपति एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों के बीच में तालमेल बिठाने में हमारे श्रम विभाग का बहुत बड़ा हाथ है। इसका प्रयास करते रहना चाहिए कि जो कपड़ा मिलें बंद हैं या उनके जो कारखाने हैं, उनके जो उद्योगपति हैं या मालिक हैं, उनका ताल-मेल या सामंजस्य बराबर बिठाये रहें जिससे कपड़ा मिलें या अन्य मिलें बन्द न हो सकें।

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं उसमें एक ज्वलन्त समस्या है कपड़ा मिल की और मैं बराबर अपने शासन से इसके विषय में कहती रहती हूं और प्रयास करती रहती हूं माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा और माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई हल इस सम्बन्ध मे नहीं निकल पाया है। मैं चाहती हूं कि इस विषय में कुछ न कुछ विचार अवश्य किया जाय।

मान्यवर, कई बार हमारे श्रम विभाग के द्वारा मीटिंग्स बुलाई गयी जिसमें हमारे उद्योगपति नहीं पहुंचे और कोई हल नहीं निकला। एक बार उस मीटिंग में मुझे बैठने का मौका मिला, तो जो वर्तमान समस्या थी उससे हट कर दूसरे पहलू पर विचार किया जाने लगा कि एक दूसरा कारखाना लगाया जाय। मैंने जब पूछा कि क्या उस कारखाने में उन्हीं मजदूरों को लिया जायेगा जो कि कपड़ा मिल से निकाले गये हैं? लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था।

श्री अधिष्ठाता—

श्रीमती विमला सिंह, आप संक्षेप में अपने सुझावों को रख दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, कहने दीजिये, बड़ा दर्द है उनके दिल में।

श्रीमती विमला सिंह—

लेकिन हमारी सरकार जिसके ऊपर मुझे पूर्ण आस्था है और विश्वास है, उसी आधार पर मैं समझती हूं कि इसका अवश्य कुछ हल निकालेगी। माननीय श्रम मंत्री जी को मैंने कुछ दिनों पहले एक पत्र दिया था उसमें मैंने कुछ सुझाव भी रखे थे वहां के श्रमिकों के बारे में कि वे इतने दुखी हैं कि भुखमरी के कगार पर खड़े हुए हैं, उनके पेट की ज्वाला धधक रही है और वह कभी भी अनशन का रूप ले सकती हैं। एक बार मुझे उनके अनशन पर भेजा भी गया था मैंने उनका अनशन तुड़वाया, लेकिन उसे तोड़ने के बाद भी आज तक न कोई मीटिंग हुई है और न कोई हल ही निकाला गया है जिससे कि मैं समझ सकूं कि इस सम्बन्ध में कुछ हो रहा है।

जहां तक सुझाव देने का प्रश्न है, मैंने अपने सुझाव केन्द्रीय सरकार को और इस प्रदेश की सरकार को दोनों जगहों पर लिखित रूप में दिये हैं। इस सम्बन्ध में मैंने तीन सुझाव रखे हैं जो इस प्रकार से हैं—

(1) कम्पनी को यू0 पी0 रिलीफ अंडरटेकिंग ऐक्ट के उपबन्धों के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दी जाय तथा जरूरी रियायतें भी दी जायं जो गुजरात की

टैक्सटाइल मिलों को दी गयी हैं ताकि मिल भी कम से कम समय में फिर से चालू हो सके ।

(2) यदि प्रबन्ध मण्डल उपर्युक्त सुझाव का लाभ उठाने और 3 से 6 महीने की अवधि के अन्दर मिल को फिर से चालू करने में असमर्थ रहता है तो राज्य सरकार को चाहिए कि वह मिल को अपने हाथ में लेने का निर्णय ले और उसे राज्य सरकार के प्रतिष्ठान के रूप में चलायें ।

(3) यदि उत्तर प्रदेश सरकार के सामने मिल को अपने हाथ में लेने और उचित समय के अन्दर इसे दुबारा चालू करने में कोई अनुलंघनीय बाधाएं हैं, तो वह भारत सरकार से अनुरोध करें कि नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन इसे अपने हाथा में ले और कारपोरेशन की अन्य यूनिटों के आधार पर इसे दुबारा चालू करे ।

इसी के साथ मैं माननीय श्रम मंत्री और मुख्य मंत्री जी पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखती हूं कि वे इस संबंध में कुछ न कुछ हल अवश्य निकालेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रम मंत्री द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी का ध्यान श्रमिकों की कुछ समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, श्रमिक उत्पादन करता है, संरचना करता है, निर्माण करता है उसी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है ।

मान्यवर, संविधान में समाजवादी संविधान होने का संकल्प लिया गया है और समाजवाद की बुनियादी शर्त है कि इन्सान के जरिये इन्सान का शोषण समाप्त होना चाहिए । लेकिन देश की आजादी के बाद इस मुल्क में श्रमिक उत्पीड़न बढ़ रहा है, शोषण बढ़ रहा है, केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों द्वारा श्रमिकों को संरक्षण नहीं दिया जा सका है । मान्यवर, अपने जनपद बांदा के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे जनपद में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने एक सूती मिल की स्वीकृति दी थी, जो सरकारी सेक्टर की है, जो चल रही है और उसको चलते अभी दो वर्ष भी नही हुए हैं, लेकिन जिस तरह से श्रमिक उत्पीड़न जे0 एम0 डी0 के द्वारा प्रारम्भ हो गया है, उसके कारण सूती मिल में असन्तोष भड़क उठा है । यह कहा गया था कि बांदा जनपद उद्योग शून्य जनपद है और उसमें वहां के लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दी जायेगी, लेकिन उसके जे0 एम0 डी0 कानपुर में बैठते हैं और 8-10 हजार रुपया लेकर बाहर से लोगों को नौकरी पर रख कर भेज रहे हैं, इस कारण स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पायी है और जिन लोगों को नौकरी मिल गयी है, उनको आये दिन प्रताड़ित किया जा रहा है और नौकरी से निकाला जा रहा है और पालतू गुण्डे भिजवाकर उनको पिटवाया जा रहा है । 9 जनवरी से लेकर आज तक लगातार इस तरह का उत्पीड़न किया जा रहा है और मनमानी ढंग से उनको निकाला जा रहा है मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे उनका संरक्षण करें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और उनका शोषण जो हो रहा है, उससे बचायें। जो अधिकारी हैं और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्रम बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मान्यवर, विपक्ष के द्वारा केवल एक ही बात कही गयी है कि हड़ताल होने के बाद मिल मालिकों से पैसा लेकर सत्ता पक्ष के लोग अपना काम चलाते हैं। मेरा कहना है कि जो हड़तालें होती हैं वह सी0 पी0 एम0 के लोग कराते हैं और फिर मिल मालिकों से पैसा लेकर हड़ताल को समाप्त करते हैं और प्रतिवर्ष चन्दा लेते हैं और यही नहीं मासिक रूप से रकम निश्चित करते हैं। हमारे शासन से मजदूरों के लिए, गरीब किसानों के लिए और खेतिहर मजदूरों के लिए न्यायाधिकरण बनाये हैं, मजदूरी अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, बोनस अधिनियम बनाये हैं। कल कारखानों में महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था की गयी है और ऐसी व्यवस्था की गयी है कि वह रात्रि में काम न करें। जहां पर कोई समस्या आई है हमारी सरकार ने तत्काल उसको द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ता द्वारा हल किया है। दोनों पक्षों को विश्वास में लेकर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है, टकराव या भड़काव की कार्यवाही नहीं करना चाहिए, इसलिए यह बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि बहुत कम हड़ताल और तालाबन्दी हुई है।

अब मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। उद्योग निदेशक ने एक पत्र भेजा है कि देहरादून प्रदूषण रहित जिला घोषित किया जाता है, इसलिए प्रदूषण वाले सारे उद्योग बन्द कर दिये जायें। पहले उच्चतम न्यायालय ने खानें बन्द की थीं और अब जो चूना भट्ठा हैं उनको भी बन्द किया जा रहा है। उसकी कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे बेरोजगार हजारों श्रमिकों में असंतोष फैला हुआ है, तो कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। अन्यथा स्थिति बहुत भयंकर होगी। मान्यवर, मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, अमिताभ टैक्सटाइल लि0 प्रेमनगर देहरादून से त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जी0 ओ0 निकाला था। उस जी0 ओ0 के खिलाफ मिल मालिक 1972 में हाई कोर्ट में गये और वहां से स्टे ले लिया लेकिन यह स्टे अभी तक वैकेट नहीं हुआ है इसलिए वहां वेतनमान नियमानुसार लागू नहीं है।

कांच उद्योग में बल्ब उद्योग के बारे में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी मिनिमम वेजेज तय हुआ था उसमें भी कामेट मालिक हाई कोर्ट से स्टे ले लिया गया है और उसका वैकेशन आज तक नहीं हुआ है। मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने माननीय मंत्री जी, जो श्रमिकों के बीच में काम करती रही हैं जिनका एक इतिहास है, के द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं इसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

मान्यवर, सरमायेदारी और श्रमिकों के दरम्यान जो खाई है उसको कैसे पाटा

जाय, सरकार तो पाट नहीं रही हैं। मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं भारत सरकार की तरफ से बार-बार लिखकर प्रदेश सरकार को यह आ रहा हैं कि माइनारिटी के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और चूंकि माइनारिटी में श्रमिक बहुत ज्यादा हैं, पढ़े-लिखे बहुत कम हैं, और बहुत ज्यादा गरीब हैं इस सिलसिले में मेरा एक सुझाव हैं माननीय मंत्री जी नोट करें। हेड क्वार्टर पर एक माइनारिटी सेल कायम किया जाय जिसके जरिये से पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे कराया जाय कि कहां-कहां मुसलमान के पाकेट हैं यानी कहां-कहां माइनारिटीज के पाकेट हैं उस जगह पर इम्पलायमेन्ट आफिस हों और यह सर्वे करायें कि किस तरीके से मुसलमानों के लिए क्या इन्तजाम किया जा सकता हैं और साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि आई0 टी0 आई0 कालेज भी खुलवायें। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं यानी सम्बल क्षेत्र से वहां ज्यादा मुसलमान तबका हैं वहां 75 प्रतिशत मुसलमान बसते हैं और डेढ़ लाख से ज्यादा आबादी का शहर हैं। लिहाजा एक आई0 टी0 आई0 कालेज सम्बल में खोला जाय। सम्भल में एक जगह सरायतरीन हैं जहां 90 प्रतिशत लोग मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं वहां कोई सुविधा नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि सम्भल के इन मजदूरों के लिए सम्भल में कोई फैक्ट्री भी हो वहां पर एक आई0 टी0 आई0 कालेज खोला जाय माइनारिटी का जरूर खोला जाय जिससे वहां के बच्चे पढ़ सकें, तालीम हासिल कर सकें। मुझे उम्मीद हैं कि मेरे इस सुझाव को कबूल फरमाकर एक माइनारिटी सेल लखनऊ के अन्दर भी स्थापित करने की कृपा करेंगी। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्र सोन—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया साथ ही माननीय मंत्री जी ने जो श्रम बजट रखा हैं मैं उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, मैं आपके समक्ष यह कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा हैं वह साफ दिल से नहीं रखा हैं देश की आजादी के 38 साल हो गये और 38 साल पूर्व मजदूरों की जो स्थिति थी उसमें हमारे कांग्रेस शासन ने कितना अच्छा कार्य किया हैं, प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती हैं।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया केवल सुझाव दें, समय कम हैं।

श्री वीरेन्द्र सोन—

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। आगरा जूते के उद्योग का एक बहुत बड़ा केन्द्र हैं। वहां पर चूड़ी तथा कालीन के कारखाने भी हैं। उनके बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि श्रम विभाग के अधिकारियों को ऐसे अधिकार शासन द्वारा दिये जायं जिससे वहां की श्रमिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सेवायोजकों को अपने यहां बुलायें और उनका समाधान वे कर सकें।

दूसरा सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार ने इन श्रमिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए जो एक रुपया 30

पैसे से 1 रुपया 65 की वृद्धि डी0 ए0 में की है वह सार्वजनिक और निजी दोनों उद्योगों के प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी दी जाय । मान्यवर, फिरोजाबाद में जो प्रतिष्ठान हैं उसमें वहां के जो लोग स्थायी होते हैं उनको ग्रेच्युटी की सेवा का लाभ नहीं दिया जाता है । मान्यवर, आगरा में जूते बनाने के काम में एक लाख बीस हजार कर्मचारी काम करते हैं लेकिन वहां पर फैक्टरी ऐक्ट का कानून लागू नहीं है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर उस कानून का कड़ाई से पालन किया जाय । जिससे जो फैक्ट्रियां वहां बिना श्रम कानून के अन्तर्गत काम कर रही हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये । मान्यवर, मैं आपके समक्ष यह समस्या रखना चाहता हूं कि श्रमिकों की भागीदारी की जो योजना शासन ने बनायी है उसको भी कार्यान्वित किया जाय । इसके साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि वर्मा जी ने कहा, आगरा का जो फिरोजाबाद क्षेत्र है, जहां कालीन की समस्या रखी है वह भूल गये आई0 टी0 आई0 के लिए एक अच्छा केन्द्र खोला जाय । इसलिए मैं मांग करता हूं कि आगरा (फिरोजाबाद) में एक आई0 टी0 आई0 केन्द्र खोलें जिससे वहां के बच्चों और बेटियों को प्रशिक्षण प्रदान हो सके । मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी आपके विभाग में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है और विभागीय प्रोन्नतियां पड़ी हुई हैं उनको तुरन्त पूरा करने का कष्ट करें । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री मूलचन्द—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह श्रम विभाग का यह बजट ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसा कि हाथी का दांत । उसके दांत देखने के लिए इतने बड़े होते हैं मगर अन्दर खाने के लिए छोटे-छोटे होते हैं । उसी तरह से यह बजट दिखाई पड़ रहा है न कि खाने के लिए । मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन भदोही, जनपद वाराणसी के बारे में आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि भदोही एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कालीन के उद्योग में विश्व के मानचित्र में एक मुख्य स्थान रखता है । मान्यवर, 150 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भारत सरकार को हमारा यह क्षेत्र भदोही देता है जिसमें सरकार की कोई लागत नहीं लगती है । विदेशी व्यापारी भी वहां आते हैं लेकिन वहां के लेबर और मजदूरों की हालत देखते हुए तरस आता है . . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मूलचन्द जी, कृपया सुझाव दें । वक्ता बहुत हैं और समय कम है ।

श्री मूलचन्द—

ठीक है मान्यवर, आप हमारा टाइम ले लिए । हमारे यहां कालीन मजदूर हैं लेकिन वहां पर एक्सपोर्टर्स ऐक्ट लागू न होने की वजह से जब लेबर इंस्पेक्टर्स वहां जाते हैं तो क्या करते हैं—वे बड़े-बड़े एक्सपोर्टरों से पैसा लेते हैं और लेबरों की कोई नहीं सुनता है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक मोतीलाल बूदर्स है जहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर 56 मजदूर हैं उनका शोषण हो रहा है । जहां पर मजदूरों की बात आती है आपसे पहले और उनसे पहले के श्रम मंत्री शास्त्री जी और हसन साहब ने आदेश दिये थे लेकिन उस पर आपके अधिकारी अमल नहीं करते हैं । तो आपके अधीनस्थ अधिकारी जो हैं वह आदेशों का पालन नहीं करते हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने अधिकारियों से सलाह करके कहें कि मैं जो आदेश करूं उनका पालन हो ।

भदोही में 32 सफाई मजदूर हैं लेकिन 13 वर्ष हो गये स्थायीकरण नहीं हुआ । वहां से यहां तक बात आई लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । एक बात और कहना चाहता हूं कि जो भट्ठा मजदूर हैं उनके ऊपर भी ध्यान दें ।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें ।

श्री मूलचन्द—

जो आपके लेबर इंस्पेक्टर हैं उनको आप हिदायत दें वह ठीक से जांच करें । पूंजीपतियों के हित में न देखों । श्रमिकों का भला तभी होगा जब आप वहां जाकर देखों कि मजदूरों के मामले में कितना शोषण हो रहा है । ऐसा न हो कि आपका बजट भी हाथी दांत की तरह दिखाने के और खाने के और वाला न रह जाय . इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं और मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

कर्नल केशरी सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्रम विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं इस बजट का हृदय से स्वागत करता हूं और कटौती प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

समय कम है, केवल सुझाव दें ।

कर्नल केशरी सिंह—

मान्यवर मैं कम समय लूंगा । मुझे आश्चर्य होता है यह देख कर कि श्रम के बजट पर भी कटौती प्रस्ताव आता है । यह वह विभाग है जो केवल निर्बल वर्ग की देखभाल करता है, जो महिलाओं, अनुसूचित जातियों, और निर्बल वर्ग के लोगों का हित करता है । तो ऐसे लोगों की भलाई के लिए जो बजट हो उसके लिए कटौती प्रस्ताव करना कोई औचित्य नहीं रखता है । इस विभाग के कार्यकलापों से अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं का कितना विश्वास है यह इस बात से सिद्ध होता है कि इसमें लगभग 4 लाख लोग पंजीकृत हैं और लगभग डेढ़ लाख महिलायें पंजीकृत हैं । मैं कहना चाहता हूं कि 125 प्रशिक्षण संस्थाओं में हर प्रकार की शिक्षा देकर संचालित किया जा रहा है यह कार्य समाज के किसी अंग द्वारा नहीं किया जा रहा है । केवल श्रम विभाग द्वारा ही किया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप सुझाव दें ।

कर्नल केशरी सिंह—

जो वृद्धावस्था पेन्शन है इसके विषय में कहना चाहता हूं कि यद्यपि हमारे साधनों की कमी है लेकिन यह जो 60 रुपये दी जाती है यह बहुत कम है ।

इसको बढ़ाकर कम से कम 100 रु0 कर दिया जाय । दूसरा सेवायोजन कार्यालयों में कुछ और अधिक अंकुश लगाने की आवश्यकता है क्योंकि यहां पर भ्रष्टाचार की बात स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है । मैं मांग करूंगा कि अधिक से अधिक भूतपूर्व सैनिकों को सेवा-योजन कार्यालयों के द्वारा सेवा का अवसर दिया जाय ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि बस्ती में वाल्टरगंज चीनी मिल के मजदूर समायोजित नहीं हुए हैं । शासन ने घोषणा की थी कि वाल्टरगंज मिल के मजदूरों को दूसरी मिलों में समायोजित किया जायेगा । इस विषय में मैं तुरन्त कार्यवाही की अपेक्षा करूंगा । इन शब्दों के साथ मैं श्रम बजट का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री शारदा नन्द अंचल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ विन्दुओं की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । विशेष रूप से यहां जो पूंजीपतियों की फैक्टरियां हैं उनमें जो मजदूर हैं वह 20-20 सालों से स्थायी रूप में नौकरी कर रहे हैं लेकिन श्रम विभाग का उन पर कोई अंकुश नहीं है । वह मजदूरों को न आवासीय सुविधा, न चिकित्सा की सुविधा और न शिक्षा की ही सुविधा देते हैं । इसलिए यह विभाग पूंजीपतियों के असर का विभाग हो गया है । मान्यवर, जैसे हिन्डालको में, जो मिर्जापुर में, बिरला का कारखाना है, उसमें 20-20 वर्षों से मजदूर काम कर रहे हैं, किन्तु उनके लिए न आवासीय सुविधा, न चिकित्सा की सुविधा और न शिक्षा की ही सुविधा है । हम लोगों ने इस सम्बन्ध मे मांग-पत्र हिंडालको के चेयरमैन को दिया, उसकी प्रति श्रम आयुक्त और श्रम सचिव को दिया लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और न कोई सुविधाएं ही दी गयीं ।

मान्यवर, इसी प्रकार मिर्जापुर में ओबरा के सम्बन्ध में लिखकर दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ । इसी प्रकार बलिया जनपद में "दि किसान सहकारी चीनी मिल" की स्थिति है जहां 10-10 वर्षों से मजदूर अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं और डेलीवेजेज पर अभी तक कार्य कर रहे हैं जिनकी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है । मजदूर लोग इस सम्बन्ध में श्रम इंस्पेक्टर और स्थानीय अधिकारियों को लिखकर भेजते हैं किन्तु अधिकारी प्रबंधकों से मिलकर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं । इसी के साथ ही बाल श्रमिकों की बड़ी दुर्दशा हो रही है । इसलिए निवेदन है कि श्रम विभाग इन फैक्टरियों के मालिकों को आवासीय, चिकित्सीय और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं मजदूरों को देने के लिए निर्देश दें ।

माननीय, मंत्री जी डा0 लोहिया की शिष्या रही हैं, इसलिए वह डाक्टर लोहिया के आदर्शों और उनकी नीतियों को मानें और श्रम विभाग में श्रम नियमों में श्रमिकों के हित में संशोधन करायें और पूंजीपतियों के हित में काम न करें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री बद्री प्रसाद—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया ।

मान्यवर, श्रमिकों के लिए जो उनका श्रम और पारिश्रमिक का फल है वह आज पूरा नहीं मिल रहा है हालांकि हमारी सरकार ने श्रमिकों के लिए चाहे वो मिलों में काम करते हों या किसी सड़कों पर काम करते हों बंधुवा मजदूर हैं । बहुत सी सुविधाएं दी हैं क्योंकि हमारी सरकार ने उनको 11 रुपये प्रतिदिन तय किया है किन्तु बीच में जो ठेकेदार हैं वह अपनी दलाली लेकर मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देते हैं । खाद्यान्न के बदले काम योजना के तहत दलाल लोग सारा गेहूं बेच देते हैं और मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देते हैं । इसलिए प्रार्थना है कि श्रमिकों को सरकार पूरी मजदूरी दिलाये और एक सा वेतन उनको दिलाये । ठेकेदार 8—10 दिन काम कराते हैं तो उसकी मजदूरी के लिए श्रमिकों को 8 दिन दौड़ना पड़ता है । इसलिए सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

*डाक्टर बंगाली सिंह—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी और सरकार को बताना चाहता हूं कि आज भी मिल मालिक मजदूरों के लिए स्वच्छ पानी, पैशाब और टट्टी के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकी है । इसीलिए मजदूर, कपड़े की मिलों के मजदूर टी0 बी0 के मरीज हो रहे हैं और उनकी दवाई की कोई व्यवस्था यह सरकार नहीं कर रही है । तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनके लिए स्वच्छ पानी की और अच्छी दवाओं की वह व्यवस्था करायें । अक्सर देखा जाता है कि अस्पतालों में सिर्फ सर्टीफिकेट बनाने का ही काम होता है, दवा उपचार का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि वहां पर कोई दवा ही उपलब्ध नहीं रहती है जो दवायें आती हैं उनको बेच दिया जाता है । इसके अलावा जो लेबर कालोनी बनवायी जाती है, सभी जगह चाहे हाथरस की हो या अलीगढ़ की या और और कहीं की लेबर कालोनी उसमें बड़े-बड़े लोग रहते हैं, जिनके लिए वह बनवायी गई है वह वह लेबर क्लास के लोग उसमें नहीं रहते हैं । हाथरस में पल्लेदार बहुत हैं, उनको भी सरकार सुविधा दे । आपके जो लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, यदि इनको आपने नहीं सुधार दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि लेबर डिपार्टमेन्ट में सुधार किया जायेगा । वह विभाग सुधर जाएगा । यह इंस्पेक्टर बड़े-बड़े लोगों से पैसा लेकर मजदूरों का शोषण करते हैं ।

कुमारी कृष्णा रावत—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं विपक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीया श्रम मंत्री जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करती हूं मैं अपने तीन सुझाव दूंगी कि—एक तो हमारा-क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया ।

लखनऊ जनपद में सरोजनीनगर, मोहनलालगंज व बख्शी का तालाब तीन तहसीलें-ब्लाक हैं और इन तीनों क्षेत्रों में कहीं न कहीं कोई इंडस्ट्री अवश्य है, पर मेरा क्षेत्र मलिहाबाद ही एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है । मेरा सुझाव है कि मेरे क्षेत्र में भी ऐसा कोई उद्योग लगना चाहिए, जिसका हमारे क्षेत्र की आम की फसल पर कोई असर न हो और गरीबों को रोजी-रोटी की सुविधा हो सके । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहती हूं हरहा क्षेत्र में नवाबगंज और ढीहरामऊ के आस-पास भी कुछ अच्छे उद्योग लगाये जाने चाहिए, जिससे कि श्रमिकों को काम मिल सके । इसी तरह हसनपुर ब्लाक में भी कोई इंडस्ट्री नहीं है और वहां के गरीब आदमी इधर-उधर भटकते रहते हैं । उसे केवल दो रुपया निकाई के काम की आज मजदूरी मिलती है । श्रमिकों के लिए जहां तक समान वेतन का प्रश्न है, उसी प्रकार से महिला और पुरुष श्रमिकों में भी वेतन में समानता होनी चाहिए और हमारे क्षेत्र में महिलाएं बहुत हैं, इसलिए महिला श्रमिकों की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । यह खुशी की बात है कि मौजूदा स्थिति में इस समय श्रममंत्री जी महिला हैं । वह हमारे इस प्रस्ताव और निवेदन को स्वीकार कर लें ।

*श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, सच बात तो यह है कि यह सरकार श्रमिकों की हमदर्द ही नहीं है । आपको जानकारी होगी कि पिछले दिनों मोदीनगर की घटनाओं को लेकर सरकार ने रिलीफ ग्रान्ट की । यह उत्तर प्रदेश में आजादी के इतिहास की पहली घटना है कि निजी क्षेत्र में किसी मिल को रिलीफ सरकार द्वारा प्रदान की गई हो । उसको यह रिलीफ देते समय कुछ शर्तें रखी गयीं थीं जैसे वहां के बेकार होने वाले 5 हजार मजदूरों को सेवा में रखा जाएगा, आदि लेकिन उन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है और इतना ही नहीं रिलीफ की अवधि भी बढ़ा दी गई है । जबकि विभाग द्वारा अवधि बढ़ाने का विरोध किया गया था, फिर भी मुख्य मंत्री ने विशेष तत्परता दिखाकर मोदी को ग्रान्ट की अवधि सरकार द्वारा बढ़ा दी [xxx] । इससे पता चलता है कि यह सरकार श्रमिकों की कितनी हमदर्द है ।

एक सदस्य—

मैं उस क्षेत्र से हूं । मैं इसे निराधार साबित कर दूंगी, इसमें सत्यता नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा—

सब काम आपसे पूछ कर नहीं होते हैं ।

श्री अशोक बाजपेयी—

27 जुलाई को केन्द्रीय श्रम मंत्री श्री टी0 अंजैया जी ने राज्य के श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट—[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

मान्यवर, अभी माननीय विधायक जी ने एक आरोप लगाया कि 50 लाख रुपये की थैली मुख्य मंत्री जी को भेंट की गयी है। मेरा आग्रह है कि यह बेबुनियाद आरोप है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

मैं देख लूंगा, यदि ऐसा होगा तो कार्यवाही से निकाल दिया जायगा। (व्यवधान) यह कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, टी0 अंजैया की अध्यक्षता में सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। 27 जून, 1985 को यह सम्मेलन हुआ था उसमें निर्णय लिया गया था कि औद्योगिक बंदी या छंटनी होने पर श्रमिकों की व्यवस्था के लिए एक कोष की स्थापना की जायगी लेकिन आज तक उस कोष की स्थापना नहीं की गयी है। दूसरा निर्णय यह लिया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र के प्रबंध तंत्र में श्रमिकों को साझीदार रखा जायगा लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं किया गया है।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, स्थिति यह है कि इस प्रदेश में 1 करोड़ बेरोजगार हैं और 5 लाख बेरोजगार प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं। बेरोजगारों की इतनी बड़ी संख्या है और इतनी तेजी से बेरोजगार बढ़ रहे हैं लेकिन सरकार इसके लिये कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है और उनके लिये कोई साधन मुहैय्या नहीं कर रही है। आपके जो रोजगार कार्यालय हैं उनमें खुला हुआ भ्रष्टाचार है। स्थिति यह है कि जो हमारे सेवायोजन कार्यालय हैं तो यहां के निदेशालय से बैठकर तमाम लोगों से पैसा लेकर उनको नियुक्ति देने का काम किया जा रहा है। फर्जी पता देकर, सेवा योजन कार्यालयों पर दबाव डालकर निदेशालय के अधिकारी नौकरी दिलवा रहे हैं। मैं सीतापुर का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां के सेवायोजन अधिकारी प्रमोद कुमार बाजपेयी का एक वर्ष में 12 बार तबादला किया गया। निदेशक और अतिरिक्त निदेशक श्री ए0 सी0 सेठ ने उनका एक साल में 12 बार ट्रांसफर किया क्योंकि वह उनका अवैध आदेश नहीं मानते थे। उन्होंने जो पत्र लिखे हैं वह मेरे पास हैं। आखिर में वह मृत पाये गये। इस तरह से उत्पीड़न के कारण एक नौजवान अधिकारी को अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए विभाग के अधिकारियों ने मजबूर कर दिया। ऐसे तमाम भ्रष्टाचार के मामले हैं। यह श्रम विभाग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। मैं चाहूंगा कि इन मामलों की आप निष्पक्ष जांच करवाइये और जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का भरपूर समर्थन करता हूं।

(श्री राज किशोर सिंह को पुकारे जाने पर।)

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मुझे सुन लें मैं मजदूरों की बात कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठिये।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। आपकी फैक्टरी में मजदूरों को

तनख्वाह नहीं मिल रही है । आप तनख्वाह नहीं दे रहे हैं । मुझे आप बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

जो गलत बात कही गयी है वह निकाल दी जायेगी ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, आप बोलने नहीं दे रहे हैं इसके विरोध में मैं सदन त्याग करता हूं ।

(श्री मनोहर लाल तथा श्री गया प्रसाद वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, मेरे द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव में बहुत से सुझाव आये और उस पक्ष के जो भी माननीय सदस्य बोले हैं, चाहे दबी जबान से ही उन्होंने कहा लेकिन कुल मिलाकर कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में ही बोले हैं । एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, मुझे तो सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि सी0 पी0 आई0 और सी0 पी0 आई0 (एम0) के लोग ही हड़ताल करा रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यह पूंछना चाहता हूं कि यह कानपुर की हड़ताल किसने कराई, इसलिए कि माननीय वीर बहादुर सिंह, जो मुख्य मंत्री हैं, इस प्रदेश के वह इसको लेकर बदनाम हों और उनका बेड़ा गरक हो जाए तो हड़ताल का कराना तो आपका ही कर्तव्य है और दूसरी बात अगर मिल मालिकान तालाबंदी, क्लोजर न करायें और छंटनी न करायें और यदि उनकी न्यायोचित मांगे मान ही लें तो स्ट्राइक की बात ही न उठे । और अगर आप स्ट्राइक की ही बात कर रहे हैं तो मजदूर अगर यह फैसला कर ही लें तो सारे कल-कारखाने, उद्योग और प्रतिष्ठान उसी के बाद बंद हो जायेंगे और एक दिन आयेगा जबकि उसका ही राज होगा । इस बात को आप क्यों नहीं समझते हैं । मैं आपके सामने कुछ और बातें रखना चाहता हूं कि चीनी उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग में जो कार्यरत हैं मजदूर उनके वेतन का पुनरीक्षण एक अर्से से नहीं हुआ है, उनके वेतन का पुनरीक्षण होना चाहिए । इन दोनों उद्योगों के काम में जो संराधन तंत्र काम कर रहा है उससे मजदूरों को बहुत तकलीफ हो रही है जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुकदमें यहां बहुत लम्बे काल तक चलते हैं और रिफरेंस में जाते-जाते मजदूरों की हालत खराब हो जाती है । इसीलिए मैंने सुझाव दिया था कि आप अपने लेबर ला में संशोधन करिए, यू0 पी0 इण्डस्ट्रियल ऐक्ट में संशोधन करिए और अगर यह संशोधन आप नहीं करेंगे तो मालिकों को इस सिलसिले में कोई फिक्र नहीं और संराधन कार्यालय को क्या पड़ी कुछ हो माराकान आयें या न आयें, उसे तो खुली छूट है और संराधन अधिकारी का निर्णय तब तक नहीं होगा, जब तक दोनों पक्ष आयेंगे नहीं । इसलिए इस सिलसिले में आप कुछ कदम उठायें । केन्द्र सरकार ने तो अपने यहां संशोधन कर दिया है छंटनी के मामले में । 300 श्रमिक जहां काम में लगे हों, उनके मालिकों को जब छंटनी करनी हो तो वह श्रम विभाग से उसकी अनुमति मांगेंगे अब केन्द्र ने 300 से 100 कर दिया है इसलिए आप भी अपने कानून में 100 से भी कम करके 50 ही कर दीजिए कि जहां भी बर्कर जिस काम में चाहे कल-कारखानों में हों या किसी भी प्रतिष्ठान में काम कर रहे हों

(इस समय 7 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

तो बगैर ऊपर से अनुमति लिये हुए उनकी छंटनी नहीं की जा सकती है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरा अध्ययन करके सारे लेबर्स कानूनों का तब आप संशोधन करिये और दूसरी बात श्रम आयुक्त कार्यालय जो कानपुर में है उसे वहां से हटाइये क्योंकि कानपुर की हालत आज बहुत खराब हो गयी है। वहां के श्रम आयुक्त कार्यालय में भी बगैर पैसे के अब काम नहीं चलता है, खूब सौदेबाजी होती है और कभी-कभी वहां पर ऐसा भी होता है कि लम्बे समय तक वहां किन्हीं मामलों पर कोई आदेश नहीं होते हैं और दूसरी बात राज्य बीमा के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें कर्मचारियों का भी शेयर रहता है और मालिक का भी शेयर रहता है। लेकिन हो क्या रहा है, कर्मचारी तो अपना शेयर दे देता है और मालिक अपना शेयर नहीं देता है। इसलिए नतीजा क्या होता है कि वह ठीक से धनराशि जमा नहीं होती है और कर्मचारी राज्य बीमा की तरफ से जो अस्पताल बनाये गये हैं, वह बिलकुल मुर्दाघर की तरह से खड़े हैं। उसमें न डाक्टर है, न दवाइयां हैं। जो टी0 बी0 का मरीज है, उसकी वहां पर ठीक से दवा नहीं होती है। आपने कह दिया कि भुवाली, नैनीताल में एक टी0 बी0 का अस्पताल खोल दिया है। उसमें मान्यवर, जा कौन रहा है? यह जो इम्प्लाइज स्टेट इन्स्योरेंस है, उसे आप नगरपालिका की सीमा तक ही सीमित रखे हैं। जहां कहीं पर बीस कर्मचारी हों, वहां पर यह योजना आपने लागू किया है। लेकिन उसके बाद जहां असंगठित मजदूर हैं, जैसे भदोही का जिक्र आया, वहां पर यह लागू नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री राज किशोर सिंह—

इसका स्वरूप और बढ़ायें ताकि असंगठित मजदूर भी इससे लाभान्वित हो सकें। इसके अतिरिक्त और भी जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, उस पर माननीया मंत्री जी अमल करेंगी। मुझे उम्मीद है कि माननीया मंत्री जी हमारे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी और उसी के अनुरूप अपना बजट बनायेंगी।

कुमारी सरस्वती अम्माल—

मान्यवर, माननीय राज किशोर सिंह जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुए जो सुझाव दिये हैं और टीका-टिप्पणी की, उन्हें मैंने ध्यानपूर्वक सुना। मान्यवर, उन्होंने अच्छे सुझाव बहुत कुछ दिये हैं। उन्होंने मोदीनगर के मजदूरों के बारे में कहा और खैतहर मजदूरों की मजदूरी के बारे में कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ विभाग की अनियमितताओं के बारे में जोर दिया। मैं उनसे यह कहना चाहती हूं कि जो कारखाने बन्द हैं और मजदूर बेकार हो गये हैं, उन कारखानों को खोलने के लिए त्रिदलीय और द्विपक्षीय सम्मेलन बुला कर इन मामलों को निपटाने के लिए पूरा प्रयास करूंगी। माननीय आर0 एन0 पाठक जी ने जो कहा कि उद्योग बन्द हैं, उनको चालू कराना है, इसके लिए भी हमारा वही उद्देश्य है, जैसा मैंने अभी कहा है। मान्यवर, वह निश्चित रूप से मजदूर नेता हैं। उन्होंने जो सुझाव दिया है, उनके सहयोग से इन कारखानों को चालू कराना है। माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने बाल श्रमिकों के बारे में कहा उसके लिए हमारी सरकार बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बना रही है। उनकी देखरेख के लिए, उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए और उनके लिए अस्पताल खोलने के लिए भी शासन ने व्यवस्था कर

दिया हैं । माननीय वर्मा जी ने जो भी सुझाव दिये हैं, वह सुझाव बहुत ही अच्छे हैं, उन पर कार्यवाही की जायगी । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने कहा कि विभाग में काफी स्थान रिक्त हैं, उनको भरना चाहिए । मान्यवर, 11 उपायुक्त की तदर्थ नियुक्तियां हो चुकी हैं और भी जितने स्थान रिक्त हैं, शीघ्रातिशीघ्र उनकी पूर्ति कर लूंगी । मेरी बहन श्रीमती विमला सिंह ने मोदी नगर के मजदूरों के बारे में कहा तथा उनको कुछ अन्य सुविधायें प्रदान करने के संबंध में कहा । मान्यवर, सरकार उस पर विचार कर लेगी । इसके लिए मैं केन्द्रीय सरकार से अपने विभाग के अधिकारियों से और माननीय मुख्य मंत्री से वार्ता करूंगी । इसके लिए विभाग की ओर से पूरा प्रयास होगा । आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि मेरी बहन माननीय कु0 कृष्णा रावत ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन हो । यह बहुत अच्छा सुझाव हैं । यह सुझाव और किसी ने नहीं दिया हैं । माननीय कृष्णा रावत के सुझाव को अमल में लाने के लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी । माननीय सदस्यों के जितने सुझाव आये हैं सभी सुझाव बहुत कीमती हैं । सभी सुझावों को लेकर श्रम विभाग को मजबूत बनाते हुए आगे ले जायेंगे । मैं माननीय सदस्य श्री राज किशोर सिंह जी से आग्रह करूंगी कि आप भी श्रमिक नेता हैं और आप श्रम को सामने रखते हुए अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और इसको निर्विरोध पास करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं जब बोल रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्री श्री अंजैया ने राज्यसभा को सूचना दी कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने बड़े-बड़े कारपोरेशन, ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्णय लिया था । मैंने आरोप लगाया था कि आपने निहित स्वार्थ के आगे कोई कार्यवाही नहीं की हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस संबंध में कोई कार्यवाही की हैं और यदि नहीं की हैं तो इसका क्या कारण हैं ?

(श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी के खड़े होने पर तथा कु0 सरस्वती अम्माल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप अभी बैठिये । अब माननीय मंत्री जी खड़ी हैं ।

कुमारी सरस्वती अम्माल—

मान्यवर, जो माननीय गुप्ता जी ने टेहरी के बारे में बात कही हैं उसमें मैं किसी समिति को भेजकर या खुद जाकर इस पर जांच करूंगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती हैं ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । मान्यवर, वैसे तो हमें अपने संसदीय कार्य मंत्री जी की क्षमता पर पूरा विश्वास हैं कि वह कहीं कोई मिल बन्द नहीं होने देंगे और अगर कहीं तालाबंदी होगी तो हर ताले की चाभी उनके पास हैं । मैं जानना चाहता हूं कि मोदी मिल के मामले में 56 के अन्वर हम लोगों ने उठाया था । कानपुर के अन्वर ए0, बी0, सी0 डी0, मिल बंद हैं सिर्फ

मिल बन्द हैं, 20 हजार मजदूर बेकार बैठे हुए हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

यह स्पष्टीकरण नहीं है ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि टिहरी गढ़वाल का मैं रहने वाला हूं । टिहरी में एक बांध बन रहा है जो कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और वहां कुछ मजदूर जो काम कर रहे हैं उन मजदूरों के बच्चे भी वहां रहते हैं । इस पर किसी वकील ने लिखकर दे दिया कि वहां पर मजदूरों की हालत बहुत खराब है । मा0 सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वहां के डिस्ट्रक्ट जज श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल थे वह जांच कर रहे थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी सुप्रीम कोर्ट को । अब उनका ट्रान्सफर हो गया है । कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है । जांच पड़ताल के लिए विभिन्न प्रदेशों की सरकारों के पास मामलों की जांच हेतु मा0 सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट भेजी है मेरी जानकारी है फैसला नहीं हुआ है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर गुप्ता जी ने श्री टी0 अन्जैया का उद्धरण देकर स्पष्टीकरण मांगा लेकिन मंत्री जी . . .

श्री अधिष्ठाता—

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

चूंकि माननीय मंत्री जी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(श्री अशोक बाजपेयी भी सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

कोई स्पष्टीकरण मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का नहीं दिया, इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त सदन त्याग कर चले गये)

श्री जयदीप सिंह बरार—

गुप्ता जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात कही । वह विषय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिये यहां चर्चा नहीं हो सकती है ।

श्री अधिष्ठाता—

इसीलिये मैंने इजाजत नहीं दिया ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69—श्रम विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 18,29,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—70-श्रम विभाग (सेवा योजन) के अन्तर्गत

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10,92,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1986 *

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, अननुमोदन का प्रस्ताव मैंने दो उद्देश्यों से किया है । हालांकि शासन की जो नीति है, वह पूंजीपतियों के खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहती है । क्योंकि मान्यवर, अभी पहले भाषण देते हुए मैंने इनके केन्द्रीय श्रम मंत्री का संदर्भ दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार को डायरेक्शन दिया है, यह राज्य सभा में बताया गया, उसके बाद भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया, तो इनका यह स्वभाव बन गया है कि शोषण के खिलाफ बोलने वाले लोगों का समर्थन नहीं करते और पूंजीपतियों के समर्थन में बोलते हैं । इनका यह स्वभाव बन गया है, लेकिन उसके बाद भी हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और अपनी बात रखेंगे । यह जो शीरा नियंत्रण विधेयक लाया गया है, पहले तो यह वित्तीय नियमों के अनुकूल नहीं है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें । मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । यह एक मनी बिल है । आप नियमावली को देख लें, जिसके अन्दर कोई भी व्यय अन्तरनिहित होता है कि कर वसूली में यह धन खर्च होगा, तो नियमावली और संविधान में दिया हुआ है कि उसके संबंध में वित्तीय ज्ञापन होगा । आप अध्यादेश को देख लें, उसके रूप को देख लें, कहीं पर वित्तीय ज्ञापन नहीं है, इसलिये संसदीय परम्पराओं का आदर करते हुए इस बिल को वह संदर्भित नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब इसको विचार के लिए स्वीकृति दे दी गयी है, अतः इसमें दूसरी बात देखें कि यह विधेयक अपने आप में भी अपूर्ण है । इसके बारे में हाई कोर्ट द्वारा जजमेंट हुआ, लेकिन सरकार न तो संसदीय परम्पराओं का सम्मान करती है और न माननीय न्यायालयों के निर्देशों का । आपने न्यायालय के निर्देशों से बचने के लिये अपना एक अध्यादेश जारी कर दिया और जो हमारे संविधान द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास है, आपने उसका दुरुप

*दिनांक 15 मार्च, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपी है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

योग कर लिया । आपने पांच रुपये प्रति क्विंटल प्रशासनिक व्यय लेने की व्यवस्था की है । लेकिन यह जो धन लिया जायगा, जो खरीदार होगा हर एक से लिया जायगा । शीरा किसके लिये लिया जाता है । शराब बनाने के लिये लिया जाता है, तम्बाकू बनाने के लिये लिया जाता है, बहुत से लोग जानवरों को खिलाने के लिये ले जाते हैं और गरीब लोग खाने के काम में भी लाते हैं । जो गरीब जानवरों के लिये ये अपने खाने के लिये या तम्बाकू के लिये ले जायगा आप उससे भी लेंगे और शराब बनाने वालों से भी लेंगे । लेकिन यह टैक्सेशन नीति जनहित की नहीं है । शासन के पास साधन हों, इसमें मतभेद नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसा हो उनसे लें । देखना यह है कि जिसकी जेब में आप हाथ डाल रहे हैं वह दे भी सकता है या नहीं । इससे गम्भीर बात यह है कि आपकी नीयत तो है नहीं बड़े आदमियों से पैसा लेने की, इसलिये कह दिया कि पांच रुपये से अनधिक देंगा । मेरा आरोप है कि आपने यह अध्यादेश हाई कोर्ट के उस निर्देश के कारण निकाला, अन्यथा अध्यादेश के तीन महीने बाद आज तक आपने एक्जीक्यूटिव आर्डर जारी नहीं किये कि प्रशासनिक अधिभार कितना लिया जायगा । पांच रुपये पूरा लिया जायगा या 4.90 रुपया लिया जायगा या कितना लिया जायगा । आपका मन नहीं था इसलिए अध्यादेश जारी करने में तो जल्दी की लेकिन एक्जीक्यूटिव आर्डर आज तक जारी नहीं किया । इस प्रकार आपने राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग कर लिया । वसूली की क्या विधि होगी यह आपने तय नहीं किया है । यह तय नहीं किया है कि बड़े पूंजीपति जो चीनी मिल के अध्यासी होंगे वह सरकार को कैसे देंगे, यह तय नहीं किया है । इसलिये यह आधे मन से हाई कोर्ट का निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया है और इसीलिए एक्जीक्यूटिव आर्डर जारी नहीं किया गया है । कोई भी नियमावली हो यह व्यवस्था होती है कि कैसे वसूली करेंगे और कैसे लेंगे । तो आवश्यकता इस बात की है मान्यवर, आप तो जानकार हैं, आपकी सामाजिक कार्य में थोड़ी रूचि रहती है । मान्यवर, सरकार के द्वारा परमिट दिये जाते हैं शीरे के बारे में, अखबारों के माध्यम से पढ़ने में आता है कि नेपाल में इसकी तस्करी हो रही है, फलां जगह तस्करी हो रही है, आप देखें इस परमिट को जारी करने में घोर भ्रष्टाचार किया जाता है आपने किसी एक अधिकारी को यह अधिकार दिया है । आपने कोई इसके लिए कमेटी बनायी नहीं, उसकी संस्तुति की व्यवस्था की नहीं, कोई मानक तय नहीं किये । अब किसी को ओब्लाइज करना है, दो पैसे का आदमी नहीं है, वह परमिट लेकर के किसी अल्कोहल विक्रेता के यहां बेच देता है । जब तक इसकी कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, तब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा । यह जो विधेयक है, यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है । आपके जो राजनीतिक हित हैं, उनकी पूर्ति करने के लिये आप यह विधेयक लाये हैं, इसलिए मैं इसका अननुमोदन करता हूं ।

आबकारी राज्यमंत्री (श्री चेतराम गंगवार)– मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, आज मेरा भ्रम दूर हो गया । मैंने यह सोचा था कि माननीय गुप्त जी कोई विद्वता की बात कहेंगे, काफी छान

बीन और स्टडी के बाद अपनी बात कहेंगे, क्योंकि यह सदन में भी काफी देर नहीं दिखे लेकिन, ऐसी कोई बात सामने नहीं आयी । मान्यवर, यह बात कही गयी कि तम्बाकू मिलाते हैं किसान और जानवर को खिलवाते हैं । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा उस शीरे से कोई वास्ता ही नहीं है इस विधेयक में । मान्यवर, यह तो बहुत छोटा सा विधेयक है । मान्यवर, इसमें "बेचने और सम्भरित करने" के स्थान पर शब्द "बेचने या सम्भरित करने" को उल्लेख किया है । एक धारा बढ़ा दी है वह यह कि 'शक्कर के कारखाने का अध्यासी अपने द्वारा बेचे गये या सम्भरित किये गये शीरे पर राज्य सरकार को, निर्बल रीति से, पांच रुपये प्रति क्विंटल से अनधिक ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, प्रशासनिक प्रभार का देनदार होगा । प्रभार लगने वाले की बात है इसको जो चाहे क्रेता है, उससे खरीद ले । मान्यवर, क्रेता साधारण आदमी नहीं होगा । यहां पर तो मान्यवर, अल्कोहल बेस इंडस्ट्री की बात आबकारी बजट के दिन सदन में उठी थी । मान्यवर, बरेली में जो रबर फैक्ट्री है, आप जानते हैं कि वह कितना बड़ा आदमी है । बाराबंकी में सौम्मेया आरगेनिक है, वह कितना बड़ा आदमी है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक छोटा सा विधेयक है । मान्यवर, जहां तक माननीय उच्च न्यायालय के फैसले की बात है, जितना यह मानते हैं, मान्यवर, उससे ज्यादा यह सरकार मानती है । मान्यवर, 1980 में पूंजीपति मिल मालिक हाई कोर्ट में चले गये । मैं गुप्ता जी से कहना चाहता हूं कि जब आप लोग सत्ता में थे, तब ही, उन्हीं दिनों में गये, आप उनको जाने न देते लेकिन आप लोगों ने तो कह दिया कोर्ट चले जाओ, वे कोर्ट चले गये । न्यायालय का आदेश हो गया कि आप यह नहीं लगा सकते हैं, नियमों में यह प्राविजन नहीं है, आप अलग से कोई प्राविजन करें । मान्यवर, न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए, यह कार्यवाही की जाती रही ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

1980 से 1986 में लाये ।

श्री चेतराम गंगवार—

आप माननीय मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ को धन्यवाद दीजिये कि जैसे ही वे बैठे, इसे ले आये । यह कहा गया कि इसमें कोई वित्तीय ज्ञापन नहीं है । मान्यवर, इसमें कोई हमारा खर्चा नहीं है । मान्यवर, एक्साइज इंसपेक्टर डिप्टी एक्साइज इंसपेक्टर और जैसे हर फैक्ट्री में सिपाही होते हैं । यह खर्च तो हम फैक्ट्रियों के मालिकों से लेंगे और उसे गरीबों के उत्थान के लिए लगायेंगे । इसे तो आप हर्ष के साथ पास करें । हमें इण्डस्ट्रीज लगानी हैं और विकास के कार्य करने हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसमें जो एमेन्डमेंट लाये हैं, उसे वापस लें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अभी इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी ने भाषण दिया । उन्होंने कहा कि मैंने कोई विद्वता की बात नहीं की । मैं जो समझ पाया और कह पाया, वह मैंने सदन में कहा, लेकिन मेरे साथ यह मजबूरी है कि मैं उन्हें समझने के लिए अपनी बुद्धि कैसे दे दूं ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गुप्ता जी, प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने वाला आपका जो [illegible]

धन है, उसे पहले आप प्रस्तुत कर दें उसके बाद संशोधन पर बोलें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, मैंने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देते हुए कुछ शंकायें प्रकट की, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उन शंकाओं का समाधान अपने भाषण में नहीं किया । माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितनी जल्दबाजी अध्यादेश जारी करने में उन्होंने की, 30 नवम्बर को अध्यादेश जारी हो गया, लेकिन आप यह बतायें कि किस तारीख से आपने एक्जक्यूशन आर्डर जारी किये हैं, जिसके तहत आपने यह तय किया है कि 5 रुपये या पौने पांच रुपये लेंगे । उससे आपकी तत्परता का पता लग जायेगा । प्रवर समिति को इसलिए भी भेजना आवश्यक हो गया है कि इसकी वसूली किस ढंग से की जायेगी और किससे वसूली की जायेगी । हम कहते हैं कि यदि कोई शराब बनाने के लिए ले जाता है तो उससे आप 5 के बजाय 10 रुपये लें । कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका भार किसी सामान्य व्यक्ति के ऊपर पड़े । इसलिये प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने पर मैं बल देता हूं ।

माननीय बाजपेयी जी, आप अपनी बात 2 मिनट में समाप्त करें क्योंकि समय काफी हो चुका है ।

*श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, यह सरकार अध्यादेश के सहारे ही चलना चाहती है । जब विधान सभा सत्र में चल रहा है तो माननीय मंत्री जी को इतनी जल्दबाजी क्या थी इस छोटे से अध्यादेश को लाने की । माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम बड़े-बड़े व्यापारियों और शराब के व्यापारियों पर अधिभार डालने जा रहे हैं लेकिन इस अधिनियम में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि इससे कौन से लोग प्रभावित होंगे । लोगों को तो चीनी नहीं मिल पा रही है । बहुत से लोग गरमी के दिनों में इसी शीरे से अपना शरबत का काम चला लिया करते थे । यह सरकार तो बड़े-बड़े पूंजी-पतियों की हमदर्द है । मैं यह कहूं कि गंगवार जी तो टैक्स मंत्री हैं । एक न एक नया अधिभार लेकर वह सदन में आ जाते हैं । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय ताकि विस्तार से सभी बिन्दुओं पर चर्चा हो सके, स्पष्ट हो सके कि अधिभार किन लोगों पर लगेगा । इसी के साथ ही मैं माननीय गुप्त जी के संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार चल रहा है, मैं बड़ी बेताबी से विचार कर रहा था कि माननीय गुप्त जी कोई ऐसी बात कहेंगे जो कानून के हिसाब से सही होगी क्योंकि वह अक्सर ऐसी बात कहते हैं जिसका काटना मुश्किल होता है । वह कहते हैं कि यह धन विधेयक है । धन विधेयक के लिये नियमावली का नियम 118 देखें, उसमें है कि जिसमें व्यय अंतर्ग्रस्त हो, इसमें तो आय अंतर्ग्रस्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं । अगर सरकार की तरफ से कोई खर्चा होना होता, नये लोग रखे जा रहे होते, छूट दी जा रही होती तो बात थी । शीरे के संबंध में तो मंत्री जी ही शंका दूर कर चुके हैं कि उन लोगों पर 5 रु0 या उससे अधिक फीस उन पर लगायी जायगी जो माननीय सदस्य के मित्रगण हैं । मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि जैसा मंत्री जी ने कहा कि न्यायालय का निर्णय है, न्यायालय ने यह निर्णय नहीं किया कि यह पैसा लेना उचित नहीं है, उन्होंने कहा कि, पहले सरकार जो पैसा ले रही थी वह नियमावली के नियम के अन्तर्गत ले रही थी नियम बनाये थे, न्यायालय ने कहा कि नियमों के माध्यम से नहीं ले सकते, जब तक इस पर ला में प्राविधान नहीं होगा तब तक प्राप्त नहीं कर सकते, इस पर अब सरकार संशोधन लायी है, नियमावली को भी संशोधित करना होगा, सदन के पटल पर रखना होगा, तभी प्रभावी होगी । माननीय गुप्त जी ने कहा कि प्रवर समिति को दे दिया जाय । अगर कोई ऐसी बात होती, कोई ऐसा पहलू होता कि विचार करना आवश्यक होता तब तो प्रवर समिति को दिया जाता । एक तरफ तो ये कहते हैं कि अधिक से अधिक योजनायें बनें, संसाधन सीमित हैं, राजेन्द्र गुप्त जी कहते हैं कि इनके यहां इनके चुनाव क्षेत्र में बिजली के खम्भे नहीं लग रहे हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं । दूसरी ओर इसे प्रवर समिति में भेज कर राजकीय आय को बढ़ने नहीं देंगे । इसलिये मेरा आग्रह है कि माननीय गुप्त जी इस संशोधन को वापस ले लें तथा विधेयक पारित करें ।

श्री किरन पाल सिंह—

जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव या सुझाव दिया गया है, यह मैं समझता हूं कि दूरदृष्टि के अन्तर्गत किया गया है । आप यह कहते हैं कि शीरा जो खरीदेगा और जो शराब बनाते हैं, उन पर भार बढ़ा रहे हैं । शीरा, दवाई के काम भी अलकोहल तथा अन्य रूप में आता है, इससे अलकोहल भी बनता है, उस पर कुप्रभाव पड़ेगा । एक सुझाव है कि इसलिये प्रवर समिति को भेजना चाहिये क्योंकि शीरा जब दिया जाता है उद्योगपति को, तब तो जितना दिया जाता है, उसका तो एकाउण्ट होता है लेकिन उससे जितना पदार्थ वे बनाते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं होता है । यदि उद्योगपति अनाप-शनाप शीरा लेने के बाद उससे बना हुआ पदार्थ स्प्रिट 100 लीटर मात्र दिखा देगा तो कोई जवाब तलब नहीं करते हैं, कोई कार्यवाही नहीं करते हैं । सरकार इतनी उतावली है, हमारे प्रदेश में शीरा बेकार भी जाता है । यदि रख-रखाव का सही इन्तजाम करायें और शराब बनाने वालों पर ही अधिभार बढ़ायें तो उचित होगा ।

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, इसमें इन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम जिसमें कि शीरे के विक्रय पर प्रशासनिक शुल्क (प्रभार) लगाने की व्यवस्था थी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा इस आधार पर अधिकारातीत ठहराया गया है । आवश्यकता इस बात की है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, उसका ज्ञान इस सदन को होना जरूरी है । इसलिए हाई कोर्ट के जजमेन्ट की रिपोर्ट यहां आ जाये और उस पर प्रवर समिति विचार कर ले ।

दूसरे इसमें शीरा बेचने या सम्भरित करने की बात कही गयी है, इसमें बेचने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और सम्भरित करने के बीच में शब्द "या" का प्रयोग किया गया है जो कि स्पष्ट नहीं है कि एक चीज पर जब इन्होंने छूट दे दी तो फिर उसे "या" शब्द से क्यों जोड़ा गया है। इसलिये जरूरी है कि इसे प्रवर समिति में भेज कर इस पर विचार कर लिया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अभी प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये उसमें मैंने श्री बरार साहेब का भाषण भी सुना। लगता है कि आज कल बरार जी काफी नियमों का रियाज कर रहे हैं और कहते हैं कि मैंने इसे धन विधेयक बतला दिया है। मान्यवर, जब अभी स्पष्ट ही नहीं है कि वसूली करने की एजेन्सी क्या होगी जबकि वित्तीय ज्ञापन में यह बात होनी चाहिये थी। मैं माननीय बरार जी को जानकारी दे दूं कि हमारे यहां विधेयकों के पुरःस्थापन के बारे में यह भी लिखा हुआ है कि कोई विधेयक किसी तथ्य पर आधारित होगा। क्योंकि यह विधेयक हाई कोर्ट के फैसले पर आधारित है, किन तर्कों पर हाई कोर्ट ने अपना जजमेन्ट दिया है, हम प्रवर समिति की बात करते हैं मूल उद्देश्य से असहमत न होते हुए, इसे प्रवर समिति में ले जाने का प्रस्ताव करते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति में ले जाना अत्यन्त आवश्यक है। शराब वालों पर हमें इसे लगाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके आवरण में हम कहीं दूसरों से भी तो नहीं वसूल करेंगे, यह देखने की बात है।

श्री चेतराम गंगवार—

माननीय गुप्ता जी ने जानना चाहा है कि हमने इसे ढाई रु0 से 5 रु0 लिख दिया है, लेकिन मैं उनको बतला दूं कि हमने ढ़ाई रुपये ही चार्ज लगाया है और इस संबंध में 4-12-85 को अधिसूचना जारी कर दी गयी है। हमारा केवल कंट्रोल मिल के शीरे पर है। जो शीरा खांडसारी वाले बनाते हैं उसका यह 2/3 है। हमारी शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 में लागू की हुई है लेकिन इधर चार सालों में जो मिल मालिकों को बरगलाया गया है तो वे हाई कोर्ट चले गये। लिहाजा उसकी पूर्ति के लिये हम इसे लाये हैं। माननीय बाजपेयी जी ने कहा कि मैं शायद टैक्स मंत्री हूं लेकिन मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि मैं राहत के ही काम करता हूं। जो गरीब हैं, गिरिजन हैं उनको उठाने के लिये, उनके लिये पैसे की व्यवस्था करने के लिए हम ये राहत का काम कर रहे हैं।

तो मैं उस पर ज्यादा न कहकर, यही कहूंगा कि वह कोई जांच रिपोर्ट नहीं है, उसमें अनेकों विन्दु नहीं हैं, एक ही बिन्दु है। इसलिये आप इसको पास कर दें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1986

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

(2) यह 30 नवम्बर, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा 8 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 8 में—

(क) उपधारा (1) में शब्द "बेचने और सम्भरित करने" के स्थान पर शब्द "बेचने या सम्भरित करने" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्—

"(4) शक्कर के कारखाने का अध्यासी, अपने द्वारा बेचे गये या सम्भरित किये गये शीरे पर राज्य सरकार को, नियत रीति से, पांच रुपये प्रति क्विन्टल से अनधिक ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, प्रशासनिक प्रभार का देनदार होगा।

(5) अध्यासी उस व्यक्ति से जिसे शीरा बेचा या सम्भरित किया जाय ऐसे प्रशासनिक प्रभार की धनराशि के बराबर धनराशि शीरे के मूल्य के अतिरिक्त वसूल करने का हकदार होगा।"

धारा 22 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

(क) रीति जिसके अनुसार धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन देय प्रशासनिक प्रभार वसूल किया जायगा "।

4—(1) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्या- निरसन और अपवाद देश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में उत्तर प्रदेश अध्यादेश निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के संख्या 17, सन् 1985 उपलब्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री चेत राम गंगवार—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1986 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1986 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, पहली सूचना श्री विक्रमादित्य पान्डे की है, जो इलाहाबाद स्थित काष्ठ कला संस्थान की जमीन पर डी0 जी0 सी0 सिविल के कब्जे के बारे में है, इसको स्वीकार किया गया है और दूसरी सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी और श्री राम गोविन्द चौधरी की प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कोबाल्ट थेरेपी की सुविधा का उपलब्ध न होने के विषय में है, इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

गंगा एसबेस्टस सीमेन्ट लि0, रायबरेली के मजदूरों को नवम्बर, 1985 से वेतन न मिलने से भुखमरी के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, मेसर्स गंगा एसबेस्टस सीमेन्ट लि0, रायबरेली में . . . .

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री गौरी शंकर—

[एसबेस्टस सीमेन्ट पाइप इत्यादि के बनाये जाने का कार्य होता है। इकाई की लागत केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रारम्भ में 684 लाख रु0 आंकी गई थी जिसको बाद में पुनरीक्षित कर 779 लाख रु0 आंका गया। इकाई की मूल लागत तथा पुनरीक्षित लागत का विवरण संलग्नक* "क" में तथा वित्तीय संपोषण संलग्नक* "ख" में दर्शाया गया है। इकाई का उत्पादन कार्य जनवरी, 1984 में प्रारम्भ हुआ। इस इकाई को पिकप द्वारा 10.00 लाख रुपये की अंश पूंजी स्वीकृत और वितरित की गई है। यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने भी इस इकाई को 20 लाख रुपये की अंश पूंजी स्वीकृत एवं वितरित की है। इकाई को 430.00 लाख रुपये का आवधिक ऋण केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत किया गया है। इकाई में नियोजित श्रमिकों की संख्या लगभग ढाई सौ है तथा उत्पादन कार्य पिछले कई महीनों से बन्द है।

इकाई के प्रबन्धकों द्वारा दिनांक 19-8-85 से प्रतिष्ठान में कार्यरत 107 श्रमिकों की बैठकी किये जाने की अनुमति प्रदान करने के आशय से एक प्रार्थना-पत्र उप श्रमायुक्त, लखनऊ के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर श्रमिक और सेवायोजक पक्षों को विभिन्न तिथियों पर सुनने के बाद दिनांक 16-10-85 को सेवायोजकों का प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया गया। इसके उपरान्त सेवायोजकों द्वारा पुनः दिनांक 1-11-85 को पुनर्विचार के आशय से एक प्रार्थना-पत्र उप श्रमायुक्त, लखनऊ कार्यालय को दिया गया, जिस पर भी विभिन्न तिथियों पर पक्षों को सुना गया और विचाराधीन है। सेवायोजकों का कहना था कि वित्तीय संकट की स्थिति, नये आपूर्ति आदेशों के न मिलने के कारण, बने हुए माल की बिक्री न होने के कारण तथा बड़ी मात्रा में स्टाक एकत्रित हो जाने के कारण हुई। उनका यह भी कहना था कि उन्हें निकट बाजार से आर्डर न मिलने के कारण अपने माल को दूरदराज के क्षेत्रों में बिक्री करने हेतु प्रयास करने पड़ते हैं, जिससे उनके प्रशासनिक एवं बिक्री व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। विक्रय किये गये माल की कीमत की वसूली में भी कठिनाई के कारण धनाभाव की स्थिति उत्पन्न हुई। बैंक द्वारा उनके खाते सीज कर दिए गए हैं जिसके फलस्वरूप बिक्री से वसूल की गई धनराशि अनिवार्यतः बैंक में जमा हो रही है और उनके पास वेतन वितरण हेतु धनाभाव हो गया है। यह सही है कि कर्मचारियों को माह नवम्बर, 1985 दिसम्बर, 1985 तथा जनवरी, 1986 के वेतन का भुगतान प्रबन्धकों द्वारा नहीं किया गया है। इस आशय से प्रबन्धकों को उ0 प्र0 औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा संदाय) अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दी गयी और तत्पश्चात् नवम्बर व दिसम्बर, 85 के अवशेष वेतन की वसूली हेतु 2,47,744 रु0 के वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 17-2-86 को निर्गत कर दिये गये हैं।

उपर्युक्त इकाई को प्रारम्भ से ही समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसके

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*(संलग्नकों के लिए दीखिए नत्थी "छ")

आगे पृष्ठ 197 पर)

कारण स्थापित क्षमता का उपयोग अनुमानित रूप से नहीं हो सका । एसबेस्टस सीमेन्ट पाइप का प्रति टन विक्रय मूल्य जो 4640 रुपये आंका गया था, वास्तव में केवल 4100 रुपये ही प्राप्त हो पाया और इकाई 31 अगस्त, 1984 तक अपनी स्थापित क्षमता का केवल 25 प्रतिशत ही उपयोग कर सकी । इस अवधि में विक्रय 230.17 लाख रुपये हुआ जिस पर 30.02 लाख रुपया की हानि हुई, जो ह्रास का प्राविधान करने से पूर्व थी । सितम्बर, 1984 से जून, 1985 तक इकाई ने 580.93 लाख रुपये का विक्रय किया, जिस पर इकाई को 56.43 लाख रुपये की ह्रास के पूर्व हानि हुई । ह्रास का प्राविधान करने के बाद यह हानि 106.93 लाख रुपये की थी । इस प्रकार 30 जून, 1985 तक कम्पनी को 258.83 लाख रुपये की अंश पूंजी पर 167.42 लाख रुपये की कुल हानि हो चुकी थी, जिसमें कुल नकद हानि 86.92 लाख रुपये थी । अपेक्षित आर्डर के अभाव में तथा धनाभाव के कारण कम्पनी के पास 30 जून, 1985 को लगभग 2 करोड़ रुपये का माल तैयार पड़ा था जिसके कारण चालू पूंजी का पर्याप्त उपयोग नहीं हो सका ।

इकाई ने विषम आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं को एक प्रस्ताव दिया जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि केन्द्रीय वित्तीय संस्थायें अपने आवधिक ऋणों पर ब्याज तथा मूलधन की वापसी की सुविधा प्रदान करें । इकाई ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि उक्त कम्पनी का किसी अन्य कम्पनी के साथ विलय करने की संभावना पर भी विचार किया जाय । इसी बीच उक्त इकाई के मुख्य प्रवर्तक तथा चेयरमैन श्री ओ0 एम0 सोमानी का 8 नवम्बर, 1985 को आकस्मिक निधन भी हो गया । इकाई का प्रस्ताव केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के विचाराधीन है तथा उसके प्रबन्ध या नियंत्रण को अपने अधिकार में लेना भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है ।]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि 107 श्रमिकों की बैठकी किये जाने के सम्बन्ध में एक पत्र इकाई के प्रबन्धकों द्वारा उप श्रमायुक्त, लखनऊ को भेजा गया और शासन ने ढाई लाख रुपये के रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी कर दिये हैं, नवम्बर, 1985 से अब तक श्रमिकों को तनख्वाह नहीं दी गयी है तो मैं जानना चाहता हूं कि रिकवरी प्रमाण-पत्र जो जारी किये गये हैं उनकी वसूली के सम्बन्ध में क्या प्रभावी कदम उठाये जायेंगे, जिससे कि श्रमिकों को वेतन मिल सके और सरकार द्वारा सन्दर्भित फैक्टरी को चलाने के लिये क्या कोई प्रयास किया जा रहा है ? यदि हां, तो जो मजदूर निकाले गये हैं, क्या उनको दुबारा फिर रख लिया जायेगा ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, जो श्रमिकों की बैठकी किये जाने का प्रार्थना-पत्र है, उसको उप श्रमायुक्त द्वारा निरस्त कर दिया गया है, यह सच है कि कर्मचारियों को नवम्बर, 1985 से जनवरी, 1986 तक के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, इस आशय से ही उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासंदाय) अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर दी गयी है और तत्पश्चात् नवम्बर व दिसम्बर, 1985 के अवशेष वेतन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की वसूली हेतु 2.47,744 रुपये के वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं। वसूली की जायेगी और प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ताकि वेतन का भुगतान किया जा सके। दूसरी बात मान्यवर, यह है कि आपने इसमें सरकार की ओर से किये जाने वाले प्रयास के बारे में जानना चाहा है मान्यवर, इसके लिए विशेष रूप से 2-3 बातें इसके रुग्ण होने की हैं, एक तो यह था कि चूंकि सीमेन्ट बेस्ड प्रोडक्शन है, चूंकि सीमेन्ट की इसको आवश्यकता थी लेकिन भारत सरकार की ड्यूएल सीमेन्ट के कारण एक तो सीमेन्ट की कीमत बढ़ गयी और दूसरा एस्बस्टस जो है वह इम्पोर्ट आइटम है उसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ गयी तो यह 2-3 बातें हैं जिसके कारण जो मिल है वह सिक हुई। भारत सरकार की हमारी फाइनैन्सियल 3-4 इंस्टीट्यूट हैं जिसमें से आई0 सी0 आई0 सी0 आई0 हैं, आई0 डी0 बी0 आई0 और आई0 एफ0 सी0 आई0 हैं, इस तरह से 3-4 कम्पनियां हैं जिनके पास में फाइनेन्स करने का मामला संदर्भित है, जब इसमें कुछ होगा तो जो रुग्ण फैक्ट्री है वह चल सकेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, दूसरे सवाल की जो आशा की थी माननीय मंत्री जी उसको समझ तो गये होंगे लेकिन उत्तर मेरी समझ में नहीं आया। मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि शासन ने जो बहुत कुछ पैसा दिया था उसको जो उनके अंशधारक थे उन लोगों ने उस पैसे को निकालकर अपने खाते में डाल लिया और जो सरकारी पैसा था, उसको अपने खाते में डाल लिया। उस फैक्ट्री के निर्माण में इतना भ्रष्टाचार था कि उन्होंने शासन को रिपोर्ट दिया कि इस कीमत पर माल बिकेगा और माल बहुत कम कीमत पर बिका तो मैं जानना चाहता हूं कि उस फैक्ट्री को चलाने के बारे में शासन की नीति क्या है, क्या आप उसको अधिग्रहण करके चलायेंगे ? चूंकि अंशधारकों ने धोखा देने की कोशिश की है तो क्या उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही करने की चेष्टा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, शासन की नीयत साफ है और वित्तीय संकट के निदान हेतु उन्होंने हैदराबाद सीमेन्ट एसबेस्टस कम्पनी के साथ विलय प्रस्तावित किया था। चालू वित्तीय संकट से उबारने हेतु सहायता प्रस्ताव केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के विचाराधीन है। इससे कुछ होगा तो सीमेन्ट इकाई चालू होगी और मुझे आशा है कि इससे माननीय गुप्ता जी की चिन्ता समाप्त हो जायेगी।

जनपद अलीगढ़ में स्थापित सघन जिला कृषि कार्यक्रम योजना की समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, अलीगढ़ जनपद में सघन कृषि जिला कार्यक्रम की योजना . . . .।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

[वर्ष 1960 में स्वीकृत की गई थी और अब भी कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश का केवल अलीगढ़ जनपद लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जनपद में एक परियोजना अधिकारी, कृषि एवं विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं तथा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि यंत्रशाला, कृषि प्रसार व सूचना केन्द्र बीज विकास एवं बीज शोध अध्ययन आदि का कार्य किया जा रहा है। इस योजना को समाप्त करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।]

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह गांधी—

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि योजना अलीगढ़ में रहेगी, मैं जानना चाहता हूं कि योजना 1960 से आरम्भ हुई थी और 25 वर्ष के अन्तराल के बाद जो इसके कर्मचारी हैं वह अस्थाई हैं, जब कि 3 साल की सेवा के बाद उनको स्थायी हो जाना चाहिए था, क्या इन कर्मचारियों को स्थाई करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मैं इसको दिखलवा लूंगा।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह गांधी—

श्रीमन्, सघन जिला कृषि कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत एक फार्म अलीगढ़ में स्थापित है जिसमें एक शोध संस्थान है जिसमें बीजों के शोध, उनके परिवर्द्धन आदि का काम किया जाता है . . . .।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

वक्तव्य में जितनी बात कही गई है, वही बोलें।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह गांधी—

इस फार्म को अलीगढ़ विश्वविद्यालय में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसका स्थानांतरण करने से जिस उद्देश्य के लिये यह वहां पर स्थापित किया गया था, उसकी पूर्ति नहीं होगी और उसमें व्यवधान पैदा हो जायेगा . . . .।

श्री अधिष्ठाता—

आप स्पष्टीकरण करना चाहें तो सिर्फ प्रश्न ही करें।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह सवाल किया है कि वहां पर कवारसी जो फार्म है उसका स्थानान्तरण किया जा रहा है। वह फार्म बीज वगैरह का शोध वहां पर करता है और वह सघन जिला कृषि कार्यक्रम योजना से सम्बन्धित है। इसको वहां से हटाने की बात हो रही है, तो क्या ऐसी बात है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

इससे उसका कोई वास्ता नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, दो प्रश्न हैं। एक तो यह कि वहां के परियोजनाधिकारी बराबर इस प्रयास में रहते हैं कि उस योजना को वहां से हटाकर लखनऊ ले आयें जिसके लिये गांधी जी को प्रश्न करने की आवश्यकता हुई। उसका पूरा डिपार्टमेंट अलीगढ़ से लखनऊ में लाना चाहते हैं। इसलिये आप आश्वासन दें कि ऐसा नहीं होगा और यह शोध संस्थान वहां से हटाया नहीं जायेगा।

दूसरी बात यह है कि क्वारसी का जो शोध संस्थान है जहां पर मिट्टी आदि का शोध कार्य होता है, वह अलीगढ़ से

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लगा हुआ है, नगरपालिका की सीमा में आ गया है, उसके लिये यह प्रयास हो रहा है कि इस फार्म को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दिया जाय । यह दो सवाल उन्होंने किये हैं । इनके बारे में माननीय सदस्य आश्वासन चाहते हैं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जैसा कि वक्तव्य से स्पष्ट है, इस योजना को अभी समाप्त करने का सवाल नहीं है । यह योजना अलीगढ़ में चल रही है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही जिले अलीगढ़ में है जहां पर यह चल रही है । इसके बारे में कोई शंका करने का सवाल नहीं है ।

दूसरे जो फार्म के बारे में सवाल किया गया, तो उसका वक्तव्य से कोई वास्ता नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 31 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ : भाल चन्द्र शुक्ल,
4 मार्च, 1986 सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ पर)

चीनी अधिष्ठान के अन्तर्गत स्वीकृत स्थायी एवं अस्थायी पदों का विवरण।

क्रमांक	पद नाम	पदों की कुल संख्या	स्थायी पदों की संख्या	अस्थायी पदों की संख्या
1	2	3	4	5
	राजपत्रित पद			
1	उप चीनी आयुक्त	3	3	—
2	गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त	18	18	—
3	विधि अधिकारी	1	1	—
4	लेखा अधिकारी	1	—	1
	योग राजपत्रित पद	23	22	1
	अराजपत्रित पद			
1	वैयक्तिक सहायक	1	1	—
2	कर वसूली अधिकारी	1	1	—
3	खांडसारी अधिकारी	15	15	—
4	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-11	2	2	—
5	सांख्यक सहायक	2	2	—
6	सहायक लेखाकार	4	4	—
7	खांडसारी निरीक्षक	130	130	—
8	वरिष्ठ सहायक	7	7	—
9	कनिष्ठ लिपिक	11	11	—
10	वरिष्ठ लिपिक	6	6	—

क्रमांक	पद नाम	पदों की कुल संख्या	स्थायी पदों की संख्या	अस्थायी पदों की संख्या
1	2	3	4	5
11	टंकक	3	2	1
12	कौशियर	1	1	—
13	अनुवेषक कम कम्प्यूटर	2	2	—
14	लेखा लिपिक	16	16	—
15	कम्पाइलेशन सहायक	4	4	—
16	दफ्तरी	1	1	—
17	आदेशिका वाहन	130	130	—
18	ज्येष्ठ सम्परीक्षक	1	—	1
19	कनिष्ठ लिपिक	16	16	—
20	सहायक सम्परीक्षक	3	—	3
21	चौकीदार-कम-स्वीपर	20	20	—
22	चौकीदार	1	1	—
23	चपरासी	23	13	10
24	मेहतर	1	1	—
25	चालक	15	14	1
26	आशुलिपिक	3	3	—
27	कनिष्ठ लिपिक/टंकक	168	168	—
28	अर्दली	17	17	—
	योग—	604	588	16

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ . . . पर)

कार्यरत अवर अभियन्ताओं की सूची

सर्वश्री—

1—विशनु कुमार
2—रामजी प्रसाद
3—दिनेश कुमार मेहरोत्रा
4—सोमनाथ बनर्जी
5—पुरुषोत्तम दास
6—ओम प्रकाश मिश्र
7—इमरानुद्दीन सिद्दीकी
8—प्रेम सागर वर्मा
9—हुरमत अली
10—सत्य प्रकाश गुप्ता
11—विजय शंकर जौहरी
12—मुहम्मद जियाउद्दीन
13—सुरेश कुमार
14—पाचू राम
15—लालता प्रसाद
16—प्रेम चन्द्र गुप्ता
17—राम केवल प्रसाद (अनु0 जाति)
18—शैलेन्द्र कुमार गर्ग
19—देवेन्द्र बहादुर गाथुर
20—ललित किशोर मेहरोत्रा
21—ओम प्रकाश निगम
22—कल्पनाथ वर्मा
23—अशोक कुमार पुत्र श्री मातादीन जी
24—देवेन्द्र कुमार त्यागी
25—मुहम्मद इरफान
26—मुमताज अहमद
27—नवल किशोर अग्रवाल
28—राज कुमार बाघवानी
29—प्रभात कुमार
30—सैय्यद वसी हैदर

सर्वश्री—

31—जगदीश प्रसाद शुक्ल
32—संतोष कुमार जैन
33—मुहम्मद इलियास खां
34—प्रेम कुमार
35—यशोदा नन्द मिश्र
36—करुणेन्द्र प्रताप सिंह
37—शिव शंकर चौबे
38—महाबीर सिंह पुत्र ज्वाला सिंह
39—सतीश चन्द्र वर्मा
40—विशन प्रसाद
41—धन कुमार जैन
42—सुबोध चौधरी
43—आशुनंदन सिंह
44—कृष्ण लाल गुप्ता
45—प्रेम कुमार मलिक
46—रनजीत शाहा
47—चरन सिंह सेंगर
48—राम आसरे पुत्र श्री लोधर
49—ध्यान प्रकाश शर्मा
50—शिव सागर
51—ओम बाबू तिवारी
52—सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
53—सुरेश चन्द्र पुत्र श्री राम सनेही लाल
54—धर्म वीर सिंह
55—कविनास शर्मा
56—सत्य नारायण अग्रवाल
57—बृज लाल जैन
58—अनिल कुमार कंसल
59—ओम प्रकाश दुबे
60—शिव कुमार वर्मा
61—सुरेन्द्र प्रताप लाल
62—ओमकार नाथ
63—मन्नू राम (अनु0 जाति)
64—प्रेम चन्द्र (डी0पी0ए0)
65—हरिहर नाथ त्रिपाठी (डी0पी0ए0)

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 131 का उत्तर पीछे पृष्ठ . . . पर)

मारे गये डकैतों का अपराधिक इतिहास

1—परशुराम चौधरी पुत्र दूधनाथ चौधरी, सा0 गरथौरिया, थाना मुण्डेरवा, बस्ती ।

अपराध संख्या	धारा	थाना	जिला
187/70	325/323	मुण्डेरवा	बस्ती
85/80	25	,,	,,
2/81	395/397	,,	,,
275/81	147/148/149/307	,,	,,
367/81	395	,,	,,
416/81	395/397	,,	,,
418/81	396	,,	,,
1/82	25 आर्म्स एक्ट	बखिरा	,,
170/82	395/397	लालगंज	,,
31/83	396	खलीलाबाद	,,
45/83	395/397	मुण्डेरवा	,,
64/83	395/397	मुण्डेरवा	,,
66/83	395/397	,,	,,
67/83	395	,,	,,
65/83	395	,,	,,
68/83	395	,,	,,
73/83	,,	,,	,,
74/83	,,	,,	,,
60/83	147/148/149/307	,,	,,
119/83	307	,,	,,
120/83	आर्म्स एक्ट	,,	,,

2—मृतक दस्यु ओम प्रकाश पुत्र राम नयन कुर्मी, निवासी ठाकुरापार, थाना लालगंज, बस्ती ।

अपराध संख्या	धारा	थाना	जिला
119/80	395/397	कप्तानगंज	बस्ती
145/80	,,	,,	,,
146/80	396	,,	,,

अपराध संख्या	धारा	थाना	जिला
30/82	395/397	खलीलाबाद	बस्ती
301/82	,,	,,	,,
31/83	396	,,	,,
149/82	396	लालगंज	,,
100/80	395/397	,,	,,
70/79	25 आर्म्स एक्ट	,,	,,
209/82	457/380	मुण्डेरवा	,,
81/79	396	कलवारी	,,
558/79	395/397	कोतवाली	,,
7/83	,,	दुबौलिया	,,
8/83	395	,,	,,

3—मन्तर तिवारी पुत्र राम निवास तिवारी, साकिन सूरत देवरिया, थाना हरपुर बुदहट, गोरखपुर ।

अपराध संख्या	धारा	थाना	जिला
36/81	395/397 भा0द0वि0	महुली	बस्ती
218/80	149/307	,,	,,

4—भूमिकेश्वर राय पुत्र हनुमान राय, साकिन साखी, थाना महुली, जनपद बस्ती ।

अपराध संख्या	धारा	थाना	जिला
8/63	379	महुली	बस्ती
38/64	324	,,	,,
168/72	379	,,	,,
105/70	395/397	,,	,,
232/84	148/149/302/307/404/216 25 आर्म्स एक्ट	,,	,,

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 134 का उत्तर पृष्ठ 70 पर)

लक्ष्य एवं उपलब्धि कुल ग्रामों के लिये

	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
75-76	80	103	60	60	13	13
76-77	60	8	45	47	33	33
77-78	215	224	150	154	173	173
78-79	273	284	250	275	273	273
79-80	139	132	30	30	69	87
पांचवी पंच-वर्षीय योजना का योग :	767	751	535	566	561	579
80-81	110	134	75	93	67	91
81-82	107	112	50	64	63	65
82-83	100	97	115	124	70	110
83-84	70	99	250	329	130	152
84-85	115	119	390	519	126	200
छठी पंच-वर्षीय योजना का योग :	502	561	880	1129	456	618

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 154 का उत्तर पीछे पृष्ठ 76 पर)

शरद अस्थाना, आई0ए0एस0
जिलाधिकारी ।

गोपनीय/रजिस्टर्ड
अ0 शा0 पत्र सं0 535/पांच-स्टाम्प-851
कार्यालय जिलाधिकारी,
इटावा ।
दिनांक : नवम्बर, 22, 1985 ।

प्रिय महोदय,

श्री बिहारी लाल दोहरे द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0 117, 118 व 119 से सम्बन्धित कृपया अपने अ0 शासकीय पत्र संख्या 4331/दस-1004 (26)-85, दिनांक 28-10-85 का संदर्भ लेने का कष्ट करें ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में निवेदन है कि श्रीमती मुन्नी देवी अवस्थी व श्रीमती उर्मिला देवी अवस्थी ने अपने स्वर्गीय पिता श्री राम प्रकाश उर्फ छेदा लाल तिवारी, निवासी ग्राम क्योंटरा, परगना औरेया की सम्पत्ति हड़पे जाने के विषय में शिकायतें की थी तथा जिसके सम्बन्ध में संसद सदस्य श्री नाथूराम शाक्यवार, और श्री बिहारी लाल दोहरे के जो पत्र शासन के माध्यम से प्राप्त हुये थे, के सम्बन्ध में प्रश्नवार उत्तर निम्नवत् है :

प्रश्न संख्या—117—सांसद श्री नाथूराम शाक्यवार के पत्र दिनांक 29-12-83 के साथ संलग्न श्रीमती मुन्नी देवी व उर्मिला देवी अवस्थी के प्रार्थना-पत्रों में मुख्य आरोप यह है, कि शिकायतकर्ताओं के पिता का निधन दिनांक 4-7-83 को हो गया था, तथा उनके उत्तराधिकार का मामला न्यायालय में विचाराधीन था । इसी बीच श्रीमती फूलमती, जिनका कि निधन दिनांक 20-10-83 को हो चुका है, ने शिकायतकर्त्ताओं के पिता की ग्राम क्योंटरा एवं मईनइ को कुल मिलाकर 10.45 एकड़ से कुछ अधिक कृषि भूमि, ग्राम क्योंटरा स्थित एक आवासीय भवन एवं दो आबादी प्लाट का बैनामा अपनी पुत्री श्रीमती सुखवती के हक में 75,000.00 रुपया का लेन-देन दिखाकर निष्पादित कर दिया तथा दो लाख रुपया की मालियत की सम्पत्ति का अवमूल्यन करके स्टाम्प शुल्क बचाने की नियत से उसे केवल 1,33,000.00 रु0 का दर्शाया गया । यह विक्रय पत्र दिनांक 16-9-83 को निबंधित किया गया, तथा इसके साथ आय-कर विभाग की जो प्रमाण-पत्र दिया गया वह 30,000.00 रुपया का था । शिकायतकर्ताओं की ओर से उप निबंधक औरेया को दिनांक 15-9-83 को लिखित आपत्ति भी दी गई, किन्तु इसके बाद विक्रय पत्र का निबंधन दिनांक 16-9-83 को कर दिया गया और जिलाधिकारी इटावा द्वारा दिनांक 24-9-83 को विक्रय पत्र मांगे जाने पर आदेशों की अवहेलना करते हुये उसे सम्बन्धित पक्ष को वापस कर दिया गया ।

इन समस्त आरोपों के संबंध में परगनाधिकारी औरैया से जांच कराई गई तथा उप निबंधक औरैया से स्पष्टीकरण आदि लिये गये । जांच परिणामों से यह

स्पष्ट है कि 50,000·00 (पचास हजार रुपया) से अधिक के मूल्य पर बेची जाने वाली सम्पत्ति के लिये आय-कर अधिनियम की धारा 230-ए(1) के अंतर्गत आय-कर अधिकारी का क्लियरेन्स प्रमाण-पत्र अनिवार्य था, किन्तु इसके स्थान पर संबंधित पक्ष के द्वारा केवल 30,000·00 रुपया का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया, तथा उस पर कोई आपत्ति न करके उन निबंधक औरैया के द्वारा विक्रय-पत्र को निबंधित कर दिया गया । आय कर अधिनियम की धारा 230-ए(1) के अंतर्गत स्पष्ट प्रतिबन्ध इस आशय का है कि 50,000·00 रुपया से अधिक के मूल्य पर बेची जाने वाली सम्पत्ति से सम्बन्धित हस्तान्तरण प्रलेख को वांछित प्रमाण-पत्र के अभाव में निबंधित नहीं किया जायेगा । किन्तु इन अनिवार्य प्राविधानों का अतिक्रमण करते हुए उप निबंधक औरैया ने संभवतः जानबूझकर प्रश्नगत प्रलेख का निबंधन किया है । आयकर अधिकारी ने इस सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 5-12-83 के द्वारा सूचित भी किया है कि उप निबंधक द्वारा ऐसा करके आयकर व गिफ्ट टैक्स का भारी नुकसान किया है ।

इस प्रकरण में श्रीमती फूलमती के द्वारा जो सम्पत्ति हस्तांतरित की गई है उसका मूल्य दस्तावेज में 75,000-00 रुपया दर्शाया गया है, तथा संपत्ति की मालियत 133,000·00 रुपया दर्शायी गई है, अतः इस हस्तांतरण में 75,000·00 रुपया का आयकर अधिकारी का धारा 230-ए(1) का प्रमाण-पत्र अनिवार्य था, किन्तु उसके स्थान पर केवल 30,000·00 रुपया के प्रमाण पत्र पर प्रलेख का निबंधन कर दिया गया जो किसी भी दशा में नहीं किया जाना चाहिए था ।

उपरोक्त के अतिरिक्त उप निबंधक को इस विक्रय पत्र का निबंधन इसलिए और भी नहीं करना चाहिए था क्योंकि शिकायतकर्त्ताओं की ओर से एक लिखित आपत्ति दिनांक 15-9-83 को दी जा चुकी थी, जिसमें प्रश्नगत प्रलेख में हो रही सभी अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था । चूंकि विक्रय पत्र दिनांक 26-8-83 को उप निबंधक के समक्ष प्रस्तुत हो चुका था और उसके निबंधन के पूर्व निश्चित आरोपों के साथ उनके समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की जा चुकी थी, अतः स्वच्छ आचरण का तकाजा यही था कि प्रलेख का निबंधन न किया जाकर उसे स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अन्तर्गत जिलाधिकारी को भेज देते अथवा आयकर अधिकारी से वांछित प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रलेख का निबंधन नहीं करना चाहिये था । सम्पत्ति के अवमूल्यन के बिन्दु पर अपने स्पष्टीकरण दिनांक 17-1-84 में उप निबंधक औरैया ने स्वयं भी यह स्वीकार किया है कि "मकान आदि के सम्बन्ध में कीमत कम होने की आशंका है" ।

इस प्रकार प्रश्नगत विक्रय-पत्र के निबंधन के बिन्दु पर उप निबंधक औरैया का आचरण संदेह से परे नहीं है, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जाती है ।

प्रश्न संख्या 118—सांसद श्री नाथूराम शाक्यवार के पत्र के साथ संलग्न शिकायती पत्रों पर तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री जी के पत्र दिनांक 27-1-84 के सम्बन्ध में निवेदन है कि इस प्रकरण में आयकर अधिनियम की धारा 230-ए(1) के संविधानों का उल्लंघन उप निबंधक-औरैया के द्वारा अवश्य किया गया है, किन्तु रीजस्ट्रेशन ऐक्ट में निबंधन के बाद कथित कारणों के परिणाम स्वरूप प्रलेख को अप्रभावी घोषित करने का प्राविधान नहीं है, फिर भी चूंकि इस मामले में सम्पत्ति का अवमूल्यन भी किया गया है, क्योंकि सम्पत्ति की मालियत के बिन्दु पर जो आख्या प्राप्त हुई है, उसके अनुसार

हस्तांतरित सम्पत्ति की तत्कालीन मालियत 1,64,000.00 रुपया से अधिक पाई गई है अतः मूल्य विक्रय पत्र को तहसीलदार औरैया के न्यायालय से तलब किया जाकर उसे स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत अवरुद्ध कर लिया गया है । इस प्रकार प्रश्नगत दस्तावेज इम्पाउण्ड हो जाने के बाद स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत चल रही कार्यवाही तक के लिये अप्रभावी हो चुका है ।

प्रश्न संख्या 119—इस प्रश्न के सम्बन्ध में निवेदन है कि यह पूर्णतया सत्य है कि विक्रय-पत्र का प्रस्तुतीकरण उप निबंधक औरैया के समक्ष दि0 26-8-83 को हुआ है तथा आयकर अधिकारी के यहां भी धारा 230-ए(1) का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-8-83 को ही दिया गया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत पत्र जो 75,000.00 रुपया के लेन-देन का था, को प्रस्तुत करते समय आयकर अधिकारी का उक्त धारा का प्रमाण-पत्र ही नहीं था, जिसकी प्रतीक्षा उप निबंधक के द्वारा सम्भवतः केवल खाना पूरी की दृष्टि से की गई, जिससे यह भी प्रतीत होता है कि उप निबंधक औरैया इस प्रलेख को निबंधित करने हेतु नियमों के विपरीत भी पक्ष में थे । निष्कर्षतः उपरोक्त सभी आरोपों के लिये श्री जी0 के0 श्रीवास्तव तत्कालीन उप निबंधक औरैया ही उत्तरदायी प्रतीत होते हैं, जिनके विरुद्ध विभागीय अथवा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही महा-निबंधक, उ0 प्र0, इलाहाबाद के स्तर से होनी है ।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण की जांच के परिणामस्वरूप यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि शिकायतकर्त्ताओं (मुन्नीदेवी व उर्मिला देवी) के पिता स्व0 राम प्रकाश तिवारी के निधन के बाद सुपरवाइजर कानूनगो औरैया ने उत्तराधिकार का मामला न्यायालय तहसीलदार औरैया में लम्बित होते हुए भी अपने स्वयं के आदेश दिनांक 21-8-83 के द्वारा आकारपत्र प-क, 11 में फूलमती का नाम अंकित कर दिया था । परगनाधिकारी औरैया की जांच आख्या से यह भी स्पष्ट होता है कि लेखपाल/सुपरवाइजर-कानूनगो द्वारा ग्राम प्रधान से मिलकर दिनांक 21-8-83 को प-क, 11 में फूलमती के नाम जानबूझ कर दाखिल खारिज कर दिया, जबकि एस0 के0 के आदेश का कोई अस्तित्व नहीं था, अतः इन कर्मचारियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही पृथक् से की जा रही है ।

अन्ततः शासन के सूचनार्थ पुनः निवेदन है कि प्रश्नगत मूल्य विक्रय पत्र पर स्टाम्प एक्ट की धारा 47-ख के अन्तर्गत मुकद्दमा कायम किया जा चुका है, जिसकी जांच प्रक्रिया चल रही है तथा इस सम्बन्ध में हस्तांतरित सम्पत्ति का जो भी बाजार मूल्य निर्धारित किया जायेगा उस पर कमी स्टाम्प शुल्क व अर्थ-दण्ड आरोपित किया जायेगा ।

उपरोक्त की पुष्टि में आयकर अधिकारी, इटावा के पत्र दि0 5-12-83 परगनाधिकारी, औरैया की जांच आख्या दिनांक 27-8-84 तथा उप निबंधक औरैया के पत्र दिनांक 17-1-84 की प्रतियां संलग्न की जा रही हैं ।

संलग्नक :

उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

ह0/ शरद अस्थाना ।

श्री प्रेम शंकर,
संयुक्त सचिव, वित्त (स्टाम्प एवं रजि0) अनुभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

नत्थी 'च'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 178 का उत्तर पीछे पृष्ठ 86 पर)

टाउन एरियाओं द्वारा किये गये विकास कार्यों एवम् नागरिकों को उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का विवरण

टाउन एरिया पुरवां द्वारा वर्ष 1980-81 में 220 मीटर खड़ंजा सड़क, 935 मी0 नाली बनवाई गयी एवं 1979 में हस्तांतरित पानी की टंकी की मरम्मत करायी गयी । सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था करायी गयी ।

वर्ष 1982-83 में 295 मी0 खड़ंजा सड़क बनवाई गयी और जलापूर्ति हेतु मरम्मत का कार्य कराया गया । सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था करायी गयी ।

वर्ष 1984-85 में 500 मी0 खड़ंजा सड़क एवं 375 मी0 नाली का निर्माण एवं सफाई और प्रकाश व्यवस्था करायी गयी ।

टाउन एरिया मौरावां द्वारा वर्ष 1980-81 में टंकी की मरम्मत करायी गयी एवं सफाई और प्रकाश व्यवस्था करायी गयी ।

वर्ष 1981-82 में 350 मी0 खड़ंजा सड़क का निर्माण कराया गया एवं सफाई और प्रकाश व्यवस्था करायी गयी ।

वर्ष 1982-83 में जलापूर्ति का कार्य कराया गया एवं सफाई और प्रकाश व्यवस्था करायी गयी ।

वर्ष 1983-84 में 400 मी0 खड़ंजा सड़क का निर्माण एवं जलापूर्ति का कार्य कराया गया । सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था भी करायी गयी ।

वर्ष 1984-85 में 500 मी0 खड़ंजा सड़क का निर्माण कराया गया और सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था करायी गयी ।

टाउन एरिया भगवन्त नगर द्वारा वर्ष 1980-81 में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति का कार्य कराया गया । साथ-साथ सफाई और प्रकाश व्यवस्था भी कराई गयी ।

वर्ष 1982-83 में 947.10 मी0 खड़ंजा सड़क एवं 214 मी0 नाली और एक पुलिया का निर्माण कराया गया । जलकल में 206.27 मी0 खड़ंजा लगवाया गया एवं सफाई और प्रकाश व्यवस्था करायी गयी ।

वर्ष 1983-84 में जलापूर्ति से सम्बन्धित मरम्मत का कार्य कराया गया एवं प्रकाश और सफाई व्यवस्था करायी गयी ।

वर्ष 1984-85 में 1605.99 मी0 एवं 192.90 मी0 खड़ंजा का निर्माण कराया गया और जलापूर्ति में मरम्मत का कार्य कराया गया । सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था भी करायी गयी ।

टाउन एरिया बीघापुर द्वारा वर्ष 1980-81 में 1760 मी0 खड़ंजा सड़क एवं 530 मी0 नाली और एक टंकी का कार्य कराया गया ।

वर्ष 1981-82 में 400 मी0 खड़ंजा सड़क, 220 मी0 नाली का निर्माण कराया गया एवं सफाई/प्रकाश व्यवस्था करायी गयी ।

वर्ष 1982-83 में 60 मी0 खड़ंजा सड़क 561 मी0 नाली बनवाई गयी एवं सफाई, प्रकाश व्यवस्था करायी गयी ।

वर्ष 1983-84 में 165 मी0 खड़ंजा सड़क एवं 600 मी0 नाली का निर्माण कराया गया । जलापूर्ति का कार्य एवं सफाई/प्रकाश व्यवस्था करायी गयी ।

वर्ष 1984-85 में 1100 मी0 खड़ंजा सड़क का निर्माण कराया गया और जलापूर्ति एवं सफाई व्यवस्था करायी गयी ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ संख्या 179 पर)

संलग्नक (क)

मेसर्स गंगा एस्बेस्टस सीमेन्ट लिमिटेड

(रुपये लाखों में)

	मूल लागत	पुनरीक्षित लागत
भूमि एवं भूमि विकास	10·18	16·45
भवन	83·83	84·90
संयंत्र	321·58	376·39
तकनीकी शुल्क	15·00	15·00
अन्य अचल सम्पत्ति	104·83	101·06
प्रारम्भिक खर्चे	8·00	12·45
निर्माणाधीन खर्चे	38·50	77·29
आकस्मिक खर्चों का प्राविधान	32·00	—
चालू पूंजी के लिए मार्जिन	70·00	95·00
योग ..	683·92	778·54
या ..	684·00	779·00

संलग्नक (ख)

मेसर्स गंगा एस्बेस्टस सीमेन्ट लिमिटेड

(रुपये लाखों में)

	मूल परियोजना लागत का संपोषण		पुनर्निर्धारित लागत का संपोषण	
1—अंश पूंजी				
क—प्रवर्तक	90·00		110·00	
ख—यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0	20·00		20·00	
ग—पिकप	10·00		10·00	
घ—सार्वजनिक निर्गम	119·00	239·00	119·00	259·00
2—सेन्ट्रल इंवेस्टमेन्ट सब्सीडी		15.00		15.00
3—डी0 जी0 सेट सब्सीडी		—		5·00
4—आवधिक ऋण				
अ—आई0 सी0 आई0 सी0 आई0 आई0 डी0 बी0 आई0 तथा आई0 एफ0 सी0 आई0	330·00		400·00	
ब—एल0आई0सी0	30·00		30·00	
स—जी0 आई0 सी0 एण्ड यू0 जी0 आई0	30·00		30·00	
द—स्टेट बैंक आफ इण्डिया	30·00		30·00	
ह—इलाहाबाद बैंक	10·00	430·00	10·00	500·00
		684·00		779·00

0 एस0 यू0 पी0—10 वि0 सभा—7-5-86—813 (लाइनो) ।